राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10 | चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का 50 वां दिवस | संख्या 28

सोमवार, दिनांक 3 मई, 1971.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-01 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[श्रम, शिक्षा, पशुपालन, सिंचाई, आयुर्वेद, राजस्थान नहर परियोजना, आबकारी, योजना, वन, यातायात, पंचायत, अकाल सहायता, विद्युत, चुनाव, चिकित्सा-विभाग]

प्रश्न सं० 564

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री रामकुमार नन्दवाना !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० 565.

श्री देवीलाल !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 566

श्री सुरेन्द्र व्यास !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 567

श्री गोरधन सोनी !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 568

श्री महेन्द्रसिंह !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 569

श्री दौलतराम सारण।

चूरू जिले में लिफ्ट योजना से सिंचाई

569. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले में एक जलोत्थान सिंचाई योजना की कुछ वर्ष पूर्व प्राथमिक सर्वे हुई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) उस सर्वे के अनुसार कितनी लिफ्ट से चूरू जिले में पानी पहुंचाया जा सकता है और उससे कितनी भूमि सिंचाई योग्य है ?

(3) क्या यह सही है कि चूरू जिला किसान संघर्ष समिति को राज्य सरकार ने इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का लिखित आश्वासन दिया है ? अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि इस जलोत्थान योजना का विस्तृत सर्वे प्रारम्भ हो

(श्री दौलतराम सारण)
गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक प्रारम्भ हो जायेगा और इसमें कितना समय लगेगा ?

(5) क्या राज्य सरकार को यह विदित है कि इस योजना से चूरू जिले के अकाल और पीने के पानी की समस्या का स्थायी समाधान होने में काफी सहयोग मिल सकेगा ?

(6) इस योजना का काम कब तक प्रारम्भ करके कब तक इसे पूरा करने का विचार है ?

राज्य मंत्री, सिचाई (श्री मनफूलसिंह):

(1) जी हां। चूरू जिले के लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए उस जिले में जलोत्थान द्वारा सिंचाई होने की सम्भावना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक सर्वेक्षण सन् 1966 में कराया गया था।

(2) उपरोक्त सर्वे के अनुसार 120 से 275 फीट तक पानी लिफ्ट करने से चूरू जिले के उत्तरी सीमा क्षेत्र में करीब 70 हजार एकड़ भूमि में पानी पहुंचने की सम्भावना बताई गई थी लेकिन इस विषय में पक्के तौर से विस्तृत सर्वे के बाद ही कहा जा सकता है!

(2) ऐसा कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया।

(4) जी हां। अभी चार महीने और लगने की सम्भावना है।

(5) चूरू जिले की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही सर्वे का काम हाथ में लिया गया है। जलोत्थान द्वारा सिंचाई योजना कहां तक सफल हो सकेगी इस बारे में रिपोर्ट प्राप्त न होने तक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

(6) इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री दौलतराम सारण : प्रारम्भ हो गई सर्वे ?

श्री मनफूलसिंह : चल रही है।

श्री दौलतराम सारण : कब शुरू हुई ?

श्री मनफूलसिंह : प्राथमिक सर्वे खतम कर दी गई है लेकिन दूसरी सर्वे 5–6 महीने से चल रही है।

श्री दौलतराम सारण : किसान संघर्ष समिति को सरकार ने कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया यह आपका कहना सही नहीं है। सरकार ने किसान संघर्ष समिति को लिखित में आश्वासन दिया है और जिस पर मैंने प्रश्न पूछा है।

श्री मनफूल सिंह : हमारे पास में इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : सिंचाई मंत्री स्वयं उसमें उपस्थित थे और मुख्य मंत्री ने अपने हस्ताक्षरों से युक्त उनकी मांगों के सम्बन्ध में स्वीकारोक्ति दी थी और वह लिखित में दिया गया है।

श्री मनफूलसिंह : जो घोषणा की थी वह लिखित में है। एक पुस्तिका निकली है उसमें नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : वह तो गंगानगर की है। चूरू की ओर किसान संघर्ष समिति है और उस संघर्ष समिति और राज्य सरकार के बीच में विचार विमर्श हुआ था और राज्य सरकार ने उनकी जो मांगें स्वीकार की हैं उनको मुख्य सचिव की ओर से लिखित में दिया गया है।

श्री मनफूलसिंह : सिंचाई विभाग को इसकी कोई सूचना नहीं है। अगर मुख्य मन्त्री जी ने कोई आश्वासन दिया है तो उसको इसमें जरूर जोड़ा जायेगा।

श्री दौलतराम सारण : आपको जानकारी न होने का कोई कारण समझ में नहीं आता। स्वयं सिंचाई मंत्रीजी उसमें उपस्थित थे। इस प्रकार सिंचाई विभाग को पूरी जानकारी है। किसान संघर्ष समिति ने मुख्य सचिव के समक्ष जो मांगें रखी थीं और उन मांगों को जिस रूप में स्वीकार किया गया था वह मुख्य सचिव ने अपने हस्ताक्षरों से किसान संघर्ष समिति को लिख कर दिया था। जो नेगोसियेशन्स हुए थे उसमें सिंचाई मन्त्रीजी उपस्थित थे और अब आप कह रहे हैं कि सिंचाई मंत्रीजी को या सिंचाई विभाग को कोई जानकारी नहीं है, पता नहीं है। यह जो उत्तर दे रहे हैं वह गलत है। जब मुख्य सचिव ने उसको मान लिया है और उसको लिखित में दे दिया है तो यह कैसे हो सकता है। आप पूरी जानकारी करके नहीं आते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

सामान की खरीद

570. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (वानसूर)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अलवर शिक्षा विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ 1967-68 में खरीद के करीब 50 हजार के घोटाले की शिकायत की जांच चीफ अकाउन्टस आफिसर के द्वारा कराई गई थी ?

(2) यदि हां, तो क्या यह जांच समाप्त होकर रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है और क्या सरकार उस पर कोई कार्यवाही कर रही है ?

उप मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह):

(1) जी हां। खरीद में क्या गड़बड़ है इस सम्बन्ध में अभी तक पूर्ण विवरण ज्ञात नहीं है।

(2) मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान, जयपुर की रिपोर्ट में पूर्ण विवरण नहीं है कि की गई खरीद किन किन वस्तुओं के कितने कितने मूल्य की हैं और उनमें वास्तविक हानि क्या है। इसके विस्तृत विवरण प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सन् 68 में आडिट रिपोर्ट में आब्जेक्शन लगाया गया था और मैंने सन् 69 में सवाल किया था तो कहा गया था कि जांच हो रही है। और जब कोई जांच नहीं की गई थी तो फाइनेन्स डिपार्टमेंट को लिखा और चीफ अकाउन्ट्स आफिसर ने इन्क्वायरी करवाई और उसकी वह रिपोर्ट आ गई हैं और वह आडिट रिपोर्ट है। यह तीन साल का

Page No 4

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

मामला है और आप कह रहे हैं कि देखभाल कर रहे हैं। प्रश्न किया था 69 में और कोई जांच नहीं कराई। फिर चीफ अकाउन्ट्स आफिसर को लिख कर भेजा। पहले तो टेन्डर काल किये थे, उन टेन्डर्स को कमेटी ने एप्रूव कर दिये फिर बाद में 10 दिन के बाद ही दुबारा टेन्डर इन्वाइट किये गये। वे टेन्डर भी उन्ही फर्म्स के हैं और उनको दुगुनी, तिगुनी रेट पर आर्डर दे दिया गया। इस प्रकार गवर्नमेंट ने यह जो खरीद की है उसमें कम से कम एक लाख रुपयों की गड़बड़ है। इसके लिये मैं बराबर यहां और सरकार को कहता रहा हूं। अब यह डिपार्टमेंट की मर्जी है कि वह कोई कार्यवाही करे या न करे और गबन हो रहा है वह चलता रहे।

राव श्री धीरसिंह: जो खरीद की गई है वह इन्सपेक्टर के द्वारा नहीं की गई है। बल्कि एक सात सदस्यीय नियुक्त कमेटी के द्वारा की गई है। सहायक लेखाधिकारी शिक्षा विभाग, विद्यालय निरीक्षक श्री सोहनलाल गुप्ता, उप विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाध्यापक अलवर, प्रधानाध्यापक, प्रताप हायर सेकेन्डरी स्कूल, अलवर, अपर विद्यालय निरीक्षक, भरतपुर इनकी यह कमेटी बनी हुई है जिसने टेन्डर इन्वाइट किये और उसने जनरल फाइनेन्स एण्ड अकाउन्ट्स रूल्स को फोलो किया है। इन रूल्स के मुताबिक सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स सर्टीफिकेट इन टेन्डर्स के साथ पेश नहीं किये गये थे और इस कारण दुबारा टेन्डर इन्वाइट किये गये। यह रूल्स के तहत किया गया है। अभी तक जो जांच हुई है वह हमारे सामने है। क्या गड़बड़ियां हुई हैं वह नहीं है। दुबारा टेन्डर इन्वाइट करने का कारण यह बताया गया है कि उन्होंने सेल्स टेक्स और इन्कम टैक्स सर्टीफिकेट नहीं दिये हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्या यह सही है कि रूल्स के मुताबिक सर्टीफिकेट नहीं होने चाहिये? इसको बाद में लेने का रूल में प्राविजन है। अकाउन्ट्स आफिसर ने जांच करके जो जांच रिपोर्ट भेजी है उसको आप देखिए। उसमें लिखा है कि दुबारा टेण्डर इन्वाइट करने की आवश्यकता नहीं थी। और जो दुबारा टेण्डर इन्वाइट किये गये हैं, अध्यक्ष महोदय, उसमें भी एक हफ्ते का टाइम दिया गया है। रूल्स तो यह है कि इसको पहले साया करना चाहिये। जो दुबारा टेण्डर आये हैं वे भी उन्हीं फर्म के हैं और बाद में दुगुनी तिगुनी कीमत पर स्वीकार किये गये हैं।

राव श्री धीरसिंह: जो रूल है जी. एफ. एण्ड आर. का इसमें कहीं भी रिलेक्सेशन नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिए बाद में सरक्यूलर जारी हुआ है।

राव श्री धीरसिंह : वह कन्डीसर नहीं किया गया है, इन्शर्ट नहीं हुआ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बाद का सक्यूलर और है और वह एफ.डी. से निकला है और आपकी रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है। उसमें है यह।

राव श्री धीरसिंह : मैंने यह बता दिया है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अकाउन्ट्स आफिसर ने लिख कर भेजा हैं कि सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स सर्टीफिकेट की आवश्यकता नहीं है । इसको वे बाद में भी भेज सकते हैं ।

राव श्री धीरसिंह : उन्होंने लिख दिया तो क्या बात है । लेकिन जो फाइनेन्सियल रूल्स हैं तो आज तक चल रहे हैं । पोजीशन यह है कि इस सर्टीफिकेट के बिना कोई टेन्डर एन्टरटेन नहीं किया जा सकता है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने भी फाइनेन्सियल रूल का हवाला दिया है । बाद में यह अमेन्डमेन्ट किया गया है जिसका टेन्डर स्वीकार करते हैं उससे बाद में मंगवा लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा अमेन्डमेन्ट है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अकाउन्ट्स आफिसर ने जो रिपोर्ट भेजो है, उसने अपनी रिपोर्ट में लिख कर भेजा है । आप उस रिपोर्ट को देख कर बताइये यह गड़बड़ है क्या ?

श्री अध्यक्ष : यह गड़बड़ी सारी कब समाप्त हो जायेगी ?

राव श्री धीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, 22–8–69 को डेट थी । 23 को एक फर्म ने चिरंजीलाल से सर्टीफिकेट ले लिया गया उसके बाद कमेटी के सामने . .

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : फालतू जवाब देते हैं । जो पूछा है उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अकाउण्ट्स आफिसर की जांच रिपोर्ट आई कि नहीं, यह बता दीजिये । आप इधर उधर का जवाब दे रहे हैं । आप सीधा जवाब दे दीजिए ।

राव श्री धीरसिंह : 22, 23 और 2;-8-67 और 23, 24 का पीरियड उनके लिए और भी था कि टेन्डर देने के बाद सर्टीफिकेट दे सकते हैं और कमेटी ने 23–8–67 को चिरंजीलाल का सर्टीफिकेट एक्सेप्ट किया । 22, 23 तथा 24 को डेट फिक्स हुई तब तक सर्टीफिकेट नहीं दिया था तो हम कब तक इन्तजार कर सकते हैं ।

श्री दौलत राम सारण : क्या यह सही है . . .

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चीफ अकाउन्ट्स आफिसर को अपनी रिपोर्ट में गड़बड़ी मिली या नहीं ? देखिये तो सही आप रिपोर्ट । गड़बड़ी मिली हैं ।

राव श्री धीर सिंह : डिपार्टमेंट के पास पेश की है । एज्यूकेशन डिपार्टमेंट के पास आयेगी तो उसको एग्जामिन कर लिया जायेगा लेकिन . .

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि इसमें गड़बड़ घोटाले की शिकायत आपको मिली थी ?

राव श्री धीरसिंह : शिकायत माननीय

Page No 6

(राव श्री धीरसिंह)

सदस्य 25 अक्टूबर, 69 को दी थी। उसके बाद यह मेटर एग्जामिन करवाया गया और इन्सपेक्टर से एक्सप्लेनेशन काल किया गया और उस एक्सप्लेनेशन में उनका पहला जवाब यह था कि मैंने व्यक्तिगत अकेले टेन्डर मंजूर नहीं किये हैं बल्कि कमेटी ने जिसके नाम मैंने पढ़कर सुनाये हैं, निर्णय लिया है। टेन्डर को रिजेक्ट करने को आइटम 23 अनॅवरचर (सी) है उसमें इन्कम का सर्टीफिकेट नहीं था। डेट दी गई उसके बाद डिसीजन लिया उस वक्त तक नहीं थे। एक फर्म है चिरंजी लाल ने दिया। उसके बाद आप चाहते हैं · ·

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : सर्टीफिकेट उसके लिए कोई ग्राउन्ड नहीं है। इन्कार करने का · · ·

श्री दौलतराम सारण : मैंने प्रश्न पूछा है। सीधा सा जानना चाहता हूं। मैंने कहा आपके पास शिकायत आई, आपने कहा आगई। जो अनावश्यक बातें आपने कहीं वह अलग बात है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या यह सही है कि शिकायत के उपरान्त आपने अकाऊन्ट्स आफिसर को जांच पर लगाया था ?

राव श्री धीर सिंह : शिकायत माननीय सदस्य ने पेश की है। इस बात की जांच करने के लिए अकाउन्ट्स आफिसर को भेजा उसकी कापी एजूकेशन डिपार्टमेंट में भी आई है · · ·

श्री दौलतराम सारण : सीधा सा प्रश्न है और बिल्कुल साफ है 67-68 में 50 हजार के गबन का मामला है। यह सीधा सवाल है। अगर आपके पास नहीं आई है तो फाईनेन्स डिपार्टमेंट से लेकर जवाब देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल साफ है घोटाला हुआ है। अकाउन्ट्स आफिसर ने जांच की, यह जांच कब हुई और जांच की क्या रिपोर्ट दी और उस पर राज्य सरकार ने क्या एक्शन लिया। यह सब बातें साफ हैं।

राव श्री धीर सिंह : मैं स्पष्ट कह रहा हूं यह शिकायत एजूकेशन डिपार्टमेंट के पास भी आई है—स्टेट मिनिस्टर एजूकेशन के पास और दूसरी डाईरेक्टर आफ एज्यूकेशन ने एक्सप्लेनेशन इन्सपेक्टर का काल किया और उसका जवाब उन्होंने यह दिया है कि रीइन्वाइट करने का यह रीजन था कि सर्टिफिकेट नहीं था और यह कन्सीडर कर रहे हैं और इर्रेगुलेरिटी की उसकी जानकारी अधिकतर, जो जानकारी मिली है उसमें रीइन्वाइट करने का एक कारण था यह सर्टीफिकेट रूल्स के मुताबिक नहीं था।

श्री दौलत राम सारण : जिस आदमी के घोटाले की शिकायत है उसकी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। वह यह कहेगा मैंने चोरी की ? जो जांच में पाया है वह नहीं बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अकाउन्ट्स आफिसर की रिपोर्ट है। इनके पास आ गई है और ये कर रहे हैं · ·

श्री अध्यक्ष : मा. सदस्य दूसरा प्रश्न ले लिया है। श्री बाढ़दार।

Page No 7

(श्री बाठदार अनुपस्थित)

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष महोदय उसका क्या हुआ ? इस प्रश्न में स्पष्ट सूचना चाही गई है। अकाऊन्ट्स आफिसर के द्वारा जांच कराई गई थी। आप हां या ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं और इधर उधर का जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आबकारी मन्त्री जी ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को इधर उधर टालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न का उत्तर साफ नहीं आ रहा है। फिर हमारा प्रश्न पूछने का क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : रिपोर्ट बता दीजिये क्या है ।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर विचार करूंगा। मेरे खयाल से रिपोर्ट आ गई है मैं आपके प्रश्न के बारे में विचार करूंगा।

नेक्स्ट ।

ठेकेदार के कब्जे से पकड़ी गई शराब ।

571. श्री दुर्गालाल बाठदार (हवा-महल) की अनुपस्थिति में श्री विजयसिंह (मकराना) द्वारा पूछा गया : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना रामगंज ने श्री नारायण, ठेकेदार के कब्जे से पांच सौ बोतल शराब बिना लाइसेन्स के पकड़ा और उक्त माल को अपने कब्जे में लिया ?

(2) क्या यह सही है कि श्री मुन्नालाल आर्य (जिला आबकारी अधिकारी में माल को श्री नारायण, ठेकेदार को लौटाने के लिए पुलिस को एक कागज पर लिख कर दिया कि यह माल शहर के लाइसेन्सी का है ? यदि यह सत्य है तो शहर के लाइसेन्सी होने के सबूत में जो दस्तावेज हैं। वह सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि अब पुलिस ने श्री नारायण, ठेकेदार का बयान शराब की बोतलें अपने कब्जे में लेने के मामले में लिया था जिसमें उसने माल को लाइसेन्सी का नहीं होना बयान किया ?

(4) आबकारी विभाग से जिस पद पर श्री मुन्नालाल आर्य कर रहे हैं उस पद की योग्यता और ग्रेड क्या है और क्या श्री आर्य उक्त पद के अनुरूप निर्धारित योग्यता रखते हैं ?

(5) क्या यह सही है कि श्री मुन्नालाल आर्य उक्त पद पर छः वर्ष के एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ?

उपमंत्री. आबकारी (श्री शिवचरणसिंह)
(1) पुलिस थाना रामगंज ने श्री नारायण ठेकेदार के कब्जे से 432 बोतलें शराब 26-10-69 को पकड़ा और अपने कब्जे में लिया। शराब ठेके की दुकान की थी।

(2) पुलिस द्वारा पूछे जाने पर श्री शर्मा सहायक आबकारी अधिकारी, जयपुर ने सूचित किया था पकड़ी गई शराब गंगापोल उप

(श्री दुर्गालाल बाढदार)
दुकान की थी जिसका ठेका न्यू फ्रैण्ड एण्ड कम्पनी, जयपुर के नाम था और श्री नारायण उस कम्पनी का एक भागीदार था। लाइसेन्स की प्रति न्यू फ्रैण्ड एण्ड कम्पनी के भागीदारों की सूची सहित संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जिला आबकारी अधिकारी (नौन आर. ए. एस.) का पद विभागीय पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। पद का ग्रेड रुपये 375-25-540-30-850 है। श्री आर्य को उक्त पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नत किया गया है। इन पदों के सेवा नियम सरकार के विचाराधीन हैं।

(5) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दिग्विजय सिंह (मकराना) : क्या यह सही है कि जब वह विचाराधीन है तो पहले क्यों नहीं बना दिया गया। क्या कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है ?

श्री शिवचरण सिंह : एड हाक बेसिस पर इन्सपेक्टर वगैरह भर्ती होते हैं। उनके प्रमोशन का एक रेशो होता है। 51 में भर्ती हुये और 15 साल बाद असिसटेन्ट कमिश्नर बनाने में अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। इस प्रकार ज्यादा प्रमोशन नहीं हुआ करते थे। अब आवश्यकता पड़ी है तो नियम बना रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : इस पद पर कब नियुक्त किये गये और यह प्रमोशन कब किया ?

श्री शिव चरण सिंह : इसकी तारीख तो मैं नहीं बता सकता हूं। आप दूसरा प्रश्न पूछ लें।

श्री दिग्विजय सिंह : कब से विचाराधीन है।

श्री शिव चरण सिंह : यह स्पेसिफिक प्रश्न इसका नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न 5 में साफ लिखा है। आप कैसे कह रहे हैं ? यह प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि श्री मुन्ना लाल आर्य उक्त पद पर 6 वर्ष से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ? इस पद की योग्यता और ग्रेड क्या है ? प्रश्न यह है कि··

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय क्या यह सही है··

श्री विजय सिंह : उसी संदर्भ में यह प्रश्न है···

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह : एड हाक बेसिस पर प्रमोशन दे दिया गया और नियम विचाराधीन है। यह कब दिया गया ? यह विचाराधीन है, यह कब से विचाराधीन है ?

श्री दौलतराम सारण : 6 वर्ष से इस पद पर क्यों है ? 6 वर्ष से नहीं है तो कब से है ?

श्री शिवचरण सिंह : यह मैं आपको पढ़कर बता देता हूं।

1.	इन्चार्ज पब्लिसिटी, पुलिस रैन्ज ट्रेनिंग सेन्टर,	1–2–61
2.	नायब तहसीलदार, उदयपुर ।	13–3–51
3.	फील्ड पब्लिसिटी असिटेंट कम एनफोर्समेंट इन्सपेक्टर जयपुर ।	7–5–51
4.	कार्यवाहक असि. कमिश्नर, पब्लिसिटी, जयपुर ।	1–2–53
5.	इन्सपेक्टर एक्साइज ग्रेड-2 जयपुर ।	18–10–53
6.	इन्सपेक्टर एक्साइज ग्रेड–1 जयपुर ।	23–3–55
7.	कार्यवाहक असि. कमिश्नर, एक्साइज, जयपुर ।	18–11–56
8.	एक्ससाईज इन्सपेक्टर	15–12–55
9.	पैट्रोलिंग सुपरि. एन्टीस्मगलिंग फोर्स, जयपुर ।	1–6–56
10.	कार्य. असि. एक्साइज, जयपुर ।	5–7–59
11.	कार्य. असि. कमिश्नर एक्साइज, जयपुर ।	1–5–60
12.	कार्य. असि. कमिश्नर, प्रिविंटिव-फोर्स, जयपुर ।	29–7–60
13.	कार्य. असि. कमिश्नर एक्साइज, झालावाड़ ।	14–5–63
14.	कार्य. असि. कमिश्नर एक्साइज, टोंक ।	5–7–63
15.	कार्य. असि. कमिश्नर, एक्साइज, जयपुर ।	5–3–64
16.	कार्य. जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर ।	1–7–64

श्री भैरोसिंह: किस पोस्ट पर कन्फर्म्ड है।

श्री शिवचरण सिंह : यह कन्फर्मेशन के बारे में इत्तला नहीं है क्योंकि आपका प्रश्न यह नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : यह सप्लीमेंटरी हैं। यू आर सपोज्ड टू बी प्रिपेयर्ड फौर इट।

श्री शिव चरण सिंह : आपने तारीख पूछी मैंने बता दी। अब आपने कन्फर्मेशन के बारे में पूछा है उसका भी जवाब दे दूंगा।

श्री विजय सिंह : ये कितने साल से जयपुर में नियुक्त हैं ?

श्री शिवचरण सिंह : पिछले साल थे, पर अब नहीं हैं।

श्री विजय सिंह : अब कहां पर है।

श्री शिवचरण सिंह : अजमेर में हैं।

श्री विजय सिंह : क्या यह सही है कि इन्हीं की वजह से जयपुर को दो डिवीजनों में बांट रहे हैं ?

श्री शिवचरण सिंह : यह सही नहीं हैं। वह एडमिनिस्ट्रेशन के पाइंट आफ व्यू से कर रहे हैं।

श्री विजय सिंह : यह जो दामोदरजी व्यास के भाई हैं वे भी यहां रहना चाहते हैं और श्री मुन्ना लाल आर्य जो सुखाड़ियाजी के साले हैं वे भी यहां रहना चाहते हैं। इसलिए यह किया जा रहा है।

श्री दौलतराम सारन : श्री मुन्ना लाल आर्य अभी तक किस पद पर कन्फर्म्ड हैं ?

श्री शिवचरणसिंह : इसके बारे में सूचना

(श्री शिवचरणसिंह)
नहीं लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि वे कन्फर्म्ड न हों।

श्री दौलत राम सारण : क्या यह सही है कि श्री मुन्नालाल आर्य को केवल प्रोमोशन दिये जाते रहे हैं और उन्हें अभी तक किसी भी पोस्ट पर कन्फर्म्ड नहीं किया हुआ है ?

श्री शिवचरण सिंह : अलग से प्रश्न है। आप प्रश्न करें दुबारा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : वे क्या किसी पद के लिए पी. एस. सी. से एप्रूव्ड हैं।

श्री शिवचरण सिंह : डिपार्टमेंटल प्रोमोशन के नियम एक्साइज डिपार्टमेंट में अब बन रहे हैं। उसके बाद में अगर पी. एस. सी. के एप्रूवल की जरूरत पड़ेगी तो जायेंगे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या इस पोस्ट के लिए पी. एस. सी. को रिक्वीजिशन किया गया है ?

श्री शिवचरणसिंह : अलग से प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : श्री मुन्नालाल आर्य जब पैदा हुआ उसके पहले के इन्सपेक्टर कितने ही आ रहे हैं तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि उनको कन्फर्म्ड किस पोस्ट पर किया हुआ है यह जानना बहुत आवश्यक है, लेकिन मंत्री महोदय को पूरी जानकारी नहीं है। यह प्रश्न अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए इट केन बी पोस्टपोन्ड।

श्री विजयसिंह : क्वालिफिकेशन का पता नहीं है कि किस क्लास तक पढ़े हुए हैं ?

श्री शिवचरणसिंह: आप प्रश्नकर्ता के प्रश्न को पहले पढ़ें और फिर प्रश्न करें।

आपने पढ़ा नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, कृपया एक जानकारी दिला दें कि जिस प्रकार से प्रोमोशन्स उनको मिले हैं ? उनसे कुछ ऐसा लगता है अतः आप क्या यह बता सकते हैं कि किस पोस्ट पर अन्ततोगत्वा राज्य सरकार ने उनको कन्फर्म करने के लिए अपना मानस बना रखा है ?

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सदस्य को मैं यह रैफर करना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लाई 1951 में भरती हुआ है, इन्सपेक्टर के पद पर और आज वह एक्साइज आफिसर बनजाय तो मेरे ख्याल से सीनियोरिटी के पोइंट आफ व्यू से जितना मिलना चाहिये था वह उनको मिला नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : एक्साइज कमिश्नर बना दें।

श्री विजयसिंह : जब श्री मुन्नालाल आर्य एक्साइज इन्सपेक्टर के पद पर आये तो क्या 1951 से पहले का कोई नहीं था इन्सपेक्टर ? चूंकि वे चीफ मिनिस्टर के साले हैं इसलिए उनको जल्दी-जल्दी प्रोमोट कर दिया और इस प्रकार से उनको प्रोमोशन देते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
कारण है कि श्री मुन्नालाल आर्य की हर दो साल में बढ़ोतरी की गई है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! पशुपालन मंत्रीजी ! ! !

श्री विजयसिंह : यह पशुपालन ही है, अध्यक्ष महोदय।

श्री बालसिंह सोढा : 53 में इनको सेकण्ड ग्रेड इन्सपेक्टर किया गया है फिर कुछ समय में ही फर्स्ट ग्रेड का इन्सपेक्टर किया गया है।

श्री अध्यक्ष : पशु–पालन मंत्री महोदय।

श्री बालसिंह सोढा : अध्यक्ष महोदय,···

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक व्यक्ति को इस तरह से प्रमोशन दे रहे हैं और उसके पहले के लोग रो रहे हैं। दिस क्वेश्चन में बी पोस्टपोन्ड, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री विजयसिंह : माननीय उपमन्त्रीजी को जानकारी नहीं है··

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता के उपस्थित नहीं होते हुए भी मैंने आपके आग्रह को स्वीकार कर इसको ले लिया··

श्री विजयसिंह : इट इज सो काइण्ड आफ यू। इसलिये तो आपसे अर्ज करते हैं··

श्री अध्यक्ष : ···माननीय श्री गोयल ने एक प्रश्न रखा कि इसको पोस्टपोन किया जाय तो मैंने उत्तर दे दिया कि इस पर विचार करूंगा।

पशु–पालन मंत्रीजी।

जयसमन्द में मछली पकड़ने का ठेका

572. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या पशु–पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयसमन्द (उदयपुर) में किन शर्तों के आधार पर किस व्यक्ति के पास कब से मछली पकड़ने का ठेका है ?

(2) यह ठेका कब और किस प्रक्रिया से दिया गया ?

(3) इस ठेके के तुरन्त पूर्व मछली पकड़ने का कार्य किस के द्वारा किया जाता था ?

(4) क्या मछली पकड़ने का ठेका देने के सम्बन्ध में कोई नियम अथवा प्रक्रिया है ? यदि हां, तो कृपया उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या वर्तमान ठेकेदार से कोई करार किया गया है, यदि हां, तो कृपया उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप मंत्री पशुपालन (श्री हरीसिंह) : (1) जयसमन्द (उदयपुर) में श्री होशियारचन्द कपूर के पास मछली पकड़ने का

(श्री हरिसिंह)
ठेका दिनांक 16–1–53 से हैं। ठेके की शर्तों की प्रति संलग्न है।

(2) यह ठेका प्रथम बार सन् 1953 में महाराणा उदयपुर द्वारा शर्तनामा भरवाकर दिया गया।

(3) इस ठेके के पूर्व मछली पकड़ने के अधिकार महाराणा उदयपुर को ही थे।

(4) जी हां, मछली पकड़ने के ठेके राजस्थान फिशरीज एक्ट, 1953 एवम् राजस्थान फिशरीज रूल्स 1958 के अन्तर्गत दिये जाते हैं। उनकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी हां, इकरारनामे की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : जिस एक्ट और रूल्स का आपने उल्लेख किया है उनके अन्तर्गत क्या नियम के अतिरिक्त और किसी प्रक्रिया से भी लाइसेन्स दिया जा सकता है?

श्री हरिसिंह : जो एक्ट और रूल्स के अन्दर प्रोवीजन हैं उनमें तो आक्शन के अलावा नहीं दिया जा सकता है। अब रहा सवाल··

श्री भैरोंसिंह : अब रहा सवाल वह आगे मैं करूंगा।

अभी जो कान्ट्रेक्ट दिया है यह एक्ट और रूल्स से जब कवर नहीं होता तो गवर्नमेन्ट ने कहां से पावर डिराइव की जिसके आधार पर इसको ठेका दे रखा है।

श्री हरिसिंह : फिशरीज एक्ट, 1953 में सेक्शन 5 के अन्दर रूल मेकिंग पावर्स हैं उसमें आप देखेंगे तो यह जो वर्तमान नियम हैं, रूल्स हैं उनमें से किसी का भी उपयोग करने का राजस्थान सरकार को डिस्क्रीशन है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि कान्ट्रेक्ट देते समय आपने रूल्स को रिलेक्स किया है? क्या उसके सम्बन्ध में आपने कोई नोटिफिकेशन इश्यू किया है?

श्री हरिसिंह : रिलेक्स करने का प्रश्न नहीं है। उसके अन्दर प्रोवीजन है।

श्री भैरोंसिंह : नियमों के अतिरिक्त और किसी प्रक्रिया से लाइसेंस देने का अधिकार नहीं है।

श्री हरिसिंह : उसमें है अगर आप क्लीयरली देखेंगे तो।

श्री भैरोंसिंह : वह मैंने देख लिया है।

श्री हरिसिंह : यह प्रोविजन है इन नियमों के अन्तर्गत कि एक्ट के जो नियम उप-नियम हैं किसी को जो भी नया एग्रीमेंट हो कोई भी, उसके अन्दर उनका उपयोग किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : जरा पढ़ कर बता दें। आपने जो कापी मुझे दी है उसमें तो मुझे नहीं मिला है।

श्री हरिसिंह : मैं पढ़ कर सुना दूंगा।

Page No 13

श्री रघुनाथ विश्नोई : इनहैरेन्ट पॉवर्स हैं।

श्री हरिसिंह : नियमों की धारा 5····

श्री भैरोंसिंह : यह देख ली है। वह शक्ति तो है कि जिस शक्ति के अन्तर्गत आपने नियम बनाये हैं, आगे····

श्री हरिसिंह : अलग नियम नहीं बनाये हैं।

श्री भैरोंसिंह : नियम अलग नहीं बनाये हैं तो कन्ट्रैक्ट किस आधार पर दिया है?

श्री हरिसिंह : सैक्शन 5 का उपयोग किया गया है।

श्री अध्यक्ष : सैक्शन 5 के अन्तर्गत अलग रूल्स बनाये हैं क्या ?

श्री हरिसिंह : रूल्स अगल नहीं बनाये हैं।

श्री भैरोंसिंह : सैक्शन 5 में रूलमेकिंग पावर्स हैं कि आप रूल्स बना सकते हैं। आप पढ़ दें।

श्री हरिसिंह : सेक्शन 5 में निवेदन कर दूं : राज्य सरकार पूर्ण प्रदत्त अधिकारों के उपरान्त इन धाराओं में इसके बाद बताये गये प्रोवीजन्स के लिए नियम बना सकता है और ऐसे नियमों में निजी जलाशयों को छोड़कर अन्य जलाशयों की घोषणा कर सकती है। तो चूंकि यह उस समय हुआ जब कि उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं हुए थे। तो जो एग्रीमेंट बाद में लागू हुआ तो कुछ लागू हुए हैं और कुछ पर लागू नहीं हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो यह माना जाय कि यह जो एग्रीमेंट किया गया है वह न तो एक्ट से कवर होता है और न नियमों से कवर होता है ?

श्री हरिसिंह : सेक्शन 5····

श्री भैरोंसिंह : सेक्शन 5 में तो रूल-मेकिंग पॉवर है और जो रूल्स बनाये गये हैं उनमें आकशन से देने का कहा गया है तो आपने उसके लिए अलग से रूल्स बनाये नहीं और एक्ट में भी प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक्ट के अन्तर्गत लाइसेन्स देने के अधिकार सरकार को मिले हैं तो उसी एक्ट में यह लिखा है कि केवल रूल्स के मातहत ही दिया जा सकता है। सेक्शन 5 में रूल्स बने नहीं, तो रूल्स के बिना किस प्रकार से एग्रीमेंट कर लिया गया ?

श्री हरिसिंह : जहां तक फिक्स्ड रेन्ट का सवाल है मैं भी उसको मानता हूं और स्वीकार करता हूं कि डेड रेन्ट, फिक्स्ड रेंट के लिए प्रोवीजन रूल्स या एक्ट में नहीं है लेकिन जहां तक मेन आब्जेक्ट का सवाल है तो रूल्स और एक्ट के आबजेक्ट की पालना की गई है जो कान्ट्रैक्ट हुआ है उसमें।

श्री भैरोंसिंह : क्या एक्ट के मातहत बिना किसी रूल्स के और बिना किसी इस प्रकार के आधार के लाइसेन्स देने का अधिकार है ?

श्री हरिसिंह : यह प्रश्न तो ला डिपार्टमेंट में···

Page No 14

श्री भैरोंसिह : आपने एक्जामिन किया कराया होगा।

श्री हरिसिंह : एक्जामिन किया हुआ है, फाइनेन्स डिपार्टमेंट और ला डिपार्टमेंट में वेट आउट किया हुआ है। यह जो आप फर्मा रहे हैं तो जहां तक फिक्स्ड रेन्ट का सवाल है मैंने निवेदन किया है कि रूल्स में नहीं है, लेकिन जहां तक आब्जेक्ट का सवाल है कि सेक्शन 5 का आब्जेक्ट पूरा होता है कि नहीं···

श्री अध्यक्ष : क्या ओपीनियन है ला डिपार्टमेन्ट की ?

श्री भैरोंसिंह : ला डिपार्टमेंट की क्या ओपीनियन है वह मेरे पास है सब।

श्री हरिसिंह : ला डिपार्टमेन्ट ने कहा है कि जो एग्रीमेंट हुआ है वह उस लाइट के अन्दर है एक्ट की।

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या एक्ट में कोई लाइसेन्स या कान्ट्रेक्ट देने का अधिकार है ? और जो अधिकार है वह इस शर्त के साथ है कि गवर्नमेंट नियमों के अन्तर्गत, जो रूल-मेकिंग पावर हैं उसके अन्दर रूल बनाकर इस प्रकार का एग्रीमेंट कर सकती है ? उन नियमों के बिना क्या गवर्नमेंट को पावर मिल जाता है कि इस प्रकार से कान्ट्रेक्ट दे दे, लाइसेन्स दे दे ?

श्री हरिसिंह : यह क्लीयरली मैन्शन है उसके अन्तर्गत कि जो नियम हैं उन नियमों में से किसी एक को भी लागू किया जा सकता है या समस्त नियमों को लागू किया जा सकता है। यह कान्ट्रेक्ट की जो आपने बात कही है उसमें साफ है कि किन किन चीजों को लागू किया जा सकता है और किन चीजों को लागू नहीं किया जा सकता है इसके लिए गवर्नमेंट को पावर्स दिये हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट या राज्य सरकार को जो पावर्स दिये हैं वे यह पावर्स दिये हैं कि आप किसी को भी कान्ट्रेक्ट दे सकते हैं और कान्ट्रेक्ट दे सकते हैं इसके साथ ही राज्य सरकार पर यह रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि आप रूल्स बनाकर कान्ट्रेक्ट दे सकते हैं जब रूल्स बनाये ही नहीं तो रूल्स के अभाव में···

श्री अध्यक्ष : रूल्स बना दिये गये कि नहीं ?

श्री हरिसिंह : अभी नहीं बनाये हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह : यही तो क्वेश्चन है।

श्री हरिसिंह : इसमें नहीं बनाया है।

श्री भैरोंसिह : नहीं बनाया यह प्रश्न नहीं है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय···

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि 1963 से 1967 तक कण्ट्रेक्ट रहा ? फिर यह बन्द कर दिया गया ? उसके बाद वह कोर्ट में गया है।

श्री हरिसिंह : 69 में दिया है। 68 तक चला है।

श्री भैरोंसिंह : समय समय पर एक्शन लेने के बाद एक स्टेज यह आ गई कि उसके प्राविजनल राइट्स खत्म कर दिये और उसको इंजेक्शन आर्डर लेने पड़े। क्या यह सही है ?

श्री हरिसिंह : जी हां, इंजंक्शन प्राप्त किया था।

श्री भैरोंसिंह : इसके कारण आप ने कोई अपील नहीं की कोर्ट में और आप ने निगोसियेशन किया है।

श्री हरिसिंह : जहां तक गवर्नमेंट ला को देखते हुये फिश पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए फिक्स्ड रेंट नीति बनाई है। बड़े बड़े तालाब हैं।

श्री अध्यक्ष : नेगोसिएशन ?

श्री भैरोंसिंह : नेगोसिएशन हुआ या नहीं ?

श्री हरिसिंह : जभी तो एग्रीमेण्ट हुआ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कृषिमंत्री शोभाराम जी ने यहां विधान सभा में यह कहा था कि जयसमन्द झील का ठेका किसी और को दिया जायेगा ?

श्री हरिसिंह : इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या पशुपालन मन्त्री को भी जानकारी नहीं है ?

श्री मनफूलसिंह : मेरी जानकारी में नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री भैरोंसिंह : मनफूलसिंह जी भले ही यह कहें कि उनको जानकारी नहीं है। मैं यह मान नहीं सकता हूं कि उसको जानकारी नहीं है। शोभाराम जी ने कमिट किया है, क्या यह सही नहीं है ?

क्या यह सही है कि कण्ट्रैक्ट देने से पहले आपने फाइनेंस डिपार्टमेण्ट की और ला डिपार्टमेण्ट की राय ली थी ? क्या यह भी सही है कि अपने पहले नोट में दोनों डिपार्टमेण्टों ने यह एडवाइज दी है कि इसको आक्शन में दिया जाये ?

श्री हरिसिंह : जो एडवाइज का सवाल है, पहले क्या क्या एडवाइज दी गई है, वह देने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनल डिसीजन यह हुआ जो एग्रीमेण्ट 69–70 का भेजा वह दोनों की राय से हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कण्ट्रैक्ट देने से पहले ला डिपार्डमेंट और फाइनेंस डिपार्डमेण्ट से कोई राय ली गई है ? बल्कि आपने जो एग्रीमेण्ट किया है, उसको भेजा है।

श्री हरिसिंह : इस बारे में·····

श्री भैरो सिंह : दो चीज हैं। एक तो फैसला कर लिया, जो एग्रीमेंट डीड है, उसको आपने भेजा।

श्री हरिसिंह : जो डीड है, वह फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी।

श्री भैरोंसिंह : मैं दूसरी बात यह पूछता हूं कि इस आदमी को कन्ट्रेक्ट देने से पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट और ला डिपार्टमेंट से ओपीनियन ली थी ? क्या यह सही है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट और ला डिपार्टमेंट दोनों ने एडवाइस किया था इसको नहीं दिया जावे। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यह एडवाइस दी थी कि घाटा होगा। इस एग्रीमेंट को किस तरह से एडाप्ट किया गया ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले किन किन स्टेजेज पर क्या क्या हुआ है, वह कहना उपयुक्त नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष: क्यों उपयुक्त नहीं होगा।

श्री मनफूल सिंह : फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यह कहा था कि ओपिन आक्शन कर दिया जाये। उसके बाद मैंने मिटिंग बुलाई जिस में फाइनेंस कमिश्नर, ला सेक्रेटरी भी थे। ला सेक्रेटरी ने राय दी थी कि 1962 में जो एग्रीमेंट किया गया, उसमें कुछ खामियां हैं। अगर वह कोर्ट में चला गया तो आपको हारना पड़ेगा। इस तरह वह 50 हजार से अधिक नहीं दे सकता है। नेगोसियेशन से देंगे तो डेडरेण्ट से देंगे। हमने समझौते के जरिये 50 हजार से ऊपर सवा लाख कर दिया है। सेण्ट्रल का जो एक्ट बना हुआ था उसी पर तय कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फाइनेंस मिनिस्टर के चेम्बर में यह डिसीजन ले लिया कि नहीं देंगे। उसे नोटिस दिया। नोटिस के उत्तर में गवर्नमेंट ने कन्ट्रेक्ट करने का निर्णय लिया।

श्री मनफूल सिंह : कन्ट्रेक्ट करना चाहिए था।

श्री भैरोंसिंह : जो भी बात बताई, 50 हजार रुपये ऊपर मिल गया। वह मुकदमा जीतेगा। यह फाईल पर कहां है, दिखा दीजिये।

श्री मनफूल सिंह : फाइल पर तो नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : दोनों के नियमों के विरुद्ध है। ला डिपार्टमेंट की राय के विरुद्ध कार्य होता है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, बड़ी बड़ी मछलियां इसमें कितनी शामिल हैं ?

श्री अध्यक्ष : बहुत बड़ी बड़ी हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस मसले पर कई बार चर्चा उठाई गई है फिर भी उस कपूर को ठेका क्यों दिया जाता है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, इस सारे मामले में सड़ी हुई मछली की बदबू आती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

573. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) एवं श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) क्या योजनामंत्री यह बताने की

(श्री भगवानदास शास्त्री एवं)
कृपा करेंगे:–

(क) राज्य में कितने इंजीनियर बेरोजगार हैं ?

(ख) 1969–70 तक राज्य में कितने बेरोजगार इंजिनियरों एवं डिप्लोमा होल्डर्स को नौकरी पर लगा दिया गया है ?

उप मंत्री, योजना (श्री खेत सिंह) : (1) राज्य में कितने इंजीनियर बेकार हैं के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु आयोजना (जन शक्ति) विभाग द्वारा बेरोजगार इंजीनियरों एवं डिप्लोमाधारियों का पंजीयन किया जाता है जिसके अनुसार दिनांक 28-2-71 तक कुल 2516 इंजिनियर एवं डिप्लोमाधारी बेरोजगार पंजीकृत हैं।

(2) आयोजना (जन शक्ति) विभाग में पंजीकृत बेरोजगार इंजीनियरों एवं डिप्लोमा होल्डर्स में से 1969–70 तक कुल 1851 बेरोजगार इंजीनियरों एवं डिप्लोमा होल्डर्स को नौकरी की सुविधा दिलाई गई थी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि जो बेरोजगार इंजीनियर्स हैं उनको ठेकेदारों के द्वारा रखने के लिए आज से एक साल पहले गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था ? अगर सही है तो उसके अन्तर्गत कितने इंजीनियरों को अपने पास रखा है ठेकेदारों ने ?

श्री खेतसिंह : ठेकेदारों के लिए ऐसा है, एक लाख का जो काम लेंगे, उन ठेकेदारों को इस तरह के डिप्लोमा होल्डर को रखना चाहिए। तीन लाख से ऊपर के ठेकेदार काम लेंगे तो इंजीनियरिंग की डिग्री होल्डर को रखना चाहिए। उसके तहत कितनों को रखा गया.....

श्री अध्यक्ष : यह आंकड़े नहीं हैं।

श्री खेतसिंह : यह आंकड़े नहीं हैं।

श्री भगवान दास शास्त्री : यही प्रश्न था।

श्री मनोहर सिंह मेहता : फिर क्या है आपके पास ?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि पुराने ठेकेदार काम करते आ रहे हैं, उनके लिए पी. डब्ल्यू. डी. कहता आया है कि ऐसा नियम नहीं है, कायदा कानून नहीं है, इसलिए ठेकेदारों को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य में ठेके दिये जायेंगे उनमें रखा जायगा। क्या आप बतायेंगे कि नये ठेके दिये गये हैं उनके लिए यह रूल रखा गया है या नहीं ?

श्री केदार नाथ : ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो गई।

एक माननीय सदस्य : यह तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री खेतसिंह : यह प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग के ताल्लुक का है, आया सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस प्रकार

Page No 18

(श्री खेतसिंह)
के इन्स्ट्रक्शन दिये या नहीं—मैं तो यह निवेदन कर सकता हूं कि भवन एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा 1851 डिप्लोमा होल्डर्स और इंजीनियर्स को नौकरी दिलाई है।

श्री विजय सिंह : सार्वजनिक निर्माण के बारे में आप जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ठेकेदार इंजीनियर्स को एम्प्लायमेंट इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि कई ठेकेदारों ने कई मंत्रियों को एम्पलाय कर रखा है ?

श्री अध्यक्ष : एक्स मिनिस्टर्स को।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि जो संख्या आपने बताई है, डिप्लोमा होल्डर्स और इंजीनियर्स की, उनमें से 907 इंजीनियर्स आलरेडी एम्प्लायड हैं ?

श्री खेत सिंह : 907 ?

श्री दौलतराम सारण : आलरेडी एम्प्लायड हैं ?

श्री खेत सिंह : हमने जो लिस्ट दी है उसमें से ? यह तो हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत की बात है।

श्री दौलतराम सारण : बेकार कैसे रहे ? क्या यह सही है कि जो बेकारों की संख्या बताई है....

श्री भगवान दास शास्त्री : मैंने 1970 का पूछा है।

श्री दौलतराम सारण : वह गलत है, इंजीनियर्स जो बेकार हैं की संख्या 3907 है।

श्री खेत सिंह : मेरे पास सूचना है उसके अनुसार मैं निवेदन कर रहा हूं, उसमें यह है, इन बेरोजगार इंजीनियर्स और डिप्लोमाधारियों को 28-2-1971 तक नौकरी की सुविधा दिलाई है।

श्री भैरोंसिंह : तक नहीं, एक वर्ष का।

श्री खेत सिंह : एक वर्ष की सूचना नहीं है।

श्री भगवान दास शास्त्री : अगर सूचना नहीं है तो अध्यक्ष महोदय, स्थगित कीजिये।

श्री अध्यक्ष : दोनों प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैंने 1970 का पूछा है।

श्री खेतसिंह : खण्ड दो में प्रश्न यह है 1966-70 तक राज्य में कितने इन्जिनियर एवं डिप्लोमा होल्डर्स को नौकरी पर लगा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : यह बता दिया।

श्री खेतसिंह : वह बता दिया। लिस्ट दे दी।

श्री भगवान दास शास्त्री : लिस्ट नहीं मिली है, मांगी लेकिन नहीं मिली है।

श्री खेतसिंह : मैं दे दूंगा आपको।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या आयोजन मंत्री को पता है कि बेरोजगार

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)
को रोजगार देने के लिए सोसशलिस्ट गवर्नमेंट में टोप प्रायोरिटी रखी गई है? उस हालत में भी आपके पास लिस्ट नहीं है, आप गिनती नहीं बता सकते हैं, क्या जवाब है इसका।

श्री अध्यक्ष : सारे प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : एक मेरा प्रश्न है, मैंने 1970 के बारे में पूछा है, से इस फाइनेसियल ईअर के लिए पूछा है, आप इनको 2 महिने के अन्दर मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे? इतना आश्वासन दे सकते है?

श्री दौलतराम सारण : इनको पता नहीं है कि वेकार कितने है तो मुआवजा किसको देंगे?

श्री खेतसिंह : यह सही है, बिल्कुल पता नहीं है, कितने बेकार है क्योंकि जिन्होंने नाम रजिस्टर करवाये हैं, उनके फिगर हमारे पास हो सकते हैं। जो राजस्थान के वाशिन्दे हैं, उनमें से कुछ को मालूम नहीं है और कुछ ने जानबूझ कर पंजीकृत नहीं कराये हैं नाम।

श्री भगवान दास शास्त्री : मुझे आब्जेक्शन है कि वह पंजीकृत नहीं कराते हैं...

श्री अध्यक्ष: उत्तर आने दीजिये।

श्री खेत सिंह : यह आवश्यक नहीं है। वह नहीं लगना चाहते नौकरी पर '। ऐसे इंजीनियर्स हो सकते हैं जिनके घर का धन्धा हो।

श्री दौलत राम सारण : ऐसे लोग वेकार नहीं हैं जो अपना धन्धा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री कृष्ण कुमार गोयल !

श्री दुर्गालाल बाढदार : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्त्ता !

श्री भगवान दास शास्त्री : इस साल जो घोषणा की गई है, राज्य सरकार द्वारा विशेष सहायता देने की, वह कब से आप देना शुरू करेंगे। यह आश्वासन मैं लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : यह आपके अधिकार में आता है?

श्री खेत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न है, यह मेरे अधिकार से बाहर हैं।

श्री भगवान दास शास्त्री : डिप्लोमा होल्डर, इंजीनियर, जो वेकार हैं, उनमें से 70 में जिनको लगाया हैं, उनकी सूची आपके पास नहीं है। यह जानकारी नहीं है कि कितने वेरोजगार हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि एम्प्लायड हैं, लेकिन यह पता नहीं है कि आलरेडी कितने एम्प्लायड हैं। इनको संतोष जनक काम देने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री खेत सिंह : वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में कहा था, 70 वर्ष के अन्दर जितने भी इस तरह के इंजीनियर्स हैं, जो पंजीकृत हैं, इनको कहीं न कहीं नौकरी दिलायेंगे। यह भी कहा है कि जो बैठे हुए हैं, जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी तब

(श्री खेतसिंह)
तक स्टाइपेड देंगे। यह सारी बातें कही हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री कृष्ण कुमार गोयल !

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : जो बड़े बड़े आश्वासन दिये गये उनमें से कितनों को पूरा किया है ?

श्री दौलत राम सारण : एक भी नहीं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : जितने पंजीकृत डिप्लोमा होल्डर्स या इंजीनियर्स हैं बेकार उनको कब से वजीफा दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : अलग से क्यों है ?

श्री खेतसिंह : योजना मंत्री ने जो घोषणा की है, वित्त मंत्री जी ने सदन में की हैं, उनकी आपको जानकारी होगी, जितने भी बेकार डिप्लोमा होल्डर्स पंजीकृत हुए हैं और बेरोजगार इंजीनियर्स हैं उनको नौकरी भत्ता दिया जायगा।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : वित्त मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, वह बजट स्पीच में लिखा हुआ और वह पढ़ा हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने बजट स्पीच पढ़ी हैं ?

श्री खेत सिंह : पढ़ी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री दुर्गालाल बाढदार : एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य, अगला प्रश्न ले लिया गया है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : क्या राज्य सरकार ने नये दिये जाने वाले ठेकों में ऐसा प्रावधान रखा है, जब ही ठेका दिया जायगा जब कि किसी इंजीनियर को लें। नये ठेकों में यह प्रावधान नहीं दिया है, जैसा कि आश्वासन दिया था ? फिर होगा कैसे ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : आश्वासन से पेट कैसे भरेगा।

श्री दुर्गालाल बाढदार : नये ठेके दिये जाय उनमें एक लाइन लिख दी जाय।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ! नेक्स्ट !

कत्थे के कूप का ठेका

574. **श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर डिवीजन में नारायणी जी, अजबगढ़ कत्थे कूप का ठेका वर्ष 67-68 में नीलाम किया गया था ? अगर हां, तो कब, किसके पक्ष में व कितनी राशि में ? कृपया इकरारनामे की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ठेके की अवधि बढ़ाई गई थी ? अगर हां, तो

Page No 21

(श्री कृष्णकुमार गोयल)...
कब व क्यों ? कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

वन मंत्री (श्री नारायण सिंह मसूदा) : (1) जी हां। 20-10-67 को 65 हुंडी के लिए 2507 रुपये प्रति हुंडी 1,62,955 रु0 में श्री कुन्दनलाल सूरी के नाम। बाद में बिल मुक्ता आधार पर 2,52,000 रु. में उक्त ठेकेदार के नाम है। इकरारनामे की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां, सन् 1967–68 में बिल्कुल कार्य नहीं करने पर ठेका निर्धारित मूल्य पर बिल मुक्ता आधार पर सन् 1968-69 के लिए स्वीकृत किया गया था। उक्त वर्ष में कार्य पूरा नहीं होने के कारण 1969-70 में कार्य करने की अवधि 30 जून 1969 तक बढ़ाई गई और इस सीजन में भी कटाई व तैयारी माल की अवधि 30-4-70 के बाद 15 जून तथा 15 जुलाई 1970 तक बढ़ाई गई। आदेशों की प्रति संलग्न है। (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि प्रथम ठेका सन् 1968 में समाप्त होने पर राज्य सरकार ने एक्सटेंशन देने के पूर्व नीचे के अधिकारियों से यह सूचना नहीं मांगी थी, न ऐसी प्रथा थी कि इसको जितनी हांडी का ठेका दिया गया है, उतनी हांडियां इसने प्राप्त की है अथवा नहीं की है।

राव श्री नारायण सिंह : जो ठेका 3-8-68 में स्वीकृत किया गया, उसके बाद इस बात की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा एक ठेकेदार है, जो सांवर हुसैन, मुमताज हुसैन था उसकी सवाई बोली थी, और उसमें पचास हजार रुपया जमा कराने की बात थी- लेकिन उसने पचास हजार रुपया जमा नहीं कराया। इस दरम्यान विभाग में इस बात पर विचार हुआ कि हांडी सिस्टम पर ठेका दिया जाय अथवा हांडी सिस्टम को हटाकर रकम के ऊपर ठेका दिया जाय वर्किंग प्लान के अन्दर जो...

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है, जब ठेका दिया गया, हांडी बेसिस पर ठेका था, उसकी म्याद खत्म हो गई. उसके बाद इसका रीआक्शन क्यों नहीं किया, क्यों एक्सटेंशन दिया ?

राव श्री नारायण सिंह : मैं निवेदन करूं हांडी बेसिस पर बुनियादी ठेका था, वह 88 हजार का था। उसके बाद जब केशव चन्द की बोली हुई 1 लाख 30 हजार की, उस पर कुन्दनलाल सूरी ने सवाई बोली 1 लाख 62 हजार रुपये की थी। जो पुरानी बोली थी, उससे यह दुगनी बोली हो गई। हांडी सिस्टम 65 में था। फिर हांडी सिस्टम को ठीक नहीं समझा गया, उसमें चोरी हो जाती है। फिर बिलमुक्ता दी जाय, वह बात चली, बिलमुक्ता के लिए तैयार हो गया और पचास पर्सेन्ट देने के लिए तैयार हो गया। इस सारे में 66-67 का अर्सा निकले जाने के ऊपर, क्योंकि उसने पहली बोली दे दी थी, वह तैयार हो गया...

श्री अध्यक्ष : दे दिया गया।

राव श्री नारायण सिंह : पचास हजार की सीक्योरिटी लेकर उसका बिल मुक्ता के हिसाब से दे दिया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या जब सरकार ने डिसीशन ले लिया कि हमें राजस्थान में ठेका हंडी बेसिज पर नहीं देना है बल्कि बिलमुक्ता ठेके नीलाम करने हैं तो आपका आर्ग्युमेंट कि पिछली बार एक लाख था, अब दो लाख में दिया, यह आर्ग्युमेंट नहीं है। हंडी बेसिज को समाप्त करके और जंगलों को एकजाई बेसिज पर तय किया तो आक्शन नहीं करके उसी आदमी को एक्सटेन्शन देने का क्या कारण है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : कारण यह था कि इसके अन्दर बोली पहले ही जो साबर हुसेन की थी वह 1-62 लाख की थी····

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरे सवाल का उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : इस उत्तर में से जो आप उचित समझें वह ले लें।

श्री भैरोंसिह : हवाई बोली क्या है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं हवाई बोली नहीं बोला। सवाई बोला। याने जो हंडी थी 1,62,000 की उसमें सवाई उसके अधिक आफार की। जब उन्होंने दे दी उसके बाद हमको आफार दे दी। 252 लाख पर देने का उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हमने देखा कि 252 लाख में हो रहा है, उसने आगे बढ़कर दूनी बोली पहले ही दे दी थी तो यह सोचकर दिया गया····

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न यह नहीं है। क्या नियमानुसार एक बार जब जंगल के ठेके की मियाद समाप्त हो जाती है तो उसके आगे आक्शन के लिए आपको ओपन करना चाहिए ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : नियमानुसार जो बोली आ गई थी उसी बोली पर दे देना चाहिए था। परन्तु राज्य सरकार ने जब बोलियों में फायदा नहीं देखा और बिल मुक्ता बोली पर खुद आगे बढ़कर एन्करेजमेंट किया तो उसको रियायत देना आवश्यक था, आफसेट प्राइस पर जो उसने दी, उस पर दे दिया।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि पहली बोली हंडी के आधार पर लगाई गई जबकि फाइनल एग्रीमेंट बिलमुक्ता एकजाई के रूप में जंगल का ठेका दिया ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : हां सही है।

श्री भैरोंसिह : जब सरकार ने फैसला कर लिया कि बिलमुक्ता जंगल का नीलाम करने वाले हैं तो ओपन बिल क्यों नहीं ली?

श्री नारायणसिंह मसूदा : असल में ओपन बिड न कराई जा सकती थी। बात यह रही है कि हमारे पास काफी ऊंची बोली जा चुकी थी···

श्री भैरोंसिह : कहां आई ? पहले वाला हंडो सिस्टम आया····

श्री नारायणसिंह मसूदा : उसने 2.52 लाख आफसेट प्राइस पर लेना···

श्री भैरोंसिह : पहली बोली को आप आधार नहीं मानते हैं। पहली बोली हंडी के आधार पर आई। दुबारा इस आधार

(श्री भैरोंसिंह)
पर नहीं दी···

श्री नारायणसिंह मसूदा : काम्पटीटिव स्प्रिट आ गई। उससे स्वयं दूनी बोली लगाई। उससे पूछा गया, 50 हजार एडवांस देने वाला नहीं मिला, 2.52 लाख देने के लिए कोई तैयार नहीं मिला तब आफसेट प्राइस पर आफर किया गया···

श्री अध्यक्ष : उसको आप आक्शन मानते हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : एक तरह से तो आक्शन नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि अगले वर्ष के लिए एक बार हुंडी सिस्टम पर दुवारा बिलमुक्ता पर उसी को दे दी और जब उसकी मियाद खतम हो गई उसके बाद भी अगले वर्ष के लिए आपने इसी ठेकेदार को जंगल से ठेके का एक्सटेन्शन दे दिया ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : एक बार तो उसकी 3-8-68 को स्वीकृति दी गई तो साबार हुसेन ने सवाई बोली जिस समय दी तो उन्हीं के नेगोसिएशन्स के अन्दर इतना समय निकल गया कि उसका पजेशन करीब करीब फरवरी, 1969 में दिया गया तब उसने कहा, मैंने काम तो नहीं किया, मैंने इतनी बोली दी है। उसको फिर कुछ बोली बढ़ाकर दिया गया। उसमें भी जहां जहां एक्सटेन्शन का मामला आया 10% एक्सट्रा फीस चार्ज की गई जबकि अधिकांश रूप में आप देखेंगे नहीं ली जाती है···

श्री अध्यक्ष : मतलब जो चार्ज नहीं की जानी चाहिए वह की गई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि थर्ड टाइम एक्सटेन्शन देने से पहले मंत्री महोदय ने को, जो, सबोर्डिनेट अधिकारियों से टेक्नीकल एडवाइस लेनी चाहिए थी सी. सी. एफ. ने या डी. एफ. ओ. वह किसी प्रकार भी नहीं ली गई ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : वार्तालाप करके···

श्री कृष्णकुमार गोयल : किससे ?

श्री अध्यक्ष : वार्तालाप के स्कोप से आपको मालूम हो जायगा. मन्त्री महोदय का उत्तर तो आने दीजिए। हां वार्तालाप।

श्री नारायणसिंह मसूदा : विभाग से बातचीत की गई इनको एक्सटेन्शन देने के बारे में कि जब उससे काम नहीं किया है. इनको दिया जाना उचित है और आगे बढ़ कर बोली बोली है और इतनी कीमत लाया है···

श्री कृष्णकुमार गोयल : गई टाइम जब एक्सटेन्शन दिया जिस वार्तालाप की आप बात कर रहे हैं. वह वार्तालाप चाहे सी. सी. एफ. से चाहे डी. एफ. ओ. से किया कहीं राइटिंग में है एक्सटेन्शन देने से पहले ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : सलाह ली गई है।

श्री अध्यक्ष : राइटिंग में नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बिना राइटिंग में लिए कैसे मालूम हुआ कि पूरी वर्किंग सीजन में कोई जंगल का पेड़ नहीं काटा, कत्था नहीं लिया ?

Page No 24

श्री नारायण सिंह मसूदा : विभाग से मालूम हुआ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वायरलेस से हुआ था टेलीफोन से ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : वार्तालाप के अन्दर यह मालूम पड़ गया कि 25 स्कवायर किलो मिटर्स में उसने काम किया है, जबकि···

श्री कृष्णकुमार गोयल : किससे मालूम किया ? कोई प्रोसीजर होता है जंगल का ठेका देने के लिए, एक्सटेन्शन देने के लिए ? या मन्त्री महोदय अपने सचिवालय में बैठ कर एक्सटेन्शन दे देते हैं और कयास कर लेते हैं कि जंगल नही काटा गया ? आपने किसी अधिकारी से चाहे डी. एफ. ओ. चाहे सी. एफ. ओ. से राइटिंग में, एक्सटेन्शन देने से पहले, नोट नहीं मांगा ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : मालूमात करके ही दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कत्थे के संबंध में नीलाम किया जाए, किसी प्रकार का ठेका दिया जाय, तो उसके लिए नियम बने हुए हैं और उन नियमों के अंतर्गत मंत्री महोदय केवल अपील ही सुन सकते हैं, अपने आप आर्डर पास नहीं कर सकता ? पावर्स डेलीगेटेड हैं ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : यह परिपाटी थी, नियम नहीं है, हुंडी सिस्टम पर यहां कत्थे के ठेके दिए जाते हैं। इस विषय में विभाग से पूरा विचार विनियम हुआ कि हुंडी सिस्टम पर देने में उतने ही पैसे रहते हैं इससे बेहतर होगा···

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो कुछ अध्यक्ष महोदय हैं, आपके सामने विधान सभा में आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय के द्वारा आदेश देना उस परिपाटी के अंतर्गत हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस विभाग की जो अब तक परिपाटी चलती आ रही है उसको आप आगे चला रहे है ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : बिल-मुक्ता के हिसाब होती है परिपाटी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो परम्परागत चल रही हैं, वही आप चला रहे है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह है कि थर्ड टाइम जो एक्सटेन्शन दिया 1970 में क्या उसकी मियाद 30-4-70 को समाप्त होने वाली थी ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : लेकिन उसकी 10 प्रतिशत एरिया बाकी रह गई थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि 30-4-70 के बाद भी इसकी मियाद 15-7-70 तक फिर बढ़ाई गयी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : 15-7-70 तक बढ़ाई गई। उसके पास माल पड़ा हुआ

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
था निकासी के लिए उन्होंने 10 प्रतिशत फी: . . .

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक व्यक्ति 1967-68 से लेकर 1970 तक जंगल की कटाई करता रहे कत्थे की, उनका नीलाम न हो और ऐसे ही दिया जाए, मैं अधिक नहीं कहना चाहता, इस मामले में कैसी गंध आती है, आप अध्यक्ष महोदय स्वयं अंदाजा लगाएं।

श्री भैरोंसिंह : आपसे तो कम से कम उम्मीद नहीं थी।

श्री दौलतराम सारण : सब बिल मुश्ता काम हुआ है।

प्रश्न सं. 575

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह कुड़ी!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न सं. 576

श्री रामप्रसाद बोहरा!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
सीमेन्ट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़

564. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चित्तौड़गढ़ में बिड़ला बन्धुओं की कोई सीमेन्ट फैक्ट्री कायम है?

(2) सीमेन्ट फैक्ट्री में कितने श्रमिक हैं? क्या श्रमिकों को समय समय पर बोनस दिया जाता रहा है? यदि हां, तो कब तक का बोनस दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सीमेन्ट फैक्ट्री में 3 माह पूर्व कोई हड़ताल हुई थी? यदि हां तो क्यों तथा किन कारणों व मांगों की पूर्ति कर देने पर हड़ताल समाप्त हुई?

(4) क्या यह सही है कि इस हड़ताल के समय श्रमिकों पर पुलिस ने जुल्म किये हैं? यदि हां, तो वह किस किस्म के थे?

(5) क्या यह सही है कि जो श्रमिक लगे हुए हैं उनमें अधिकांश गुजरात तथा पिलानी की तरफ के हैं? यदि हां, तो लोकल लेबर को लगवाने को मिल मेनेजमेंट को पाबन्द किया जावेगा? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स के नाम से फैक्ट्री है।

(2) फैक्ट्री में 438 तथा माइन्स पर 51 श्रमिक कार्य करते हैं। सन् 1968-69 में 5% बोनस दिया गया था। सन् 1969-70 के बोनस का विवाद मुख्य मंत्री जी को पंच निर्णय के लिये सौंपा गया था। उन्होंने 5% बोनस के रुपये तथा 15 एक्स-ग्रेशिया के रूप में देने का अवार्ड दे दिया है।

(श्रम मंत्री)

(3) जी हां, हड़ताल दिनांक 1-11-70 से 16-12-70 तक बोनस व कुछ अन्य मांगों को लेकर हुई थी। तारीख 16-12-70 को प्रबन्धक तथा सीमेन्ट वर्क्स कर्मचारी संघ में आपसी समझौता होने पर हड़ताल समाप्त हो गई है।

(4) इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(5) जी नहीं, अधिकांश श्रमिक राजस्थान के हैं, जिनकी संख्या 242 है। गुजरात की ओर से केवल 36 श्रमिक है। राज्य की नीति, जहां तक संभव हो, स्थानीय व्यक्तियों को नौकरी दिलाने की है। परन्तु इसके लिये प्रबन्धकों को कानूनी बाध्य नहीं किया जा सकता।

आदिवासी ग्रामों में कन्या प्राइमरी स्कूलें

565. श्री देवीलाल (सराड़ा):--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या जिला उदयपुर की पंचायत समिति सराड़ा के आदिवासी गांवों में कन्या प्राइमरी स्कूलें खोलने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा रखा गया है? यदि हां, तो आदिवासी तथा पिछड़े वर्गों के गांवों में कन्या शिक्षा के लिये कितनी प्राईमरी स्कूलें खोली जाने की योजना है?

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

बेरोजगार पशु चिकित्सा स्नातकों को कृषि भूमि

566. श्री सुरेन्द्र प्रसाद (टौंक)--क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सन् 1968 से अब तक कितने पशु चिकित्सा स्नातकों एवं अधिस्नातकों को राज्य सरकार ने नियुक्तियां प्रदान की हैं?

(2) सरकार इन बेरोजगार पशु चिकित्सा स्नातकों को नियुक्ति प्रदान करने के लिये क्या कदम उठा रही है?

(3) क्या राज्य सरकार इन बेरोजगार पशु चिकित्सा स्नातकों को कृषि स्नातकों की तरह डेयरी व पोल्ट्रीफार्म खोलने के लिये भूमि व ऋण देने की कोई योजना बना रही है?

(4) यदि हां, तो कब तक वह योजना प्रारंभ होने का अनुमान है?

(5) क्या यह सही है कि कुछ वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने पशु चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर में कुछ वर्षों के लिये नये विद्यार्थियों को प्रवेश न देने की सिफारिश की थी?

(6) यदि हां, तो किन कारणों से पशु चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर में प्रवेश बन्द नहीं किए गए?

(7) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सहायक पशु शल्य चिकित्सक के वेतनमान को, जो कि राणावत वेतन आयोग द्वारा कम कर दिया गया था, फिर से सुधारने का कोई आश्वासन दिया था?

(8) यदि हां, तो उनके वेतनमान

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद)
सुधारने की दिशा में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

1. प्रशासन ने सन् 1968 से अब तक 21 पशु चिकित्सा स्नातकों को नियुक्तियां दी हैं।

2. बेरोजगार पशु चिकित्सा स्नातकों की नियुक्तियां प्रदान करने हेतु कुछ अतिरिक्त पद स्वीकृत करने का मामला शासन के विचाराधीन है।

3. जी नहीं।

4. प्रश्न ही नहीं उठता।

5. महाविद्यालय बीकानेर में नये विद्यार्थियों को प्रवेश संख्या सीमित की गई है।

6. नये विद्यार्थियों का प्रवेश पूर्णतया बन्द करना उचित नहीं समझा गया।

7. जी नहीं।

8. प्रश्न नहीं उठता।

तहसील दीगोद के ग्रामों को कृषि भूमि को सीपेज से क्षति

567. श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील दीगोद के ग्राम गुमानपुरा, ग्रामीरा, गामल्दा, पड़ासल्या, मेंहदी, दरबीजी, अमरपुरा, सुरेला, सारोला, बमोरी नापाहेड़, किशोरपुरा, कचोल्या आदि कई ग्रामों की कृषि भूमि नहर सीपेज से ऊसर हो चुकी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति सुल्तानपुर ने इस ओर दिनांक 18-12-70 के एक प्रस्ताव द्वारा विभाग का ध्यान आकर्षित किया है ?

(3) क्या यह सही है कि वहां पर ऊसर के कारण कोई फसल पैदा नहीं होती ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, इन गांवों की कुछ भूमि पहले से ही ऊसर थी।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। इन ग्रामों में से अधिकांश क्षेत्र नहर बनने से पहले ही ऊसर था। जो क्षेत्र नहर के समीप होने के कारण नहरी सीपेज से प्रभावित हुआ है, उनमें सुरेला ग्राम के क्षेत्र में ड्रेन बनाई जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त वाटर लोगिंग की समस्या को स्थायी तौर पर हल करने के लिए एक कम्प्रिहेन्सिव योजना भी बनाई गई है।

ग्राम डागावास, चगट, बीजाथल एवं गगराणा में आयुर्वेद औषधालय

568. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

Page No 28

(श्री गोरधन सोनी)

(1) मेड़ता तहसील में कितने आयुर्वेदिक औषधालय सरकार ने खोल रखे हैं ? कृपया ग्राम के नाम तथा उनके खोलने की तारीख सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत 4 वर्षों से मैं ग्राम डागावास, लगड, बीजाथल, गगराणा में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की मांग कर रहा हूं ?

(3) उपरोक्त गांवों में कब तक आयुर्वेदिक औषधालय खोल दिये जावेंगे ? इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

1. सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

2. इन ग्रामों में औषधालय खोलने की मांग है।

3. नये औषधालय खोलते समय विचार किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

नागौर-जोधपुर रूट पर चलने वाली बसें

575. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या तारीख 23-3-71 व 24-3-71 को नागौर जोधपुर डिपो से आने जाने वाली बसें चली थीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या कोई भी अधिकारी नियमानुसार इस मामले में दोषी ठहराया जा सकता है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाने का इरादा है ? इससे निगम को कोई हानि हुई ?

उत्तर

(1) नागौर-जोधपुर रूट पर निगम एम. वी. एक्ट के अध्याय चार के अन्तर्गत प्राप्त परमिटों के आधार पर अन्य प्राईवेट आपरेटरों के साथ रोटेशन से बसें चलाता है दिनांक 23-3-71 को निगम की बस रोटेशन के अनुसार जोधपुर से नागौर शाम को 5.00 बजे निर्धारित समय पर की गई थी जो दिनांक 24-3-71 को नागौर से प्रातः 6.45 बजे जोधपुर के लिए निर्धारित समय पर लौटी। इसी प्रकार दिनाक 24-3-71 को प्रातः 8.0 बजे निर्धारित समय पर निगम की बसें जोधपुर से नागौर गई।

2. प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत गुराडिया कलां की आडिट रिपोर्ट

576. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) :--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत गुराड़िया कलां पंचायत समिति डग, झालावाड़ की आडिट रिपोर्ट वर्ष 66-67 के पैरा संख्या 11 में सरपंच के खिलाफ गबन किये जाने का आरोप लगाया गया था यदि हां, तो यह रकम कब कितनी और किस प्रकार गबन हुई ?

2. क्या यह सही हैं कि जिलाधीश के

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
पत्र से राज्य निधि लेखा परीक्षा विभाग, अजमेर द्वारा यह आक्षेप निरस्त कर दिया या ?

3. क्या आक्षेप निरस्त करने की सूचना पंचायत समिति डग के विकास अधिकारी को निधि लेखा परीक्षा विभाग, अजमेर द्वारा दी गई है ?

उत्तर

1. जी, हां। वाउचर संख्या 13 दि. 30–4–66 के द्वारा 244) रुपये का भुगतान किया, किन्तु रोकड़ में 344) रुपये लिखे, तथा पंचायत समिति डग से दिनांक 24–2–66 को 80 रुपये कूप जाजनी के लिए प्राप्त किए जो रोकड में जमा नहीं किए। इस प्रकार 180) रुपये का गबन किया जाना पाया गया।

2. जी नहीं।

3. जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला परिवार नियोजन अधिकारी अलवर के पास कर्मचारियों के बकाया बिल

557. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

1. जुलाई, 1970 से मार्च, 1971 के बीच ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्रों में काम करने वाले किन किन कर्मचारियों के सन् 1969 व सन् 1970 के यात्रा भत्ता बिल भुगतान हेतु जिला परिवार नियोजन संस्था अलवर में प्राप्त हुए ? उनमें से अब तक किन किन कर्मचारियों का किन किन महीनों के यात्रा भत्तों के बिलों का भुगतान हो चुका है और अब किन किन कर्मचारियों के किन किन महीनों का भुगतान होना बाकी है और उनके बिलों के भुगतान न होने के क्या क्या कारण है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्रों में कार्य कर रहे जिन जिन कर्मचारियों को जिन जिन महीनों का यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान जुलाई, 70 से मार्च, 1971 तक किया गया है उन महीनों में उन कर्मचारियों द्वारा कितने कितने नसबन्दी और लूप प्रविष्टि के केस लाए गए थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

3. अलवर जिला परिवार नियोजन संस्थान के अन्तर्गत क्या कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें मार्च, 1970 से मार्च, 1971 के बीच कई महीनों तक वेतन नहीं मिला हो ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की सूची मय उस अवधि जिसका वेतन उन्हें नहीं मिला या देरी से मिला, मय उन कारणों के जिनके कारण वेतन समय पर नहीं दिया गया, सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

4. क्या जिला परिवार नियोजन अधिकारी अलवर ने यात्रा बिल पास करने के लिए कोई मापदण्ड और अवधि निश्चित की है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या राज्य सरकार ने भी इस प्रकार

Page No 30

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के बिलों को पास करने और भुगतान करने के लिए कोई मापदण्ड और अवधि तय की हुई है ? यदि हां तो क्या ?

5. क्या विभाग के उच्च अधिकारियों ने जांच की है कि अलवर जिला परिवार नियोजन संस्थान में यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में अनियमितताओं, मनमानी और पक्षपात से कर्मचारी परेशान हैं ? यदि हां, तो यह जांच कब की और किसने की तथा उसका क्या परिणाम निकला ? यदि जांच नहीं की गई तो क्या सरकार अब जांच करेंगी ?

(स्थगित किया गया)

नोहर विधान सभा क्षेत्र की मतदाता सूची

558. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

1. नोहर विधान सभा क्षेत्र में सन् 1967 में कितने मतदाता थे ?

2. संशोधित मतदाता सूची के अनुसार सन् 1969 में कितने मतदाता थे ?

3. सन् 1970 की सूची में कितने मतदाताओं के नाम बढ़ाये गये और कितने नाम काटे गये ?

4. काटे गये नामों की संख्या गांव वाइज बताई जावे ?

5. क्या जिनके नाम काटे गये उनको सूचनाएं दी गई थी ? यदि नहीं, तो नाम किस आधार पर काटे गये ?

उत्तर

1. 71,473

2. 71,473 क्योंकि 1969 तक 1966 की मतदाता सूचियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

3. 22642 मतदाताओं के नाम बढ़ाये गये व 5549 मतदाताओं के नाम हटाये गये।

4. सूची संलग्न है।

5. जी हां। नियमानुसार नोटिस दिये जाकर नाम हटाये गये।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

जिला पाली में वन महोत्सव पर लगे वृक्ष

559. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

1. सन् 1965 से आज तक जिला पाली में किस किस वर्ष में निम्न गांवों में कितनी वर्षा हुई :–

पाली	सुमेरपुर	रानी
रोहट	तखतगढ़	मारवाड़ जंक्शन
सोजत	रायपुर	जोरावर
बाली	जैतारण	सेवाड़ी
सादड़ी	देसूरी	

2. सन् 1965 ई. से आज तक जिला पाली में प्रत्येक वर्ष में जंगलों की कितनी कितनी भूमि कृषि व आबादी भूमि में परिवर्तित की गई ?

(श्री फूलचन्द बाफणा)

3. सन् 1965 ई. से आज तक जिला पाली में कितने कितने नये वृक्ष किस किस वर्ष में लगाये गये ?

4. क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार की ओर से वन महोत्सव मनाया जाता है ? यदि हां, तो राजस्थान में किस वर्ष से वन महोत्सव मनाया जाने लगा है ? क्या पाली जिले में भी वन महोत्सव मनाया गया ? यदि हां, तो किस किस वर्ष में सन् 1965 से आज तक ?

(5) क्या यह सही है कि वन महोत्सव में लगे नये वृक्ष पूर्ण वृक्ष रूप पकड़ने में तीस चालीस वर्ष लेते हैं और जितनी संख्या में ये नये वृक्ष लगाये जाते हैं उस संख्या से बहुत ज्यादा संख्या में वृक्ष काटे जाते हैं ? क्या पाली जिले में भी उपर्युक्त (5) के अनुसार हुआ ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) कोई नहीं।

(3) लगाए गए वृक्षों की संख्या

वर्ष	
1965	6018
66	6804
67	7157
68	6497
69	6068
70	5220

(4) जी हां। 1950 से राजस्थान में वन महोत्सव मनाया जाता है। 1965 से 1970 तक लगातार।

(5) जी हां। पौधों को पूर्ण वृक्ष बनने में लगभग 30–40 वर्ष लगते हैं। वृक्षों की कटाई वैज्ञानिक आधार पर स्वीकृत कार्य योजनानुसार कुल वन के 40 वें भाग में कराई जाती है ताकि एक वर्ष में कटे हुए वृक्ष 40 वर्ष के बाद पुनः पूर्ण वृक्ष बन जावें। पाली जिले में भी तदनुसार ही कूपों की कटाई कराई जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री गंगानगर में बिक्री कर से आय

560. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला श्री गंगानगर में मंडियों में बिकने वाले अनाज व अन्य कृषि फसलों पर कुल कितना बिक्री टैक्स सन् 1970-71 में वसूल हुआ है ? मण्डी वाईज आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बिक्री टैक्स की बड़ी मात्रा में चोरी की जा रही है ?

(3) जिला श्री गंगानगर में अनाज के व्यापारी कुल कितने हैं और बिक्री का कुल टैक्स कितना सालाना जमा कराते हैं ?

उत्तर

(1) अप्रेल 1970 से दिसम्बर 1970 तक रु० 61,10,982.00

Page No 32

(वित्त मंत्री)
वसूल हुआ है। मन्डी वाइज आंकड़े सदन की मेज पर रखे हैं।

(2) जी, नहीं।

(3) कुल 942 व्यापारी हैं एवं कुल टैक्स लगभग रु० 84,00,000.00, सालाना जमा कराते हैं।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

कर्मचारियों के तबादले

561. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जोधपुर व बीकानेर डिप्टी कमिश्नर (वाणिज्य कर) जोधपुर द्वारा अपने क्षेत्र में उनके अधीन राज्य कर्मचारियों की अन्धाधुन्ध पल्टियां की गई हैं ? अगर हां, तो पिछले एक साल में कुल कितने ट्रान्सफर्स किये एवं क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उपायुक्त (वाणिज्य कर) जोधपुर ने फिर अपने किये हुए तबादले रद्द भी कर दिए ? अगर हां, तो किस किस के कब कब रद्द किये गये एवं क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त उपायुक्त के खिलाफ कई शिकायतें हुई हैं ? अगर हां, तो कहां से व कितनी ? उस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ? क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त राज्य अधिकारी के अधीनस्थ ज्यादातर राज्य कर्मचारीगण उनके खिलाफ हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त राज्य अधिकारी का बुरा वर्ताव, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के प्रति, को मद्दे नजर रखते हुए ऐसे विभाग में ऐसा अधिकारी उपयुक्त नहीं है ? अगर हां, तो इस बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त पद से शीघ्र नहीं हटाया गया तो सरकार को कर वसूली की बड़ी हानि होगी ? अगर हां, तो इस बारे में सरकार शीघ्र क्या निर्णय लेने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) (क) जी नहीं, यह सत्य नहीं है। जो स्थानान्तरण हुए हैं वे प्रशासनिक व राज्य आज्ञा के अनुसार सामान्य रूप से किये गये हैं।

(ख) पिछले एक माह में कुछ 126 ट्रान्सफर्स किए गए हैं। इनमें से 18 ट्रान्सफर्स वृत्तों के अन्दर ही किये गये तथा विभागीय आज्ञा के अनुसार 6 मास की अवधि समाप्त होने पर 27 स्थानान्तरण चेक पोस्टों के समायोजन के लिये किये गये। इस प्रकार 45 समायोजन किये गये।

(2) (क) जी हां, यह सत्य है। उनमें से कुल 33 स्थानान्तरण रद्द किये गये हैं।

(ख) ऐसे स्थानान्तरण रद्द किये हुए व्यक्तियों की सूची संलग्न है।

(ग) यह ट्रान्सफर्स प्रशासनिक दृष्टिकोण व अन्य कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये एवं राज्य आज्ञा की अनुपालना में या प्रस्तावित व्यक्तिमों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए रद्द किए गए हैं।

(3) (क) जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

Page No 33

(वित्त मंत्री)

(ख) राज्य सरकार के समक्ष इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि उपरोक्त राज्य अधिकारी के अधीनस्थ ज्यादातर राज्य कर्मचारीगण उनके खिलाफ हैं।

(4) उपरोक्त अधिकारी का अपने अधीनस्थ अधिकारियों के प्रति कोई बुरा बर्ताव नहीं है।

(5) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया हुआ है कि जन संपर्क में आने वाले सभी अधिकारियों को एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय तक नहीं रखा जाये। उक्त निर्णय वाणिज्यिक कर विभाग पर भी लागू है। उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

सादड़ी-सायरा सड़क कार्य के मजदूरों को बकाया का भुगतान

562. श्री दौलतराम आमरी (देसूरी): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गत अकाल राहत के तहत सादड़ी से सायरा जिला उदयपुर सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था ? यदि हां, तो इस सड़क (झाली की छतरी) पर कितने मजदूर लगाये गये ?

(2) क्या यह सही है कि गांव चांचोड़ी जिला पाली के मजदूरों ने उक्त सड़क पर कार्य किया ? यदि हां, तो कितने और क्या उनकी बकाया धनराशि का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों व कब तक भुगतान कर दिया जायगा ?

(3) क्या यह सही है कि ओवरसीयर ने पहले सप्ताह का भुगतान ग्राम चांचोड़ी जिला पाली में आकर किया ?

उत्तर

1. जी हां। गत अभाव वर्ष में सादड़ी से सायरा सड़क निर्माण कार्य पर झाली की छतरी पर करीब 100 मजदूरों ने कार्य किया था।

2. जी हां। ग्राम चांचोड़ी के मजदूरों ने भी इस सड़क पर कार्य किया था। उनमें से कुछ की बकाया धनराशि का भुगतान शेष है। वह अब जिले के अन्य बकाया भुगतानों के साथ करने की व्यवस्था की जा रही है।

3. जी नहीं।

कठूमर पंचायत समिति द्वारा विभिन्न कार्यों के लिये दी गई राशि

563. श्री [illegible] (कठूमर) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) कठूमर पंचायत समिति द्वारा अब तक विभिन्न कार्यों के लिए कितना अनुदान, कितनी सहायता व कितना ऋण कृषकों को दिया गया है ?

(2) कृषकों को दिये गये ऋण में से कितनी राशि वसूल करली गई है ? कितनी राशि वसूल करनी बाकी है ? कितनी धनराशि ऐसी है जो वसूल नह

Page No 34

(श्री गंगासहाय)
की जा सकेगी और जिसे बट्टे खाते डालना होगा ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका उल्लेख भी कर दिया गया है । अभी तक कोई धनराशि बट्टे खाते डालने योग्य नहीं समझी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

टोंक जिले के सरपंचों पर बकाया

564. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) टोंक जिले की किन किन पंचायतों के सरपंचों में किस किस प्रकार की सरकारी बकाया कब से बाकी है ? पंचायत समितिवार मासवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) टोंक जिले के किस किस सरपंच पर गबन, लापरवाही, पद के दुरुपयोग के कितने मामले विचाराधीन हैं और उन पर क्या क्या कार्यवाही कहां कहां की जा रही है ? सरपंचों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति, लाडनूं की आय

565. श्री [illegible] (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागौर की निजी आय कितनी है तथा 1 अप्रेल, 1965 से लेकर अब तक प्रति वर्ष कितनी कितनी आय हुई है ?

(2) निजी आय को खर्च करने में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों का कहां तक पालन हुआ और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अप्रेल, 1965 से लेकर वर्ष 1970-71 तक हुई आय की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा जारी किये निर्देशों के विपरीत खर्चे के बारे में आडिट आक्षेप हुए हैं व उन पर कार्यवाही की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

अनाज की बकाया राशि

566. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: --

क्या यह सही है कि श्री बजरंगलाल जो पुत्र श्री शिवनारायण जो मिश्र निवाई में बारदाने के 2762.50 पैसा बकाया हैं जब वे अनाज गोदाम कोटा में स्टोरकीपर थे ? यदि हां, तो वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

Page No 35

(खाद्य मंत्री)

उत्तर

जी हां, वसूली बाबत मुख्य लेखाधिकारी, जयपुर द्वारा पुराने लेखों की जांच की जा रही है। जांच सम्पन्न होते ही वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

खेडली मंडी में जच्चा बच्चा केन्द्र

567. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खेडली मन्डी में जच्चा बच्चा केन्द्र (मेटरनिटी सेन्टर) न होने के कारण कितनी ही महिलाओं को प्राण तक गवाने पड़ते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि यहां से अलवर व भरतपुर दोनों ही स्थान बहुत दूर पड़ते हैं तथा आवागमन के साधन भी आपत्‌कालीन समय में उपलब्ध होना कठिन होता है ?

(3) यदि हां, तो सरकार केन्द्र कब तक स्थगित कर देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। किन्तु खेडली में परिवार नियोजन का परिवार नियोजन उपकेन्द्र खोला जा चुका है जिसमें एक ए. एन.एम. कार्यरत है जिसमें प्रसूति सेवाएँ उपलब्ध हैं।

(3) फिलहाल धनाभाव के कारण विचार करना सम्भव नहीं है।

जनता को मुफ्त में दी गई दवाइयां

568. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के अस्पतालों में आम जनता के लिए कुछ दवाइयां मुफ्त देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो 1970-71 में कुल कितने रुपयों की दवाइयां जनता को मुफ्त दी गई हैं ?

(2) क्या सरकार की जानकारी में है कि जनता को मिलने वाली उक्त दवाइयां बाजार में बिक जाती है ?

उत्तर

(1) जी हां। सन 1970-71 में 9622800) रु. की।

(2) जी नहीं।

कर्मचारियों एवं अधिकारियों को चिकित्सा व्यय का भुगतान

569. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि कर्मचारियों व अधिकारियों को चिकित्सा व्यय का भुगतान किया जाता है ? यदि हां, तो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के निदेशालय के कर्मचारियों व अधिकारियों ने सन् 1970-71 में किन किन ने कितना कितना रुपया चिकित्सा व्यय में प्राप्त किया है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) उपरोक्त समय के चिकित्सा व्यय के बिल यदि बिना भुगतान के रहे हों, तो उनका भी पूर्ण विवरण व्यक्तिवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची पूर्ण विवरण सहित संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

पशुपालन के लिये ऋण की योजना

570 श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री जो जैसलमेर जिले की जनता को आश्वासन देकर आये थे कि पशुपालन के लिए राज्य सरकार ऋण की योजना बना रही है? अगर हां, तो आज तक उपरोक्त आश्वासन को क्रियान्वित नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

जी हां। यह मामला उचित कार्यवाही हेतु सरकार के विचाराधीन है।

ग्राम शम्भूगढ़ के अध्यापक के विरुद्ध शिकायतें

571. श्री [illegible] (बारां) व श्री [illegible] अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा के ग्राम शम्भूगढ़ माध्यमिक स्कूल में श्री गंगाधर अध्यापक कई वर्षों से हैं? यदि हां, तो कितने वर्षों से हैं और उसका क्या कारण है और क्या यह सर्विस रूल्स के विपरीत नहीं है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक के विरुद्ध राजनीति में भाग लेने, स्कूल में बराबर ड्यूटी नहीं देने तथा दादागिरी आदि करने सम्बन्धी शिकायतें आई हैं?

(3) क्या उक्त अध्यापक का स्थानान्तरण किए जाने के बारे में कोई निर्णय किया है और क्या कोई जांच भी करवाई गई है?

उत्तर

(1) जी हां। ये पन्द्रह वर्ष से इस विद्यालय में हैं। उक्त अध्यापक का कार्य सन्तोषजनक है। यह सेवा नियमों के विपरीत नहीं है।

(2) उक्त अध्यापक के विरुद्ध फिलहाल कोई शिकायत नहीं हुई है।

(3) इनके विरुद्ध शिकायत नहीं होने के कारण इनके स्थानान्तर करने का प्रश्न सामने नहीं आया। अतः जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

भीलवाड़ा जिले में पंचायत समितियों में चलाये जा रहे स्कूल

572. श्री [illegible] मेहता (मांडलगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
जिले में पंचायत समितियों द्वारा निजी खर्च से मिडिल स्कूल चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कितने स्कूल किस किस पंचायत समिति में किस किस वर्ष से चलाये जा रहे हैं ? फहरिस्त सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में जिन जिन पंचायत समितियों ने तीन वर्ष तक अपने खर्च मे मिडिल स्कूल चलाये हैं उन्हें शिक्षा विभाग ले रहा है ? यदि शिक्षा विभाग ले रहा है, तो उसकी पूरी फहरिस्त भीलवाड़ा जिले की सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) सत्र 1971-72 में पंचायत समितियों द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक शालाओं को राज्याधीन लेने हेतु प्रावधान रखा गया है और इसके अन्तर्गत समस्त राजस्थान में चल रही ऐसी शालाएं राज्याधीन की जावेंगी।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

स्कूल में कौंसलर का पद

523. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य शैक्षणिक व व्यावसायिक निर्देशन केन्द्र से सम्बद्ध राज्य के किन किन बड़े नगरों में स्कूल कौंसलर हैं और इन पदों पर जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उसका आधार क्या रहा है ?

(2) जयपुर स्थित महाराजा कन्या विद्यालय में भी क्या 1964 में स्कूल कौंसलर का पद था ? यदि हां, तो यह पद इस विद्यालय से कब व क्यों हटाया जाकर दरबार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को दिया गया ?

(3) नये पद पर श्री रघुवर दयाल यादव की नियुक्ति किस आधार पर की गई ?

(4) क्या यह सही है कि श्री यादव से अधिक योग्यता, अनुभव व वरिष्ठता वाले व्यक्तियों के रहते हुए भी उन्हें नियुक्ति दी गई और महाराजा कन्या विद्यालय से पद भी उन्हीं को लाभ देने की दृष्टि से तोड़ा गया ?

(5) क्या यह सही है कि अनेक व्यक्तियों ने इस नियुक्ति के खिलाफ विरोध प्रकट करने हेतु विभाग को प्रार्थना-पत्र भेजे और उन पर सुनवाई नहीं हुई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

(6) क्या यह भी सही है कि श्री यादव न तो स्पष्ट शुद्ध लिख व बोल ही सकते हैं और न उनमें इस पद पर कार्य करने की क्षमता व दक्षता ही है ?

(7) क्या सरकार को ज्ञात है कि इस नियुक्ति से हक मरने के कारण परेशान होकर एक अध्यापक ने उच्च न्यायालय में रिट दायर की है ?

(8) क्या सरकार इस अनियमित नियुक्ति को रद्द कर जिन लोगों का हक

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
मारा गया है उनको उनका हक देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(9) क्या सरकार महाराजा कन्या विद्यालय, जयपुर को उसका स्कूल कोंसलर का पद वापिस देने का भी इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

1. राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर व अजमेर नगरों में शाला परामर्शक कार्य करते हैं। इन पदों पर नियुक्ति का आधार योग्यता होती है जो निम्न प्रकार है :–

एम. ए. बी. एड. अथवा प्रशिक्षित केरियर मास्टर या बी. ए. बी. एड. (निर्देशन में विशेष योग्यता) केरियर मास्टर के रूप में कार्य का अनुभव व दक्षता आदि।

2. जी हां। स्थिति के पुनरावलोकन के आधार पर न कि किन्हीं विशिष्ट कारणों से आवश्यकतानुसार पद का परिवर्तन किया गया। फरवरी 68 से उक्त पद पर दरबार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जयपुर में परिवर्तन किया गया।

3. निदेशक, शैक्षणिक एवं व्यवसायिक निर्देशन केन्द्र, बीकानेर के प्रस्ताव पर कि महिला परामर्शक उपलब्ध नहीं है, श्री रघुवर दयाल की नियुक्ति प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के कार्यालय के आदेश सं. शिविरा/प्रस्था/ब/सी–5/10940/4167–68 दि. 3–2–68 द्वारा की गई थी, प्रति संलग्न है।

4. नियुक्ति योग्यता, वरिष्ठता, अनुभव आदि के आधार पर की जाती है। नियुक्ति के समय व्यक्ति का अधिकार नहीं अपनाया जाता।

5. कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये उन पर नियमानुसार कार्यवाही की गई।

6. यह सही नहीं है। श्री यादव एम.ए. बी.एड. व द्वितीय श्रेणी में वर्षों से कार्यरत अध्यापक हैं।

7. श्री केशवलाल श्रीमाली की रिट सिर्फ यादव के विरुद्ध ही नहीं है वरन अन्य 6 शाला परामर्शकों, वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्तियों के विरुद्ध भी है, जिनके विषय में विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

8. इनकी नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ रूप से की गई है। विभाग द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) द्वारा जब चयन किया जायेगा तब ऐसे समस्त कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

9. बजट में प्रावधान होने पर महाराजा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जयपुर में परामर्शक का पद स्थाई रूप से रख दिया जायेगा। यह स्पष्ट है कि जो शाला परामर्शक बालकों के विद्यालयों में कार्य करते हैं उनको अनिवार्य रूप से कन्या विद्यालयों में भी निदेशन करने के निर्देश दिये गये हैं और वे कन्या विद्यालयों में कार्य करते भी है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

Page No 39

प्राथमिक शाला की क्रमोन्नति

574. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम तसई की प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला के रूप में उन्नत करने की सिफारिश पंचायत समिति, जिला परिषद्, व जिला निरीक्षक स्कूल्स, अलवर द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो उक्त सिफारिशों के उपरान्त भी इस शाला को उन्नत न करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

गत वर्ष कोई भी प्राथमिक शाला को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत नहीं किया गया। इस वर्ष अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ गुणावगुण के आधार पर इस पर भी विचार कर लिया जावेगा।

ग्राम कोतलवाना के पुराने बंधे के पानी से क्षति

575. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम चीतलवाना के पुराने बंधे से नुकसान नहीं होने के कारण बंधे के उत्तरी ओर एक नहर खुदाई गई थी ? अगर हां, तो कब ? इस नहर का क्या उपयोग हुआ ?

2. क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त नहर अब गहरी होने से पानी फालतू उसके अन्दर होकर [illegible] जाता है और इससे इने-डेशन कम होने लग गया है ? अगर हां, तो कब से ?

3. अगर उपरोक्त नहर के गहरी होने से नुकसान होने लगा है तो क्या सरकार उस नहर को वापस मिट्टी से भरने का विचार करेगी ? अगर हां, तो उसमें कितना खर्चा लगेगा और यह कार्य कब तक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

1. जी हां, बांध से अधिक जल निकासी के लिए सन् 1969 में बाइपास नहर बनाई गई थी। अधिक जल आने पर उसे इस नहर द्वारा बाहर निकाला गया, जिससे की बान्ध को खतरे से बचाया जा सका।

2. जी हां, इसी वर्षा में अधिक जल आने से नहर का तल कट गया है और इन्डेन्शन में इस वर्ष कुछ कमी हुई है।

3. रूरल वर्क्स कार्यक्रम के अन्तर्गत चीतलवाना बांध की कमियों को पूरा करने के लिए इस वर्ष 24 हजार रुपये का प्रावधान है और नहर के हिस्से को भी बांध दिया जावेगा। इस कार्य के टेण्डर हो चुके हैं और कार्य इस वर्षा के पहले पूर्ण होने की सम्भावना है।

तहसील देसूरी में सिंचाई बांधों का निर्माण

576. श्री खेतराराम आगरी (देसूरी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) देसूरी तहसील में अकाल राहत

(श्री दौलतराम आगरी)
कार्यों के अन्तर्गत किन किन सिंचाई के बांधों का निर्माण कराया गया है ?

(अ) क्या यह सही है कि यह सारे कार्य अधूरे ही हैं, और जब तक पूर्ण नहीं होते इनका कोई उपयोग नहीं हो सकता ?

(ब) क्या सरकार इन अधूरे कार्यों को वर्षा ऋतु के पहले पहले पूरा करायेगी, जिससे इस वर्ष इनसे सिंचाई की जा सके ?

(2) (अ) क्या यह सही है कि देसूरी तहसील के गांव रानीकलां में अकाल राहत के तहत तालाब की खुदाई की गई थी ?

(ब) क्या यह सही है कि इस तालाब में पानी की आमदा का रास्ता कैनपुरा-रानी सड़क के कारण रुक गया है ?

(स) क्या सरकार शीघ्र ही पानी आने के कदमी रास्ते को खुलवायेगी जिससे यह तालाब पानी से भर सके और ग्रामवासियों के लिए उपयोग में आ सके ?

(3) (अ) क्या यह सही है कि देसूरी तहसील के ग्राम जीवनकलां की आबादी का बहुत सारा हिस्सा नदी में बाढ़ आने से बह कर चला गया था, और अब भी प्रति वर्ष तट-कटान के कारण आबादी को नुकसान हो रहा है ?

(ब) क्या सरकार ने इस गांव के पास नदी तट को कटने से बचाने हेतु तट बन्धन की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो सरकार कब कार्य शुरू करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची "अ" संलग्न है।

(अ) जी नहीं केवल 9 कार्य अधूरे हैं जिनकी सूची "अ" में दर्शाया गया है। कार्य पूर्ण होने पर ही उनसे सिंचाई हो सकेगी।

(ब) सिंचाई विभाग ने इन अधूरे कार्यों को रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत पूरा करने का निश्चय किया है। कार्य शुरू हो चुके हैं और जल्दी से जल्दी पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है।

(2) (अ) जी हां।

(ब) जी नहीं।

(स) प्रश्न नहीं उठता।

(3) (अ) जी हां, कुछ नुकसान हो रहा है।

(ब) जी नहीं, अब इसका सर्वेक्षण कार्य करवाया जावेगा तत्पश्चात् ही आवश्यक कार्य करवाये जाने की सम्भावना है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

लटका तालाब के निर्माण के लिये स्वीकृत राशि

577. श्री नन्दलाल (किशनगंज) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. लटका तालाब तहसील शाहबाद के निर्माण हेतु कितनी धन राशि स्वीकृत हुई थी ?

(श्री नन्दलाल)

2. कितनी धनराशि अब तक खर्च हो चुकी है व कितना काम हो चुका है? कब तक काम पूरा हो जावेगा व कितनी जमीन सिंचित होगी। सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

1. खटका तालाब तहसील शाहबाद की लागत लगभग 8.72 लाख रुपया है।

2. खटका परियोजना पर अब तक 2.63 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। इसके वेस्ट वियर तथा कट आफ वाल पर कुछ कार्य हो चुका है। आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर यह कार्य जून, 1974 तक पूरा होने का अनुमान है। इस योजना के पूरा होने पर लगभग 854 एकड़ औसतन सिंचाई सम्भव हो सकेगी।

बस से दुर्घटना

578. श्री केशरीसिंह हाडा (हिण्डोली): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. क्या यह सही है कि दिनांक 5-8-70 को दिन के 1.00 बजे ग्राम शिवदास पुरा की प्राथमिक शाला से सड़क पार करते हुए 7-8 साल का श्री राम किशन पुत्र श्री गुल्लाराम निवासी ग्राम बगरिया की मृत्यु राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बस संख्या 4536 की टक्कर से हुई थी ?

2. क्या यह सत्य है कि बस ग्राम के पास से तेज रफ्तार में निकल रही थी?

3. क्या यह भी सत्य है कि बस के चालक ने रोंग साइड को गाड़ी काटी जब कि बालक भी बायें से दायें की ओर भाग कर सड़क पार कर रहा था ?

4. क्या यह सही है कि बस में होर्न न होने के कारण उसका उपयोग नहीं किया जा सका ?

5. क्या यह भी सत्य है कि निगम के बसों में परमिट फिटनेस और टोकन जैसी चीज नहीं होती ?

6. क्या यह सत्य है कि बस की बीमा मोटर व्हीकल्स एक्ट के अनुसार जो कराना अनिवार्य है, नहीं किया हुआ था ?

7. निगम द्वारा मृतक बालक के पिता को कितनी और कब क्षति पूर्ति की रकम दी गई ?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी नहीं।

3. वाहन चालक ने अपनी वाहन को सही (बायें) साईड ही काटा था।

4. जी नहीं।

5. जी नहीं।

6. जी नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 94 के अन्तर्गत निगम की बसों को अनिवार्य बीमा से छूट दी हुई है।

7. निगम द्वारा मानवीय आधार पर मृतक बालक के पिता श्री गुल्लाराम

(यातायात मंत्री)
को 500) रु० की एक्सग्रेशिया आर्थिक सहायता प्रदान करने के आदेश दिये गये हैं।

कामांगढ़ अजान बिजली की लाइन

579. श्री मजलिसखां (कामां) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि कामांगढ़ अजान विद्युत् लाइन पूरी हो चुकी है ? क्या यह भी सही है कि उक्त लाइन पर ग्राम अंग्रावली और नगला शहजाद स्थित है ? क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामीणों ने सिंचाई के लिये दो ट्रान्सफारमरों की बार-बार विद्युत् विभाग से मांग की है और भरतपुर विद्युत् अभियन्ता के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत कर रखे हैं ? यदि हां, तो क्या कारण है कि उक्त दोनों ग्रामों को खेती के लिये बिजली सप्लाई नहीं की जाती ?

2. क्या सिंचाई के लिये बिजली सप्लाई की योजना है ? यदि हां, तो उक्त दोनों ग्रामों को खेती के लिये कब तक ट्रांसफार्मर्स अलॉट कर बिजली सप्लाई की जावेगी ?

3. क्या यह सही है कि कामां, विलंगढ, अजाब लाइन को ऊंधन, मूसेपुर खेड़ली जल्लो और नगला मुकारिव, दांतका, ईखन का, बड़ौदा तक बढ़ाने के लिये किसान ने मांग की है ? क्या यह भी सही है कि प्रोडेक्शन कमेटी ने भी अपने प्रोग्राम में इस लाइन को बढ़ाने के लिये प्राथमिकता दी है ?

4. क्या यह सही है कि कामां-कनवाड़ा लाइन को रुंध कनवाड़ा नदौला चक नन्दोला सुनहरा, बमेड़ा ढाना, बगीची, अकाल और राधा नागरी तक बढ़ाने के लिये किसानों ने मांग की है ? क्या यह भी सही है कि प्रोडेक्शन कमेटी ने और पंचायत समिति की जनरल मीटिंग ने भी उक्त लाइन के लिये प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों में यह लाइन कब तक खींच दी जावेगी ?

उत्तर

1. जी हां। यह दोनों ग्राम इसी लाइन पर स्थित हैं। यह ग्राम जिला कृषि उत्पादन समिति से प्रस्तावित हैं परन्तु उनका सर्वेक्षण अभी नहीं किया जा सका है। ग्राम अंग्रावली के कृषकों द्वारा 15 प्रार्थना-पत्र सादे कागज पर दिनांक 25 फरवरी 71 को कनिष्ठ अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल, कामां के कार्यालय में प्राप्त हुये थे। इन ग्रामों का सर्वेक्षण पूर्ण हो जाने तथा प्रतिवेदन के तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से फिजीकल पाये जाने पर मण्डल द्वारा इन पर स्वीकृति देने के लिये विचार किया जावेगा। ग्राम मंगला शहजाद से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं।

2. अभी कोई योजना नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

3. केवल ऊंधन, मूसेपुर एवं नगला मुकारिव जिला कृषि उत्पादन समिति से प्रस्तावित है।

4. इन ग्रामों में से कनवाड़ा, सुन्हेरा अकाला एवं राधा नगरी ही जिला कृषि

(विद्युत मंत्री)

उत्पादन समिति ने प्रस्तावित किये हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा रहा है। यदि स्कीम फीजिबल हुई तो उस पर स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

राजस्थान नहर की पायलट चैनल का सर्वेक्षण

580. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान मुख्य नहर के निर्माण में आर्थिक अभाव से विलम्ब की सम्भावना है इसलिये राज्य सरकार एक पाइलेट चेनल का सर्वेक्षण करा रही है जिससे जैसलमेर तक पानी जल्दी पहुंच सके ? अगर हां, तो क्या सर्वेक्षण पूर्ण हो गया है ? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और भविष्य में काम कब तक प्रारम्भ कर लिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर का जो पानी पाकिस्तान जा रहा है वह केवल मुख्य नहर के समानान्तर एक पाईलट चेनल से ही इस वर्ष रोका जा सकता है जो अकाल का स्थायी हल भी है ? अगर-हां, तो इस वर्ष कितनी राशि स्वीकृत की है ?

उत्तर

(1) जी हां, आर्थिक अभाव से विलम्ब हो रहा है।

'पाइलेट चेनल' के बारे में जो जानकारी चाही है उस संबंध में यह स्पष्टीकरण देना आवश्यक है कि राजस्थान मुख्य नहर का कार्य स्टेज 2 (Stage II) में सुचारू रूप से चलाने के लिये 'पानी' की वही भयंकर समस्या है और इस सम्बन्ध में कई alternative तरीके सोचे जा रहे हैं जिसमें एक सुझाव 'कच्ची पाईलेट चेनल' का भी है।

(2) जी नहीं। ऐसी स्थिति नहीं है और इस समय पानी रोकने के लिये धनराशि स्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता।

घग्घर कण्ट्रोल चैनल का पानी

581. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्थान केनाल परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर का पानी नाली (घग्घर बैड) में छोड़ा गया था ? यदि हां, तो कुल कितना क्यूसेक्स पानी किन–किन तारीखों में घग्घर में छोड़ा गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि बरसात के मौसम में भी राजस्थान नहर के माईनरों की टेल तक पानी नहीं पहुंचाया गया और काश्तकारों के खेतों में लगे मोघों में साकिट लगा दी गई जिससे रेतीली भूमि में काश्तकारों को पूरा पानी नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि घग्घर कन्ट्रोल चैनल के पानी को काश्तकारों को नहीं

(श्री रामचन्द्र आर्य)

दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? नहीं तो कुल कितने काश्तकारों की घग्घर कन्ट्रोल चेनल से मोघे दिये गये और उन मोघों से कितना रकबा सिंचित हुआ ? पूरे विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि जिला परिषद् गंगानगर द्वारा सिंचाई विभाग का उपरोक्त स्थिति की ओर ध्यान दिलाने के लिए 31–8–70 की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। तारीख वार सूची संलग्न है।

(2) जी हां, यह सही है।

नहरें बरसात में साधारणत: Authorised Discharge से ज्यादा चलाई गई हैं लेकिन फिर भी कई टेलों पर पानी नहीं पहुंचा जिसकी वजह यह है कि ऊपर के रीच के आऊट लेट Authorised discharge से ज्यादा पानी लेते हैं उसके लिए सार्किट लगाने का प्रबन्ध किया गया है। दूसरा कारण यह भी है कि समय–समय पर आंधियां चलने से कई जगह नहरें मिट्टी से भर गईं और पानी टेल पर नहीं पहुंचा।

(3) घग्घर कन्ट्रोल चैनल का पानी काश्तकारों को दिया गया है। काश्तकारों को कुल 101 मोघे दिये जा चुके हैं। घग्घर कन्ट्रोल चैनल से जो मोघे दिये गये हैं उनसे "राजस्थान नहर" तथा "भाखरा नहर" के सिंचित क्षेत्र को ही पानी लगता है जिससे इस क्षेत्र की पैदावार में काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी बुकिंग "भाखरा नहर" व "राजस्थान नहर" के कार्यालयों द्वारा की जाती है। अलग से सिंचित क्षेत्र का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है।

(4) जी हां। प्रस्ताव को मद्दे-नजर रखते हुए काश्तकारों को पूरी–पूरी सहूलियत दी गई तथा काश्तकारों की अर्जी आने पर उनको तुरन्त मोघों को लगाने की आज्ञा दे दी जाती है। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

चित्तौड़ खण्ड के लिये स्वीकृत की गई राशि

582. **श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली)**: क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि आयव्ययक अनुमान 1969–70 में 14,39,000 और 1970–71 के लिए 16,25,000 की राशि चित्तौड़ खण्ड के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो यह राशि किस–किस कार्य पर खर्च की गई ? विभिन्न कार्यों पर व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सन् 1969–70 में बूंदी खण्ड के लिये गंगासागर दई, तालाब, बंसाली

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

सिचाई योजना, अभयपुरा गुढ़ा, गोकुलपुरा व विजयगढ़ के लिये कितनी–कितनी रकम स्वीकृत की गई थी और उसमें से कितनी–कितनी व्यय हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1969–70 में 14.39 लाख रुपया तथा वर्ष 70–71 में 18 लाख रु. का प्रावधान रखा गया था। खर्च की सूची 'अ' संलग्न है ।

(2) सूची 'ब' संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(20–4–71)

बाड़मेर जिले में मजदूरों की बकाया

364. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में कई स्थानों के अकाल राहत कार्यों के मजदूरी के भुगतान बाकी पड़े हैं ? अगर हां, तो दो वर्ष से अधिक समय से भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त प्रकार के भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग दोनों के बाकी हैं ? अगर हां, तो विभागवार कितना कितना बाकी है उसकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। मजदूरों के भुगतान के समय नहीं आने और उसके बाद उनके पूरे पते नहीं मालूम होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है ।

(2) जी हां । विभाग वार बकाया की स्थिति इस प्रकार है:–

सार्वजनिक निर्माण विभाग	12997.71 पैसे
सिंचाई विभाग	8668.36 पैसे

स्थगित प्रश्न

(22–4–71)

भेड़ प्रजनन केन्द्र बाकलिया

437. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या भेड़ व ऊन विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भेड़ प्रजनन बाकलिया, जिला नागौर में कृषि कार्य कब शुरू किया और शुरू से अब तक किस–किस मद में कितनी कितनी आय हुई व कितना–कितना व्यय हुआ ? मदवाईज पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) कितना कितना अनाज किस किस वर्ष में पैदा हुआ और उस पर कितना कितना मजदूरों का खर्चा हुआ ?

(3) इस फार्म पर कृषि के क्या-क्या औजार कितने कितने मूल्य के हैं और उनका क्या उपयोग हो रहा है तथा कितने व्यक्ति इस कार्य में लगे हुए हैं ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(4) इस फार्म पर कृषि कार्य की क्या मूल योजना थी और उसमें कोई परिवर्तन किया गया हो तो कब और क्यों तथा आगे क्या योजना है ? योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) भेड़ प्रजनन केन्द्र, बांकलिया में कृषि कार्य माह जुलाई, 69 से प्रारम्भ हुआ प्रत्येक वर्ष का मद वाइज पूर्ण विवरण प्रपत्र 'अ' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) चाही गई सूचना प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में प्रस्तुत कर दी गई है।

(3) कृषि औजारों एवं उनके मूल्य की सूची प्रपत्र 'ब' पर प्रस्तुत कर दी गई है कृषि औजारों का उपयोग फार्म पर भेड़ों के लिये चारा व दाना उत्पन्न करने हेतु किया जाता है इस कार्य हेतु निम्न लिखित व्यक्ति लगे हुए हैः—

1–कृषि सहायक–1

2–ट्रैक्टर ड्राईवर–1

3–दैनिक वेतन मजदूर–4 (औसतन)

(4) भेड़ प्रजनन केन्द्र, बांकलिया पर कृषि कार्य की मूल योजना चारे व दाने के लिए आत्म निर्भर होने के लिए प्रतिवर्ष के बजट प्रावधान को रखते हुए भेड़ों के लिए हरा चारा व दाना पर्याप्त मात्रा में पैदा किये जाने की है इसके लिए फार्म पर ट्रैक्टर, स्प्रिंक्लर एरिगैशन व संकर बीजों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा ज्योंही नल कूप पर बिजली उपलब्ध हो जायेगी, वहां 30 एकड भूमि पर सिंचाई का कार्य प्रारम्भ करके भेड़ों के लिए हरा चारा पूरे वर्ष पैदा किया जाना संभव हो सकेगा भविष्य में अच्छी किस्म के घास का बीज बोकर चारागाह का सुधार करने की भी योजना है।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(26–4–71)

पंचायत के सरपंच का चुनाव

453. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर के अन्तर्गत आने वाली किन किन पंचायतों के सरपंचों का पद कब कब से किन किन कारणों से रिक्त है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त पंचायतों के सरपंचों का चुनाव कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला नागौर पंचायत समिति लाडनूं के अन्तर्गत आने वाली पंचायत रोड़, सुनारी एवं ध्यावा के सरपंचों के पद क्रमशः दिनांक 3-6-68, 27-1-69 एवं 10-2-69 से मृत्यु के कारण रिक्त है।

(2) यथाशीघ्र।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई है :

1. श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने बीकानेर वूलन मिल के मजदूरों द्वारा 7 मई से हड़ताल करने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री भैरोंसिह शेखावत, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि जयपुर में नगर परिषद् द्वारा नगर की सफाई रखने में असफलता के कारण नगर का जन जीवन दुःखदायक हो गया है तथा जनता के प्रतिनिधि कई स्थानों पर धरना दिये हुए हैं।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिये जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें भी प्राप्त हुई हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी भी प्राप्त कर ली गई है। ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं :–

(1) न्याय पंचायत मोजमाबाद जिला जयपुर के लेखक व अन्य कर्मचारियों को सन् 1969 से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री चुन्नीलाल चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव। मैं चाहूंगा कि इस विषय को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में लिया जावे।

(2) ग्राम कोछोर, तहसील दांता, रामगढ़ की प्राईमरी स्कूल में परीक्षा न होने से सम्बन्धित श्री मदनसिंह दांता, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव। इस सम्बन्ध में यह सूचित किया गया है कि परीक्षायें 3 मई, 1971 से चालू हो जायेंगी।

ये मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जावे। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित पेन्डिंग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं :–

(1) पंचायत समिति कुम्हेर (भरतपुर) के अध्यापकों को राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन निर्धारण की बकाया राशि एवं मेडिकल बिलों का भुगतान के सम्बन्ध में श्री रामकिशन, श्री नत्थीसिंह, श्री केदारनाथ व श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) सरदार शहर में एक हरिजन

(श्री अध्यक्ष)
जनसंघी तथा जनसंघ कार्यालय पर कुछ गुण्डों द्वारा हमला करने के सम्बन्ध में श्री लाभचन्द वैद, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(3) सीकर नगर परिषद् के कमिश्नर द्वारा चुंगी नाके पर पकड़े गये हीरे, सोने आदि के जेवरात गायब कर दिये जाने के सम्बन्ध में श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

ये स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है। इसके अतिरिक्त आज पुलिस की मांग पर सदन में विचार किया जायेगा तथा उस समय पुलिस सम्बन्धित मामलों को कटौती प्रस्तावों के जरिये उठाया जा सकता है। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ): मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है। उसका कारण यह है कि 30 तारीख से लेकर आज तक वहां पर तीन घटनायें घट चुकी हैं। पहले हरिजनों पर वहां पर सशस्त्र हमला किया गया और जनसंघ के कार्यालय पर सशस्त्र हमला किया गया और परसों भंवरलाल के मकान पर हमला किया।

श्री अध्यक्ष: ओर्डर प्लीज। आप पुलिस की डिमान्ड पर बोल लीजिये।

श्री लाभचन्द वैद: मैं थोड़े ही बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप को मैं समय दे दूंगा।

श्री लाभचन्द वेद: अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल है। चार राज्य कर्मचारी इसमें शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसको अस्वीकार किया गया है। अतः कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भगवानदास शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्रीजी उपस्थित हैं। उनसे कहा जाय की वक्तव्य दे दें। मजदूरों की हड़ताल चल रही है। 1600 मजदूर हड़ताल पर हैं।

श्री अध्यक्ष: इसको कल के लिये रख दिया गया है। कल वक्तव्य देंगे।

प्रतिवेदन का उपस्थापन

राजकीय उपक्रम समिति का प्रतिवेदन

श्री सभापति: श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (गैर संचालन आय से सम्बन्धित पांचवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही) से सम्बन्धित समिति के बीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री हरलालसिंह खर्रा

(अनुपस्थित)

श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, निम्बीजोधा से मगुवाया चन्द्राई तहसील लाडनूं (जिला नागौर) में बनी सड़क में आई भूमि का मुआवजा काश्तकारों को दिलाने से सम्बन्धित याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक, ग्राम पंचायत आसौटा द्वारा भूमि का विक्रय सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या 239 (601 पं. मं.) के उत्तर से, जो दिनांक 13 अप्रैल, 1971 को दिया गया था, उत्पन्न मुद्दों पर आधे घंटे की चर्चा उठायेंगे।

आधे घंटे की चर्चा

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत आसौटा के प्रस्ताव के अनुसार कलेक्टर नागौर ने 22.23 बीघा जमीन आबादी में कन्वर्ट करके दी। प्रस्ताव में यह कहा गया था कि इस जमीन पर हरिजनों को बसाया जायगा। लेकिन आबादी में इसको कन्वर्ट करने के बाद इसको उस कार्य में न लेकर इसके 27 प्लाट बनाये गये। कुछ छोटे और चार पांच बड़े प्लाट बनाये गये। सरपंच ने प्लाट अपने नाम कर लिये और चार पांच बड़े प्लाट उप-सरपंच ने ले लिये और बाकी बचे को सैक्रेटरी ने अपने और अपने पुत्रों और पत्नी के नाम से और रिश्तेदारों के नाम से अलाट करा लिये और पट्टे बना लिये। इस प्रकार आबादी भूमि का दुरुपयोग किया गया। जो भी पट्टे बनाये गये उस भूमि को न तो नियमानुसार नीलाम किया गया और न ही शिड्यूल्ड कास्ट जिनके लिये भूमि कन्वर्ट करायी गयी थी, उनको अलाट किया गया। 2 पैसे प्रतिवर्ग गज के हिसाब से पट्टे बना लिये और दो तीन रुपये गज में सैल कर दिया। पंचायत को तो नुकसान हुआ ही, किन्तु जिस कार्य के लिये भूमि कन्वर्ट की गयी थी उस कार्य में वह नहीं ली गई। पट्टे बनाने के जो नियम हैं, नीलाम से ही किये जा सकते हैं और एस.डी.ओ. की स्वीकृति चाहिये वह भी नहीं ली गई है। उसकी स्वीकृति के बाद ही निर्माण कार्य किये जा सकते हैं। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया। न ही हरिजनों को जमीन दी गयी। राज्य सरकार ने आज तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है। इस जमीन पर बड़े बड़े निर्माण कार्य हुए हैं। शहरों के बीच की जमीन है और बड़े बड़े लोगों ने पट्टे लेकर निर्माण कार्य कर लिये हैं। पिछले सेशन में जब मैंने इस प्रश्न को रखा तो राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि निर्माण कार्य नहीं कराये जावेंगे। सरपंच ने जो भी उस पर आरोप हैं उनको स्वीकार किया है लेकिन सरकार ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत, आसोटा ने यह जमीन आबादी में प्रस्ताव के द्वारा कन्वर्ट करायी। बलाइयों और हरिजनों को आवंटित करने के लिये प्रस्ताव के द्वार इस भूमि का परिवर्तन कराया। सरसो अवेंटलो

(श्री परसराम मदेरणा)

जिस प्रकार का अलाटमेन्ट किया है, 27 प्लाट पंचायत ने बनाये । यह बात सही है कि 11 प्लाट सरपंच, उप सरपंच और पंचायत के सचिव ने स्वयं ने, सरपंच ने पत्नी और लड़के के नाम से, उप सरपंच ने पत्नी और पुत्र के नाम से और सचिव ने अपने पुत्र आदि के नाम अलाट कराये हैं ।

बाकी बचे जो 16 प्लाट्स हैं उनमें से 7 प्लाट्स या 12 प्लाट्स नान हरिजन्स को यानि सर्वण लोगों को दे दिये गये और चार प्लाट का अलाटमेन्ट हरिजनों के नाम किये गये हैं । यह बात सही है कि जिस तरह से भूमि का आबंटन किया गया है और जैसी की नीलामी की कार्यवाही की जाना बतलाया गया है उससे इस बात की आशंका नजर आती है कि वह नियमों के अनुसार नहीं है और माननीय सदस्य जैसी बात यहां पर कह रहे हैं वह सही है कि नीलामी की कार्यवाही करने के बाद तीन दिन के भीतर पंचायत को एस. डी. ओ. से परमीशन लेना चाहिये । वह परमीशन भी पंचायत द्वारा नहीं ली गई है और यह अनियमितता बरती गई है । इन सब मुद्दों के सम्बन्ध में एक बात तो यह है कि जो कनवरशन् आफ लैण्ड किया गया है उस पर एक व्यक्ति ने रिवीजन रेवेन्यु डिपार्टमेंट में कर रखा है । रेवेन्यु आफिसर द्वारा एग्रीकल्चर लेण्ड को आबादी में कनवरशन् किया जाता है । उसके साथ साथ माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा तो पंचायत डिपार्टमेंट ने भी क्योंकि सरपंच और उपसरपंच ने अनियमित कार्यवाही की है, उसके कारण डिस्प्लीनरी कार्यवाही पंचायत एक्ट की धारा 17 के तहत प्रारम्भ कर दी गई थी । प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट सरकार के पास हाल ही में आई है और वह सरकार के विचाराधीन है । इसके साथ ही साथ जिलाधीश को पंचायतों के नियम और जो सामान्य नियम हैं उसके उपनियम 274 के अन्तर्गत जब इस प्रकार का अलाटमेन्ट आबादी का किया जाता है तो ज्यूडिशियल प्रोसिडिंग्स् स्टार्ट कर के उनको नोटिस दे कर उसको केन्सिल करने का अधिकार कलेक्टर को है और वे कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्य को इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि भूमि का जिस परपज के लिये कनवरशन् कराया गया था उस परपज के लिये काम में नहीं ली है और इसलिये राज्य सरकार को जो प्रारम्भिक रिपोर्ट आई है उसके सम्बन्ध में आगे की स्थिति की जांच करने के बाद सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहता हूं । जहां इसके केन्शीलियेशन का सवाल है, एक तो अलाटमेन्ट का केन्सीलेशन और दूसरा कनवरशन् आफ लेन्ड के केन्सीलेशन की बात है तो ये दो सेपरेट मुद्दे हैं । कनवरशन् के सम्बन्ध में रिवीजन रेवेन्यु विभाग के सामने विचाराधीन हैं । और आबादी लेन्ड के प्लाट में जो अनियमितता अलाटमेन्ट में हुई है उसके केन्सीलेशन की कार्यवाही कलेक्टर के सामने विचाराधीन है और उन्होंने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है । इस सम्बन्ध में वह कार्यवाही करेंगे और सरपंच, उप सरपंच ने जो अपने पद का दुरुपयोग किया है उसके सम्बन्ध में पंचायत विभाग निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्यवाही करेगा ।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय अभी मंत्री महोदय ने जो यहां पर बताया है कि चार प्लाट्स हरिजनों को दिये गये हैं, वह गलत है। जांच रिपोर्ट आपके पास में आ गई है। उनको पट्टे जारी नहीं किये गये हैं। दूसरी बात यह है कि आप यह कह रहे हैं कि कलक्टर केन्सीलेशन की कार्यवाही कर रहा है और ज्यूडिशियल प्रोसिडिंग्स की कार्यवाही भी होगी। तो यह गलत है। पंचायत एक्ट में राज्य सरकार को यह अधिकार है, वह पंचायत की किसी भी आज्ञा या आदेश को एग्री नहीं करती है, तो निरस्त कर सकती है। आप यह मानते हैं कि अनियमितता वहां पर हुई है तो फिर उसको केन्सिल करने में आपको क्या दिक्कत है। सरपंच के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं यह आपने कहा है। किन्तु क्या एक्शन ले रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर आप सरपंच को सस्पेन्ड कर देते हैं और इतना गम्भीर आरोप है और आज तक सरपंच को आप सस्पेन्ड नहीं करते हैं। दूसरी बात आपने कही कि जांच कर रहे हैं। जांच एस. डी. ओ. ने वहां पर जाकर कर ली है। सरपंच से एग्री करवा कर सारा रेकार्ड आपके पास में भेज दिया है तो प्राईमरी जांच कौनसी हुई और कौनसी जांच बाकी है। सारी जांच होकर रिपोर्ट आपके पास में रखी है। सरपंच सहमत है तो फिर आपको कार्यवाही करने में क्या दिक्कत है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही जो नियमानुसार होती है वह तो करना ही पड़ेगी। जैसा कि प्रतीत होता है माननीय सदस्य नियमों से अनभिज्ञ हैं। जो रिपोर्ट आई है उसमें ओबलीगेटरी यह नियम होता है कि नियमों के अनुसार उसकी पूरी जांच हो। मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट है उस पर कार्यवाही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह सवाल उठाया कि जिलाधीश से कार्यवाही क्यों कराते हैं। और राज्य सरकार ही क्यों नहीं कार्यवाही करती है। आबादी जमीन के बारे में दो शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं। वह राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिये कलेक्टर के ऊपर कन्फर्म कर दी है। इस सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट कलक्टर है। इसलिये जो अनियमित कार्यवाही की गई है उस पर अन्तिम तौर से कार्यवाही कलक्टर के द्वारा की जायेगी। सस्पेन्शन का जो दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है उसके सम्बन्ध में मैं यहां कोई आश्वासन नहीं दे सकता। यह बात कह सकता हूं कि इस मामले में मैं खुद ही एक्शन ले रहा हूँ और जैसा, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पहले कहा था सख्त कार्यवाही की जायेगी जो अनियमित कार्यवाही की गई है उसके ऊपर।

अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार।

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री गृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11 करोड़ 73 लाख 29 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 11 मुख्य शीर्षक 22-कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 73 लाख 71 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्री जी, न्याय प्रशासन।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 10 मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1 करोड़ 10 लाख 31 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग सं. 12, 11 व 10 पर प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 12

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (प्रोसीक्यूशन ब्रांच को क्राइम एवं इन्वेस्टीगेशन ब्रांच से सम्पूर्णता से पृथक न करने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

2. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर के पुलिस थाने का नया भवन कस्बे के बाहर बनने से थाना वहां चला जायगा इससे जनता को होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस लाइन सवाई माधोपुर के सिपाहियों के क्वार्टर्स में बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थाना सवाई माधोपुर के सिपाहियों के क्वार्टर्स बिलकुल विक्षत हो जाने पर भी मरम्मत न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाकू उन्मूलन अभियान में सेवारत पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आर्मी पेंशनर्स के समान वेतन भत्ता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गुप्तचर विभाग को उपयोगी एवं सार्थक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

8. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भ्रष्टाचार-निरोधक विभाग द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने अथवा कम करने की असफलता पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करवा बोंली में गुण्डागर्दी बढ़ने तथा पुलिस द्वारा इसे रोके जाने की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

18. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर सब-जेल मौजूदा समय में कतई अपर्याप्त होने व उसमें जेलियों को आवश्यक सुविधा प्राप्त न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

11. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिविल जजी अथवा अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट जजी की दोनों अदालतें गंगापुर रखने तथा इनमें से एक भी सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर न रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय पालिका एवं कार्य पालिका के पृथक्कीकरण में राजस्व मामलों के अधिकार एस.डी.ओ. के पास रह जाने देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर की मुंसिफ कोर्टों में स्टाफ की कमी तथा नकल नवीस दोनों अदालतों का केवल एक होने से जनता की कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): 14. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील नैनवा के ग्राम करवर में पुलिस चौकी के स्थान पर पुलिस स्टेशन स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में आये दिन होने वाली चोरियों व डकैतियों पर पुलिस के मौन रहने पर चर्चा के लिए)।

16. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में लाखेरी व अरनेडा में हुई चोरियों का पुलिस द्वारा पता नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की पुलिस

Page No 54

(श्री नन्दलाल वैरवा)
में फैले भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम रोलाना व सावन भादों, तहसील सांगोद, जिला कोटा में हरिजन पुरुषों व महिलाओं के साथ मार पीट करने की रिपोर्ट थाना सांगोद में दर्ज नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 11

19. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22- कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में लम्बे कैदियों को विशेष प्रकार की सुविधायें दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 10

20. मांग संख्या 10 मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की अदालतों में कई वर्षों तक फैसले नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : 21. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की चोरियां व कत्लों व तस्करी रोकने के मामलों में असफलता पर विशेष रूप से भादरा तहसील में रासलाना के सरपंच, बताना के नायक तथा गांव महराल की एक औरत के कत्ल के मामलों में चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाक जासूस हमारी पश्चिमी सीमा पर आ जा रहे हैं उन्हें रोकने एवं पुलिस द्वारा कड़ी दृष्टि रखने पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान को अफीम, इलायची, गांजा, भांग, सुलफा, कपड़ा, सोना वगैरह सरे आम आ जा रहा है और उसे रोकने में पुलिस असमर्थ व असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले के कस्बा नाहर में बढ़ रही गुंडागर्दी को रोकने में पुलिस लम्बे समय से असमर्थ चली आ रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चोरी और कत्लों के मामलों में मुलजिमान को सजा दिलाने में पुलिस असमर्थ सिद्ध हुई है, इस पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री हंसराज आर्य)

रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में कितने ही लोगों के पास नाजायज हथियार हैं, उनको आज तक वहां की पुलिस पकड़ कर जब्त करने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 12 मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलों में जमा कराये गये हथियारों को, जो हजारों की कीमत के थे, कोड़ियों में बिना नीलामी के बेच दिया है, जिससे सरकार को लाखों रुपयों की हानि हुई है, इस पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले के गांव सारोठिया में हुए कत्ल के कातिलों को गिरफ्तार करने में पुलिस असफल रही है तथा कातिलों से हथियार भी बरामद करने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले के कस्बों तथा बड़े बड़े गांवों में आम आदमी सरे आम सड़कों पर शराब के नशे में मदहोश होकर फोश गालियां निकालते हैं तथा रात रात भर तक पुलिस के सामने रहते हैं फिर भी पुलिस उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने में असमर्थ है, इस पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले के तथा राजस्थान के अन्य स्थानों में भी पुलिस थानों में खुली रिश्वतखोरी चल रही है इस पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में गुन्डागर्दी बढ़ रही है, उसे रोकने में पुलिस सफल नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भादरा तहसील, जिला श्रीगंगानगर के गांव रासलाना के एक सरपंच की तथा कस्बा भादरा के पास एक नायक की कत्ल के कातिलों को लम्बे समय तक यानी आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है, इस पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में जगह जगह बिना ठेकों के सरे आम शराब बिक रही है, उसे रोकने में पुलिस असमर्थ है, इस पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में बराबर चोरियां हो रही हैं, उन चोरियों का अधिक संख्या में माल बरामद नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

Page No 56

(श्री हंसराज आर्य)

35. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेवारी को ठीक से नहीं निभा रहे हैं जिसके कारण चोरियां तथा अनियमितताएं बढ़ रही हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

36. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (नौजवान बन्दियों के लिए सरकार अनिवार्य शिक्षा लागू नहीं कर रही है तथा अच्छे आचरण के उन बंदियों को बाहर सरकारी कार्यों पर काम करने के लिए नहीं भेज रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

37. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागारों में कैदियों को साक्षर नहीं किया जा रहा है तथा उनको दस्तकारी में उनके 'परिश्रम का उन्हें उचित आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 12

38. श्री गंगासहाय (कठूमर) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के थानों के इंचार्जों द्वारा किये जाने वाले अन्यायों व भ्रष्टाचारों पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में अधिकारियों के तबादलों में बरते जाने वाले पक्षपात व अनुचित हस्तक्षेप के बाबत चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कान्स्टेबल्स को मिलने वाले केन्टीन अलाउन्स की दरों में रखी जाने वाली डिस्पेरिटी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले के इश्तिहारी मुल्जिमों की गिरफ्तारी में पुलिस की उदासीनता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोहिया कालेज, चूरू के प्रांगण में निहत्थे छात्रों पर पुलिस द्वारा किये गये अनुचित गोलीकाण्ड पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

43. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के सिपाहियों को समुचित वेतन व सहूलियतें नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

44. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस अधिकारियों की लापरवाही से बढ़ती हुई अराजकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

45. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में राज्य के सौतेले व्यवहार सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

46. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में अदालतों में वकीलों व फरीकेनों के लिये स्थानाभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

47. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

48. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कैदियों को कारावास के दिनों में स्वस्थ मनोवृत्ति की तरफ प्रेरणा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

49. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को न्याय शीघ्र व सस्ता मिलने की आवश्यतका पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

50. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थाना नोहर में नगरपालिका, नोहर के एक सदस्य के खिलाफ झूठा मुकद्मा दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति सूरतगढ़ के प्रधान के खिलाफ थाना सूरतगढ़ में दर्ज हुए मुकद्में का अभी तक चालान नहीं होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एक हजार रुपये के गबन के दर्ज हुए मामले का थाना द्वारा चालान पेश न करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (पुलिस हैड कांस्टेबलों की तारीख 20–2–1969 को बीकानेर में परीक्षा हुई थी उस परीक्षा का परिणाम

Page No 58

(श्री रामचन्द्र आर्य)
घोषित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 52, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संगरिया, भादरा गोली कांड के दोषी डी वाई. एस. पी. व दो थानेदारों का वहां से आज तक स्थानान्तरण न होने से जनता में व्याप्त रोष व आक्रोश पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर रेंज में सन् 1969 में हैड कांस्टेबलों की हुई परीक्षा के परिणाम आज तक घोषित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (संगरिया चूरू गोली कांड में दोषी पुलिस आफिसर्स आज भी उसी स्थान पर जनता को डरा-धमका रहे हैं व कानून व व्यवस्था को स्वयं राज्य सरकार बालाये ताक पर रखकर पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (20 मार्च, 1971 को सूरतगढ़ के पास एक राज्यमंत्री की कार से, जो कार कि स्वयं स्टेट मिनिस्टर चला रहे थे, एक बालक की घटना–स्थल पर मृत्यु हो जाने पर भी पुलिस ने तत्परता से काम नहीं लिया, इस पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में कृषि उपज मन्डी समिति के कार्यालय में समिति की बैठक के समय, 16 अप्रैल, 1971 को भीड़ ने हमला किया सदस्यों व सचिव के चोटें आईं, किन्तु आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, इस पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सूरतगढ़ के गांव ढानी जाखड़ा वाली में गुन्डों द्वारा एक काश्तकार के घर पर हमला किया गया व फायरिंग की गई और थाना पुलिस मन्डी पीलीबंगा के थानेदार द्वारा उल्टा रपटरेहिन्दा को ही गिरफ्तार किया गया, इस पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के गांव भैंसूरी में गुन्डों द्वारा रात भर फायरिंग की गई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पर भी सुनवाई नहीं हुई, इस पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने में राज्य सरकार की नीति असफल रही है इस पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100

Page No 59

(श्री रामचन्द्र आर्य)

रुपया कम कर दिया जाय (चक 39 आर. बी. के सरदार गुरु दयालसिंह एवम् एम. एल. ए. के विरुद्ध पुलिस झूठे मुकद्में बना कर उन्हें तंग करती है, इस पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में एक सकीना नाम की मुसलमानों की कुंवारी लड़की गायब है जिसका आज तक पता नहीं चला है, इस पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पूर्व विधायक श्री आनन्दसिंह के एक सम्बन्धी, पुलिस थाना पदमपुर के थानेदार द्वारा, विरोधी पार्टी के कार्य-कर्ताओं पर झूठे मुकद्में बनाये जाकर तंग किया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 12 मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थाना टीबी के थानेदार को वहां से हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के थाना नोहर के लगने वाले ग्रामों को थाना रावतसर लगा देने से भारी कठिनाइयां उपस्थित हो गई हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काफी साल पहले जनता से राइफल व 38 बोर रिवाल्वर जब्त किये गए थे जिनकी न तो आज तक कीमत दी गई है और न ही हथियार लौटाये गये हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानों में ऊंट सवार ऊंट नहीं रखते, फिजूल में ऊंटों का अलाऊंस देना पड़ता है, ऊंट के स्थान पर थानेदारों को जीप देने का प्रबंध किया जावे क्योंकि आज विज्ञान के युग में ऊंटों से काम नहीं लिया जा सकता, इस पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानेदारी पोस्ट तक के पुलिस अधिकारियों को अपने ही जिले में नहीं तैनात किया जावे क्योंकि इससे पक्षपात व घूसखोरी को बढ़ावा मिलता है, इस पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में मंत्रियों का सीधा हस्तक्षेप हो जाने से पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर सकती तथा कानून व व्यवस्था बनाये रखने में सरकार की नीति असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री रामचन्द्र आर्य)

रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम) सारोठिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में तारीख 19-2-71 को हुए हत्याकांड के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान कैनाल क्षेत्र तहसील अनूपगढ़ में भयंकर गुण्डागर्दी की जा रही है, गरीब हरीजन भूमिहीनों की फसलें लूटी जा रही हैं किन्तु वहां की पुलिस निश्चित हो चुकी है, इस पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले की पुलिस इन्सानों के कत्ल जैसे संगीन जरायम से सम्बन्धित मुस्लिमों की गिरफ्तारी में न केवल कासीर रही है बल्कि मुल्जिमों को संरक्षण देकर पापाचार में लिप्त है, इस पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार के नित्य प्रति किये जाने वाले अनुचित हस्तक्षेप से पुलिस का मोरल गिर रहा है, इससे राज्य में लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों के रिटायर होने के पश्चात् कई वर्षों तक उनके पेन्शन के मामले तय नहीं होते जैसे कि पुलिस निरीक्षक श्री सरदारा राम के सम्बन्ध में हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 11

76. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागार में कैदियों को अच्छा खाना नहीं दिया जाता और सुबह शाम चाय भी नहीं दी जाती तथा कैदियों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में पाखानों का पूरा इंतजाम नहीं होने के कारण भयंकर गन्दगी रहती है, इस पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल व्यवस्था सम्बन्धी सरकारी नीति एक दम असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागार अस्पतालों में पूरी दवाइयां नहीं मिलती हैं जिससे कैदियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, इस पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से

Page No 61

(श्री रामचन्द्र आर्य)

100 रुपया कर दिया जाय (जेल महकमें में अधिकतर जेल अधिकारियों के रिश्तेदार या उनके लड़के, भाई इत्यादि ही नौकरी पर हैं, इसकी जांच कराने तथा उनकी मोनोपोली समाप्त करने पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल में कैदियों को फार्म में भेजने की व्यवस्था में भारी पक्षपात किया जाता है वे नम्बर के हिसाब से नहीं भेजे जाते, रिश्वत द्वारा या कोशिश करने से फार्म में भेजे जाते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (जेल मेन्युअल पुराने समय से चल रहा है, आज पुरानी स्केल पर राशन देने से कैदियों का पेट नहीं भरता है, इस पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (दूसरे प्रांतों में साल में एक वार छुट्टी जाने का वहां प्रावधान है, वैसी ही व्यवस्था राजस्थान के कारागारों में करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में पाकिस्तान से आये हुए पागल व अन्वों को रोक रखा है, जिससे सरकार को भारी नुकसान हो रहा है, बीकानेर जेल में एक गूंगा पाकिस्तानी है जिसका नाम गूंगा पुत्र पाकिस्तान दर्ज है, इस पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में सुधार सम्बन्धी एक कमेटी काफी साल पहले गठित की गई थी जिसका उपयोग नहीं हुआ इस पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में मनोरंजन के लिये पूरे साधन नहीं होने से कैदियों को भारी परेशानी हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)

87. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में राइफल अलाउन्स व मेस अलाउन्स व ट्रेनिंग अलाउन्स दिया जाता है किन्तु जेल कर्मचारियों को ये भत्ते नहीं दिये जाते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल की गार्ड कर्मचारियों को ग्यारह घंटा काम पर रहना पड़ता है और उन्हें चतुर्थ श्रेणी का दर्जा देते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल बैरेक में गर्मी के दिनों में पंखे नहीं होने से कैदियों

Page No 62

(श्री रामचन्द्र आर्य)

को बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ती है. इस पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में स्नानागार नहीं होने से कैदियों को कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्षेत्रों में फ्लश लैट्रिन्स नहीं होने से भयंकर गन्दगी रहती है, इस पर चर्चा के लिए)।

92. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागार में मेडिकल सहूलियत हेतु, पुराने समय से जो बजट था वही आज होने से भारी परेशानी उठानी पड़ती है, इस हेतु दवाइयों का कोटा बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

93. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कैदियों के जेलों से पैरोल पर जाने हेतु जो अवधि रखी है वह बहुत कम है, इस पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 11 मुख्य शीषक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागार में कैदियों को एक माह में एक बार ही घर पर पत्र देने के जो आदेश हैं, इस विषयक चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल मैन्यूअल के मुताबिक कारागार में बन्दी से मिलने के सम्बन्ध में 2 माह में एक ही वार मिलने के जो आदेश हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में कैदियों के लिए चाय देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों के कार्यों की देख रेख के लिए जिला स्तर की कमेटी बनाई जावे जिसमें बहुमत जन प्रतिनिधियों का हो, इस पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की कारागार सुधार सम्बन्धी कार्यों की ओर कोई विशेष रुचि नहीं होने से जो वांछित सुधार होने चाहिए वे नहीं हो रहे हैं और कैदियों के कष्टों का निवारण नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

99. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23- के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय पुलिस कर्मचारियों के रिटायर होने के पश्चात् कई वर्षों तक उनके पेन्शन के मामले तय नहीं होते जैसे कि पुलिस निरीक्षक श्री सरदाराराम के सम्बन्ध में हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 10

100. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 23–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय । मुंसिफ कोर्ट भादरा में न्याय निर्णय जनता को शीघ्र प्राप्त नहीं होता जिससे जनता को बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है, इस पर चर्चा के लिये ।

101. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ज्युडिशियल व प्रशासनिक अदालतों के समय में अन्तर होने से जनता को भारी परेशानी होती है तथा जनता को सस्ता न्याय दिलाने में सरकार की नीति असफल रही हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

102. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21– न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में अनावश्यक पेशियां दी जाती हैं, जिससे न्याय बहुत महंगा मिलता हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 12

श्री शंकरलाल (जैतारण)-

103. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23– पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (लोक-सभा के मध्यावधि चुनावों के फलस्वरूप जैतारण तहसील में हुई घटनाओं की पुलिस द्वारा तफतीश किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

104. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23– पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पाली जिले के मगर तालाब थाने के अन्तर्गत गांव खींवाड़ा की भांबी जाति की एक लड़की को जबरन उठा कर ले जाने के मामले में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये) ।

105. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23– पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (गृह रक्षा दल को अधिक शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

106. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23– पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (गुप्तचर विभाग को अधिक उपयोगी एवं सक्रिय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

107. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23– पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (रायपुर व जैतारण तहसीलों (जिला पाली) में गत वर्ष हुई चोरियों का पता न लगा सकने के कारण जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

108. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23– पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों

(श्री शंकरलाल)

को लोकतान्त्रिक समाजवादी नीति के अनुसार आचरण करना आवश्यक है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

109. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (न्याय पालिका को कार्य पालिका से बिल्कुल पृथक करने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन)।

110. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (न्यायालयों में सस्ता और शीघ्र न्याय दिलाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में आवश्यक सभी कानूनी पुस्तकों की उपलब्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम)

112. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान में ट्रैफिक की खराब व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा):

113. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में नियुक्तियों आदि में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

114. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागार के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

115. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्री मनोहर सिंह मेहता (माडलगढ़):

116. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिजोलियां, काकोला तथा अन्य थानों में कत्लों का पता न लगना, दैनिक प्रशासन में सरकार का अनुचित हस्तक्षेप एवं विभाग में शराब खोरी पर रोक न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

117. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागार के

(श्री मनोहरसिंह)
ऊंचे चरित्र के कैदियों के लिये उपदेशक रखने, कारागार के कर्मचारियों में कोई शराबी व व्यसन वाला न रहे, इस बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

118. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय कैसे सुलभ हो, जल्दी कैसे मिले और कैसे सस्ता मिले, इस बारे में चर्चा के लिये)।

श्री जयनारायण खालोदिया (निवाई) :

मांग संख्या 12

119. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में अपराधों में हो रही बढ़ोतरी पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अप्रेल सन् 71 में टोंक, जिले के थाना वसनी पर ट्रक चालकों व सिपाहियों में झगड़े के विषय में चर्चा लिये)।

121. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में चोरियों की बरामदगी मुस्तैदी से नहीं हो रही है एवं बरामदगियां बहुत कम होती हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में नियुक्तियों, प्रमोशन्स व ट्रांसफर्स में व्याप्त भ्रष्टाचार व अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थाना चौमू के थानेदार द्वारा हरिजनों को परेशान करने व रिश्वत लेने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

126. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में सस्ता न्याय देने में सरकार नाकामयाब रही, इस पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में वर्षों से पड़े मामलों के शीघ्र निबटारे नहीं हो रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में बार बार पेशियां बदलने के कारण जनता की परेशानी बढ़ रही हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

129. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (नगर जिला टोंक का एक थानेदार को रिटायर होने के एक वर्ष बाद पुनः वापिस नगर थाने पर थानेदार नियुक्त करने पर चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

131. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस हवालात में रहने वाले मुल्जिमों को जेल में रहने वाले मुल्जिमों के समान खुराक नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों को लम्बे समय तक उनका टी.ए., डी.ए. आदि नहीं दिए जाने पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पुलिस अधिकारियों में चल रहे भ्रष्टाचार, दमन आदि पर चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण व पदोन्नति में चल रहे भ्रष्टाचार व नियमों के उल्लंघन आदि पर चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अन्ता के मदन लाल माली के हत्या काण्ड को पुलिस अधिकारियों द्वारा किन्हीं कारणों से दबाया जाना व गलत तरीके अपना कर अपराधियों की मदद करना इस सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खातोली थानेदार द्वारा नागरिकों पर किए जा रहे भ्रष्टाचार, दमन व फर्जी मुकदमों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा के किशनगंज में कुछ माह पूर्व डकैती व हत्या के मामले दवाये जाने एवं कैम्प लगाकर निर्दोष व्यक्तियों व पीड़ित महिला के साथ पुलिस द्वारा किया जा रहा दमन व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पुलिस द्वारा अन्ता के मदनलाल माली हत्याकाण्ड को भ्रष्टाचारी कारणों से दवाये जाने एवं मुल्जिमों को जुर्म से बचाने हेतु जांच अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में नीति का अननुमोदन)।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

139. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस हवालात में रहने वाले मुल्जिमों को दैनिक खुराक जेल के मुल्जिमों से कम दिए जाने पर चर्चा के लये)।

140. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के भीलवाड़ा, झुन्झुनू सीकर आदि विभिन्न जिला क्षेत्रों के थानेदारों द्वारा राजनैतिक दवाव में आकर राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमें बनाकर उनको परेशान किए जाने पर चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीसवाली (जिला कोटा) में पुलिस थाना कायम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 12 मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आर.ए.सी. जवानों में पदोन्नति के लिए हुए इलेक्शन में हुए पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां, उपजिला क्षेत्र के डाकूग्रस्त इलाकों में नियुक्त की गई आर.ए.सी. चौकियों में से कई चौकियों को तोड़ देने एवं उन्ही पहाड़ी चौकी को तोड़े जाने की कार्यवाही पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

144. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों से मुल्जिमों द्वारा जेल तोड़ कर भग जाने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कई जेलों में मुल्जिमों की हुई निर्मम हत्या आदि पर चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय। (केन्द्रीय कारागृह के आवास भवन का आई.जी.पी. जेल द्वारा दुरुपयोग करने एवं किराए की चोरी करने पर चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां सब जेल में मुल्जिमों की संख्या को देखते हुए वर्तमान जेल में स्थानाभाव व जनस्वास्थ्य व सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए सब जेल का नया भवन बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

148. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में मुकदमों में होने वाली देरी व न्याय सस्ता नहीं होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

149. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिपाहियों की उचित वेतन वृद्धि तथा उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति अथवा शिक्षा भत्ता दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 10

150. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को सस्ता न्याय मिले, इस विषयक शीघ्र व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 12

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

151. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानेदार लाडनूं द्वारा चोरी का माल बरामद नहीं करके चोरों से मिलकर मामलों को दबा देने पर चर्चा के लिए) ।

152. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानेदार लाडनू द्वारा थाने के सिपाहियों से निजी कार्य करवाने पर चर्चा के लिये) ।

153. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानेदार लाडनूं द्वारा शहर के गुण्डों व बदमाशों को संरक्षण देने तथा थाने में बुलाकर शराब पिलाकर गुण्डा-गर्दी करवाने के लिए प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

154. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानेदार लाडनूं के खिलाफ अब तक की गई शिकायतों की जांच नहीं करने तथा जिनकी जांच हो चुकी है उन पर कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

155. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानेदार लाडनूं द्वारा झूठे मुकदमें दर्ज करके लोगों से रकम ऐंठने पर चर्चा के लिये) ।

156. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानेदार लाडनूं द्वारा लाडनूं के शराब के ठेकेदार से माहवार बन्धी किश्तें लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

157. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानेदार लाडनूं द्वारा सटोरियों से माहवार बन्धी किश्त लेने पर चर्चा के लिये) ।

158. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थाना लाडनूं जिला नागोर, शराब खोरी व अन्य बद-

(श्री हरजीराम बुरडक)
माशियों का अड्डा बना हुआ है, इस पर चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भंवरसिंह, सरपंच आसोटा तहसील लाडनूं के एक सरपंच द्वारा फर्जी पट्टे बनाने के मामले में थानेदार लाडनूं द्वारा सरपंच से मिलकर सारा रेकार्ड फर्जी तैयार करवाकर सरपंच को बचाने पर चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानेदार लाडनूं को भ्रष्टाचार के दोष साबित हो जाने पर राज्य सेवा से हटाने के आदेश हो जाने के बाद भी आज तक सेवा में बने रहने पर चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील लाडनूं क्षेत्र से सम्बन्धित भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच किये हुये मामलों का चालान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (सी. आर. नं. 52 सन् 1970 थाना डीडवाना के केस में मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रीजनल जल प्रदाय योजना सम्बन्धित लाखों रुपये के गबन के मामले खुफिया विभाग के पास जांच किये हुए पड़े हैं, फिर भी चालान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ललासरी ग्राम सेवा सहकारी समिति के मंत्री के खिलाफ थाना बरड़वा, जिला नागौर, में दर्ज केस में चालान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (ललासरी, थाना बरड़वा, जिला नागौर में जनसंघ कार्यकर्ताओं की मारपीट किये गये मामले में पांच वर्ष से अधिक समय होने पर दर्ज मामले में चालान पेश नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिपाही आरक्षी मण्डल चूरू, नं. 495, के स्पेशल पेंशन केस में उप महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर की सिफारिश पर कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले में पुलिस थानेदारों के स्थानान्तरण व नियुक्तियों में सरकार द्वारा नाजायज हस्तक्षेप करने पर चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम बैमोट, थाना बरड़वा जिला नागौर, के कुओं से लाव—चरस चुराने के मामले में थानेदार बरड़वा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

169. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोक सभा के मध्यावधि चुनावों के समय जिला नागौर में हुई घटनाओं पर दर्ज किये गये मामलों में चालान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम ललासरी, थाना बरडवा के मामलों में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, डीडवाना द्वारा पुलिस के खिलाफ दिये गये रिमार्क पर कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चोरियां, डकैतियां एवं हत्याओं की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, उन पर नियंत्रण करने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं के सरकारी अनाज के गोदाम से अनाज के गायब होने के मामले में थाना लाडनूं में सरकार की तरफ से दर्ज सुदा मामले में कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

173. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जेल के कैदिओं को खुली कैद दुर्गापुरा भेजने में पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिए)।

174. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर आन्दोलन के समय राजनैतिक कैदियों को आवश्यक सुविधाएं नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक, 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में किये गये सुधारों का दुरुपयोग होने को रोकने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 10

176. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुन्सिफ न्यायालय, डीडवाना में बढाकर कार्य समय पर करवाने पर चर्चा के लिए)।

177. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में नकलें समय पर मिल सकें इसके लिए आवश्यक स्टाफ की कमी को दूर करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

178. श्री नाथूराम (बागीडोर) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में भूतपूर्व थानेदार गढ़ी की

Page No 71

(श्री नाथूराम)

जनता के साथ ज्यादतियों एवं दुर्व्यहार के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): 179. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग से से 100 रुपया कम कर दिया जाय (असनावर ग्राम के पुलिस स्टेशन भवन में 7 मार्च, 1971 को एक महिला के साथ बलात्कार किया गया, इस पर चर्चा के लिए)।

180. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम बड़ बड़ जिला) झालावाड़) में दिनांक 25 फरवरी, 1971 को ट्रकों के जुलुस में एक ट्रक के द्वारा 12 वर्षीय एक बच्चे को कुचल दिये जाने पर चालान न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

181. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस से अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड नगर में चोरियों की बरामदगी न किए जाने एवं पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

182. श्री लक्ष्मण तासीवाल (डग): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड जिले में पुलिस प्रशासन को अवैधानिक कार्यवाहियों एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

183. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में न्याय प्रशासन अधिकारियों व कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिऐ)।

184. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड में पुराने मुकद्दमों को निपटाने में उदासीनता पर व पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

185. श्री कल्याणमल (जहाजपुर): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की ज्यादतियों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 10

186. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 51—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जहाजपुर में मुन्सिफ कोर्ट स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

187. श्री पृथ्वीसिंह (बाली): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में कांच के फ्यूज बल्वों में हथगोले तैयार होने एवं नक्सलपन्थी गति विधियां तीव्र होने बाबत चर्चा के लिए)।

(श्री पृथ्वीसिंह)

188. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस से अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के नाडोल के जुनाखेड़ा से चोरी गई मूर्ति पुरातत्व विभाग से बरामद होने बाबत चर्चा के लिए)।

189. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के दादाई गांव में डकैती के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

190. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में चोरियों को वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 10

191. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को सस्ता न्याय उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता के बाबत चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली सब-डिवीजन के दीवानी एवं फौजदारी मुकद्दमों का सिरोही से पाली डि. कोर्ट में स्थानान्तर करने बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

193. श्री हीराभाई (कुशलगढ़): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की अनियमित कार्यवाहियों को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

194. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा नगर के थाना मकबरा में सरकार बनाम अब्दुल सलाम, रहयत नसीर मोहम्मद जुर्म दफा 502 ता. हि. के मामले में मुल्जिमों को बरी किया गया, इसका कारण तफतीश की खामियां हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा नगर के पुलिस स्टेशन गुमानपुरा क्षेत्र में बढ़ रहे आतंक व अपराधों पर चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा नगर में बढ़ रहे अपराधों की संख्या पर चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एन्टीकरप्शन विभाग कोटा, में चम्बल स्टोर कोटा के स्टोर में चोरी, गबन, अनुचित लाभ एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर द्वारा किए जाने की शिकायत पर, सुस्ती से जांच करने एवं मुकद्दमों का तुरन्त चालान न करने पर चर्चा के लिये)।

Page No 73

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

198. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में थानेदारों के तबादलों में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

199. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (अक्टूबर, 1969 से अब तक 150 थानेदारों के तबादलों में अनियमितताएं बरती गई है, इस पर चर्चा के लिये)।

200. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दो वर्ष के पूर्व ही बिना डी. आई. जी. की पूर्व स्वीकृति के तबादलों पर चर्चा के लिये)।

201. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कमकर दिया जाय (अनियमित व गैर ढंग से थानेदारों के अस्थाई पोस्टिंग पर चर्चा के लिये)।

202. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले के पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुचित ढंग से धन अर्जित कर कीमती मकान, कृषि भूमि मोटरों के परमिट आदि प्राप्त करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

203. मांग संख्या 11 मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सैन्ट्रल जेल, जयपुर, में हजारों के घोटाले व इन्सपेक्टर जनरल जेल की नियुक्ति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

204. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा नगर में स्थित अदालतों में अव्यवस्था व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

205. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में में 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले के खातोली व इटावा के मुकदमात की सुनवाई वापिस मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा करवाये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

206. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में अराष्ट्रीय तत्वों की गतिविधियों को रोकने में सरकार का पुलिस विभाग असफल रहा है, इस विषयक सरकार की नीति का अननुमोदन)।

207. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): मांग संख्या 12. मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ के सुनेल, पिड़ावा, भवानी मंडी, आवरजाजो पर राजनैतिक आधार पर पुलिस द्वारा जनता को परेशान करने बावत चर्चा के लिये)।

Page No 74

(श्री कुमारसिंह)

208. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थाना सुनैल के एस. एच. ओ. द्वारा पाऊ खेड़ी के कृषकों पर सड़क पर खेती करने पर झूंठा आरोप लगाकर राजनैतिक आधार पर परेशान करने पर चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामगंज मंडी सब-डिविजन पुलिस स्टेशनों पर स्थानीय व्यक्तियों को एस. एच. ओ. के पद पर लगाने के फलस्वरुप हो रहे पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23- पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्रकों के जुलूस से, झालावाड़ क्षेत्र के चुनाव के दरमियान एक व्यक्ति के "बडवड" गांव में कुचल कर मर जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने आदि पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

211. श्री विजयसिंह (मकराना) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गच्छीपुरा थाना द्वारा धान्दणवा सरपंच तहसील परवतसर, जिला नागौर को जबरन दूलाराम-रेखाराम के केस में फंसाने व सम्पूर्ण पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

212. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कैदियों के खाने-पीने, कपड़ों की व्यवस्था पर असावधानी बरतने व वहां चलाये गये लघु उद्योगों में भ्रष्टाचार होने एवं जेलों में मजबूत चीजें न पैदा कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

213. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों के अनुचित हस्तक्षेप के कारण न्याय प्रशासन भ्रष्ट होता जा रहा है एवं जनता बहुत त्रस्त है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

214. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले के सम्पूर्ण पुलिस प्रशासन, विशेषत: छबड़ा सब डिविजन में व्याप्त भ्रष्टाचार व अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 11

215. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां व छबड़ा सब जेल्स में कैदियों के साथ होने वाली नादिरशाही व अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

216. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य की जेलों में हो रही धांधली व फैले हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 10

217. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अटरू में कवड़ा मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों का हैड क्वार्टर रखने में सरकार की दलगत राजनीति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

218. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में स्वच्छ न्याय प्रशासन समाप्त प्रायः हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

219. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खंडार): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर व खण्डार में पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

220. श्री भालसिंह सोढा (जैसलमेर): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में चुनाव के समय अनियमित रूप से स्थानान्तरण और पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

221. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर स्थित कारागार किले से बाहर निर्मित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

222. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर व पोकरण के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बाबत चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

223. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नैनवा (गुजरा.) ग्राम की डकैती से मुसलमानों के नामों का पुलिस को पता पहने को काफी अर्सा हो जाने के उपरान्त भी उनकी गिरफ्तारी एवं माल बरामद करने में जैसलमेर पुलिस द्वारा लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये)।

224. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में बाड़मेर-जैसलमेर लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के बाद कुछ विशेष तत्वों द्वारा कांग्रेस समर्थक व्यक्तियों के कई ऊंट चुराये जाने और उनके बारे में जिला पुलिस द्वारा मुलजिमान के विरुद्ध ठोस कदम न उठाने से किसानों में तीव्र असंतोष है, इस पर चर्चा के लिए)।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

मांग संख्या 10

225. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन सस्ता एवं सुलभ बनाने पर चर्चा के लिये),

मांग संख्या 12

226. श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

227. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में आदिवासियों तथा हरिजनों को रिजर्वेशन के आधार पर नौकरियां नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

228. श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालोर) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अभी हाल ही में सब-इन्सपेक्टर्स की पुलिस विभाग में भर्ती हुई थी, उसमें हुई अनियमितताओं और पक्षपात के लिये)।

229. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा मामूली भोज पर भी अनावश्यक तंग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

230. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी क्षेत्र में हत्याएं हुई, जिन के सम्बन्ध में पुलिस की अकर्मण्यता के कारण अब तक कोई पता नहीं चल सका, इस पर चर्चा के लिये)।

231. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में चौकीदारी प्रथा खत्म होने के पश्चात् उनका बकाया वेतन न भुगताने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

232. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के चयन में परिगणित जाति के सदस्यों को कोटे के अनुसार न लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

233. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।)

मांग संख्या 10

234. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को सस्ता न्याय उपलब्ध कराने में राज्य

(श्री देवीलाल बुरासिया)
सरकार द्वारा उचित कदम न उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

235. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुन्सिफ कोर्ट के कर्मचारियों को, केकड़ी नगर निवासियों द्वारा बार बार शिकायत करने पर भी उनको वहीं पर रखा जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

236. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुन्सिफ कोर्टों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

237. श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालौर पुलिस द्वारा सराड़ा तहसील के बेगुनाहगार लोगों के साथ मार पीट करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

238. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सराड़ा तहसील की जनता को सस्ता न्याय दिलाने हेतु उप-जिलाधीश, सलूम्बर का कैम्प सराड़ा तहसील में कराने की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

239. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (विभाग द्वारा प्रमोशनों में हुए भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असफल नीति का अनुमोदन)।

240. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में एस. आइ. एस. के प्रमोशनो में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

241. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : 242. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23- पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर के पुलिस थानों के क्षेत्रों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

243. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खेजडियाली पुलिस आउट पोस्ट को स्थायी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

244. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23- पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग

Page No 78

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
की प्रोसीक्यूशन शाखा की अनुभवहीनता पर चर्चा के लिये) ।

245. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23- पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों में स्टाफ बढ़ाने एवं जीपें दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

246. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23- पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के उप-अधीक्षक के दफ्तर की स्थापना पर चर्चा के लिये) ।

247. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

248. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(निम्न पुलिस कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)। (क्रम:2)

249. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(जिला जालौर में बढ़ने वाले संगीन जुल्मों की रोकथाम के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

250. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर के न्यायालयों में नकलें देरी से मिलने पर एवं इस कठिनाई को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

251. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(अदालतों में मुकदमें फैसला होने में बेहद देरी होती है, इसके सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

252. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर में पिछले एक साल से अलहदा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न होने से जनता की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

253. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंहगी न्याय प्रशासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

254. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की रोक थाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

255. श्री आलम अली खां (फतेहपुर): मांग सख्या 12, मुख्य शीर्षक 23 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमजीवी तांगा, रिक्शा व मोटर चालकों के साथ नित्य प्र

(श्री आलम अली खां)
पुलिस द्वारा किये जाने वाले अमानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

256. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनैतिक हस्तक्षेप व अकर्मण्यता के कारण बढ़ते हुए जुर्मों की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

257. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में मंहगे, विलम्बकारी, दुर्लभ न्याय व न्याय प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

258. श्री अमोलाल यादव (बहरोड़): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शाहजहांपुर में पुलिस स्टेशन कायम करने में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

259. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सब-डिवीजन में सब जेल भवन बनाने की आवश्यकता पर तथा राज्य में जेल के कैदियों के स्वास्थ्य व खुराक पर उचित ध्यान देने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 10

260. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुलभ सस्ता तथा निष्पक्ष न्याय देने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर):
261. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थाना श्री माधोपुर में टेलीफोन नहीं होने से हो रही जनता को असुविधा पर चर्चा के लिये)।

262. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23- पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (पुलिस थाना श्री माधोपुर का मौजूदा भवन उपयुक्त नहीं होने व नया भवन बनाने पर चर्चा के लिये)।

263. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23- पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री माधोपुर तहसील में हो रही चोरियों को रोकने मे पुलिस असफल रही है अतएव विशेष पुलिस अधिकारी की वहां नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

264. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23- पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत दो सालों में थाना थोई, श्री माधोपुर, के

(श्री हरनालसिंह खर्रा)
इन्चार्ज का बार बार स्थानान्तरण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

265. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

266. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सब-जेल नीम का थाना का भवन सुविधाजनक नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

267. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21- न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री माधोपुर में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का कार्यालय खोलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : 268- मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले के चिड़ावा थाने के कस्बा सुलताना में पुलिस चौकी स्थापित करने के लिए व पिलानी थाने की नरहड़ पुलिस चौकी हटाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम):

मांग संख्या 12

269. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रि-मण्डल द्वारा पुलिस कर्मचारियों पर राजनैतिक दृष्टि से दबाव डाले जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

270. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (कारागार में कैदियों के स्वास्थ्य पर उचित ध्यान नं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

271. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (न्यायालयों में सरकारी अभिभाषक के पद पर एक न्यायाधीश की नियुक्ति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) :
272. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में होने वाली हत्याओं के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा गिरफ्तारियों में उदासीनता बरती जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

273. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर में होने वाली चोरियों का पता लगाने में पुलिस नाकामयाब रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

274. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चुरू जिले में चुनावों के दिनों में हुई राजनैतिक हत्याओं के सम्बन्ध में मुलजिमों को पुलिस अब तक पकड़ने में नाकामयाब रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 11

275. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कैदियों को शिक्षित करने हेतु अक्षर ज्ञान कराने व रोजगार के साधनों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

276. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कैदियों से श्रम लिया जाता है परन्तु उनकी आगे की जिन्दगी अच्छी बने इसके लिए उन्हें मजदूरी मिलनी चाहिए ताकि कारावास से निकलने पर अच्छे नागरिक बन सकें इस पर चर्चा के लिए)।

277. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार की कमी है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

राजवी श्री रूप सिंह (सरदार शहर):

278. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग से पेरोकारी शाखा ज्यूडिशियरी के आधीन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

279. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23- पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुकदमात की तफतीश में अनुचित देरी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

280. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23- पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

281. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरदारशहर तहसील के गांव मेहरी में एक कत्ल के मामले में पुलिस द्वारा मुलजिमान की गिरफ्तारी बाबत चर्चा के लिये)।

282. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सब इन्सपेक्टर व इन्सपेक्टर्स के गंगानगर डीविजन में तबादलों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

283. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21- न्याय प्रशासन के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय (न्याय पालिकाओं में कार्य करने वालों प्रोसिक्यूशन ब्रांच को पुलिस से अलग न करने की सरकार की नीति के बारे में नीति अननुमोदन।

(राजवी श्री रूपसिंह)

284. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21– न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय न्यायाधीशों के रहने की मकानात की हालत पर चर्चा के लिये ।

285. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21– न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय न्याय सस्ता एवं शीघ्र दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 12

286. मेजर फतेहसिंह (ब्यावर) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन की अयोग्यता और उसके द्वारा किये जा रहे अत्याचारों पर चर्चा के लिये)।

287. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23– पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, टाटगढ़ अजमेर के छात्रों के शांत प्रदर्शन पर तारीख 10-9-69 को पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, उसके बचाव में 16 माह पश्चात् छात्रों की हुई गिरफ्तारी पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 11

288. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय आदर्श कारागार, अजमेर, से कैदियों को न्यायालय ले जाने और वापिस लाने की व्यवस्था में पक्षपात बरतते हैं अर्थात् किसी के हथकड़ी व बेड़ी दोनो लगाई जाती हैं, इस पर चर्चा के लिये ।

289. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23– पुलिस के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कम कर दिया जाय (सिरेह्ड्योढ़ी बाजार, जयपुर में 7-3-67 को पुलिस द्वारा किये गए गोलीकान्ड की जांच कराने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

280. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23– पुलिस के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय बेरी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही नहीं करने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 10

291. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21– न्याय प्रशासम के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (कार्यपालिका एवं न्याय पालिका का पूर्णतः पृथक्करण नहीं करने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

292. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21– न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रीष्मकाल में न्यायालयों के समय परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

293. श्री रावतराम (छापर): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू में तारीख 19–2–71 को हुए हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री रावतराम)

294. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के लोगों को जानबूझ कर पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

295. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23– पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पुलिस थानों में दुर्व्यवस्था तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा जनसाधारण के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

296. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23– पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (सीकर व झुन्झुनू जिले के रहने वाले मीणों पर पुलिस द्वारा धारा 109 जा. फो. के झूठे केसेज बनाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

297. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23– पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (तहसील दौसा में खवा के पास बसे हुए सांसियों द्वारा चोरी आदि की वारदात करने से क्षेत्र में फैले आतंक व असंतोष को दूर किए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

298. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय में सिकन्दरा के चौराहे पर चोरी व झगड़े आदि की वारदात को रोकने के लिए पुलिस चौकी कायम किए जाने अथवा अन्य प्रकार का प्रबन्ध किए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

299. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (तहसील दौसा के कस्बे लावाण व आसपास के क्षेत्र में चोरियों के केसेज को रोकने के लिए पुनः लवाण में पुलिस चौकी स्थापित किए जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

300. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अदालतों में मुकदमों का जल्दी निवटारा किए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

301. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय की जनता को सुविधा देने के लिए एडीशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट तथा सहायक कलेक्टर व मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट स्थापित किए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

302. श्री मदनसिंह (सिरोही) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अंतर्गत इस मांग को घटा कर एक रुपया कर दिया जाय(पुलिस डिपार्टमेन्ट में व्याप्त भ्रष्टाचार के समाप्त करने सम्बन्धी राज्य सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)

303. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सीकर में पुलिस द्वारा भयंकर अनियमिततायें करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

304. श्री मेघराज (चूरू) : मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के

(श्री मेघराज)

अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (चूरू जिले में जरायम की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी पर पुलिस नियंत्रण के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

305. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के हिरासत के दौरान जेर हिरासत लोगों को नाकाफी खुराक व ओढ़ने बिछाने के परचेजात के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

306. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (न्याय विभाग में काम करने वाले शुतर सवारी को मिलने वाले सवारी भत्ते से शुतर का गुजारा न चलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

307. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्राप्ति हेतु न्यायालयों में उपस्थित होने वाले गवाहान की पेशियां बार 2 डाले जाने से उन्हें होने वाली असुविधाओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

308. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में पुलिस विभाग अपराधों को कम करने में असफल रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

309 मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार पुलिस के अधिकारियों के तबादलों व उनके कामों में सत्तारूढ़ दल के पदाधिकारियों का खुला दखल रोकने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

310. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार पुलिस स्टेशन पर एफ. आई. आर. दर्ज करने व तफतीश के कन्वेन्शनल तरीकों में नये टैनिक्स को अपनाने में असफल रही है, इस चर्चा के लिये)।

311. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन संघर्षों, विद्यार्थी, कर्मचारी और मजदूर आन्दोलनों में सरकार द्वारा कानून के दफा 107, 117 151 को गलत इस्तेमाल करने से जनता में व्यापक असंतोष है, इस पर चर्चा के लिये)।

312. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23– पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने व कम्पलसरी रिटायरमेंट के सिद्धान्त को अमल में लाने में असमर्थ रही है इस पर चर्चा के लिये)।

313. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार पुलिस विभाग में भर्ती व पदाधिकारियों के चयन में खिलाड़ियों को प्रिफेरेन्स देने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री केदारनाथ)

314. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार पुलिस खिलाड़ी कर्मचारियों को सुख सुविधायें उपलब्ध करवाने में समुचित व्यवस्था करने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

315. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार रेफरेशर्स कोर्स व अन्य उपायों द्वारा पुलिस कर्मचारियों व पदाधिकारियों के व्यवहार व दृष्टिकोण में वर्तमान हालात के अनुसार मौलिक परिवर्तन में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

316. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार चूरू गोलीकाण्ड के बारे में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को साया करने व उसको अमल में लाने में ढिलाई बरत रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

317. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर के अन्तर्गत ग्राम 19 (ओ) तहसील करनपुर में एक पशुपालक की पुत्री सकीना का माह अप्रेल, 1970 में पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपहरण किया गया। राज्य सरकार आज तक युवती के Where about, का पता लगाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

318. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22– कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार जेल में काम करने वालों एवं चौकीदारी के काम करने वालों के Duty hours कम करने व उनके वेतन में बढ़ोतरी करने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये।

319. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय राज्य सरकार जेलों में पानी, सफाई, बिजली व लैट्रिन्स आदि की समुचित व्यवस्था करने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

320. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय राज्य सरकार कैदियों को सुबह शाम चाय, जो कि भोजन का अनिवार्य अंग है, उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

321. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22– कारागार के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार कैदियों सम्बन्धी Parrol commission सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था में कोई तबदीली लाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

322. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22– कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार कैदियों के लिये समुचित इलाज की व्यवस्था करने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

323. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22– कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100

Page No 86

(श्री केसरीसिंह हाडा)

रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले की सब जेल में वन्दियों के निवास, खानपान की उचित व्यवस्था नहीं है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 10

324. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा): मांग संख्या 10 मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में मुकदमों का निर्णय शीघ्र व नहीं किये जाते एक साधारण से साधारण मामलों में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है, इस पर चर्चा के लिये) ।

325. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है क्योंकि···पैसे की कमी के कारण उच्चतम कोर्ट में जा नहीं पाता इस पर चर्चा के लिये) ।

226. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) : मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी खेरवाड़ा जिला उदयपुर में स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

327 श्री डूंगरराम राजोरिया (दौसा) : मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में जनता को न्याय सस्ता नहीं मिलता, इस पर चर्चा के लिये) ।

328. श्री सांभरमल वासोतिया (नवलगढ) : मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवलगढ़ में उपयुक्त न्यायालय भवन निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

329. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवलगढ में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट द्वारा सप्ताह में सिर्फ दो दिन न्यायालय में उपस्थित जनता को ठीक प्रकार से न्याय प्राप्त होने में असुविधा पर चर्चा के लिये) ।

330. श्री नाथूलाल करोल (जमवा रामगढ़) : मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 190 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालय द्वारा न्याय नियमों में आवश्यक विलम्ब किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

अनुदानों को मांगों पर विचार एवं पारण

श्री अध्यक्ष : मेजर फतेह सिंह ।

मेजर श्री फतहसिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, पुलिस और कारागार के सम्बन्ध में मेरे भी कटौती के प्रस्ताव हैं और इन प्रस्तावों के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इन दो विभागों की अयोग्यता और उसमें जो पक्षपात और भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमान्, सही बात तो यह है कि राज्य की पुलिस उसके नागरिकों की सुरक्षा और उसे नैतिक स्तर का दर्पण कही जाती है लेकिन इसके विपरीत हमारी

(मेजर श्री फतेसिंह)

पुलिस तो भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई है और इस पुलिस के अधिकारियों की अयोग्यता भी चरम सीमा तक पहुंच गई है। प्रशासन का लक्ष्य होता है कि भले आदमियों की रक्षा करें और दूषित कर्म करने वालों को दंड दे। लेकिन हमारी पुलिस इसके बिलकुल विपरीत कार्य कर रही है। इस पुलिस प्रशासन में भले आदमियों का जिन्दा रहना मुश्किल हो रहा है जबकि दूषित कर्म करने वालों को दंड भी नहीं दिया जाता है। मेरे विचार को व्यक्त करने के लिये मैं यहां पर कुछ उदाहरण देना उपयुक्त समझूंगा।

श्रीमन्, जवाजा पुलिस स्टेशन में एक गांव भूरियाखेड़ा कला है। वहां पर 29-4-69 को रात्रि को एक व्यक्ति अनासिंह नामक की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उसकी लाश को ले जाकर के दो फर्लांग दूर एक दरख्त पर टांक दी और वह 7 फीट ऊंची उसकी लाश टांगी गई। अन्त में जब नागरिकों को पता चला तो उसकी रिपोर्ट की गई पुलिस में और पुलिस ने इस मामले को जो दोषी व्यक्ति कहे जाते हैं उनसे मिल कर के तीन हजार रुपयों की रिश्वत खाकर के इस मामले को दबा दिया गया और यह कहा गया कि यह मामला आत्म हत्या का है। श्रीमन, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो अनासिंह नामक व्यक्ति की लाश मिली थी वहां जमीन पर उसके पांव टिके हुए थे और जहां कि रस्सी बांधी हुई थी वह जमीन से सात फीट ऊंची बंधी थी। जमीन पर पांव टिके हुए थे और पांव मुड़े हुए थे घुटने भी मुड़े हुये थे जिससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि क्या यह आत्म हत्या की बात हो सकती है। पुलिस में इसकी एफ. आई. आर. है। नागरिकों से जब मुझे जानकारी मिली और नागरिकों ने पत्र लिखे तो दुबारा एस. पी. को कह कर एडीशनल एस. पी को मौके पर ले गया लेकिन इसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर उस इलाके में उस गांव में पिछले चार वर्षों में चार व्यक्तियों की इसी तरह से हत्या हुई है।

दो को मार कर कुवें में डाल दिया गया और दो को मार कर दरख्त के लटका दिया गया लेकिन पुलिस ने इन चार मामलों में कुछ नहीं किया। इसका कारण यह था कि भ्रष्टाचार में पड़कर रिश्वत खा कर पुलिस ने दोषियों को नहीं पकड़ा और कोई कार्यवाही नहीं की। इसी तरह श्रीमान् मैं सदन का ध्यान एक और घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह तो आपको मालूम होगा कि पिछले अधिवेशन में मैंने इस बात को भी उठाया था, लेकिन बात गंभीर बन रही है अभी थोड़े समय पहले माननीय भैरोंसिंह जी ने एक बात उठाई थी कि जोधपुर में श्री गुमानमल लोढ़ा की जो घटना हुई थी क्योंकि उनकी भी दो साल बाद गिरफ्तारी हुई। इसी तरह की घटना है। 10-9-69 को टाडगढ़ के विद्यालय के विद्यार्थियों के शान्त प्रदर्शन पर पुलिस के दिवान ने गोली चलाई। मामला बड़ा भयंकर था। एस. पी. भी पहुंचे, मैं भी गया और ब्यावर के एस. डी. एम. भी गये। वहां पर हजारों आदमी इकट्ठा हो रहे थे और वे चाहते

(मेजर श्री फतेहसिंह)

थे कि कोई न कोई पुलिस वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाय नहीं तो वे कानून को अपने हाथ में लेने को तैयार है। मैं अच्छा नहीं समझता कि ला एन्ड आर्डर की स्थिति खराब हो। ऐडीशन एस. पी. एस. डी. ओ. मिस्टर सेठी उन्होंने भी मुझे कहा कि स्थिति को किसी प्रकार शान्त किया जाय। मैंने लोगों से कहा कि मैं तुमको न्याय दिलाऊंगा, आप उत्तेजना छोड़े। खैर, हैड कान्स्टेबल पर 307 का मुकदमा दायर किया गया और चार दिन बाद उनको नाम मात्र की गिरफतारी हुई और उनको मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उसको हथकड़ी नहीं लगाई गई और वहां के पुलिस इन्सपेक्टर ने उसको जमानत का विरोध भी नहीं किया और यह कह दिया कि इन्वेस्टीगेशन पूरा हो गया जब कि इन्वेस्टीगेशन प्रारम्भ भी नहीं हुआ था और 307 की एफ. आई. आर. दर्ज थी, 307 का अपराध था उसको जमानत पर छोड़ दिया गया। विद्यार्थियों के मामलों पर उस वक्त एस. पी. साहब ने कहा कि विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायगी लेकिन अभी जनवरी, 1971 में 16 महीने बाद उन विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया और उनको जेलखाने भेज दिया गया। उनके हथकड़ी ही नहीं लगाई गई लेकिन बेड़ियां भी लगा दी गई। दोनों घटनाओं को देखे कि 307 में तो गिरफ्तार नहीं किया गया—हथकड़ी नहीं लगाई गई और एकदम जमानत दे दी और उधर विद्यार्थियों को हथकड़ियां-बेड़ियां डालकर जेल में भेजा गया। तीन दिन बाद उनकी जमानत हुई। इस तरह के अत्याचार श्रीमन्, यह पुलिस कर रही है।

एक घटना और बताना चाहता हूं। घटना अक्टूबर 1970 की है। एक महाजन ने किसी किसान को उधार रुपया दिया था। किसान ने महाजन को खेत उधार रखा था लेकिन खेत का कब्जा काश्तकार के पास रहा। अब उस महाजन ने कब्जा लेने का प्रयास किया और उसने 107 की दरख्वास्त दी और थाना टाड में पहुंच कर काश्तकार को गिरफ्तार करवाया गया। 107 में और फिर उसको हथकड़ी डालकर टाडगढ़ ले जाया गया और श्रीमान रास्ते में उससे सौदेबाजी हुई और 50 रु. पुलिस वालों ने उससे ले लिया। 50 रु. लेकर हथकड़ी निकाल दी गई और फिर टाडगढ़ जाकर उससे 100 रु. और मांगे। उसके पास 100 रु. नहीं थे तो उसको हवालात में बन्द कर दिया फिर किसी प्रकार उसके रिश्तेदार ने 50 रु. दिये तो उसको हवालात से निकाल दिया। उस किसान को जब हवालात से निकाला तो दरख्वास्त दी एडीशनल एस. पी. ब्यावर को और एक प्रतिलिपि मुझे भी दी। मैंने उसकी कापी ऐडीशनल एस. पी., ब्यावर को दी लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं की है। मैं गृह मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा आपके कानून में हथकड़ी डाल देना, जेल में बन्द कर देना, पुलिस द्वारा अत्याचार करना क्या सब ठीक है जहां कोई मुकदमा नहीं है—किसी की अर्जी तक नहीं। साफ है पैसे खिलाकर उस साहूकार ने उसे गिरफ्तार करवाया और खेत पर कब्जा उस साहूकार ने ले लिया इसके ऊपर भी

(मेजर श्री फतेहसिंह)

पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए । जब मैं कह रहा था कि पुलिस प्रशासन में भले आदमी को जिन्दा रहना मुश्किल हो रहा है । श्रीमान मैं इस सम्बन्ध में अजमेर की माडल जेल का भी उदाहरण देता हूं····

श्री विजय सिंह : आपका मतलब है जो जिन्दा हैं वे भले आदमी नहीं है।

मेजर फतेहसिंह : कोई नहीं । आप सब समझते हैं जो मैं कह रहा हूं। श्रीमान अजमेर के कारागार से कैदी अन्डर ट्रायल जिसको न्यायालय में ले जाया जाता है रोजाना देखते हैं साधारण केसेज में 107 में, 109 में और 110 में या चोरी के मुकदमों में उन चोरों के हथकड़ियां लगी होती है, बेड़िया लगी होती हैं– कानून में इस प्रकार की व्यवस्था है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है लेकिन यह व्यवस्था सबके लिये एक होनी चाहिये। उसमें भी पक्षपात होता है। इसी तरह अजमेर की जेल में श्रीमान एक कैदी है–वह व्यक्ति अफीम का तस्कर व्यापार करता था । अजमेर जिले में उस पर कई मुकदमें चल रहे हैं । उसके अफीम वगैरह के केसेज ब्यावर में भी चलते है । वह जमानत पर रिहा था लेकिन वह जमानत से चम्पत होकर फरार हो गया । अदालत ने बहुत कोशिश की, नहीं पकड़ा गया । बम्बई में प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी उस पर एक मुकदमा चला, जमानत पर रिहा था ! अदालत ने फैसला दिया उसको तीन साल की सजा दी वापिस सजा भुगतने के लिये नहीं गया । उसके लिये वारन्ट आफ अरेस्ट निकला । राजस्थान की पुलिस के पास इत्तला आई, अजमेर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इत्तिला आई वह नहीं पकड़ा गया । उधर ब्यावर की अदालत में हाजिर नहीं हो रहा था । बम्बई और अजमेर की जेल द्वारा नहीं पकड़ा जा जा रहा था लेकिन वह एक आजाद नागरिक के तौर से घूम रहा था । यहां तक 1969 की फेमीन के दिनों में हमारे पाली केएडिशनल कलक्टर के साथ भी वह घूम रहा था जबकि उसका वारन्ट है, वह घूमता फिरता था । यही नहीं 26 दिसम्बर···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य नाम बता सकते हैं ।

मेजर श्री फतेहसिंह : मैं बताऊंगा, जब समय आयेगा तब बताऊंगा ।

श्री विजयसिंह : वह कोई मंत्री का आदमी होगा ।

श्री अध्यक्ष : आप तो ख्वामख्वाह किसी को····

मेजर श्री फतेहसिंह : श्रीमान् अगर मैं गलती नहीं करता तो 26 दिसम्बर, 1969 की बात है। उस व्यक्ति को आपकी अजमेर पुलिस भी पकड़ना चाहती थी, आपके बम्बई में भी उसकी जरूरत थी । जेलखाना भुगतने के लिये वह हाथ नहीं लग रहा था । लेकिन 26 दिसम्बर, 1969 की बात है कि राजस्थान के एक मंत्री का ब्यावर में दौरा हुआ था तो उसके साथ जीप में बैठकर वह देहातों में घूम रहा था । इतना ही नहीं उस आदमी की वहां पर आवश्यकता थी, राजस्थान में आवश्यकता थी, पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही थी । क्यों ? कारण यह है कि कई मंत्रियों से उसका मेल–मिलाप था । बम्बई की पुलिस उसको पकड़ना

(मेजर श्री फतेह सिंह)

चाहती थी, अजमेर का शासन उसको पकड़ना चाहता था, लेकिन वह जयपुर में मंत्रियों के यहां आया करता था और उनका महमान बन कर रहता था ।

श्रीमन्, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अन्त में वह पकड़ा कैसे गया ? मुझे जब यह मालूम हुआ तो मैंने अजमेर के क्लेक्टर को भी कहा, एस.डी.एम. को भी कहा, और एडिशनल एस.पी. को भी कहा । फिर हमने अपने कुछ आदमियों को मुकर्रर किया । उन्होंने हमें इत्तिला दी । हमने फिर एडिशनल एस.पी. को कहा मि. सक्सेना को जो कि एक ईमानदार व्यक्ति हैं और फिर उसको पकड़वाया । जेलखाने में कई ऐसे आदमी हैं जो कि 107 के मुकद्दमों के है, 109 के है, 110 के हैं जिनके तो हथकड़ी और बेड़ियां लगाते हैं, लेकिन उस आदमी को जेल में भेजा गया उसके हथकड़ी और बेड़ियां नहीं लगाई जातीं जब उसे न्यायालय ले जाते हैं क्योंकि एक मंत्री स्तर के आदमी का उसको संरक्षण था ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह जिस आदमी के लिए बात कर रहे है उसका पता बता दें ।

श्री फ़तेह सिंह : मैं बताऊंगा ।

श्री विजयसिंह : जेलों के अन्दर मथुरा दासजी माथुर तो लोगों से जाकर गले मिलते हैं।

मेजर श्री फतेह सिंह: मंत्रियों तक उसकी पहुंच है । यही नहीं वह आदमी ऐसा था कि जब मुख्यमंत्री महोदय ब्यावर आते थे और मजदूरों की सभा होती थी तो वह मंच पर बैठता था, लेकिन उसको नहीं पकड़ा जा सका । पकड़ा भी गया तो भी उसको फिर संरक्षण है । इसलिए, श्रीमन्, ऐसे आदमी की कई मुकद्दमों में जिसकी आवश्यकता है, तस्कर और अफीम के जिसके ऊपर मुकद्दमें चल रहे हैं और वहां पर उसके अजमेर जिले के एस.डी.एम. की कोर्ट में ब्यावर से लाया जाता है तो उसके कोई हथकड़ियां नहीं, बेड़ियां नहीं । क्या कारण है कि 107 के मुकद्दमे के लोगों के हथकड़ियां लगाते हैं, लेकिन उसके नहीं लगा सकते ? यह 6 दिसम्बर, 1970 की घटना है, श्रीमन् । मैं कोर्ट से मकान की ओर जा रहा था कि स्टेट बैंक के पास गया तो एक आदमी ने बड़ी तपाक से मेरी ओर हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए । मैंने हाथ मिलाया लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम रमजान के भाई हो तो उसने कहा कि नहीं मैं रमजान का भाई नहीं मैं खुद रमजान हूं । पुलिस उसके साथ थी लेकिन उसके हथकड़ियां नहीं थी, बेड़ियां नहीं थीं और कुछ नहीं था । उसके कहने का यह मतलब था कि मुझ को गिरफ्तार तो करवाया लेकिन मैं आजाद रह रहा हूं । इसलिए गृह मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह के लोग हैं जो कि खास तौर से डाकू है, लुटेरे हैं उनकी तो आप इस तरह मे इज्जत करते हैं । यह अच्छी बात नहीं हैं । श्रीमन्, हमारा ब्यावर की अदालत के बार रूम में बैठना मुश्किल हो जाता है । वहां के वकील कहते है कि मेजर साहब, आपके शासन में यह क्या हो रहा है। विरोधी पक्ष में होते हुए भी मैं अपने आपको इस शासन का एक अंग मानता हूं···

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बहुत सुन्दर ।

श्री फतेहसिंह : तो हमने उनको कहा कि इसके लिए कोई कार्यवाही की जायगी। फिर बाद में कलेक्टर साहब को कहा तो भी कभी पुलिस वाले उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कभी हथकड़ी डालते हुए ले जाते हैं। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे उदाहरण देने का यह मतलब है कि इस पुलिस प्रशासन में बड़ा पक्षपात है, बड़ा भ्रष्टाचार है, और इसमें बड़े अधिकारियों की अयोग्यता है।

यह जो मैंने तस्वीर पुलिस प्रशासन की खींची है वह उस चीज को प्रकट करने के लिए है जो मैंने एक दिन एक कहानी कही थी, श्रीमन्, वह आपके ध्यान में होगी। मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा। आज से दो-ढाई हजार वर्ष पहले चीन में····

श्री दामोदरलाल व्यास : रमजान तो आपने नाम बता दिया लेकिन वह किस मुकद्दमें में था उसके सारे डिटेल्स आपने नहीं बताये।

मेजर श्री फतेहसिंह : देअर इज ओनली वन मैन बाई नेम आफ रमजान इन अजमेर जेल।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कथा समाप्त कर दें।

मेजर श्री फतेहसिंह : कथा इस प्रकार है कि जैसे हमारे राजस्थान में पुलिस प्रशासन का अत्याचार है इसी तरह का का चीन में 2॥ हजार वर्ष पहले, तीन हजार वर्ष पहले अत्याचार हो रहा था तो वहां पर एक महात्मा और दार्शनिक कन्फ्यूशस थे जो जिस राज्य में रह रहे थे उसको छोड़ कर अपने डिसाइपल्स के साथ में जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल से निकल रहे थे तो एक घना जंगल था वहां पर एक औरत एक खुली कब्र के पास में बैठी हुई रो रही थी। उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही हो तो उसने कहा कि यहां पर मेरे पति के पिता यानी मेरे ससुर को टाइगर ने मार डाला जिसकी कि यहां पर कब्र है। उसके बाद मेरे पति को मार डाला और अब मेरे एक मात्र पुत्र को भी मार डाला जो कि इस कब्र में है। उन्होंने कहा कि वह इस जगह को छोड़ कर क्यों नहीं चली जाती, तो उसने कहा कि कम से कम इस जंगल के इस भाग में कोई जुल्म करने वाला शासक तो नहीं है। तो उस महात्मा ने कहा ठीक है कि जनता के लिए एक आतताई शासक तो नहीं है। तो उस महात्मा ने कहा ठीक है कि जनता के लिए एक आतताई शासक टाइगर से भी बदतर होता है। आज के इस प्रशासन के सम्बन्ध में वही हाल है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन। 10 मिनिट से अधिक नहीं होंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पहले से ही लिमिट।

श्री अध्यक्ष : पहले से ही बांध देता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22 व मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23 व मांग संख्या 10 मुख्य शीर्षक 21, न्याय प्रशासन, ये मैंने तीन कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। मैं इनके बारे में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

पहले पुलिस के बारे में मैंने एक स्पेसिफिक प्रस्ताव रखा है। इस स्पेसिफिक प्रस्ताव में नेनवा ग्राम जो कि गुजरात प्रान्त में है उसमें करीब दो लाख की डकैती हुई और वे डकैत अपने राजस्थान के जैसलमेर जिले के हैं। मुलजिमान का नाम भी पुलिस को पता लग गये। दो साल हुए उस डकैती को हुए लेकिन पुलिस के द्वारा किसी भी मुलजिम को अरैस्ट नहीं किया बरामदगी के बारे में यह जानकारी मुझे मिली है कि उन डकैतों से कुछ माल ले लिया गया है और यह कोशिश की जा रही है कि गुजरात पुलिस को कुछ माल दे दिया जाये और मुल्जिमान को किसी तरीके से अरेस्ट नहीं किया जाये। इस प्रकार से कम्प्रोमाइज की बात चल रही है। मेरा कहना है कि दो लाख रुपये की डकैती है और मुल्जिमानों के स्पष्ट नाम पुलिस को मालूम हो गये हैं और उनसे कुछ माल भी बरामद कर लिया गया है। कानूनी तरीके नहीं बल्कि माल किसी प्रकार से उनके पास पहुंच गया है। तो मेरा कहना है कि इस मामले को गृह मंत्रीजी अपने हाथ में लें और उन डकैतों को अरेस्ट करा कर, रिकवरी करके इस केस में सक्सेसफुल होने का प्रयास किया जाये। जब गुजरात प्रान्त की डकैती है तो अपनी राजस्थान गवर्नमेंट के लिए यह प्रेस्टिज का प्वाइण्ट है। एक प्रान्त में डकैती हो और हम सहयोग नहीं देते हैं। जब डकैती हुई तो गुजरात पुलिस ने पीछा किया। वह बाड़मेर जिले में होकर डकैत घुसे। बाडमेर पुलिस ने सक्रिय सहयोग नहीं दिया। जैसलमेर पुलिस ने सक्रिय सहयोग नहीं दिया। मुझे जानकारी है कि पुलिस निष्क्रिय है। मेरा तो यह भी कहना है कि जितनी भी जैसलमेर जिले में डकैतियां हुई हैं वह इन्हीं डकैतों ने की हैं। पुलिस ने उन मुल्जिमान डकैतों को अब भी गिरफ्तार नहीं किया है। ठीक है, जो डकैत मुकाबला होकर मारे गये हैं वह अलग बात है। परन्तु उनको गिरफ्तार करके मुकदमें चला कर किसी का कन्विक्शन नहीं करा रहे हैं। मैं बराबर देख रहा हूँ। मेरे जिले में डकैतियां हुई राजस्थान पुलिस ने एक भी डकैती का पता नहीं लगाया। बिल्कुल निष्क्रिय रही है। उनको आत्म-समर्पण जरूर करा देते हैं। और इण्ट्रेस्ट लेकर गवाहों को बदलवाया है। प्रेशर डलवाया है। नतीजा यह हुआ कि मुल्जिमान बरी हो गये हैं। इस प्रकार की कार्यवाही जरूर हुई है। वहां की पुलिस ने जैसलमेर के डकैतों को गिरफ्तार करके, उनका चालान करके, उनका कन्विक्शन कराया हो ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब मुल्जिमान मालूम हो गये हैं। वह मुल्जिम वही हैं जिन्होंने बार बार डकैतियां की हैं। उनमें एक तो ऐसा भी है, जिसने आत्म-समर्पण किया है। भीमाराम कांग्रेस कार्यकर्ता था, सांचोर कोआपरेटिव बैंक का अध्यक्ष था। उसका कातिल भी इन डकैतों की पार्टी में शामिल हो गया है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जैसलमेर पुलिस स्ट्रोंग नहीं है। पहले तो वे डकैत पाकिस्तान में चले जाते थे। अभी भी मेरी सूचना है कि वह पाकिस्तान में नहीं हैं। जैसलमेर में हैं। उन पर एक्शन लेकर रिकवरी करनी चाहिए।

Page No 93

श्री विजयसिंह : आपको यह पाकिस्तान की सूचना कैसे रहती है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: मेरे को मालूम है।

श्री अध्यक्ष : आप आरम्भ रखें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : पाकिस्तान भी जाते हैं। यह डकैत पहले पाकिस्तान भी गये हैं। यह डकैती करने के बाद पाकिस्तान भी गये हैं। इन्फार्मेशन मालूम हो जाती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : डकैतों के पाकिस्तान जाने की खबर आपको माननीय मकरानाजी से तो नहीं मिल रही है ?

श्री विजयसिंह : मकराना से बहुत से पाकिस्तान जाते हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : जनरली मैंने यह पाया है कि अधिकांश पुलिस में एक विशेष जाति के लोग भरे हुये हैं। डकैत भी एक विशेष जाति के लोग हैं। अगर कोई खास है तो वह सरेण्डर कराने की कोशिश जरूर करते हैं। पहले बलबानसिंह ने कत्ल किया है, उससे आत्म-समर्पण कराया है। बीयर मर्डर किया था।

श्री अध्यक्ष : और भी कट मोशन्स हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं गवर्नमेण्ट को कहना चाहता हूं कि यह प्रशासनिक गम्भीर मामला है। यह गम्भीर मसला है। इन डकैतों को गिरफ्तार करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि वहां जो एस. पी. है, वह जब तक जैसलमेर में रहेंगे, कभी भी मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उनकी गतिविधि की मुझे जानकारी है। वह अच्छी नहीं रही है।

श्री विजयसिंह : हो सकता है कि आप की गतिविधियों की जानकारी उनको हो।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मेरी गतिविधियां क्या हैं, वह सब जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : बहुत कुछ हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : इसलिये मैं चाहता हूं कि राजस्थान प्रान्त की प्रतिष्ठा के लिये इस केस के मुल्जिमान को गिरफ्तार कर सजा कराई जाये। तो बड़ा भारी असर पड़ेगा। दूसरे मैं कहना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के बारे में, वहां ऊंटों की चोरियां बहुत हो रही हैं। जिन गांवों में हो रही हैं, वह हैं, रतेऊ, बाटाड़ा, सवाऊ, में, चुरटिया, धुरड़ा इन गांवों में ऊंटों की चोरियां काफी हुई हैं। जैसलमेर क्षेत्र के लोग चोरियां करते हैं, राजमथाई क्षेत्र के लोग चोरियां करते हैं।

श्री बालसिंह सोढा : यह कैसे आपको मालूम है कि जैसलमेर के लोग चोरियां करते हैं। क्या बाड़मेर के लोग साहूकार हैं ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : बाड़मेर के लोग भी हैं। वह जैसलमेर के क्षेत्र में चोरियां करते हैं। लेकिन बाड़मेर में कुछ ऐसे तत्व हैं जो उनका समर्थन करते हैं। उनको सपोर्ट करते हैं। उनकी मदद से चोरियां करते हैं। इसी तरह से बहुत सी चोरियां हैं। कुछ चोरियों के बारे में रिपोर्ट दी गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि रिपोर्ट करने से लोग डरते हैं। वह समझते हैं कि रिपोर्ट करूंगा तो ऊंट नहीं मिलेगा। तो वह गांवों में जाकर पंचायत कर लेते हैं। 50% राशि दे देते हैं और ऊंट ले लेते हैं। कहीं 30% में कर लेते हैं। इस इलाके में यह ज्यादा बढ़ गया है। पहले अक्सर चोरियां होती थीं। इस साल अधिक तांता बन्ध गया

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

है। इसके बारे में गवर्नमेण्ट को स्ट्रोंग एक्शन लेना चाहिए। उनकी बरामदगी के बारे में पूरी कोशिश करनी चाहिए। तीसरे इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं, खास तौर से जो एन्टीकरप्शन विभाग है, उसे जो कार्य करना चाहिए वह नहीं करता है, यह बिल्कुल निष्क्रिय है। इसके बारे में जो रिपोर्ट आई है, उसमें कोई इम्पार्टेन्ट कार्य किया हो इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर डी. एस. पी. एन्टीकरप्शन का आफिस होना चाहिए। अभी जोधपुर में आफिस है, वहां हर एक केस के लिए जाना पड़ता है। अगर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर आफिस आ जाता है तो उसको केस का पता लग सकता है और अभी जो रेड हैन्डेड पकड़ने में दिक्कत महसूस होती है वह भी नहीं हो। मैं समझता हूँ कि यह कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि एन्टीकरप्शन के डी. एस. पी. का आफिस डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर स्थापित किया जाय। आज जो आफन्सेज होते हैं, इल्लिगल काम कराते हैं रिश्वत देकर, इसको चैक करने के लिए डी. एस. पी. एन्टी करप्शन हर मामले में सक्रिय होकर लोगों को पकड़े तो रिश्वत कम हो सकती है।

न्याय के बारे में मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है। न्याय सस्ता और सुलभ होना चाहिए–यह जो प्रस्ताव मैंने रखा है उसमें है कि न्याय आज बहुत महंगा है। अगर कोई भी कत्ल के मामले में फंस जाय तो उसको हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसमें उसका घर समाप्त हो जाता है, परिवार के ऊपर आर्थिक बोझा पड़ जाता है, उसके जीवन में आर्थिक स्थिति बुरी हो जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। वह इस लायक नहीं रहता है कि कोर्ट में अपने राइट के लिए फाइट करे। इस प्रकार की स्थिति होती है। किसान किसी फील्ड के झगड़े में फंस जाता है तो मैंने देखा है कि फील्ड की कीमत से दुगना उसको लगाना पड़ता है, फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती है...

श्री अध्यक्ष : सस्ता करने के लिए सुझाव दे दीजिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : न्याय सस्ता करने के लिए न्याय पंचायतों के बारे में निर्णय लिया था, वह सक्सेसफुल भी हो सकती थी, लेकिन न्याय पंचायतों के लिए जो फण्ड की व्यवस्था की, वह ग्राम पंचायत के ऊपर रखी। ग्राम पंचायत कोई फण्ड न्याय पंचायत को देती नहीं है। इसलिये यह डिफंक्ट पड़ी हुई है। यह कार्य कर सकतीं तो जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकता था, परन्तु इसके बारे में गवर्नमेंट बिल्कुल निष्क्रिय है। अगर वास्तव में आप न्याय पंचायतों को सफल करना चाहते हैं तो वह फण्ड के मामले में ग्राम पंचायतों पर निर्भर रहें–यह व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। जब कि आप मजिस्ट्रेट के लिए, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के लिए फण्ड की व्यवस्था करते हैं तो आपको न्याय पंचायतों के लिए भी फण्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर फण्ड की व्यवस्था आप करें तो न्याय पंचायत सस्ता और सुलभ न्याय दे सकती हैं और जनता को न्याय सुभीते से मिल सकता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

इसके साथ ही, सस्ता न्याय मिले–इसके लिए यह भी आवश्यक है, जैसा कि रूल्स में था, उसके अनुसार यह होना चाहिए, जैसे प्रासीक्यूशन साइड से गवर्नमेंट फाइट करती है, वैसे ही डिफेन्स के लिए भी कुछ केसेज में वकील मुकर्रर कर दें। यह तो इन्साफ की चीज है। प्रासीक्यूशन अपनी बात रखता है तो डिफेन्स साइड भी अपनी बात रख दे। इसलिए गवर्नमेंट डिफेन्स के लिए वकील मुकर्रर कर दे, वैसे गरीबों के लिए ऐसा प्राविजन है, लेकिन इसका फायदा किसी को नहीं मिलता है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए प्राविजन किया गया, लेकिन उनको इसका लाभ नहीं मिलता है। गवर्नमेंट भी इसके लिए ज्यादा इच्छुक नहीं है, इसलिए वह कोशिश नहीं करती है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग कुछ केसेज में फाइट कर सकते हैं, लेकिन जो वकील गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वह जनरली बिलो स्टेन्डर्ड का करती है, वह अच्छी तरह केस को लड़ नहीं सकता, फाइट नहीं कर सकता। इसके अलावा एक टेन्डेन्सी होती है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मामलों में, राज्य सरकार निकम्मे वकीलों की नियुक्ति करती है।

श्री अध्यक्ष : वकील भी निकम्मे होते हैं?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वकीलों में निकम्मे बहुत वकील हैं।

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, खास तौर पर बात यह है, अगर यह सत्तारूढ़ दल के लोग एडमिनिस्ट्रेशन में इन्टरफियर न करें तो ज्यादा न्याय सस्ता हो सकता है, लेकिन जो वकील हैं, वह यहां भी वकालत करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बहुत से डिस्ट्रिक्टस के अन्दर वकील मुकर्रर नहीं किये जाते हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ···

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मकराना से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आप यहां निकम्मे लोगों की पैरवी करते हैं·····

श्री विजयसिंह : यह नहीं कहा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिस कन्टेक्स्ट में कहा, वह आपको नहीं कहना चाहिए इस सदन में जो माननीय सदस्य हैं वह जनता के प्रतिनिधि हैं।

श्री विजयसिंह : आप प्रासीडिंग्स देख लीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बीच में इस तरह की बात करते है यह परिपाटी ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा प्रासीडिंग्स में आया है तो में उसको एक्सपंज कर दूंगा। आप अब समाप्त कर दें।

श्री विजयसिंह : ऐसा प्रासीडिंग्स में नहीं आया है, तो अध्यक्ष महोदय, इनके कान साफ कर दें।

श्री अध्यक्ष : वह मेरे हाथ में नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इस सदन के जो माननीय सदस्य हैं उनको जिम्मेदारी से बोलना चाहिए · ·

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : प्रश्न यह है, मैं कहां तक पैरवी करता हूं यह सदन के सदस्य जानते हैं।

श्री विजय सिंह : हाथी के दांत दिखाने के और होते है, खाने के और !

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इस सदन में भी विचार रखें, वह सत्य पर आधारित विचार रखें, ईमानदारी से रखें।

मैं यह चाहता हूं कि राज्य सरकार हर कोशिश करे कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जिन लोगों को केस फाइट करने पड़ते हैं उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए आप प्राविजन वकील का डिस्ट्रिक्ट में करें और वकील ऐसा मुकर्रर करें जो योग्य हों, जो पैरवी कर सकता हो। ऐसी व्यवस्था करें, साथ ही न्याय पंचायतों के लिए फण्ड की व्यवस्था करें। इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो न्याय सस्ता और सुलभ हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

मेजर श्री फतेह सिंह : मेरा भाषण अधूरा रह गया।

श्री अध्यक्ष : कैसे।

श्री अध्यक्ष : बीस बाईस मिनिट ले लिया, इतना समय अभी तक किसी ने नहीं लिया है।

मेजर श्री फतह सिंह : जल्दी घंटी बज गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस विभाग के सम्बन्ध में बहुत से मसले पेश करके सदन का वक्त जाया नहीं करना चाहूंगा, बल्कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा एक बात तो यह है कि सबसे पहले पुलिस विभाग के मिनिस्टर को हैड आफ डिपार्टमेंट और दूसरे सब अधिकारियों को बुला कर यह हिदायत करनी चाहिए कि वह अपनी विभाग का स्टेन्डर्ड मेन्टेन करें। डाके के मामले में, मर्डर के मामले में पुलिस के अधिकारी जानते हैं, यह बात गलत है, उसके बाद भी गलत आदमियों का चालान कर देते हैं। ऐसी बात नहीं हो, यदि ऐसे इम्पोर्टेन्ट केस होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति को फांसी होने का खतरा है। ऐसे मामले में जो सच्चाई सामने आये, उसको ही सामने रखें। मैं केस का नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन एक केस के बारे में मैं जानता हूं, जिसमें कुछ मुलजिमों को सजा हुई है, पांच छः को लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एक को फांसी। वह मामला बिल्कुल फर्जी बनाया हुआ है। मैं पर्सनली इस बात से परिचित हूं। मैं नाम इसलिये नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि उस केस में हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है। मैं अलवर स्टेट में वकालत करता था, उस समय के बारे में मैं जानता हूं, पुलिस आफिसर, सेशन जज और जजेज थे, वह मर्डर और डकैती के झूठे आदमियों का चालान नहीं करते थे। मैं जानता हूं, वह न कभी रिश्वत लेते थे, न मुलजिम को रिश्वत लेकर छोड़ते थे और न गलत आदमी को सजा देते थे। इसलिये यह कम से कम ऐसे मामले हैं जिनमें फांसी होने का डर है, इसलिए यह हिदायत दी जाय, खुदा के नाम पर, धर्म समझ कर ऐसे मामलों में गड़बड़ी न करें कि रिश्वत ले लें, रिश्वत लेकर गलत आदमी का चालान कर दिया जाय। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में तीन मर्डर के चालान हुए हैं, वह झूठे मुलजिम का हो गया। ईश्वर की मर्जी थी कि सेशन जज ने उसे बरी कर दिया, वरना उसको सजा हो जाती, जुर्माना हो जाता। इसलिये कहना यह है कि कुछ तो

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

इस डिपार्टमेंट को पब्लिक के सामने अपना स्टेन्डर्ड मेन्टेन करके बताना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इन्क्वायरी के अन्दर जो व्यक्ति हमारे सामने है, वह गलत आदमी हुआ तो गरीब को फांसी की सजा हो जायगी . . .

श्री बरकतुल्ला खां : दोनों गरीब हैं। इधर भी गरीब हैं, उधर भी गरीब हैं।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अभी एक दूसरा सुझाव मैं रखता हूं। जो खाली पुलिस विभाग के लिए नहीं सारे पोलिटिशियन्स के लिए हैं, उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं। पोलीटिशियन्स को एक मॉरल स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। ऐसे मामले जिनके लिए वे जानते हैं कि गलत हैं फिर भी पुलिस के मामलों में इन्टरफीयर करते हैं, पुलिस को प्रोटेक्शन देते हैं, गड़बड़ी होती, जो पुलिस अधिकारी गड़बड़ करने वाले हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलती है और पोलिटिशियन्स को मिलती है चाहे अपोजीशन से। कई मिसालें मेरे पास मौजूद हैं जिनमें प्रोटेक्शन की वजह से पुलिस अधिकारी ने जबरन जाकर इस तरह की कार्यवाही की है, उसको मैं गृहमंत्री के ध्यान पर लाया था। मेरे साथ मिलने वाला एक आदमी था उसके साथ ज्यादतियां की। मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता। मेरे पास कई मिसालें मौजूद हैं। हमारे यहां मेरी कान्सटीट्यूएन्सी में वैचारे कहीं बाहर गए हुए थे। पुलिस वालों ने उसको पकड लिया और उससे कहा तू इस मामले में शामिल है जब यह खबर अलवर पहुँची, मुझसे लोगों ने कहा गलत है। शिकायत लिखकर ले गए हमारे दो कम्युनिस्ट वर्कर्स हैं अलवर के, वे दोनों कोट पूतली पहुंचे तो उनसे पुलिस ने कहा देखो तुमने फलां आदमी से 500) लिए हैं वापस कर दो वरना बात ठीक नहीं होगी और उसने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा कम्युनिस्ट पार्टी अलवर के वर्कर्स हैं उस पर उन्होंने कहा अच्छी बात है। उसने कहा मैंने गड़बड़ी नहीं की है। तो डरसे वह लोग 500) लेकर पहुँचे। तब उन्होंने कहा कि हमारी कोई मन्शा नहीं थी कि इससे 500) वापस लिए जायं। यह सही बात है। तो ऐसी बातें सामने हों तो उनको अपोज करना चाहिए तो गड़बड़ी कम हो जाएगी।

अब तक मैंने किसी पुलिस अधिकारी के बारे में नहीं कहा है कि यह खराब है। मैंने कभी दामोदरलाल जी से नहीं कहा कि इस पुलिस अधिकारी को मेरे पास भेज दिया जाए। एक बात और कहना चाहता हूं कि पुलिस की गड़बड़ी का मूल कारण क्या है? जब कोई घटना होती है तो पुलिस को अख्तयार है कि किसी आदमी को गवाह बनाकर बयान दिलवा दें। पुलिस कोई बहाना ले लेती है और पुलिस के नाम से दुनियां डरती है इसलिए लोग पैसा पुलिस को देते हैं। एक मामले में 2-2, 4-4 घंटे वह चलते रहते हैं और किसी को भी बुला लिया और अपने पास बिठा लिया। एक ऐसे मामले में कम से कम एक लाख रुपया पुलिस ने ले लिया, वह मामला चलता रहा इस बात की हिदायत होनी चाहिए पुलिस को आप तहकीकात करें . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक लाख वाला कौनसा मामला है?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मैं कई मिसालें बता दूंगा। मैं सुझाव देता हूं कि पुलिस

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

अधिकारी चाहे इन्स्पेक्टर हो चाहे थानेदार हो, जहां तफतीश की बात हो, आप करें, वहां मौके पर जाएं, इन्वेस्टीगेशन करें, मुल्जमान हों उनको गिरफ्तार कर लें, कोई एतराज नहीं है. लेकिन गवाहान हों, मुल्जमान हों सबको कहे कोतवाली में आपको बुला रहे हैं, तो कोतवाली के नाम से वह पैसा दे देते हैं। मौके पर जुर्म साबित हो तो फिर आप कार्यवाही करें। लेकिन साबित भी न हो, कोई बात न हो, तो फिर किसी से कहदें कि तुमको थाने पर बुला रहे हैं, यह गलत है। इसलिये जो कुछ जांच की कार्यवाही हो, उस सम्बन्ध में मौके पर जांच होनी चाहिए और थाने पर बुलाने की जो बात है जब तक जरूरी न हो तब तक गवाहों को न बुलायें। मुल्जिमान की बात का सबूत हो तो उनको बुला लें, ऐसा न हो कि जबरदस्ती 5-7 आदमियों को बुला लिया। इससे रिश्वतखोरी का दरवाजा खुलता है और बंद करना है तो तफ्तीश का वर्तमान रास्ता बंद करना चाहिए।

एक मिसाल मैं एन्टीकरप्शन विभाग की देना चाहता हूं। एक बार एक तहसीलदार के खिलाफ शिकायत आई, एक आदमी आया कि वह रुपया मुझसे मांगता है। मैं उस आदमी को लेकर एन्टीकरप्शन विभाग में गया, दरख्वास्त पेश की, की इस तरह की बात है। ट्रेप की बात थी। एक बार वह गया तो सुनवाई नहीं की, दुबारा मैं परसनली खुद गया तो बहाना बना कर टाल दिया। मुझे ऐसा भी केस मालूम है पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं उस बारे में। अलवर में एक केस हुआ आबकारी विभाग का और ऐन्टीकरप्शन का। ठेकेदार ने रिश्वत दे दी। शिकायत हुई लेकिन उससे कोर्ट में बयान करवा दिया कि मैंने रिपोर्ट नहीं दी। दो आफिसर्स ने बयान कराया उस ठेकेदार से कि मेरी दी हुई रिपोर्ट नहीं है एन्टीकरप्शन में। तो आपका एन्टीकरप्शन विभाग रिश्वत रोकने के लिए है। लेकिन होता क्या है? हम किसी पुलिस अधिकारी ने किसी आफीसर की शिकायत करके उसको ट्रेप करना चाहते हैं लेकिन एन्टीकरप्शन वाले ऐसा करने से इन्कार कर देते हैं। यहां पर रिश्वत को एक आम रिवाज हो गया है। सब विभागों में है। एक कांग्रेस के एम. एल. ए. जो यहां बैठे हुए थे, कह रहे थे कि रिश्वत के बिना कागज हो आगे नहीं बढ़ते। सब समझते हैं कि बिना पैसा दिए शुरू काम नहीं होने वाला है। लेकिन कम से कम पुलिस विभाग ऐसा है जिसमें आदमी के मौत और जिंदगी का सवाल है। एक आदमी मेरे जिले में बेगुनाह 1। साल तक जेल में पड़ा रहा, औरत छोड़कर चली गई और खुद बरबाद हो गया। गत सेशन में भी यह बात हुई थी। बेगुनाह आदमी को सजा हो जाती है। तो इस तरह की बातों को आपको देखना चाहिए और इस संबंध में कुछ न कुछ करना चाहिए। मैंने आपके सामने थोड़ी सी बात पेश की है, गृहमंत्री इस पर गौर करें। सभी पुलिस अधिकारी ऐसे नहीं हैं, सबका एटीट्यूड ऐसा नहीं है, अच्छे आदमी भी हैं। उनके बारे में मैं जानता हूं, बहुत से अधिकारियों के बारे में शिकायत नहीं हैं, ईमानदार हैं। मैंने जनरल बात कही, उनको आप रोक सकते हैं और रोकने का प्रयास करना चाहिए

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
लेकिन यदि मंत्री महोदय कहें कि करप्शन है ही नहीं तो जांच कर लें, आपकी मर्जी की बात है···

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मंत्री) : मैं एक बात जानना चाहता हूं। आबकारी विभाग का जो ट्रेप हुआ उसके बयान बदलवाने में किसी एन्टीकरप्शन विभाग के अधिकारी का हाथ था ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : उस अधिकारी का तो नाम नहीं लूंगा। दूसरे दिन आफीसर्स यहां से गए आपके विभाग के और आबकारी विभाग के और ठेकेदार को बुलाकर बयान कराए कि डी. एस. पी. एन्टी-करप्शन जो ट्रेप करने गए थे उसकी मैंने रिपोर्ट नही दी थी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसका कोई इलाज नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस समय घटना हुई उस समय भी सदन में आपके नोटिस में यह मामला लाया गया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसलिए यह जानना चाहता था कि ओफिसर्स कौन थे ?

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस के सम्बन्ध में मैं अपने कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस में कुछ अच्छाइयां है और बुराइयां भी हैं। अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक बात के लिये राजस्थान की पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान जैसे प्रान्त में जो डकैतों से भरा हुआ था, गांवों में लोगों का बसना मुश्किल था, उन डकैतों को मारने में राजस्थान की पुलिस ने जो साहस का कार्य किया है उसके लिये राजस्थान की पुलिस को और राज्य सरकार को और खास तौर से राजस्थान के गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूँ कि आज राजस्थान का नागरिक, जब कि वह पहले डकैतों से घिरा हुआ था, आराम से सुख से, चैन से बस रहा है। सदन को पता है कि कितने खूंख्वार और भयंकर डकैत थे और उस समय राजस्थान की क्या हालत थी। जहां तक डकैतों का प्रश्न है उसके लिये पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

लेकिन अध्यक्षजी, पुलिस के नीचे के स्तर पर काफी अनियमिततायें हैं और कई प्रकार की गड़बड़ियें हैं।

श्री विजय सिंह : प्रधान डकैतों में शामिल नहीं हैं। डकैती के काम के मामले में आप जिनको संरक्षण देते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय, पुलिस में नीचे के स्तर पर अनियमिततायें चलती हैं। अध्यक्षजी, आपने और हमने अखबारों में पढ़ा है जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, यहां के शेखावाटी होटल में लाखों का तस्करी माल पकड़ा गया। राजस्थान की राजधानी में पुलिस का केन्द्र होते हुए भी लाखों रुपयों का माल पकड़ा जा सकता

(श्री हंसराज आर्य)

है तो गांवों में क्या होता होगा आप अन्दाज लगा सकते हैं। हनुमानगढ़ और चूरू में तस्करी माल पकड़ा गया। इसकी सूचना हिन्दुस्तान के जिम्मेदार पत्रों में निकली है पाकिस्तान का बोर्डर जैसलमेर एरिया में ऊंटों पर सैंकड़ों किलो सोना पकड़ा गया, नवभारत टाइम्स में यह निकला है, जिम्मेदार अखबारों में यह निकला है। जहां तक तस्कर व्योपार का सवाल है राजस्थान में यह भयंकर रूप से चल रहा है, पुलिस इस मामले में निष्क्रिय है। यदि पुलिस कोशिश करे तो तस्करी लोग पकड़े जा सकते हैं। पाकिस्तान से ऐसे लोग आते हैं जो हमारे यहां पर तस्करी करते हैं। इस प्रकार राजस्थान में तस्कर व्योपार बढ़ रहा है और अनियमिततायें बढ़ रही हैं इसको जल्दी से जल्दी रोका जाना चाहिये नहीं तो यह भयंकर रूप धारण कर सकते हैं।

अध्यक्षजी, गंगानगर का जिला वैसे ही बदनाम है, गंगानगर के लोगों के पास इतने नाजायज हथियार हैं कि अगर उनकी तलाशी ली जाय तो हजारों की तादाद में नाजायज हथियार बरामद हो सकते हैं। ऐसे हथियारों को तुरन्त पकड़ा जाना चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : सो सौ रुपये पंजाब के लोगों से लेकर लाइसेन्स दिये हैं उनको क्या पकड़ेंगे ये? सैंकड़ों लोगों को दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज्। आप कृपया बैठिये।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्षजी, इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि गंगानगर में शराब काफी पी जाती है। जायज और नाजायज शराब काफी मात्रा में पी जाती है। लेकिन नाजायज शराब सरे आम बाजारों में बैठकें और अड्डो पर पी जाती है। इसको रोकने में सरकार और खास तौर से पुलिस अब तक असफल रही है। राज्य सरकार से और सरकार के खास तौर से गृह मन्त्रीजी से निवेदन है कि आप यदि सजग रहें तो नाजायज तौर से इन अड्डों और सरे आम पी जाने वाली शराब को रोक सकते हैं और आपको रोकना चाहिये, नहीं तो शराब के नशे में न मालूम क्या क्या अत्याचार करेंगे। कतलें भी होंगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो ठेके लगा रखे हैं वहां पीने से नशा नहीं होता है क्या? गंगानगर जिले में मोटर स्टेन्डों पर बाकायदा ठेके लगे हुए हैं वहा पर बैठ कर शराब पीने से क्या नशा नहीं आता है क्या ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज्।

श्री मनोहरसिंह मेहता : नाजायज ही व्यक्ति सरे आम पीते हैं और जायज भी सरे आम पीते हैं। नाजायज और जायज दोनों खराब हैं।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्षजी नाजायज हथियार लोगों के पास में बहुत है। आम तौर पर सब ही जिले में हैं। इन हथियारों को जिस प्रकार से बेचा खरीदा गया है वह भी एक सनसनी खेज विषय है। मैं सरकार

(श्री हंसराज आर्य)
से खास तौर से गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि हजारों की संख्या में ऐसे हथियार हैं जो सरकार के पास में जमा हैं, यदि उनको बाजार में खरीदा जाय अथवा मंगाया जाय तो तीन तीन चार चार हजार रुपये में एक एक हथियार आवेगा उनको कौडियों में स्टोरों से बेचा गया है। कीमत पचास पचास रुपये सौ सौ रुपये में उनको बेचा गया है। इसकी जांच कराई जानी चाहिये, नहीं तो सारे के सारे हथियार चले जावेंगे। सरकार के हजारों रुपयों का नुकसान हो, रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य, किसने बेचे हैं ये हथियार ?

श्री हंसराज आर्य : जनता के जब्तशुदा हुए हथियार हैं क्योंकि जिलों में पुलिस के पास जमा रहते हैं उनको बेचा गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो इन हथियारों के मालिक थे उनको एक पैसा नहीं दिया। मालिकों का तो नुकसान हुआ लेकिन कौड़ियों में दूसरे लोग हथियार ले गये। मालिकों को एक पैसा नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या किसी सरकारी महकमे से हथियार बेचे गये हैं !

श्री रामचन्द्र आर्य : हां।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। पुरानी बात तो हो चुकी। अब नई बात बता रहे हैं क्या ?

श्री रामचन्द्र आर्य : जो अधिकारियों को दिये गये हैं वे हथियार हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : पंजाब के लिए कह रहे थे ?

श्री रामचन्द्र आर्य : हां।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष जी गंगानगर एरिया में चोरियां होती हैं, कत्ल होते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि 70 परसेंट चोरियों का माल बरामद नहीं होता है और कहीं बरामद हुआ तो मालिक के पास माल नहीं पहुंचता है और बीच में ही वह गायब हो जाता है। यही हाल कत्ल का भी है। मरडर्स को पकड़ा नहीं जाता है। इसलिये बढ़ते हुए कत्ल और चोरियों को रोका जाना चाहिये। चार वर्ष पहले गंगानगर में कत्ल हुआ, हनुमान गेट में कत्ल हुआ उसका पता नहीं लगा। रासराना में 4 वर्ष पहले सरपंच का कत्ल हुआ। कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। भादरा शहर के पास सरे ग्राम रास्ते पर जनाना के एक धानके का कत्ल किया गया, चार वर्ष हो गये, सदन में प्रश्न भी यहां पर इस विषय में पूछे और बार बार निवेदन किया लेकिन आज तक इन तीनों कत्लों में से एक कत्ल के भी कातिल को गिरफ्तार नहीं किया। इससे बढ़कर पुलिस की सुस्ती और नहीं हो सकती है।

कुछ कातिलों को पकड़ा गया। कुछ दिन पूर्व मध्यावधि चुनाव हुए। चूरू जिले में सारठिया ग्राम में कत्लें हुई, हथियार बरामद हुए। उन कत्लों में तीन चार

(श्री हंसराज आर्य)

कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया । ये जो अनियमिततायें हैं उनके लिये खास तौर से गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान देंगे और खास तौर से गंगानगर इलाके की ओर ध्यान दें नहीं तो आगे जाकर एक सिर दर्द पैदा हो जावेगा ।

नौहर की एक मिसाल है। कुछ दिनों पहले थाने पर पथराव हुआ, एस. डी. ओ. कोर्ट पर पथराव हुआ, गौशाला पर पथराव हुआ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मंडी कमेटी में एस. डी. ओ., सी. ओ. आदि सब मौजूद थे, गालियां निकाली आज तक उस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

अध्यक्ष महोदय, समय का अभाव है इसलिये इतना ही निवेदन किया है। इस प्रकार की जो अनियमिततायें हैं, खास तौर से गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इनको रोका जाय अन्यथा हालत खराब हो जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरी सिंह हाड़ा।

श्री केसरीसिंह हाडा (हिण्डोली) : सर, आई डोन्ट वान्ट टू मूव ।

श्री अध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कट मोशन पुलिस के बारे में दिया है। रजिस्ट्रेशन आफ केसेज के बारे में निवेदन करूंगा। बार बार इस विषय में निवेदन किया, बार बार गृह मन्त्री जी को शिकायत की, रजिस्ट्रेशन में ढिलाई बरती जाती है, व्यक्ति मर जाते है। कातिल ने हमला किया है, तब भी केस रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। विशेष तौर से औरतों के लिए निवेदन करूंगा कि तफतीश के लिये औरतों को बुला सकते हैं, पुलिस को पूरा अधिकार है । भारत की परम्परा रही है और विशेष कर राजस्थान कि राजस्थान पर्दे में है यहां की औरत, उसको देखते हुए यदि पुलिस को शक हो कि उसने कातिलाना हमला किया हो, पति को मारा हो, घातक हमला किया हो तो उसको बंद करके महिला सदन में भेज देते है । लेकिन सदन में भेजने से वहां के अधिकारी महिला है, चपरासी वगैरा चार पांच रुपया देकर मिल लेते हैं । यदि महिला के विचारों को परिवर्तित करने के लिए उसको अलग रखते हैं तो पुलिस का महिला सदन में पूरा इन्तजाम होना चाहिए । जिससे कि सम्बन्धित औरतों को दुबारा बात करने का उनसे मौका मिलता है, वह न मिले। ऐसे ही एक केस की एप्लीकेशन मेरे पास में आई है।

अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ में एक गरीब व्यक्ति है। वह एक गरीब साधू है। उसने एस.पी. अजमेर को और उससे सम्बन्धित अधिकारियों को यह दरख्वास्त लिख कर दी है कि उन्हें कुए से पानी नहीं भरने दिया जाता है। उस एप्लीकेशन के साइट पर पुलिस भी गई और यह आंखों से देखा कि एक वर्ग उन्हें पानी नहीं भरने देता है। दुबारा साइट देखने के बाद एस.पी. से भी मिले लेकिन एक बार उस कुए से पानी दिया गया और आज तक उसके बच्चे पानी के लिये त्राहि त्राहि कर रहे हैं और लोगों

(श्री भगवानदास शास्त्री)

ने उसके बच्चों को इतना पीटा कि उनके सिर के बाल भी हाथ में आ गये। यह घटना है 23-4-71 की अनुसूचित जाति और जन जाति के बारे में आप घोषणा करते हैं कि इतने पर परसेन्टेज के अनुसार उनको नौकरी में रखेंगे और उधर उनको पेयजल से वंचित किया जा रहा है। इस घोषणा के साथ क्या आप अनुसूचित जाति और जनजाति की तरक्की कर सकते हैं।

एक विशेष बात और कहना चाहता हूं और जिन्हें दुख और संकट उठाना पड़ता वह है हिस्टरी शीटर। आपकी स्थानीय हिस्टरी शीटर का रेकार्ड रखा है। और एक ऐसा एरिया बना रखा है मानों उसके जोनल आफिसेज हों या जोनल सिस्टम हो। आपको कोई भी गलत केस बनाना हो उस हिस्टरी शीटर को आपने बुक करा रखा है। कोई भी गलत काम कराना हो तो उसके उपर छोड़ देते हैं।

अच्छे से अच्छे मकान के अन्दर शराब की दुकानें हैं और रात के बारह बजे साढ़े बारह बजे तक शराब पीकर गाली गलोज करते है और सिनेमा से लौटती हुई औरतों को ये लोग छेड़ते हैं। अजमेर में तो ये रोज की बातें हो गई है। ज्यादातर ये घटनाएं होटलों के अन्दर होती हैं। इनमें गुण्डे और कातिलाना हमला करने वाले विशेष कर होते हैं। ये विशेष कर होटलों पर रहते हैं। यदि आप जनता को इनसे छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो ये होटलें ही इनका सीमित साधन है। मेरा मतलब साफ है कि जो शाप एक्ट है या जो पुलिस की व्यवस्था है, कम से कम अजमेर शहर में तो आप यह कर दीजिये कि रात के ग्यारह और साढ़े ग्यारह के बाद कोई भी दुकान, होटल नहीं खुली रखी जाये।

दूसरी बात में बच्चों के किडनैप के बारे में कहना चाहता हूं। इस बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भी दिया था। आज अजमेर की जनता इससे ज्यादा पीड़ित है। एक को तो लोगों ने पकड़ा है और एक को पकड़ते हुए देखा है लोगों ने अजमेर शहर के अन्दर जो वहां पर गुलाब बाड़ी है वहां पर रखा है उनसे बच्चों को। यह जुर्म नान बेलेबल है तो भी उनके नेताओं के द्वारा बराबर टेलिफोन आने पर जमानत कर दी गई। ये छोटी छोटी उम्र के है। करीब 18 से लेकर :26 वर्ष तक के है। आप देखिये यह तो प्रारम्भिक स्टेज है। उसके बाद ये बच्चे आगे जाकर डाकू बन सकते हैं। पांच, दस हजार रुपया तो ये चिट्ठियां लिख कर ले लेते हैं। जब इस उम्र में यह हाल है तो आगे जाकर इसी तरह से बड़ी गैंग के साथ या अन्तर्राष्ट्रीय गैंग के साथ जैसी यू. पी. की गैंग है उसके साथ मिल जायें तो हमारे राजस्थान के बच्चों का जीवन सुरक्षित नहीं रह सकेगा। अजमेर की लोको वर्कशाप के जो कर्मचारी हैं, उनका एक डेपूटेशन मेरे पास में आया था कि हमारे बच्चों का जीवन अजमेर में सुरक्षित नहीं है। हम यहां नहीं रहेंगे या फिर काम पर आना बन्द कर देंगे। यह जो विभाजन होता है उसमें परिवार इधर के उधर आते जाते हैं। एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं। उनकी जो प्यारी वस्तु है वह है सन्तान। अगर उनके बच्चों को उड़ाया जाये तो उनके माता पिता की क्या हालत होगी। इसलिये मैं आपकी मार्फत निवेदन करना

(श्री भगवानदास शास्त्री)

चाहता हूं कि मंत्री महोदय पुलिस विभाग को कड़ी से कड़ी इन्सट्रक्शन दें कि वह इस प्रकार के गिरोह को रोके और सख्त से सख्त कार्यवाही करके उनको दंडित किया जाना चाहिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह जानना चाहता हूं कि बच्चों को जो किडनेप करते हैं उनको अदालत ने छोड़ा है, जमानत पर या पुलिस ने ।

श्री भगवानदास शास्त्री : जमानत हुई है और जमानत पर जाते हैं। परन्तु माननीय एस.पी. शहर में नहीं थे और एस.पी. पिलानिया की अनुपस्थिति में उनको मौका मिल गया। आप तो खुद जानते हैं इस स्थिति के बारे में ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका यह मतलब है कि उस जमानत का विरोध पुलिस ने नहीं किया। जमानत के पक्ष में किया या नहीं ।

श्री भगवानदास शास्त्री : एस.पी. की अनुपस्थिति में एक दम जमानत करायी और

(1.20 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

जमानत हुई । पुलिस ने बिल्कुल प्रेस नहीं किया ।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय मस्जिद के बारे में मेरी शिकायत है । मस्जिद जो बंद पड़ी हैं, उनकी क्या हालत है । मस्जिद के लिये एक कमेटी है । हमारे मिनिस्टर साहब अभी तो यहां पर बैठे थे अब तो उनके दर्शन भी दुर्लभ हैं । अजमेर के लोग इन मस्जिदों से परेशान हैं । अव्वल तो उनमें कूड़ा कचरा भरा रहता है और रात को चोर उनकी खिड़की को तोड़कर किसी के घर में घुस जाते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि या तो उस मस्जिद का पुनर्निर्माण कराया जाये और बदकिस्मती से नहीं करना चाहते हैं तो पुलिस को निगाह रखनी चाहिये क्योंकि मस्जिद चोरों का अड्डा बन गयी है और मस्जिद बंद रहने के कारण गंदगी फैल रही है। आप स्वयं इस मामले को समझते हैं । दिल्ली के अन्दर एक मस्जिद के अन्दर एक लड़का जो शादी करके घूमने गया था वह मरा पाया गया । वहां मस्जिद के अन्दर ऐसी दुर्घटनाएं घटी हैं । मैं यह किसी जाति विशेष के लिये नहीं कह रहा हूं । जो कोई यह काम करता है चाहे चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम वह इनका सहारा लेता है और अपने मतलब का काम करता है। वह किसी भी बच्चे को उठाकर वहां मार देता है। यह जो चीज है वह आगे जाकर घातक सिद्ध हो सकती है इस पर नियन्त्रण करने के लिये भी आप सोचें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या ऐसी दुर्घटनाएं मस्जिद में ही होती हैं या मन्दिर में भी होती हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : घरों में तो क्या यह तो आम रास्ते में भी होती हैं। आपके द्वारा भी होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात वैश्या-वृत्ति के बारे में कहना चाहता हूं। इसके लिये

(श्री भगवान दास शास्त्री)

आपने जयपुर वालों के लिये एक साफ रोड बना रखी है और वह है बांदरा सिन्दरी। एक दिन मैं टैक्सी में जा रहा था। उसमें एक नेता भी बैठे हुए थे खद्दर पहन कर। वे कह रहे थे एक ट्रक आगे जा रहा है नम्बर है 7510 आर. जे. पी.। मैंने सोचा यह तो कोई नम्बर नहीं है। फिर वह बांदरा सिन्दरी पर उतर गये। उनके पास तीन कपड़े थे और तीनों खद्दर के। जो यहां पर वैश्याएं रहती हैं उनके लिये वे वहां पर जाते हैं। वैश्यावृत्ति को आपने रामगंज से हटाकर वहां पर रख दिया है और यह स्थान जयपुर अजमेर के बीच में है। यह हमारे लिए कौनसी मुसीबत ला दी है। बांदरा सिन्दरी में वैश्यावृत्ति के कारण आप जयपुर–अजमेर जाते आते कई मर्डर केस देख सकते हैं। जो अजमेर से जयपुर आते हैं तो उसके बीच में यह गांव है। तो जिसके पास में यह गांव होता है उसके लिये आप सोचिये, उस नाते आप सोचिये। सबको अपनी अपनी इज्जत प्यारी है। आपको हिम्मत चाहिये और इसके लिये स्टेप उठाईये। कम से कम दस वर्षों से मैं यह देखता आया हूं। आपने रामगंज को उठाकर बांदरा सिन्दरी रख दिया है···

श्री रामचन्द्र आर्य : कोई दूसरी जगह बता दीजिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : यह तो आप सोचिये। उत्तर की तरफ ज्यादा जरूरत है। वहां सेन्सस हुआ है उसमें कम है।

·· उपाध्यक्ष महोदय.... बस स्टेन्ड के आस पास जो मध्य प्रदेश का इलाका है वहां से नशीली चीजें आती हैं– गांजा आदि जो वस्तुएं हैं। मैं साफ कह देता हूं पुलिस का उसमें आज 15–20 साल से कोई कार्य कलाप नहीं है। एक आध केसेज पकड़ कर दे देते हैं और कह देते हैं दो किलो अफीम पकड़ ली गई लेकिन 90 प्रतिशत केसेज सफल जाते हैं। एक अम्बेसेडर गाड़ी है, जहां तक मुझे सूचना मिली है, आप और हम सोते हैं और उस गाड़ी में रात को एम.पी. से अफीम आता है। गलीचों के अन्दर छिपा छिपा कर अफीम लाया जाता है और आपकी पुलिस उसको नहीं पकड़ती है। माननीय गृह मन्त्री जी ऐसी जो चीजें है जिसमे हानि होने वाली है····

एक माननीय सदस्य : मोटर का नम्बर बता सकते हैं क्या ?

श्री भगवानदास शास्त्री : मोटर के नम्बर शायद आर. जे. जैड. 2663 ऐसे हो नम्बर है। मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं उसके बारे में आज तक पुलिस की कोई कार्यवाही नहीं हुई···

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुझे कारागार पर भी बोलना है। तीन बार जेल भुगत करके आया हूं। जानबूझ कर कार्यकर्ताओं को रोका गया था। लेकिन वहां जो कैदियों की हालत है। एक कैदी जिसको 10 साल की सजा हुई। उसको कोई सफेद टिन्चर देकर ठण्डा कर दिया जाता है। अजमेर की मॉडल जेल बनी हुई। है और अजमेर सेन्टर होते हुये भी अजमेर जेल को न सुधारा जाय।

(श्री भगवानदास शास्त्री)
स्वास्थ्य के बारे में कोई व्यवस्था नहीं हो जब वहां किसी का स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो जाता है तो नेहरू हास्पिटल भरती कराया जाता है। वहां पर पानी की जो टंकी है उसमें कीड़े पड़े हुये हैं। जो जेल में खाने की व्यवस्था है वह भी अत्यन्त सोचनीय है। जब हम जेल में गये तो लहसुन प्याज की सब्जी बना दी लेकिन वहां के जो कैदी हैं, वह कहते हैं उनको 100 दिनों में भी एक छटांक दही नहीं मिलता है और मेरा निवेदन है दही न देवे तो कम से कम चाय तो पिला दें। यह तो आजकल जरूरी और निहायत जरूरी चीजों में से हैं। इसको तो कम से कम मुहैया करें। मेरा एक सजैशन और भी है। जिनको आजन्म कारावास मिलता है उनके रिश्तेदारों को और कम से कम 5 घन्टे, 4 घन्टे और हो सके तो रात भर, आवास की व्यवस्था की जाय ताकि वह अपने बच्चों के लेकर बैठ सके, उनसे बातचीत कर सकें। बच्चे अपने पिता को न पहचाने ऐसा न करिये। उनकी पत्नी और बच्चों के लिये आवश्यक रूप से मिलने का प्रबन्ध करिये मेरा यह निवेदन नहीं है, जो दोषी हैं उसको अवश्य दण्डित करें और उसको दण्ड मिलना चाहिये परन्तु जब आप समाजवाद की बात करते हैं। गांधी जी के आदर्शों की बात करते हैं और उधर आप देखें तो कैदियों की पिटाई की जाती है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है उनको यथा योग्य सुविधा देना आवश्यक है। जेलों की जो बिल्डिंग हैं उनमें सुधार किया जाय। जेलों में विशेषकर जो अनाज की व्यवस्था है जो ठेके द्वारा सारे देश में की जाती है उनको इम्पोर्टेड गेहूं है वह खाने को मिलता है।

न्याय पालिका के बारे में भी आज प्रलोभन की बात की जाती है। एक मामूली सा असिसटेन्ट इंजीनियर। अमेलगमेटेड कम्पनी का मिस्टर व्यास है और जो इन्जेक्शन आर्डर लिया है वह 18 तारीख को मास्टर जस्टिस के लिये कहता है उपस्थित नहीं रहेंगे। मैं चेलेंज से कहता हूं ऐसा उसने कहा है। एक मा० जस्टिस हाई कोर्ट के और मा० जस्टिस सुप्रिम कोर्ट के लिये जहां से इन्साफ मिल सकता है एक मामूली आदमी माया के अन्दर आकर चेलेन्ज देता है। इतने बड़े माननीय जस्टिसेज के बारे में . . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिये। यहां उनकी चर्चा होना वर्जित है।

श्री भगवान दास शास्त्री : मुझे भी बड़ा दुःख है उपाध्यक्ष महोदय लेकिन . . .

श्री उपाध्यक्ष : कानून का प्रावधान है। इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री भगवानदास शास्त्री : इसलिये उपाध्यक्ष महोदय ये तीन कटौती प्रस्ताव थे। अन्त में मैं गृह मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जो पुलिस विभाग है सिर्फ उनकी जो कमी है उनको न देखें, उनकी आवश्यकताओं के बारे में भी देखें। उनके बच्चों की पढ़ाई होती है। इन्कम

(श्री भगवानदास शास्त्री)

पूरी न मिलने पर जो योग्यता मिलनी चाहिये वह मिलती है या नहीं। रहन सहन की ठीक व्यवस्था हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि इतनी बढ़ती हुई महंगाई को देखकर उनकी समुचित व्यवस्था की जाय, यह मेरी प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष जी मैंने पुलिस प्रशासन की जो डिमान्ड की है उसके बारे में कुछ कट मोशन रखे हैं ओर मैं इन कट मोशन्स के बारे में राज्य सरकार का ध्यान कुछ मुद्दों पर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, में आपके माध्यम से गृह मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जो थाने हैं, उनमें पुराने समय की व्यवस्था है वह साइन्टिफिक आधार पर नहीं की गई है। आज हम देखते हैं जालोर जिले को लीजिये। विशेष तौर से वहां कुछ थाने ऐसे हैं जिनका जूरिसडिक्शन बहुत कम है। सरबान सांचोर तहसील है उसका ऐरिया बहुत लम्बा चौड़ा है। पौने दो लाख की आबादी का ऐरिया है और वहां दो थाने रखे हैं। अब जब पुलिस की इतनी जिम्मेदारी बढ गई है और जो वहां थाने का अनुपात है वह कम है इसलिये थानों का पुनंगठन करना आवश्यक है। राजस्थान में हम देखते हैं कुछ थाने विशेष टाइप के है जिनमें जुर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। पुलिस का जो पुराना सेठ-अप है उसमें पुलिस को बड़ी भारी दिक्कतें आ रही हैं। इसलिये उपाध्यक्षजी राज्य सरकार को इस बारे में पुनः विचार करके पुनर्गठन करना आवश्यक है। आज कल के डिसटेन्स और गांवों की स्थिति को देखते हुये थानों का पुनर्गठन करना आवश्यक है। आजकल की सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर पुनर्गठन करना आवश्यक हो जाता है। दूसरे हमारे सांचोर तहसील खेजड़ियाली गांव है जो पाकिस्तान की बोर्डर के साथ लगता है और आस पास के कई गांवों में डकैती होने लगी है। पाकिस्तान के लोग आवश्यक रूप से वहां आते जाते हैं और यहां डकैती करके पाकिस्तान में वापिस घुस जाते हैं। मुझे रनकच्छ का अनुभव है। गृह मन्त्री जी को शायद वहां जाने का मौका नही मिला है। लेकिन वहां का लम्बा चौड़ा इलाका है। घनी झाड़िया हैं, पाकिस्तान के लोगों को घुसने का अच्छा मौका मिलता है। पहले वहां एक आऊट पोस्ट बना कर लॉ एन्ड आर्डर को कायम किया था लेकिन बीच में उसको हटा दिया गया। परन्तु अब फिर कुछ जुर्म बढ़ गये वापिस आऊट पोस्ट बना दी। इस प्रकार आऊट पोस्ट लाई जाती है पुलिस के द्वारा मैंने बार बार राज्य सरकार का ध्यान आर्कषित किया है और प्रश्न की सूचना के तहत मुझे यह जानकारी बार बार दी जाती है. इस आऊट पोस्ट को पुख्ता करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। पिछले 4–5 वर्षों से यह चल रहा है। अब यह विचार काफी लम्बा हो गया है। इस आऊट पोस्ट को पुख्ता बनाई जाय जो पाकिस्तान की लॉ एन्ड आर्डर को देखते हुये और वहां की सिचुऐशन को देखते हुये इस आऊट पोस्ट के बारे में शीघ्र विचार किया जाकर पुख्ता बना दिया जाय।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

उपाध्यक्ष जी, दूसरे, मैंने कट मोशन के जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि यह जो प्रोसीक्यूशन ब्रांच पुलिस की है उसके बारे में यह हमारा अनुभव है कि जितना उनको अनुभव होना चाहिए और जिस तरह से उनके द्वारा पैरवी किये जाने की आवश्यकता है उतने स्टैन्डर्ड का उनका प्रोसीक्यूशन नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने पिछले साल से यह निर्णय कर दिया है कि सारे ला ग्रेजुएट्स ही उसमें रहेंगे। यह अच्छा निर्णय किया है और इससे कुछ सुधार जरूर हुआ है। लेकिन अमूमन यह देखते हैं कि पुराने संगीन केसेज में हैड कान्सटेबल या 7–8 वीं क्लास पास किये हुए थानेदार ही प्रोसीक्यूशन कन्डेक्ट करते हैं और दूसरी तरफ एमिनेन्ट लायर्स जो कि क्रिमिनल ला के जानकार होते है, पैरवी करते हैं तो उनका क्रास एक्जामिनेशन या दूसरी पैरवी जिस ढंग से उनको करना चाहिए और जो अनुभव उनका होना चाहिए। उस ढंग से नहीं होने के कारण संगीन जुर्म में मुलजिमान बरी हो जाते हैं। इस बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिए। लॉ ग्रेजुएट्स के साथ साथ जुडिसियरी के अन्दर एडवोकेट्स वगैरह रखे जाय तो अच्छा रहेगा। इस बारे में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ....

श्री सुरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्षजी, कोरम नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तो राज्य सरकार को विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बारे में मैं उदाहरण देता हूं जिला जालौर का...

श्री सुरेन्द्र सिंह : कोरम नहीं है।

(गण पूरक घंटी)

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष जी तो इस बारे में जिला जालौर का मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूं। पिछले सालों के वर्क को हम देखते हैं तो संगीन जुर्म, जैसे डेकोइटी, मर्डर या 325 के ऊपर के केसेज जो हैं उनमें ज्यादातर केसेज में मुलजिमान रिहा हुए हैं या एक्विट हुए हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि प्रोसीक्यूशन को अनुभव नहीं होने के कारण इन्वेस्टीगेशन की स्टेज पर ही केस बिगड़ जाता है और पी. एस. आई. के अनुभव की कमी के कारण चालान पेश हो जाते हैं. और आगे नतीजा यह हो जाता है कि मुलजिमान बरी हो जाते है या गवाह जब यह देखते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है तो केस खराब हो जाता है। इस बारे में राज्य सरकार को संगीन केसेज में और स्पेशली मर्डर के केसेज में पुलिस को बहुत ज्यादा सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। तभी लॉ एण्ड आर्डर के प्रोब्लम का समाधान होगा, वरना छोटे केसेज का पर्सेन्टेज बढ़ा कर 70–80 पर्सेंटेज बता दें, यह हमारा अनुभव रहा है कि संगीन केसेज में बहुत कम सजायें होती हैं और छोटे मिल्क के केसेज से और मोटर व्हीकल्स के केसेज से पर्सेन्टेज को पूरा कर देते हैं। तो इस बारे में गृह मन्त्री जी का विशेष तौर से ध्यान आकर्षित करूंगा। जिले वार

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पुराने संगीन केसेज की लिस्ट मंगा लें और उसके अनुभव के आधार पर जो कमियां पीछे रही हैं और उनमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है इस बारे में विशेष तौर से ध्यान देंगे ताकि संगीन जुर्मों में यदि लोगों को सजाएं नहीं होंगी तो ला एण्ड आर्डर नहीं सुधरेगा । आम प्रवृत्ति आजकल, उपाध्यक्ष महोदय, यह बढ रही है राजनैतिक लोगों की जिन्दगी सेफ नहीं है । यहां पर भैंराराम के केस में मैंने पहले भी ध्यान आकर्षित किया है कि 10-15 दिन पहले जो कार्यवाही करनी आवश्यक थी उसके नहीं करने से मुलजिम फरार हो गये । उस केस की कार्यवाही में नेग्लीजेन्स की गई है और आज तक भी इतने भयंकर मर्डर में भी पुलिस कामयाब नहीं हुई तो आम लोगों में यह धारणा फैलती है कि पुलिस डकैती के माल की बरामदगी में कामयाब नहीं होती है और ऐसे केसेज में भी कामयाब नहीं होती है और बदमाश लोगों का हौसला बढ़ जाता है और दिन दहाड़े वे धमकियां देते हैं । यह केस ऐसा ही है कि सांचोर के प्रधान को 5–7 दिन पहले ऐलानिया कहा गया कि एक मर्डर होगा और 5 दिन के बाद में ही मर्डर हो गया । वह प्रधान जनसंध पार्टी की ओर से जीता हुआ प्रधान है । इसको पोलिटिकल कलर देने की आवश्यकता नहीं है । पोलिटिकल कलर देने से केस बिगड़ जाता है, परन्तु राज्य सरकार को ऐसे केसेज के अन्दर गम्भीरता स्वीकार करना चाहिए और विजिलेन्स से काम करके ऐसे एक्यूज्ड को पकड़कर तफतीश करके सही नतीजा निकालें और एक्यूज्ड को पनिशमेंट दिलाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इस विभाग में पुराने कस्टम के अनुसार स्टाफ रखा जाता है। हमारा अनुभव है कि कोर्टस के अन्दर सम्मन वगैरह में टाइम लगता है तो कुछ तो तामील में लगे रहते हैं और कुछ 107, 109 व 110 की कार्यवाही में लगे रहते हैं, और कुछ आजकल पुलिस की जिम्मेदारियां भी ज्यादा बढ़ गई हैं। उनको कई इस तरह की रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती हैं तो इन चीजों को मद्दे नजर रखते हुए पुलिस स्टाफ बढ़ाने के बारे में, थानों में स्टाफ नियुक्त करने के बारे में राज्य सरकार को पुर्नविचार करना चाहिए। गुजरात में स्टाफ अपने यहां से दुगुना रहता है और हर थाने में जीप रहती है तो वहां पर इफिशियेन्सी भी है। वहां की चीज को आधार मानकर आपको कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि क्राइम्स कम हों । जब थाने में कोई क्लाइन्ट आता है तो मुस्तगीस पार्टी को जीप का बन्दोबस्त थाने के लिए करना पड़ता है। पहले पैसा दे तो मुकद्दमा दर्ज हो और फिर जीप लाये तो आगे की तफतीश हो। हमारा यह अनुभव है। आप जाकर देख लें। राज्य सरकार थाने की मुश्किलात को देखें कि कैसे वे इतने केसेज का इन्वेस्टीगेशन कर सकते हैं। उस आधार पर दे दें तो जीप का उपयोग वे कर सकते हैं। लम्बा चौड़ा एरिया है तो यह देखें कि किस थाने में जीप प्रोवाइड करना चाहिए। विशेष तौर से जहां पर केटिल लिफ्टिंग के केसेज हों, बोर्डर नजदीक हो उन थानों के अन्दर विशेष तौर से जीप का बन्दोबस्त करने की आवश्यकता है। पुलिस विभाग के स्टाफ पर पुनः विचार करना चाहिए । दूसरी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

स्टेट्स का उदाहरण लेकर स्टाफ बढ़ाये जाने के बारे में विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो पुलिस विभाग में एन्टीकरप्शन विभाग है यह हमारा पिछले सालों का अनुभव है कि वह बिल्कुल निष्क्रिय होता जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पुलिस विभाग में क्या हर विभाग में रिश्वत इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि एन्टीकरप्शन बिल्कुल निष्क्रिय है और किसी केस को पकड़ने की हम कोशिश करें तो हमारे वहां साधन नहीं है। जोधपुर जाकर वापस आवें तब तक तो उसको पता पड़ जाता है और केस पकड़ में नहीं आता है। इसलिए हर जिला हैड क्वार्टर पर एन्टीकरप्शन के एक डी. वाई. एस. पी. की पोस्ट के बारे में विचार किया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पुलिस विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसके बारे में हम बराबर कहते हैं। उसका मेन कारण यह है कि जो कर्मचारीजो कि सीनियर आफिसर्स हैं उनका दृष्टिकोण जनता के साथ में ईमानदारी का है। ज्यादातर 90 पर्सेन्ट हम कह सकते हैं कि सीनियर आफिसर्स के अन्दर ईमानदारी है और एफिसियेन्सी भी है। वे कोशिश भी करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के बारे में, परन्तु जब हम आपस में डिसकशन करते हैं तो वे यह कहते हैं कि नीचे का जो स्टाफ है हैडकान्सटेबल आदि हैं वे इतने इन-एफिशियेन्ट और गरीब हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस जमाने में सक्सेसफुल नहीं चल सकता है। उन कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाने के बारे में एलाउन्स बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए तो जनता के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम कर सकें। तो उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। तो उससे पुलिस की जो बदनामी है वह दूर हो सकती है। सीनियर आफिसरों के बारे में रूल्स के अन्दर चेन्जेज किये जा सकते हैं। आजकल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में सख्ती करने की आवश्यकता है और जहां गलती हो वहां मेजर सजा दी जानी चाहिए ताकि करप्शन बढ़ता हुआ कम हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे जालौर जिले में, बाड़मेर का मैं नहीं कह सकता, कुछ थानेदारों की रैप्युटेशन जनता में बड़ी खराब है। उनमें से 4–5 साल से जो रह रहे हैं कइयों को कोशिश करके निकलवाते हैं। तो एक साल में वापिस मेन्युपुलेट करके वही आ जाते हैं। इस बीमारी के बारे में माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिन जिलों में रिश्वत का बाजार गर्म है वहां रैप्युटेशन के हिसाब से कुछ साल निर्धारित करें तो कुछ न कुछ सुधार हो जाने की संभावना है।

इसके अलावा मैंने जुडिशियरी के बारे में कट मोशन रखा है। इसके जरिये राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि आजकल लोअर कोर्ट्स के अन्दर जनता में ऐसा भ्रम हो रहा है कि जुडिशियरी में कलेक्टर और मजिस्ट्रेट का कोई अंकुश नहीं है। मुंसिफ मजिस्ट्रेट पर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कोई अंकुश नहीं है। इसलिए मैं लॉ मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस वक्त लोअर कोर्टस में जुडिशियरी में भ्रष्टाचार घुसना शुरु हो गया है। तो टाइम टाइम पर वहां का निरीक्षण करके वहां अंकुश रखें। इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार को कुछ अर्ज करना चाहूंगा क्योंकि यह मामला इण्टीग्रेशन कमेटी के द्वारा तय हुआ है। इस मामले में जो कि एक बार सैटिल हो चुका है, उसको फिर से रिओपेन करने से सरकार के सामने समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा जो हाईकोर्ट का पुराना मामला है उसके रिओपन होने की कोई जरूरत नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोगों को उधर जाना पड़ता है। हाईकोर्ट का मामला हमेशा के लिए सैटिल हो गया है, उसे बार बार नहीं उठाना चाहिए। इसके अलावा मैंने जिन मामलों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, उन मामलों में मैं स्पष्ट निर्णय जानने की अपेक्षा रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण पालोदिया। (अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह। (अनुपस्थित)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जेल पर और पुलिस प्रशासन पर मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की आबादी बढ़ी है। उसी प्रकार से क्राइम्स बढ़े हैं। लेकिन उस अनुपात से पुलिस नहीं बढी है। पहले राजस्थान में चौकीदारी व्यवस्था थी। चौकीदार नजदीक थानों में आकर रिपोर्ट दिया करते थे लेकिन उस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। थानों में 5-6 सिपाही होते हैं। कोई सिपाही चालान के सिलसिले में चला जाता है। दूसरा किसी और काम से चला जाता है और दूसरे पुलिस अधिकारियों का रवैया पुराना राजाशाही जैसा ही है। वह यह नहीं मानते हैं कि देश आजाद हो गया है। तो आजाद देश के नागरिक की हैसियत से वह व्यवहार नहीं करते हैं। मैं कल की घटना का जिक्र करना चाहता हूं। कल मैं कोटा से जयपुर आ रहा था। वहां पुलिस के एक हैडकांस्टेबल कोटा से बूंदी जाने वाली बस में 4 सवारियां लेकर आया। और अपने मिलने वालों को लेकर आया। कन्डक्टर ओवरलोड बस वह कैसे ले जाता। आखिर वह गाड़ी रोक दी। उनकी जो मोटर यूनियन है उसके आदमी आये। डिपो मैनेजर वहां आये। उन्होंने कोटा कोतवाली को फोन किया कि एक हैडकान्स्टेबिल शराब पीकर आया है। लेकिन कोई पुलिस अधिकारी वहां नहीं आया। दो फर्लांग आगे चलकर दो आदमी वहां बैठ गये। 4 घण्टे तक बस डिटेन की। वह लोग मांग कर रहे थे कि हैड कान्स्टेबल शराब में मदहोश है। उसका डाक्टरी मुआयना होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि कोई डाक्टरी मुआयना नहीं हुआ। परसों 28 तारीख को उसी क्षेत्र से आने वाले विधायक ने आप का ध्यान आकर्षित किया है। यह हमारा कर्तव्य होना चाहिये। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। लेकिन राज्य के वरिष्ठ मन्त्री महोदय कोई ध्यान नहीं दिया करते हैं।

Page No 112

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

वह बदगुमानी करते हैं। बेईमानी करते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट ढंग से जांच करनी चाहिए। लेकिन बजाय जांच करने के, वह देखते हैं कि हर मिनिस्टर, स्वीकार करने के बजाय उनका डिफेंस करता है। माननीय सदस्य जो सूचना देते हैं, उसको गलत कहा जाता है।

असनावर थाने की बात है। एक भील बालिका है। झालावाड़ मुंसिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो उसने बयान दिया है, मैं उसकी कापी लेकर आया हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कंचन नाम की एक लड़की, उसका पिता मुडेरी ग्राम में वोट डालने के लिए गया। यह चुनाव के दिनों की बात है। पीछे से उसके घर में चोरी हो गई। उसने थाने में रिपोर्ट की। थानेदार साहब आये तो उन्होंने मौके को देखा और भील को कहा कि तुम लड़की को लेकर असनावर थाने में आ जाओ। उसके बाद वह लड़की और उसका पिता थाने पर गये तो उसके पिता को बाहर बैठा दिया गया और उस लड़की के साथ में बलात्कार किया गया। (विरोधी पक्ष–शेम, शेम) उस लड़की ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट, झालावाड़ के सामने जो बयान 20-3-71 को दिया है, उसकी कापी मेरे पास है। मैं उसे पढ़कर सुनाना पसन्द करूंगा।

श्री **दामोदर लाल व्यास (गृहमंत्री)** : उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला पूरे तौर से हाउस में डिस्कस हो चुका है। उसका रिपीटीशन होना ठीक नहीं है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मैं जानना चाहूंगा कि आपने क्या एक्शन लिया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने एक्शन लिया है, वह बताता हूं। मैंने उस सब इन्सपेक्टर को झालावाड़ से कोटा लाइन में हाजिर करा दिया है। एक एडीशनल एस. पी. को तफतीश के लिए मुकर्रर किया गया है। उसकी मदद के लिए दो आफिसर दिये गये हैं।

श्री विठ्ठलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जो थानेदार एस.पी. को माहवारी पैसा देता है वह उसका क्या बिगाड़ेगा जब एस.पी. उसके यहां जायेगा तो शराब पीयेगा। तो आप सोचें कि वह क्या जांच कर सकता है। आप उसकी कलेक्टर से इन्क्वायरी करायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। इसलिए दुबारा यह प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।

श्री विठ्ठलप्रसाद शर्मा : मैं हरनावदा की बाबत, जो कि 28 मार्च को वहां का जो थानेदार गुरुबचन सिंह है, जो हरनावदा थाने में तैनात है। उन्होंने मनोहरथाना के आसपास सरकारी जंगल को कटवाया है और भील से कहा, पलंग बनाना है, फर्नीचर बनाना है–तुम जंगल से काट कर लकड़ी ले आओ। उसने जंगल में लकड़ी काटी और उसकी ढेरी बना दी। फिर थानेदार को इत्तला करने आया कि माननीय थानेदार साहब, मैंने सरकारी जंगल में से आपके लिए लकड़ी काट दी है, आप कोई ठेला गाड़ी या कोई लकड़ी लाने का साधन भेज दीजिये ताकि माल आ जाय। थानेदार ने गाड़ी का इन्तजाम किया

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

और हरनावदा में गाड़ी गई । तो वहां पर 6 बड़ी बड़ी ढेरियाँ थीं, लेकिन भील जब वहां से आया तो कोई एक उठा कर ले गया । जब 6 में से 5 बोगी का माल आया तो थानेदार ने उस भील के पास एक सिपाही भेजा । वह सिपाही वहां गया और भील को पकड़ कर ले आया । उसको पकड़ कर एक तरफ की मूंछ थानेदार ने कटवा दी, एक तरफ के बाल कटवा दिया और उसका मुंह काला करके उसको गधे पर बिठाया । बाजे मंगवाये और बाजे के साथ उसकी सवारी को बाजार में निकाला गया और कहा गया कि थानेदार के यहां इसने चोरी की है । इस कारण से हरनावदा में हड़ताल हुई । उस थानेदार ने वहां ऐसी दादागिरी की जैसी गुण्डागर्दी की जैसे अंग्रेजों के जमाने में और राजाओं के जमाने में भी नहीं हो पाती थी, लेकिन यह आपके समाजवादी राज्य में हो रहा है । उसको आपने लाइन हाजिर कर दिया । आप बतलाइये, जो इस प्रकार अन्धाधुंध तरीके से गुण्डागर्दी करे उसको आपने लाइन हाजिर कर दिया, तो यह कोई सजा नहीं है, इससे करप्शन की रुकावट नहीं होने वाली है । माननीय गृह मंत्री जी आप पुलिस विभाग पर लाखों रुपया खर्च करते हैं, तो आपका यह नैतिक दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अधिकारियों को नादिरशाही हरकत न करने दें, उनको निरंकुश न बनने दें, आप उन पर अंकुश रखें ।

मैं आपको अभी की कोटा की एक घटना सुनाऊं । तारीख 25-26 की रात को कोटा के अन्दर श्री घनश्याम एक सेठ है, जो धानमण्डी में रहता है, उसके बच्चे को उड़ाया गया और उससे इस बात की मांग की गई कि तीस हजार रुपया चौराहे पर पेश कर दे । लड़के को रात के बारह बजे उड़ा कर ले गये, सेठ घनश्याम वहां नहीं था, हरनावदा का रहने वाला था, वहां पर मालूम हुआ, घर वालों को मालूम हुआ कि बच्चे को उड़ा कर ले गये है । तो उसका जो मुनीम था, वह थाने में गया और वहां रिपोर्ट की कि सेठ के बच्चे को उड़ा कर ले गये है । तो आठ बजे मालूम होने के बाद जो वहां पर हैड मोहर्रिर मौजूद था, उसने कहा कि बच्चे को उड़ा कर ले गये हैं, तो ग्यारह बजे आना, इस वक्त थानेदार साहब नहीं हैं । यह वहां की हालत है जहां पर डी. आई. जी. रहते हैं, एस. पी. रहते हैं...

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी इत्तला गलत है । एस. पी. को मालूम होते ही वह फौरन रवाना हो गया और वह लड़का भी बरामद हो गया । जिस के लिए आप कह रहे हैं, आठ बजे की बात, वह बात गलत है ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : सही है । आप जो कह रहे हैं वह सही है कि वहां एस. पी. पहुंचे, डी. आई. जी भी पहुंचे । मैं कहना चाहता हूं कि प्रारम्भिक रिपोर्ट मुनीम दर्ज कराने गया तो हैड मोहर्रिर, जो थाना गुमानपुरा में मौजूद था, उसने रिपोर्ट दर्ज की या नहीं ? आप बताते हैं कि की है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपको जो बताया गया है, वह गलत है । यदि

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

यह है कि रिपोर्ट को दर्ज नहीं किया । जब एस. पी. को मालूम पड़ा, डी. आई. जी. को मालूम पड़ा तो उसने डांटा । उसके बाद में लड़के को बरामद कर लिया गया मैं इससे इनकार नहीं करता हूं । लेकिन आप इन्क्वायरी करा लीजिये एस. पी. और डी. आई. जी. से कि हैड मोहर्रिर ने इन्कार किया था या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनके पुलिस विभाग में जो ट्रैफिक का सेक्शन है, वह सबसे ज्यादा रिश्वतखोर है और बेईमान है । अगर गृह मंत्री जी पसन्द करें और राज्यमंत्री जी पसन्द करें, तो मैं दावत करता हूं, आप मेरे साथ में जयपुर से मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी चलियेगा, और वहां से ट्रक में चलियेगा । जो सौ रुपये खर्च होंगे, वह मैं दूंगा लेकिन आप यह मान कर मत चलिये कि आप गृह मंत्री हैं, आप मानिये कि आप व्यापारी, साधारण नागरिक की हैसियत से चल रहे हैं । आप चलते हैं तो मालूम हो जायगा कि मध्य भारत से जयपुर आना होता है तो सौ रुपये तो ट्रैफिक वाले ले लेते हैं झालावाड़ में, पाटन में रोड पर पुलिस वाले बैठे रहते हैं, हर ट्रक वाले से पांच रुपया, दस रुपया लेते हैं । आप यकीन मानिये, एक ट्रक वाला, मध्य भारत से राजस्थान न, जयपुर तक आता है, या इन्दौर से आता है, तो सौ रुपये उसे पुलिस वालों को हर नाके पर देने पड़ेंगे। चाहे टौंक हो, निवाई हो, पाटन हो, सुनेल हो जहां होकर भी उसको गुजरना होता है, वहां पुलिस वाले बैठे रहते हैं, और ट्रक वाले के कागजात छीन लेते हैं अगर वह पैसे नहीं देता है तो यह राज्य सरकार के लिए कलंक की बात है । इसलिए आपको सक्रिय हो कर कदम उठाना चाहिए । मेरी आपको दावत है, आप स्वयं चलिये ...

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने अखबार में पढ़ा था, रिश्वतखोरी के बारे में, शराब के स्मगलिंग के बारे में। क्या यह सही है कि इस तरह शराब लाते हैं उनसे आम तौर पर रिश्वत ली जाती है । अध्यक्ष महोदय, आचार्य जी के सामने एक घटना हुई थी, जो अखबारों में प्रकाशित हुई थी । क्या आपने उसकी जांच कराई है ?

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान के कई हिस्सों में सट्टे का काफी जोर है, जयपुर और जोधपुर वगैरह में, लेकिन अब यह बीमारी गांवों में भी फैल रही है, छोटे छोटे कस्बे हैं वह भी सट्टे के शिकार हो रहे हैं, जबकि सट्टा खेलना अवैध है । तो उसको आप रोकते क्यों नहीं ? आपके पुलिस वाले क्या करते हैं । आप मानें या नहीं मानें, लेकिन पुलिस को माहवारी सट्टे वालों से पैसा मिलता है । आप इसे चाहे स्वीकार न करें, रिप्लाई कुछ भी दे दें, लेकिन इसमें सच्चाई है । इसलिए इसमें सक्रियता बरतनी चाहिए और राज्य में से करप्शन को मिटाना चाहते हैं तो सख्त कार्यवाही करनी चाहिये ।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, जो अधिकारियों के तबादले होते हैं, वह राजनैतिक आधार पर होते हैं । अगर कोई पुलिस अधिकारी ईमानदार है तो राजनैतिक लोग

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

उसको ईमानदार नहीं रहने देना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि वह आदमी भ्रष्टाचार से डरने वाला रहे। वह घुमा फिरा कर उसको भ्रष्ट करना चाहते हैं। पिछले दिनों नागौर के एस. पी. किशन लाल वर्मा रहते थे, वह नागौर में थे, वहां पर जो छोटी खाटू काण्ड हुआ, उन्होंने प्रधान को गिरफ्तार करना चाहा, इस बिना पर वित्त मंत्री ने उसका तबादला करा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप आने वाले एस. पी. के बारे में कुछ नहीं कहें। जाने वाले के बारे में कह सकते हैं। इस तरह आप प्रभावित करना चाहते हैं।

श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा : प्रभावित करने का सवाल नहीं है। हम जाते भी नहीं है किसी के पास, कांग्रेस के कार्यकर्त्ता ही जाते हैं। जितने भी इनके काम होते है वह काम कराते हैं। हम गलत काम के लिए प्रेस, नहीं करते, यह इन लोगों की बात है।

कोई भी अधिकारी हो, मैं मानता हूं, झालावाड़ में कन्हैयालाल जी पटेल हैं, वह पटवारी हो, हैड मोहर्रिर हो, थानेदार हो—सबको परेशान करते रहते हैं, मन में आये जिसका तबादला कर देते हैं। आप सुन कर ताज्जुब करेंगे (समय-समाप्ति सूचक घंटी)

जो पटेल के नाम पर काम कराते हैं आप चाहें तो थानेदार से मैं बात करा दूं, जिले में इनके आस पास के चमचे हैं थानेदार से पैसा मांगते हैं, थानेदार को पैसा देना पड़ता है और जो चाहें वह काम करना पड़ता है। अगर नहीं करता है तो उसको सस्पेन्ड कर देते हैं। तबादला करा देते हैं। इस प्रकार से राज्य कर्मचारियों का मनोबल गिरता है और उनकी कार्य करने की क्षमता बिगड़ती है। आपके जो लाडले यहां बैठे हैं, मंत्री महोदय, आप प्यार से इनको समझाइये, यह प्रशासन के ऊपर धब्बा न लगाये, इनके चमचे गड़बड़ी न करें। यह गड़बड़ी करें तो इन्होंने तो आपकी सरकार को बनाई है, लेकिन एक हरिसिंह नाम का आदमी है, जो अफीम का स्मगलर है, जिसको एस. पी. ने गिरफ्तार किया था, झालावाड़ में वह प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर बना हुआ है, वह—थानेदारों के तबादले कराता है, हैड मोहर्रिर का तबादला करा देता है। किसी का तबादला करना हो तो देवपुरा जी से आकर कहता है। आप सुन कर ताज्जुब करेंगे, वह . .

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त करें।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : नहीं, भाषण थोड़ा और है।

वह माहवारी पैसा लेता है, थानेदार को प्रेस करता है, दो सौ रुपया महीना दे। अगर देता है तो ठीक, नहीं तो कहता है, चार सौ रुपया माहवार देने वाला दूसरा बैठा है। आप इलाज इस चीज का कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं।

न्याय विभाग के बारे में सूक्ष्म में अपनी बात कह कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। जिस कान्स्टीट्यूएन्सी में से

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

चुन करा आया हूं, अकलेरा से, अकनेरा से खानपुर और मनोहरथाना में मुन्सिफ कोर्ट लगती है, तेईस मील पर मनोहर थाना है और 28 मील पर खानपुर है। आपने अटरू में भी व्यवस्था की है, जबकि मध्य भारत में कई जगह पर ऐसी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था करें कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट दो रोज खानपुर में रहें तो दो रोज मनोहर थाना में रुकें, ताकि लोगों को सस्ता न्याय मिल सके। आप यह देखते हैं कि वह पेशी की तारीख तय करने के बाद भी आगे पेशी बदल देते हैं, और एक आदमी की दो दो,तीन तीन साल तक पेशीचलती हैं। इससे लोगों की न्याय विभाग से आस्था हट जाती है और यह खर्चीली व्यवस्था हो जाती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सिलसिले में कि दो रोज मनोहर थाना और दो रोज खानपुर के लिए कर दें तो आपका उपकार हो जायगा।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, पिछले दिनों घाटोली के थाने के बारे में वहां के एस. पी. साहब ने डी.आई. जी. आई जी. और गृह मन्त्री से सिफारिश की है कि इस थाने को दूसरी जगह लगाया जाए क्योंकि घाटोली कोटा भोपाल रोड़ पर है, मध्यप्रदेश से आने वालों का और इधर से जाने वालों का कन्ट्रोल होता है, भालता, जहां पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। फाइल आपके पास पड़ी है, इस पर गंभीरता से सोचें,अगर आप कर सकें तो करें। आप उत्तर के समय स्पष्टीकरण करें। यह बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनलाल शर्मा (अनुपस्थित)

श्री विद्या सागर (अनुपस्थित)

श्री सांवर मल।

श्री सांवरमल बंसोतिया (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय,मेरे न्यायविभाग के सम्बन्ध में दो कटौती प्रस्ताव थे। मैं संक्षेप में नवलगढ़ के न्यायविभागसम्बन्धी कुछ शिकायतें, जो वहां की जनता की तकलीफें हैं,वह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

नवलगढ़ में लगभग पिछले 11। साल से मुंसिफ मजिस्ट्रेटी अलग से कायम की हुई है लेकिन आज हालत यह है कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट हफ्ते में सिर्फ दो बार वहां आता है, दो दिन में जाकर जो केसेज होते हैं उनको सुलटाने की चेष्टा करता है लेकिन केसेज की संख्या इतनी ज्यादा है कि इस प्रकार अगर सप्ताह में दो दिन का कार्यक्रम चलता रहा तो बरसों तक भी केसेज तिरक नहीं सकेंगे। जो मुंसिफ मजिस्ट्रेटी कायम हुई थी, उससे पहले के जो केसेज हैं सारे एस. डी. एम. कोर्ट में चलते हैं और एस. डी. एम. से जो केसेज क्रिमिनल केसेज लेने बन्द हो गये वह झुंझुनू में जाकर सिविल जज जहां बैठता है उनके पास जाने लग गए और जबसे मुंसिफ मजिस्ट्रेट नवलगढ में बैठ रहा है तब से नए केसेज उनके पास जाते हैं। इस तरह से तीन प्रकार के केसेज बंटे हुए हैं। आज हालत यह है कि कुछ केसेज झुन्झुनु में चलते हैं, कुछ नवलगढ़ में एस. डी. एम. कोर्ट में और नए केसेज आते हैं वह मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास आते हैं। इस तरह से अगर पूरे समय के लिए मुंसिफ मजिस्ट्रेट दिया जाए तो तीन जगह जो केसेज चल रहे हैं वह एक जगह हो जायें और जनता को सहूलियत हो जाए।

(श्री सांवरमल वासोतिया)

दूसरी बात, नवलगढ़ में जो कोर्ट बिल्डिंग है वह किराए की है। पहले एस. डी. एम. का कोर्ट था। अब उसी कोर्ट में एक कमरा लेकर मुंसिफ की कोर्ट उसमें लगाई गई है लेकिन जनता को बहुत परेशानी है, न लोगों के बैठने की सुविधा न पानी का इन्तजाम है। ऐसा पता चला कि एस.डी.एम. और मुंसिफ मजिस्ट्रेट के भवनों के लिए अलग से जमीन एक्वायर की गई है, लेकिन काफी समय से न बिल्डिंग बनाने के लिए कोई आया है और न सरकार बनाना चाहती है। तो जब तक अलग से कोर्ट नहीं होंगे तब तक वहां की जनता को परेशानी होगी।

एक बात और, जो मेरे क्षेत्र से संबंधित नहीं है, लेकिन नीम का थाना के बारे में है। नीम का थाना के पास आज भी 3 हजार केसेज लगभग हैं, वहां पहले सिविल कोर्ट था, किन्तु उसको हटाकर कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि झुंझुनू का जो सिविल जज है वहां सप्ताह में एक दो बार आकर हीयरिंग करता है, पर इससे जनता को परेशानी होती है। ऐसा भी पता चला है कि जो तारीखें दी जाती हैं 12-12 महीने की दी जाती हैं। यह आश्चर्य की बात है किसी केस में आगे की हीयरिंग 12 महीने के बाद दी जाए तो वह केस तो 20-25 वर्ष तक भी सैटिल नहीं हो सकता। तो इस ओर मन्त्री महोदय ध्यान दें।

श्री केदार नाथ (श्री गंगानगर) : मान्यवर, पुलिस की मांगों पर मुझे बोलने का मौका मिला। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस सम्बन्धी जो कानून बनाए गए-पुलिस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वे उस समय के बने हुए हैं जब देश की हालत कुछ और थी। उस समय की पोलिटिकल, सोशियो-इकानामिक समस्याएं और थी। इन 22-23 सालों में बहुत तबदीलियां आई। मगर जो पावर्स, जो रोल उन को असाइन किया गया उसमें बुनियादी तौर से फर्क नहीं आया। इस चुनाव के बाद एक नई अवेकनिंग आई और एस्पीरेशन्स बहुत बढ़ गये। मगर उसके अनुसार इकानामिक पोलिसी में चेंजिज नहीं आई तो उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा जो एजीटेशन्स समाज को बदलने में काम करते हैं, जिनकी बुनियाद उसूलन समाज को बदलना है, वह फोर्स उन एजीटेशन्स को चलाए जिसमें समाज की तबदीली निहित हो, उनमें पुलिस का रोल क्या हो, इसमें आज तक कोई एनलिटिक स्टेडी नही की गई। कोई हरिजन तीन साल की लीव समाप्त होने के बाद अपनी जमीन पर कब्जा करता है। जमींदार द्वारा पुलिस में चोरी का केस दर्ज कराने के बाद हरिजन की हिम्मत नहीं कि वह केस को फेस करें। वह तीन साल का पट्टा और ले लेता है। अब मल्टीप्लाई करें। ऐसे किराएदार, मजदूर और दुकानदार दबे हुए हैं, सेप्रेस्ड हैं। पुलिस का कहना है कि ला एण्ड आर्डर कायम करना है तो ला एण्ड आर्डर किसके लिए है जो अर्थ व्यवस्था पर हावी हैं। जिनके पास ताकत है, जो इस स्टेटस को चेंज करना चाहें तो पुलिस उनकी मदद नहीं करती पुलिस का रोल जैसा मैंने निवेदन किया बहुत खतरनाक रोल है। राजस्थान में कुछ चेंजिज आई, हम

(श्री केदारनाथ)

नहीं कहते कि सब लोग बेईमान हैं, काफी अच्छे एस. पी., डीआई. जी., सी. आइज निकले हैं, ईमानदार हैं। आज केवल अगर पुलिस का रोल समझते रहे तो यह ठीक नहीं, बदलना चाहिए। चाहे छोटा मन्त्री हो चाहे बड़ा मन्त्री हो, उनको सीरियसली स्टडी करना चाहिए कि एजीटेशन के दौरान हमारी पुलिस का क्या रोल होना चाहिए।

मैंने पिछली बार गंगानगर किसान आन्दोलन के बारे में निवेदन किया था। कितने केसेज अब तक चले आ रहे हैं? चूरू गोली-कांड रिपोर्ट का क्या किया? पब्लिश नहीं की जा रही है। दोषी अधिकारियों को सजा नहीं दी जा रही है। कब होगा? आप कहेंगे कि भादरा और सांगरिया की रिपोर्ट आ जाए तब कुछ करेंगे। यह ठीक नहीं, जो रिपोर्ट आ गई, पब्लिश हो गई, आप उन फाइंडिंग्स के अनुसार कार्यवाही करें, यह आपका काम है, इसमें भी ढील बरती जा रही है।

मैंने एक केस दिया था। एक दिलचस्प कहानी है। हमारे करनपुर तहसील में एक साल पहले एक मुसलमान गर्मी के दिनों में दूध बेचने के लिए आता है। लगातार 8-10 साल से आता रहा। उसकी लड़की सखी को दो तीन जमीदार, जो डिप्टी मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं उसको लेकर चले। पुलिस में दर्ज अप्रेल 1970 में हुआ, लड़की जिंदा थी, यह लड़की 16, 17, 18, व 19 तक उनके पास थी। पुलिस की नालेज में था। पुलिस ने कहानी सर्क्यूलेट की कि इसकी शादी मुसलमान से हो रही थी। भगाने वाले उससे शादी होने देना नहीं देना चाहते थे। इसलिए पाकिस्तान से आकर मुसलमान ले गए। यह पुलिस की तरफ से कहानी सर्क्यूलेट की गई। हम लोगों ने बार बार कहा, हमारा शक जलदरसिंह, प्रसन्नसिंह जमीदारों में है, अब भी वहां हैं। 4 महीने वह लड़की गंगानगर में रही उसके बाद पंजाब में रही। इसमें संदेह नहीं कि पंजाब में हैड कान्सटेबल जागीरसिंह ने लगातार परस्यू किया मगर पुलिस ने कभी इस लेवल की बात नहीं सोची कि कोई कोई डी. आई. जी. वहां चला जाए, कोई अधिकारी वहां चला जाए और हैड कान्सटेबल से बात करते। जाते तो लड़की की जांच करते। आज लड़की मार दी गयी। एक साल के बाद दोनों थानों की अलग अलग तफतीश है। एक में मार कर गिरा दी गयी और दूसरा कहता है कि कहीं है। लेकिन हमारा मानना है कि लड़की जिन्दा है। पुलिस की किताब में, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में वह मर गयी हो। किसी और दफा में चालान हो जाय, और उसका क्या रिजल्ट हो और फिर हम बरी होंगे और तब फिर हम लड़की के साथ शादी कर लेंगे। इसलिये बार बार निवेदन किया और निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों की पंचायत होती है और वहां पर सारे मुसलमान इकट्ठे होते हैं और मनफूलसिंह जी के भाई जो प्रधान हैं वे खुद शामिल होते हैं। सारे मुसलमान इकट्ठे थे। कसम खाकर कहा गया कि

(श्री केदारनाथ)

जलन्धर सिंह उठा कर ले गया है और प्रसन्नसिंह का कोई हाथ नहीं है। पंचायत में यह कह दें कि प्रसन्नसिंह को गिरफ्तार कर लो पुलिस की क्या ताकत है। मैंने एक क्ल्यू बताया है जिससे सारे इलाके में क्या हो रहा है, यह पता चल सकता है।

हमारे इलाके में छोटी मोटी चीजें तो चलती आ रही हैं। छोटे मोटे केसेज तो चलते आ रहे हैं। वह केस खत्म हुआ तो क्या हुआ। ऐसे केसेज हैं। इतने बड़े केसेज को परस्यू किया हमने। होम मिनिस्टर सेन्टर तक हमने इसको परस्यू किया। इन्टर-स्टेट मामला है। आप भी तफतीश करें या न करें, क्या हुआ या नहीं हुआ, आप और तफतीश कीजिये। जो हालात मिल रहे हैं और जिस प्रकार मालूमात हो रही है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि वह लड़की जिन्दा है। डाक्टर भटिन्डा ने उसका एबोर्शन कराया है। उसके वेयर अबाउट्स मिलते हैं और आपको उसको ट्रेस आउट करना चाहिये। और आप करना चाहें तो मालूम हो सकता है कि लड़की कहां है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि ये हालात हमारे इलाके के हैं। इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पर होम मिनिस्टर साहब को भेष बदल कर किसी थाने में चले जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी गलती नहीं करनी है।

श्री दौलत राम सारण : सुखाड़ियाजी थोड़े ही हैं कि चाहे जिसके साथ चोर हो जायं।

श्री केदारनाथ : थाने में इन्चार्ज बैठा है, कोतवाल बैठा है। केसेज होते हैं। किसी आदमी के यहां चोरी हुई, किसी का कत्ल हुआ, डाका पड़ा, एग्रीड पार्टी जाती है उसको सान्त्वना देनी चाहिये ताकि उसको मालूम पड़े कि मेरी मदद होगी। आम तौर पर ये चीजें होनी चाहिये। एक थाने में आम तौर पर दस बारह आदमी एक एस. एच. ओ. एक हैड कान्स्टेबल और कान्स्टेबल होते हैं। दो तीन आदमी तो थाने की रखवाली के लिये और 3-4 आदमी गश्त वगैरह के लिये। तीन चार आदमियों के डिस्पोजल पर 80 मील के एरिया को छोड़ रखा है तो फिर आप यह सोच सकते हैं किसी मर्डरर को, किसी डकैत को और किसी चोरी को ट्रेस करले और कल्प्रिट्स को पकड़ लें। बोर्डर केसेज हैं। तो रिपोर्ट के दर्ज करने में, इन्वेस्टिगेशन में और प्रोसिक्यूशन के मोड में कोई रिविजन नहीं आया है। प्रिवेन्शन के लिये क्या कर रहे हैं? इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेन्ट आपका बिलकुल निकम्मा है। आज दिन तक यह मालूम नहीं पड़ा है कि यह वारदात होने वाली है चाहे मर्डर हो, चाहे डकैती हो, कोई वकाया हो तो पहले पहुंचेंगे और 107 की कार्यवाही रातों रात कर देंगे। बैड करैक्टर हों और एन्टीनेशनल एक्टीविटीज हों, क्रिमिनिल केसेज हों, एन्टी सोशियल एक्टीविटीज हों—आज तक सी. आई. डी. कुछ नहीं कर पायी है और न आप उनको ट्रेनिंग दे पाये हैं। जिस प्रकार महाराष्ट्र

(श्री केदार नाथ)

में बोम्बे में पुलिस को ट्रेनिंग देकर रिओरियेन्ट किया गया है आपने इस ओर कोशिश नहीं की। यह दूसरी बात है।

तीसरी बात है कि आप पुलिस के सारे स्ट्रक्चर को देखें। इसकी स्ट्रेन्थ को देखो। मैं नहीं कहता कि इसकी स्ट्रेन्थ और बढे, इतनी बड़ी तादाद हो जावेगी तो हम लोगों की बड़ी मुश्किल हो जावेगी और मुसीबत पैदा करेंगे। बढाने की बात तो मैं नहीं करता हूं। थाने में कौन आदमी बैठा है। एस.एच.ओ. कोइस बात की, इलाके की नालेज होती है कि कौन आदमी बेड करेक्टर है, कौन एन्टी सोशियल है, कौन एन्टी नेशनल है। हो सकता है कि 2 पर्सेन्ट उसकी नालेज बाहर हो वरना उसकी नालेज में होता है। पंजाब से लोग बाहर आये हैं। कौन क्रिमिनल्स हैं, कौन प्रोफेशनल्स हैं, उनकी टेन्डेन्सी को कर्ब करने के लिये आपने प्रिवेन्टिव एक्शन क्या लिये हैं? कभी कोई लिये हैं? कोई भी केस में यह साबित नहीं कर पाते हैं। मैं आपकी मार्फत इसको लम्बा न करते हुए सारे पुलिस के रोल की बात कहता हूं, चाहे वह शहर का हो चाहे गांव का हो। एक एस.पी. की नियुक्ति कर दी। वह दो तीन थानेदार का तबादला कर देता है। उनको यहां पर स्टे मिल गया उसमें पोलिटिकल रीजन्स हो चाहे और कुछ रीजन्स हों। एस. पी. के द्वारा तबादले के बाद आप उनको स्ट्रेस करते हैं तो एस. पी. का क्या आर्डर कायम रहेगा और उस इलाके की क्या ला एण्ड आर्डर की पोजिशन रहेगी यह आप ही समझ सकते हैं। ऐसे एक्सीडेन्ट हुआ और स्ट्राइक हुई। तब तो आपने तबादला नहीं किया। एस.पी. ने तीन चार का तबादला कर दिया तो मंत्री नाराज हो गये। बुनियादी तौर पर रंजिश पैदा करने वाला है। पुलिस की बड़ी परफोर्मेन्स हो जाये यह जंचने वाली बात नहीं है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि रिश्वत की बात तो मैं करता ही नहीं। जिस देश में एम. एल. ए. बिकते हों वहां थानेदार की बात करते हैं तो निकम्मी और थोथी सी बात करते हैं। आपने किसी हाइयेस्ट आफिसर, एस. एच. ओ. से ऊपर के, उनको कम्पलसरी रिटायरमेंट किया है? आपको वही परिपाटी है। एन्टी करप्शन में अथवा कोर्ट में चला गया हो। डिपार्टमेन्टल आपने कोई ऐसी कार्यवाही की? नहीं की।

तो मैं इसलिये कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि एग्जम्पलरी पनिशमेण्ट हो, उनको दुरुस्त करना है तो इन छोटे मोटे कान्स्टेबलों को क्यों मारते हैं, इन पर क्यों आप मार करते हैं। जब तक आप सी. आई. लेविल के और उसके ऊपर के दो, चार बड़े अधिकारियों को पनिशमेंट नहीं देते हैं तो आप कोई असर कायम नहीं कर सकते हैं और न कोई असर होगा। चाहे वह एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट हो और चाहे विजिलेन्स कमीशन हो। मेरा एक दृष्टिकोण है। वह यह है कि जब तक आप एक इन्डिपेन्डेन्ट कमीशन हिन्दुस्तान में कायम नहीं करते हैं और जिसमें सारे इलेक्टेड आदमी पंच से लेकर मंत्री तक सब की जांच करने का मौका उसको मिले

(श्री केदारनाथ)

तो लोगों को भी शिकायत करने का मौका मिलेगा। केवल यहां सदन में क्युश्चन रख डें और उसका मंत्रीजी जवाब दे दें, इसका यह इलाज ढूंढें तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई इलाज हो सकता है। इसमें ढिलाई किस बात की है। सन् 47 के बाद प्रापर्टी का जो एक्युमूलेशन हुआ उसका अभी यहां पर जिक्र हुआ था। हमारे मंत्री जी को यह भी नहीं मालूम और आप ताज्जुब करेंगे कि 24 लाख का सिनेमा हाउस दिल्ली में हमारे राज्य मंत्री की हैसियत का एक व्यक्ति बना सकता है और उसकी प्रोपर्टी की जब यहां पर बात की जाए, पूछा जाय तो हमारे मंत्रीजी कहते हैं हमारी जानकारी में नहीं है और एक थानेदार कांस्टेबुल पर आप एक्शन लेकर यह बताना चाहते हैं कि आप कार्यवाही कर रहे हैं। यह कितना गम्भीर मसला है, कितना बड़ा स्केन्डल है उसकी तो हमारे होम मिनिस्टर साहब को जानकारी नहीं है। जमीन की तब्दीली, छोटी मोटी बातों के ऊपर एक्शन लेकर यह दिखाना चाहते हैं कि आप करप्शन मिटाना चाहते हैं। अगर इस करप्शन को आप मिटाना चाहते हैं तो आप लोग जो हेल्म आफ दी अफेयर्स पर हैं वे ठीक हो जायें तो मैं मान सकता हूं कि करप्शन बंद हो जायेगा वरना यह नहीं मिट सकता है।

उपाध्यक्षजी, हमारे इलाके में राजस्थान कैनाल है। वहां पर कटाई चल रही है और खेत में दाने निकल रहे हैं। हमेशा यह बात होती है कि उनकी फसल को बदमाश गुण्डे छीन लेते हैं। वह रिपोर्ट भी दर्ज करवायें तो किस की। एक गरीब काश्तकार है। उसके पास एक मुरब्बा जमीन मुश्किल से है और फसल घर पर आने वाली है उसको दूसरे लोग ले जाते हैं छीन कर। वह थानेदार के पास जा नहीं सकता। वह इसको परसू भी नहीं कर सकता। उनकी हिम्मत नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि स्पेशल फोर्स आप इसके लिये रखें और जो गुण्डे, बदमाश यह काम करते हैं उनको रोकें ताकि वे लोग छोटे काश्तकारों को बेदखल न कर सकें और वे अपनी काश्त को घर पर ला सकें। हमने यहां इसके लिये बार बार कहा है। आफीसरों को कहा है। किन्तु क्या होता है। वहां जो आफिसर हैं वे सारे के सारे मंत्री के हैं। उनके इशारे पर आप रखते हैं। जो एस. एच. ओ है या दूसरे आफीसर हैं वे आपके हैं। जो जमीन वहां पर एलाट हुई है वह गरीब आदमियों को एलाट हुई है और जो एलाट हुई है तो दाना उनके घर नहीं जा सकता। इसलिये मैं होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि स्पेशल फोर्स आप गठित करें और वह फोर्स इस सारे इलाके में घूमे और लोगों में जो निराशा पैदा हुई है वह दूर हो। आइन्दा ऐसी चीजें वहां न हों क्योंकि और लोग भी वहां पर जाकर बसेंगे। हमने लैन्ड मूवमेन्ट वहां पर किया था किन्तु उन लोगों को जमीनें आपने नहीं दीं। सरकारी जमीन पर जो काबिज हैं वह जमीन्दार हैं और उसको आप रेगुलराइज कर रहे हैं। दूसरों को आप यह कह रहे हैं कि यह एन्टी सोशल हैं, एजीटेशन करता है, ट्रबल, डेन्जर पैदा करता है। यह जो आपका दृष्टिकोण है वह गलत है। तो यह बात मैंने पुलिस के बारे में कही है।

अब दूसरा निवेदन मैं पुलिस विभाग

(श्री केदारनाथ)

के तबादले के सम्बन्ध में करना चाहता हूँ। आप एक नार्म तय कर दें कि तीन साल के बाद एक थानेदार का वहां से तबादला किया जायेगा। कोई नार्म्स आप तय कीजिये। इसके लिये आप कोई प्रेक्टिस एस्टेबिलिश करें कि इसके अलावा हम नहीं करेंगे तब लोगों को भी मालूम हो जायेगा कि होम मिनिस्टर को ये गाइड लाइन्स हैं। कहीं कहीं तो आप तबादला छः छः महीने के अन्दर ही कर देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : गंगानगर में तीन साल ज्यादा होगा।

श्री केदारनाथ: मैं कहता हूं कि एक साल ही कर दें। हमारे यहां एक थाना 50 हजार से लेकर 35 हजार तक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सीलिंग है?

श्री केदारनाथ : तो यह मान कर चलना चाहिये। अब रिक्रूटमेंट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आपने एक प्रमोशन कमेटी डिपार्टमेन्ट की बना रखी है। एस. एच. ओ. का सिलेक्शन होता है तो मैं आपकी मारफत यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे स्पोर्टस् मेन पंजाब की पुलिस में होवे हैं, आप भी उनको अपने यहां पर लें। जब आप यहां पर सिलेक्शन करते हैं, कम से कम राजस्थान में जो एक दो नम्बर के स्पोर्टस-मेन हैं उनको तो आप डाईरेक्ट सिलेक्ट करें ताकि उनको भी इनसेंटिव मिले। यह आप नहीं करते हैं। एस. पी. कान्सटेबल की भरती करते हैं मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि जो गरीब तबका है, दबा हुआ है कम से कम उनका भी रिक्रूटमेन्ट होना चाहिये ताकि पुलिस के दृष्टिकोण में तब्दीली आवे। अगर कोई फ्रेश रिक्रूटमेन्ट एस. एच. ओ. का होता है तो उसमें आप स्पोर्टस-मेन को भी लें और देखिये आपके फोर्स में एक दम से तब्दीली होगी।

मैं दो बात जेल के बारे में भी कहना चाहता हूं। साल में एक, दो बार हमको जेल में जाने का मौका मिलता है (समय समाप्ति सूचक घंटी)! यह मैं मानता हूं कि जेल के अन्दर लिविंग कन्डीशन में तब्दीली हुई है। परन्तु मैं यह भी मानता हूं कि जो इन्स्ट्रक्शन्स आपने दी हैं वह इनकारपोरेट नही की गई हैं। इसमें भी आप तब्दीली लावें। इस सम्बन्ध में कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट भी आपके पास में आ गई है। उसकी रिकमण्डेशन आपके पास में है। परन्तु यह मालूम नहीं आप कहां तक उस पर कार्यवाही कर रहे हैं। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेडिसिन में पांच पैसे आप एक कैदी पर खर्च करते हैं। पांच पैसा का खर्चा आता है। अब जब स्ट्रेन्थ है जयपुर में 1000, 1200, बीकानेर में पांच सौ, छः सौ। इस प्रकार दवाइयों के नाम पर हजार, दो हजार रुपये ही खर्चा करते हैं। आप ताज्जुब करेंगे इतनी बड़ी जेल और दवाइयों पर इतना खर्चा। दूसरी बात चाय के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। कैदी चाय जरूर पीते हैं। चोरी से या बाहर से मंगवा कर चाय जरूर पीते हैं। चाहे कुछ भी करना पड़े कैदी चाय जरूर पीते हैं। पंजाब हरियाणा में यह कम्पलसरी है तो क्यों नहीं आप यहां पर कर देते हैं। इस में भी तब्दीली लाने की आवश्यकता है। दूसरा निवेदन यह है कि जेलों के अन्दर न तो सफाई है और न लैट्रिन का

(श्री केदारनाथ)

इन्तजाम है। वहां रहने का कभी कभी हमें मौका मिलता है इतनी गंदगी है न तो वहां पर हवा का इतन्जाम है, न पेशाव करने का इन्तजाम है और न पानी का इन्तजाम है।

अब एक आखिरी बात कहता हूं। यह पुलिस करती क्या है। राजस्थान के एम.एल.एज. के, विधायकों के जो निवास हैं उनमें से चोरी हो गई और होम मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हैं। हमारे अन्दर वेरी नोज चोर हो जाती है और उसका आज तक पता नहीं है। उपाध्यक्षजी आपकी मार्फत जो मेरे कटमोशन हैं वे मैं यहां मूव करता हूं और इन सारी हालतों को देखते हुए होम.मिनिस्टर साहब अपने वक्तव्य में इसके बारे में भी कुछ कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीलाल यादव !

(अनुपस्थित)

श्री जगन्नाथ।

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडा रायसिंह) : उपाध्यक्षजी, जो आज पुलिस विभाग की डिमाण्ड है उस पर माननीय सदस्य अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। कुछ ने तो तारीफ की है और कुछ ने बुराई भी की है। मैं इस विषय के अन्दर मेरे विचार प्रकट करूंगा जो कि मेरी जानकारी में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग जनता को रक्षा के लिये है। माननीय सदस्यों ने जो बुराई की है यह क्यों है ? ये सदस्य थानों में जाकर बैठते होंगे वहां का सदस्य एस. पी. के पास जाकर बैठता होगा। उपाध्यक्ष महोदय, अगर पुलिस विभाग को कार्य कुशल बनाना है तो कोई उसको खुद का काम नहीं कहे तो पुलिस विभाग की ताकत नहीं है कि वह अपना मरजी माना कर लें।

पुलिस विभाग के खराब काम को भी हम करवाते हैं क्योंकि हम पुलिस के पास सिफारिश लेकर चले जाते हैं और कहते हैं यह काम तो होना चाहिये, यह मेरा नजदीक का रिश्तेदार है। पुलिस की ताकत नहीं है वह खराब काम कर दे किसी को मार दे, किसी को पीट दे। यह तो हम करवाते हैं। यह जो पुलिस में भ्रष्टाचार की बावत है और भ्रष्टाचार की बुराई की है इस बाबत में कुछ नहीं कह सकता हूं लेकिन मैं इतनी कहूंगा इस पुलिस के अन्दर थोडी सी खामी है कि वड़े अफसर उनको निर्देश देते हैं और पुलिस उसको केन्सिल कर देती है। जब पुलिस विभाग का आदमी अपनी ड्यूटी पर होता है तो खास तौर से जनता की रक्षा करना होता है तो उपाध्यक्ष महोदय जी, वह खराब काम करता है तो किसका काम है ? कोई मन्त्री का नहीं है। वह खराव काम मंत्री का है। मंत्री को कमजोर नहीं रखें। एक दफा पुलिस एक्शन लेती है तो इसके अन्दर कितने ही कोई कहे पुलिस को नहीं करना चाहिये। इससे पुलिस की बुराई होती है। दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय जो गांव के अन्दर पुलिस का हर एक से ताल्लुकात होते हैं। किसान की वसूलात रेवेन्यू विभाग का काम है लेकिन उसमें भी पुलिस का काम आ जाता है। सिचाई की बाबत हो, पानी की बावत हो या जितनी बातें हों

(श्री जगन्नाथ पटेल)

उतनी कानून के विरोध में जाती है। यह सब पुलिस की लापारवाही से होती हैं क्योंकि दो किसान के बीच पानी के विषय में लड़ाई होती है तो पुलिस अनगुनाहगार को पकड़ ले जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो एक और निवेदन है। ये जो पुलिस अधिकारी हैं इसके विषय में कुछ बुराई की बात कहूंगा कि क्या बुराई करते हैं। एक कैप्टिन जो कमान्ड करता था उसके घटोच नामका एक भाई था और मैं उसको डिसमिस कराने के लिये काफी कोशिस करता था लेकिन कैप्टिन के रिश्तेदार थे, थाने के अन्दर थानेदार के जो ज्यादा नजदीकी होता है।

• **एक माननीय सदस्य** : नाम बताओ न ?

श्री जगन्नाथ पटेल : नाम नही बताता • • •

श्री विजय सिंह : नाम लेने में क्या ऐतराज है। वह तो औरत होती है जो अपने पति का नाम नहीं लेती है।

श्री जगन्नाथ पटेल : मैं नहीं कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदयजी, एक थानेदार था टोंक जिले में वह दक्षिण भारत का कमान्ड करता था, वह देवली तहसील में है • • •

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौनसा थाना ?

श्री जगन्नाथ पटेल : नहीं बताता।

कितनी हरकत करते हैं। किसी का कसूर नहीं होता है उसको बुला लेते हैं और उसको पीटते हैं और कहते हैं तुमने चोरी किया। वह जो चोर नहीं है उसको भी पीटते हैं। कितने ही थानेदार ऐसे हैं जिनका कसूर नहीं है उसको भी पीट डालते हैं। मेरा सुझाव है चोरी को पकड़ने के लिये कुत्ते रखें।

श्री रामचन्द्र आर्य : कोई मन्त्री का रिश्तेदार है क्या।

श्री जगन्नाथ पटेल : तुम्हारी तरह बकवास नहीं करता। जब तक सही कसूरवार नहीं हो तब तक मुलजिम को नहीं पीटना चाहिये। इस तरह की पुलिस को ट्रेनिंग दी जाय। जैसे कुत्ते चोर को पकड़ते हैं वैसे वे सिपाही जांच कर लें, थानेदार जांच कर लें तब पीटना चाहिये क्योंकि पीटना ऐसा रिवाज हो गया है कि अच्छे अच्छे आदमियों की इज्जत बिगाड़ देते हैं। माननीय उपाध्यक्षजी एक और निवेदन करूं यह जो पुलिस के अन्दर है इस पुलिस के अन्दर जो कान्स्टेबिल ट्रेनिंग सीख कर थाने में और पोस्ट पर लगाते हैं वह ट्रेन्ड होकर नहीं जाते हैं। अतः उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छी ट्रेनिंग दें तो वे भी गलत काम नहीं करेंगे। जो मैंने बुराई की है उसको अच्छे ढंग से और मैंने खामी बताई है वह आयन्दा न हो और मेरा निवेदन यह है कि यह भ्रष्टाचार है जिसकी वजह से राजस्थान के पुलिस का सिर नीचा होता है और ज्यादा नहीं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भी इस सम्बन्ध में काफी कटौती प्रस्ताव हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पुलिस विभाग में आज किस प्रकार की अव्यवस्था है इस सम्बन्ध में काफी माननीय सदस्यों ने भी गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार सरे आम लोगों के सामने किया जाता है उसकी रोक-थाम के लिये राजस्थान सरकार की ओर से कोई भी कदम आज तक नहीं उठाये गये हैं। सरे आम यह बात कही जाती है कि थाने नीलाम होते हैं। कौन लेता है और किस तरह से पैसे बटोरे जाते हैं। मैं नहीं समझता कि राजस्थान सरकार इस बात को नहीं समझती है कि थाने में जो थानेदार लगाये जाते हैं उनसे पहले पैसे लिये जाते हैं और जो पैसे नहीं देते हैं उनको कहीं दूसरी जगह भेजा जाता हैं और जो पैसे देते हैं उनको अपने गांव के नजदीक, अपने जिले के अन्दर और खास कर गंगानगर में रखा जाता है। इस प्रकार की यह आम शिकायत है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप सही मायने में राजस्थान के पुलिस डिपार्टमेंट में सुधार लाना चाहते हैं तो यह पहली शिकायत को दूर करें ताकि आइन्दा मौका न मिले। थानेदारी की नीलामी होती है। कोई भी अफसर पैसे देकर जाता है तो वह पैसे जनता से वसूल करेंगे और नाजायज तरीके से वसूल करेंगे क्योंकि सही तरीके से पैसे नहीं मिल सकते हैं। लोगों पर झूठे मुकदमें बना कर ही पैसे लेते हैं। इस प्रकार की आम शिकायत है।

गंगानगर ज़िले में इतनी गुण्डागर्दी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों में प्रोत्साहित की जाती है कि पिछले साल मेरे यहां दो गांवों में बड़ी फायरिंग हुई और काफी देर तक गांवों में गोलियां चलीं। थाने में रिपोर्ट करने के बाद में जिन लोगों के ऊपर गोलियां चलीं उन्हीं को पकड़ा गया। गांव ठानीजा घडानाली, तहसील सूरतगढ़ में एक काश्तकार के ऊपर गोलियां चलाईं बदमाशों ने और थाने में गये तो जिसके ऊपर गोलियां चलाई गईं उसी आदमी को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार की गुण्डागर्दी वहां पर आये दिन होती है।

मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि हम जनता की सुविधा के लिए, लोगों के जान-माल की रक्षा के लिए पुलिस तैनात करते हैं, मगर पिछले साल किस तरह से मलचन्द के लोगों को मारा, समरसिंह और गिरधारी-सिंह ने लोगों को कत्ल किया। लेकिन आज भी वे लोग उसी स्थान पर बैठे हुए हैं। क्या उसको आप उचित समझते हैं? क्या उन्होंने इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की? कमीशन बैठा हुआ है, एन्क्वायरी हो रही है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसी सर्किल में उन लोगों को रखा जाय और गवाहों को दबाया जाय, लोगों को प्रभावित किया ताकि केस साबित हो न सके।

टीबी का थानेदार है उसने कई लोगों पर झूठे मुकदमें दर्ज कर रखे हैं। मेरे गांव

(श्री रामचन्द्र आर्य)

के नजदीक एक गांव है जो कि टीबी तहसील में पड़ता है उसमें कई आदमियों पर झूठा मुकदमा कायम किया और उस झूठे मुकदमें में 5—6 हजार उससे खाया। वहां पर जो एक-दो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको वह ज्यादा तरजीह देता है और जो दूसरे लोग जाते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि उसका हौसला बहुत बढ़ा हुआ है। वह समझता है कि मेरे पर सरकार का हाथ है। आपको उसे बदलना चाहिए। आपको इस प्रकार की कार्यवाही को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आज आपके हाथ में सत्ता है। आप उनको रख सकते हैं और जबरदस्ती रख सकते हैं लेकिन उसकी आम लोगों में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती होगी और क्या बात सोचते होंगे ?

सरदार शहर तहसील में भी एक गांव है वहां के एक आदमी ने दूसरे का कत्ल किया और फिर 2—2 साल के बाद में दूसरी की और पिछले साल उसकी लड़की की शादी थी तो गांव में आ गया और आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस के अधिकारियों की नजर में रहते हुए भी उस आदमी को गिरफ्तार नहीं किया गया। दूसरी तरफ शीशराम की कत्ल हुई तो उसमें मेरे इलाके के एक निर्दोष आदमी को जो उस रोज वहां पर था ही नहीं उसको गिरफ्तार किया गया। वह आज भी जेल में है, जिसका कि कोई लावलेश नहीं उसको पकड़ लिया गया। मैं नहीं कहता कि किस तरह से शीशराम मारा गया, लेकिन उस आदमी के लिये कह सकता हूं कि वह उस रोज भी रानी थाने में था। एक तरफ तो उन लोगों का माल व धन कुर्क कर लिया है और दूसरी ओर मारने वाले लोग फरार हैं उसका आज तक पता नहीं है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया......

श्री दौलतराम सारण : उसका नाम रूपजी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : रूपजी को इस्तिहारी मुलजिम कर रखा है लेकिन आज तक उसकी जायदाद को कुर्क नहीं किया गया, लेकिन निर्दोष लोगों को तंग करने के लिए उनके धन, अनाज, मूंग, मोठ, बाजरा आदि को मिला कर थाने में ले गये। इस प्रकार की कार्यवाही उन लोगों से जानबूझ कर करवाते हैं। वह बगैर सरकार के प्रोटेक्शन के नहीं चल सकती है। आपकी शह के बगैर इस प्रकार की कार्यवाही नहीं हो सकती है।

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)
(2.58 म.प.)

अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही उनसे करवाते है। जो मिनिस्टर होते हैं वे उनको बरबाद करवाते हैं। जो सरे आम रिश्वत लेते हैं वे इनके कहने से काम करते हैं। आप उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। उनके खिलाफ चाहे कितनी शिकायतें हों उनकी सुनवाई नहीं होती है। राजस्थान के अन्दर से अनेक जगहों से इस प्रकार की शिकायतें आती हैं और आये दिन कत्ल होते हैं। निर्दोष लोगों का चालान किया जाता है और कई दोषी लोगों को छोड़ दिया जाता है। आये दिन इस प्रकार की शिकायतें

Page No 127

(श्री रामचन्द आर्य)

आपके सामने भेजते हैं लेकिन आप नहीं सुनते हैं। कितने दिन तक नहीं सुनते ? लेकिन आप इस बात को समझते हैं कि राजस्थान की पुलिस को कठपुतली की तरह अपने हाथ पर नचा रहे हैं। चाहे कितना ही जुल्म करें आप कुछ नहीं कहते हैं। वे नाजायज काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनसे नाजायज काम करवाते हैं। रिश्वत नहीं लेते हैं तो वे लोग वहां नहीं रह सकते। यह जो प्रवृत्ति आज पनप रही है वह न तो आपके लिए अच्छी है और न जनता के लिए अच्छी है और न आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी है। आपके अधिकारी थानों में शराब पीते हैं और जो रिपोर्ट करने आते हैं उनसे पैसा मांगते हैं।

पुराने जमाने से थानों में ऊंट रखे जाते हैं लेकिन वे ऊंट थानों में नहीं रहते हैं उनके घरों पर रहते हैं। क्यों नहीं आप थानों के अन्दर जीपें रखें ताकि लोगों की हिफाजत के लिए जा सकें और कोई रिपोर्ट देने के लिए आये तो उसको जीप नहीं देनी पड़े, क्योंकि थानेदार ऊंट पर चढ़ कर नहीं जाते हैं। आज तक एक भी थानेदार नहीं गया। अगर नहीं गया है तो कौन से थाने में कार्यवाही होती है। ऊंट एलाउन्स दिया जाता है। किसी भी थाने में ऊंट नहीं है। इस प्रकार से जो गलत तरीके से आप इनको चला रहे हैं तो थानों से सही तरीके से काम करने के लिए उनको जीपें देना चाहिए। ऊंट वाला सिस्टम समाप्त कर देना चाहिए या फिर उनको पूरा भत्ता देना चाहिए। आज आप एक ऊंट पर 48 रुपया महीना देते हैं जब कि एक ऊंट 200 रुपया महीना खा जाता है स्पष्ट है जिसे 40 रुपया देते हैं तो कोई ऊंट नहीं मिलेगा, और दरअसल में ऊंट से कोई काम नहीं लिया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाही यह भ्रष्टाचार को बढ़ाव देता है।

पुलिस डिपार्टमेंट के अन्दर बीकानेर रेन्ज में सन् 1969 में एक हैड कान्सटेबलों की परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा का परिणाम आज तक घोषित नहीं किया गया। क्या कारण है ? आपके आदमियों को नहीं लिया होगा या आपका एडजस्टमेंट नहीं बैठा होगा इसलिए परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं हो रहे हैं। एक हफ्ते में परीक्षा का परिणाम सामने आना चाहिए चाहे कोई फेल हो या पास हो। परीक्षा देने के बाद उसको रोक रखना यह कोई न्याय की बात नहीं है। आप जो भी काम करते हैं उसमें प्रोफिट देखते हैं, इससे आमदनी होती है या नहीं। आमदनी के सोर्सेज से राज्य नहीं चला करते हैं। राज्य तो तरीके से चला करते हैं शासन को चलाने के लिए क्षमता होनी चाहिए। (समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री सभापति : बीमारी आपके अन्दर बोलने की है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह भी निवेदन करने चाहता हूं कि बीकानेर में हैड कान्सटेबलों की परिक्षा का परिणाम सामने आना चाहिए ताकि लोगों के दिलों में जो भ्रान्ति है वह दूर हो। काफी आदमी इससे चिन्तित हैं कि परीक्षा तो दी

(श्री रामचन्द्र आर्य)
लेकिन आज तक परिणाम सामने नहीं आया ।

इसी तरह से अनूपगढ़ तहसील में सूरतगढ़ के इलाके में वहां आये दिन गुण्डागर्दी होती है । लोगों की फसलें लूटी जाती हैं गुन्डों की गेंग फिर रही हैं, गेंग बदमासों की । इस प्रकार के लोगों को आप प्रोत्साहन देते हैं । आपके पुलिस के अधिकारियों का उसमें हाथ है क्योंकि थाने में उसकी सुनवाई नहीं होती है और वे गुन्डे हजारों बीघा जमीन पर नाजायज काश्त करते हैं और वह पुलिस की शह से करते हैं । तो क्या आपको उनकी गतिविधियां मालूम नहीं हैं, लेकिन आपने सूबेदारी सिस्टम कायम कर रखा है और वहां के जो राज्य मंत्री हैं वे जा बेजा करवाते हैं और उन लोगों के साथ में इनका हिस्सा है और सरेआम उन लोगों को काश्त करवाते हैं । वे लोग बदमाशी करते हैं उसके अन्दर उनका हिस्सा रहता है । इसकी बराबर शिकायत करते हैं और पिछले दिन मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि एक हरिजन की फसल लूट ली गई लेकिन उसकी कोई सुनवायी नहीं हुई । वह कलेक्टर के पास गया तो वह सुनता नहीं । तो आप सोच सकते हैं कि उस इलाके के गरीब लोगों कैसे रह सकते हैं और किस तरह से उनके जान-माल की रक्षा हो सकती है । अनेक कत्ल होते हैं । अनूपगढ़ क्षेत्र में लोगों को मारकर नालियों में डाल देते हैं उनकी कोई रिपोर्ट नहीं होती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई जबान नहीं खोल सकते हैं । वहां पर आई. जो. पी. के मुरब्बे हैं उसके कारण वहां पर गुण्डागर्दी को प्रोत्साहन मिल रहा है ।

गंगानगर जिले में इस तरह सैकड़ों केस हैं, जिनमें लाखों रुपये रिश्वत लिये गये जनता को न्याय नहीं मिले । पुलिस ताण्डव नृत्य करती रहे । आप यहां बैठकर कहें कि हमने इतने डाकू मार दिये हैं ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । 15 मिनिट हो गये हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अभी तो 15 मिनट और हैं ।

श्री सभापति : 10 मिनिट के आपने 15 मिनिट ले लिये हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अभी तो मैं जेल के बारे में और कहूंगा ।

श्री सभापति : आप 2 मिनिट में खत्म कर दें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस तरह से गंगानगर में सही माने में जो कत्ल करने वाले हैं, वह गिरफ्तार नहीं हुए हैं । आप उनकी जांच करें । वहां के लोग यहां आये हैं । उन्होंने सारी जानकारी दी है । मैं चाहूंगा कि उसकी ठीक प्रकार से जांच करवायें । उसकी जांच ऐसे आदमी से करवाये जो आदमी रिश्वत नहीं लेता हो । मेरे ख्याल में आप के राज्य में शायद ही कोई आदमी ऐसा हो जो रिश्वत नहीं लेता हो । एण्टी-करप्शन में आप वही आदमी भेजते हैं जो पहले थाने में रहते हैं । अगर कोई किसी को पकड़वाने आता है तो उसको पहले सूचना दे दी जाती हैं । आप एण्टी-करप्शन में ईमानदार आदमियों को भरती करें । पुलिस से सी. आई. डी. और सी.आई.

(श्री रामचन्द्र आर्य)

डी. से एण्टीकरप्शन में लगा देते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति से भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं हो सकता है। पकड़ेंगे तो किसे पकड़ेंगे, हैड. कानि. को पकड़ेंगे, सिपाही को पकड़ेंगे। बड़े आदमी को नहीं पकड़ेंगे। उसे तो पहले ही टेलीफोन पर सूचना कर देते हैं कि हम आ रहे हैं। इस प्रकार की कार्यवाही राजस्थान में आपको बन्द करनी चाहिए।

अब मैं जेल के बारे में एक दो शब्द कहूंगा। यदि आप जेल जाकर देखें कि किस प्रकार की हालत है। आप ने जेल कभी काटी है या नहीं काटी है? यदि काटी है तो क्या आप भूल गये हैं? अधिकतर तो ऐसे आदमी सरकार में बैठे हैं जिन्होंने जेल का फाटक तक नहीं देखा है। पंजाब के अन्दर एक साल में एक महीने की छुट्टी दी जाती है, यहां 314 सजा काटने पर भी छुट्टी नहीं होती है। यहां खाना अच्छा नहीं मिलता है। उनको सड़ी गली सब्जी दी जाती है। मक्खियों से वह स्थान सड़ता रहता है। उनको गन्दगी में रखा जाता है। उनको इसलिए बन्द रखते हैं कि वह भाग नहीं जायें लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में उन बैरकों में पंखे नहीं हैं। उन बैरकों में पंखे होने चाहिए। पेशाब भी रात में वह वहीं करते हैं। टट्टी भी वहीं करते हैं। उनको चाय भी नहीं दी जाती है। आज जो मांग कर खाने वाला है, वह भी चाय पीता है। तो आप जेल में चाय नहीं दे सकते हैं? ऐसी दाल खाने के लिये देते हैं जिसको कुता भी नहीं खा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी प्रकार से जेल के कर्मचारी हैं, जिनको 4 क्लास में रखते हैं। उनको कोई भी अलाउन्स नहीं मिलता है। 11-11 घंटे उनसे ड्यूटी ली जाती है। आपकी पुलिस में जैसे दूसरे कर्मचारी हैं; जो उनको दिया जाता है वही उनको भी दिया जाना चाहिए। आप जेल में जाकर निरीक्षण भी नहीं करते हैं। आप जाते हैं तो जेल के फाटक से लौट आते हैं। उनको देखना चाहिए कि क्या खाने का प्रबन्ध है। किस तरह का भोजन देते हैं। मनोरंजन का कोई साधन दिया जाता है या नहीं? एक तरफ तो यह कहा जाय कि यह प्रजातन्त्र है और दूसरी तरफ उनको सड़ा गला खाना दिया जाता है। क्या आप जेल में सुधार नहीं कर सकते हैं। आपने जेल सुधार कमेटी बनाई थी। लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। सब पुराने तरीके पर चल रहा है।

इन्सान गुनाह करता है लेकिन वह इन्सान ही है। आपको भी एक न एक दिन जेल जाना पड़ेगा। आपने ऐसे काम किये हैं। वह भी इन्सान हैं। इन्सान से गलती होती है। काफी आदमी ऐसे हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं की है फिर भी वह जेल काट रहे हैं। एक बार एक आदमी हमको जेल में मिला। वह गूंगा था। वहां पर उसका नाम लिखा हुआ था गूंगा वल्द पाकिस्तान। बाप का नाम पाकिस्तान लिख दिया। इस प्रकार मैं नहीं समझता कि इस देश में इस प्रकार का व्यवहार हो। कई ऐसे होते हैं जिनको पुलिस 109 में

(श्री रामचन्द्र आर्य)
पकड़ कर रख देती है। मजिस्ट्रेट सजा बोल देता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : अभी दो प्रस्ताव मेरे न्याय प्रशासन पर हैं।

श्री सभापति : एक मिनिट में समाप्त कर दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : न्याय प्रशासन के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि जुडिशियल अदालतों और प्रशासनिक अदालतें अलग अलग हैं। उनका खुलने और बन्द होने का टाइम भी अलग अलग है। एक 7 बजे खुलती है और 11 बजे बन्द हो जाती है। इससे जनता को बड़ी परेशानी होती है। उनको बराबर खुलना चाहिए।

श्री बरकतुल्ला खान : अब तो सबका एक ही टाइम है।

श्री रामचन्द्र आर्य : खुलते हैं, तो न्याय मंत्री जी हैं वह इसका जवाब दे देंगे। मैं यह कहता हूं कि नहीं खुलते हैं।

दूसरी जुडिशियल अदालत हैं, उनके अन्दर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया है। किसी भी गरीब आदमी को बिना पैसा दिये न्याय नहीं मिलता है। एक तरफ तो कहा जाता है कि यह हाई कोर्ट के अन्डर में अदालत हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरी तरफ वह कार्यवाही कराना चाहते हैं कि जो रिश्वत लेने वाला आदमी है, उसकी कार्यवाही की गहराई के अन्दर जाकर देखें तो उसके द्वारा मुकदमें लटकाये जाते हैं, तारीखें बदली जाती है और तीन तीन साल तक फैसला नहीं किया जाता है। इस बात को देखना चाहिए, ताकि लोगों को न्याय हासिल हो सके। आज पैसे से न्याय मिलता है, बिना पैसे न्याय नहीं मिलता है। जिसकी जेब में पैसा है उसको न्याय मिलता है। जब तक आपका शासन रहेगा, मैं नहीं समझता, इसमें कोई सुधार होने वाला है। क्योंकि जिस समय बजट पेश होता है, उस समय आप आश्वासन देते हैं, लेकिन बाद में एक भी पूरा नहीं होता है। भादरा के मजिस्ट्रेट ने सुरेन्द्र चौधरी पी. एस. आई. के विरुद्ध वारन्ट जारी किया, उसकी कापी न्याय मंत्री जी को मैंने दी थी। वही पी. एस. आई. आज मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हो गया है, कोई कार्यवाही नहीं की। आज उस फाइल का पता नहीं लग सकता है, वह फाइल फाड़ कर फैंक दी गई। जो गिरफ्तार करने के लिए वारंट निकाला गया, उसकी कापी मैंने सदन की मेज पर रख दी, लेकिन उसका आज तक उत्तर नहीं मिला है। मैं कहता हूं कि सदन में आप जो कहते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं। आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। इस सदन में जो कह कर जाते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं। इसके उदाहरण कई दिये जा सकते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं बता नहीं सकता हूं। आप खुद जानते हैं, आप कितने वायदे करते है और उनमें से कितने पूरे करते हैं। यहां इस सदन में कितनी ही घोषणायें की जाती हैं लेकिन इनमें से किस तरह से कितनी अमल में लाये हैं यह आप खुद जानते हैं, मैं ज्यादा न कहते हुए,

(श्री रामचन्द्र आर्य)
यह जो मेरे कट मोशन हैं, यह पेश करता हूं. और मैं आशा करता हूं, मेरे कट मोशन ज्यादा हैं पुलिस विभाग पर, वह 25 हैं और जेल पर 18 हैं, न्याय प्रशासन पर दो हैं। मैं न्याय प्रशासन के दोनों कट मोशन पर बोला हूं. लेकिन पुलिस विभाग के सब कट मोशन पर नहीं बोल सका हूं। इसलिए जितने कट मोशन मैंने दिये हैं उनका उत्तर मुझे मिलना चाहिए। सारे कट मोशन पर मैं बोलता तो कम से कम दो घंटे चाहिए, लेकिन 10 मिनट मिलते हैं। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितने कट मोशन मैंने रखे हैं उनका उत्तर मिलना चाहिए।

श्री सभापति : इसलिए ही आपको दुगुना समय दिया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता !

श्री दिग्विजयसिंह : इधर भी बैठे हैं, माननीय सभापति महोदय !

श्री लादूराम सुल्तानिया : नजर नहीं है।

श्री सभापति : कई होग्यो ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति महोदय, पुलिस द्वारा होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहूं, इसके पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं पुलिस के कई ऊंचे अधिकारियों को जानता हूं, वह निहायत ईमानदार हैं और भावनाशील लोग हैं. फिर क्या कारण है कि पुलिस में इतना भ्रष्टाचार है ? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जब शराब के कारण कोई जुर्म होता है, तो यदि सब इन्सपेक्टर, जिसे जुर्म को रोकना चाहे वे सब इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर खुद शराब पीयें, तमाम अधिकारी शराब पीयें तो फिर जुर्म रुकेगा कैसे क्योंकि शराब पीने के लिए बहुत पैसा चाहिए, इसलिये जो जुर्म करते हैं उनसे वह पैसा लेते हैं। इसलिए इसको बढ़ावा इस कारण से मिलता है। दूसरा कारण है, जब सुपरिंटेण्डेण्ट पुलिस जानते हैं, डी. आई. जी. जानते हैं, आई. जी. जानते हैं कि अमुक आफिसर अच्छा नहीं है, और उसका तबादला करते हैं। और जब सब इन्सपेक्टर का तबादला होता है तो मंत्री महोदय को मजबूर किया जाता है, उन्हें दूसरे मंत्री कार्यकर्ता मजबूर करते हैं कि यह आदमी अच्छा है, इसको यहीं रखिये। अब आई. जी. पी., डी. आई. जी. या एस. पी. ने तबादला किया किसी का, और मंत्री महोदय के टेलीफोन से उसका ट्रान्सफर मुल्तवी करते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, क्या परवाह वह आई. जी., डी. आई. जी. या एस. पी. की करेगा, उसका तबादला तो कार्यकर्त्ताओं ने मुल्तवी करा दिया। जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, पुलिस में जिस दिन यह तय हो जायगा, आई. जी. मिनिस्टर से यह तय करवा लेगा कि कोई शराब नहीं पीयेगा तो इसमें फर्क आयेगा। इसके अलावा डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में कार्यकर्त्ताओं का दखल जो हो गया है वह मुल्तवी होगा, उस दिन आई. जी., डी. आई. जी. अपने हिसाब से जिसको उचित समझेंगे, एस. पी. जिसको रखना चाहे उसको रखेगा, जितना तबादला करना

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

चाहेगा उस हिसाब से उसका तबादला होगा और उस दिन मिनिस्टर भी कह देंगे कि यह नहीं हो सकता है। अभी भी कई दफा ऐसे प्रसंग आते हैं कि कभी-कभी इन्कार कर देते हैं तो बहुत खुशी होती हैं। काछोल में एक सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध रेप का एक केस आया, और वह निगाह में आया तो उसको सस्पेण्ड करना पड़ा, उस सम्बन्ध में प्रधान ने और दूसरे कार्यकर्त्ताओं ने होम मिनिस्टर को दबाया, लेकिन होम मिनिस्टर ने हां नहीं भरी। वह अभी भी सस्पेन्शन में चल रहा है। उसके सम्बन्ध में कार्यवाही होगी। ऐसे मामले आयें और उन पर कार्यवाही हो तो मामला ठीक होगा। काछोल के सब-इन्सपेक्टर हैं, उसका मामला है। इसके अलावा धामनिया की औरत और बीगोद की लड़की का मामला है, जो ओसवाल समाज की थी, उसके कत्ल का मामला था। वह संदिग्ध अवस्था में जल कर मर गई। आस पास के पचास, साठ, सत्तर गांव के सब लोग कहते हैं कि यह मारी गई है, जलाई गई है। इस तरह से नहीं मरी है। लेकिन पुलिस सब-इन्सपेक्टर ने कार्यवाही नहीं की। इसमें शक नहीं कि वह दोनों हटे हैं। भीलवाड़ा अस्पताल में गये, डाइंग डिक्लेरेशन नहीं हो सका, वह मर गई। इन्सपेक्टर ने केस दर्ज किया, सब-इन्सपेक्टर ने कोई कार्यवाही नहीं की, जो अब सस्पेन्शन से चल रहा है। फलासिया का कत्ल हुआ, खजीन गांव में कत्ल हुआ, उसका पता नहीं लगा। कत्ल किसने किया, पता लगा नहीं। जो लगा रहा पैसा खाने में उसका एस. पी. ने तबादला किया लेकिन होम मिनिस्टर से प्रेशर डलवा कर उसको वापिस वहीं रखवा दिया। तो जब बाड़ ही खेत को खाने लगे तो किसको कहें। यह कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं। आज भ्रष्टाचार किस महकमे में नहीं है। सच बात तो यह है कि इस विभाग की टक्कर के महकमे कई हो गये हैं, गुरु से बढ़कर चेले हो गये हैं, वह इससे ज्यादा पैसा खाने लगे गये हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों से कहते हैं तो वह कहते हैं, आप किस मुंह से कहते हैं भ्रष्टाचार है? जब आजादी से पहले आपमें से कई लोगों के चालीस-चालीस पैबन्द लगे हुये होते थे, उनको खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलती थी, आज उनके बंगले हैं, उनके पास मोटर है, नहरी जमीन है, औरत सोने से लदी हैं, बैंक बैलेन्स हो रहा है। आप हमारी ईमानदारी की बात करते हैं? उनका सही कहना है, इसलिए हमें अपने आपको शुद्ध करना पड़ेगा। आज हालत बिगड़ चुकी है, वह ठीक है, आप बार-बार चुनाव में जीतते हैं, आप भविष्य में भी जीत जायेंगे। इसका मतलब यह न समझिये, कि जनता आपके पक्ष में है। एक वक्त था जब सफेद कपड़े देख कर लोगबाग जय-जयकार करते थे, आज वह वक्त आ गया है जब सफेद कपड़े को देखकर लोगों की पीटने की इच्छा होती है। गांधीजी के शब्द साकार होने का दिन दूर नहीं है, गांधीजी ने कहा था, लोग चुन-चुन कर मारेंगे। तो वह वक्त आ रहा है। यह नहीं है कि मैं कांग्रेस सरकार को ही दोष दे रहा हूं, जहां संविद सरकार है, वहां क्या भ्रष्टाचार कम हो गया है। इसलिए हम

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक यह नहीं समझेंगे कि यह राष्ट्र पहले है, जिस प्रकार पूर्वी बंगाल के लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए लाखों प्राणों की आहूति दे रहे हैं, उसी तरह की स्थिति इस देश में नहीं आयेगी तब कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। पुलिस विभाग बहुत बड़ा विभाग है, जन सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, जो राज्य जनता को सुरक्षा न दे सके, चोरी होती रहें, चोर आनन्द से घूमते रहें, चोरों में कोई डर न रहे यह बात नहीं है कि दोषी व्यक्तियों को आप सजा नहीं दे सकते। आज कुछ सब-इन्सपेक्टर, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं जो ईमानदार हैं सच्चे हैं, लेकिन अधिकांश ईमानदार नहीं है, उनमें से दो चार को अच्छी तरह से गिरफ्तार में ले लें तो इस बुराई से कुछ हद तक छुटकारा हो सकता है लेकिन क्योंकि जब बड़े बड़े चोर यों ही घूमते हैं तो आज सजा किसको मिलती है। आज तो यह चरितार्थ हो रहा है ? ' धाड़ेती बैठा महलां में पर चोह मक्या का जेला में"।

जो छोटी छोटी चोरी करते हैं उसको सजा मिलती है। इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिये। मैं समझता हूं कि हम लोग हमारे जोवन में जितनी ईमानदारी और सच्चाई को उतारेंगे, जितनी ईमानदारी और सच्चाई अधिकारी अपने मन में उतारेंगे, उतनी ही छोटे कर्मचारियों के मन में उतरेगी। लेकिन शर्मा वाइन स्टोर, गुप्ता वाइन स्टोर–इनसे शेम्पेन की बोतल कहां से आये ? वह पौने दो सौ रुपये में आती है। लेकिन इस सरकार को शर्म नहीं आती है, यह तो राज्य की शराब से आमदनी बढ़ाने में लगी हुई है। जब शराब की डिमाण्ड आयेगी तब उस पर बोलूंगा लेकिन सर्वनाश लाने के लिए शराब की आमदनी बढ़ाने में गौरव समझ रहे हैं। जैसे जैसे राज्य में शराब बढ़ेगी, वैसे वैसे भ्रष्टाचार पनपेगा और चारों तरफ हाहाकार होगा, जुल्म की पराकाष्ठा होगी, लोगों पर नाना प्रकार के संकट आयेंगे। अब जुए के अड्डे जो चल रहे हैं, भीलवाड़ा में चल रहे है, लोग आंक लगाते हैं, उनको हम कैसे रोकें ? जब कि राज्य खुद आंक लगा रहा है ? एक रुपये पर दस लाख, एक रुपये पर सोलह लाख–जब इतना बड़ा जुआ सरकार ने खोल रखा है · ·

श्री भैरोंसिंह : लखपति बनाने की योजना है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक महीने में एक लखपति बने, तो आप अन्दाज लगाइये, राजस्थान में कितने परिवार हैं, एक महीने में एक लखपति बनाते हैं तो चालीस लाख को कब तक लखपति बना सकेंगे। यह सोचिये, अब सोलह लाख मिलेंगे एक आदमी को, तो यह आयेगा कहां से ? जब चालीस लाख के टिकट बेचे जायेंगे तब जाकर एक आदमी को मिलेगा। जिस तरह रमी के खेल में दो जगह माइनस होगा तब जाकर एक का प्लस होगा · · ·

एक माननीय सदस्य : तब तक समाजवाद आ जायगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : समाजवाद तो त्याग और तपस्या से आता है, कभी भाषणों से नहीं आता है।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

समाजवाद शराब की आमदनी से नहीं आता है, लाटरी की आमदनी से नहीं आता है, रेफ्रीजरेटर रखने से या कार में बैठने से नहीं आता है। समाजवाद आएगा जैसे सतवन्ती और हैं उसकी शाल में 40-40 पेबन्द होते हैं। इसी तरह त्याग भावना अपनाने पर आयगा।

सतवन्ती का साल में, ठोड़ 2 पेबन्द।
वा कई जाणे बापड़ी वैश्या यों आनंद ॥

वैश्या यह आनन्द नहीं जान सकती। समाजवाद अगर लाना है तो गांधी को सामने रखना पड़ेगा बुद्ध को और कृष्ण को सामने रखना पड़ेगा लेकिन दुर्भाग्य से वोट लेने की जो नीयत रहती है, चाहे विरोधी, चाहे कांग्रेस पक्ष की रहती है, वह खराब है। हम गांवों में जाते हैं, देखते हैं कि इस आदमी के हाथ में 50 वोट हैं, यह जानते हैं कि यह गुंडा है, फिर भी उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठायेंगे क्योंकि डर लगता है कि 50 वोट चले जायेंगे। लेकिन अगर आप एक गुंडे को दबा लेंगे, वह 50 वोट अनचाहे आपके हो जायेंगे। आपने कई लोगों को जेल में डाल रखा है शाहपुरा के सपूत एक वकील जेल में सड़ रहा है, इस तरह से कम्यूनिस्ट कार्यकर्ता जेल में सड़ रहे हैं। कभी आपने इस बात की कल्पना की है कि जब आपके हाथों से राज चला जाएगा और विरोधी दलों के हाथ में आएगा तो आप लोगों को भी इसी तरह जेल में रखेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आप सम्पतसिंह की बात करते हैं?

श्री मनोहरसिंह मेहता : उन्होंने तो रास्ता ही दूसरा ले लिया। कांग्रेस का ताबीज बांध लिया तो फिर कितने ही जुर्म करो, सब क्षम्य हैं। अगर ताबीज निकल जाएगा तो दूसरे दिन जेल में मिलेगा। जिसके लिए प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ...

श्री भैरोंसिंह : ताबीज से मतलब सम्पतसिंह वही है जिसको प्रिवेन्टिव डिटेन्शन में गिरफ्तार किया और छूटने के बाद कांग्रेस जोइन कर ली?

श्री मनोहरसिंह मेहता : हां वही सम्पतसिंह जिसके लिए प्रिवेन्टिव डिटेन्शन लगाया, वही सम्पतसिंह जब कांग्रेस में चला गया, ताबीज बंधवा लिया तो देवता बन गया। इस तरह से नहीं चलेगी। यह भयंकर पाप कर रहे हैं। ठीक है क्योंकि मानव कमजोर होता है, जैसे उनको हुक्म देते हैं, वैसा करता है, उल्टा सुल्टा केस बना लेते हैं लेकिन यह नहीं चलेगा। मैं भी विधान सभा में बोल बोलकर परेशान हो गया, तबदीली तभी आएगी जब जनता चेतेगी जैसे पूर्व बंगाल चेत गया, लाखों लोग चले गए लेकिन उनको आजादी मिलेगी जिस दिन भारत उनको मान्यता देगा। खैर यह आज प्रसंग नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूं।

अब कारागार के संबन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। सच्चे माने में सुधारगृह होने चाहिए। आदमी गुस्से में आकर विवेक खोता है, वह मनुष्य नहीं रहता है। उस समय दानव बन जाता है। उसका सुधार गृह होना चाहिए। मैं पुलिस पर बोलते समय भूल गया कि मेरे क्षेत्र में जैसे गंगानगर मशहूर है उसी तरह बिजोलिया मशहूर है। जो अधिकारी गंगानगर चला जाता है वह मालामाल हो जाता है। उसी तरह

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
जो बिजलिया चला जाता है वह माला-माल होता है क्योंकि वह जुर्म के स्थान हैं। जहां शराब होगी वहां जुर्म ही जुर्म होंगे। गंगानगर के बारे में कहता हूं कि वहां 5 ब हैं-बंदूक, बोतल, बकरा, बैर और बदला क्योंकि वहां शराब ही शराब है। हर आदमी के कंधे पर बंदूक हैं, हर आदमी की जेब में बोतल है, हर होटल में गोश्त है, बैर होने पर बदला लेने के लिए गाली नहीं देते, बंदूक से लड़ते हैं। बिजोलिया में भी यही स्थिति है। किसी को आग लगा दें पता नहीं लगता, औरतों को इधर से उधर उड़ाया जाता है, जो थानेदार तीन वर्ष वहां रह जाता है, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि थानेदारों को राज की जीप दी जाए लेकिन वहां का सब-इन्सपेक्टर खुद इस स्थिति में आ गया है कि जीप खरीदते हैं। कृपा करके इतने दिन किसी को एक स्थान पर मत रखो। जो ईमानदार व्यक्ति हों उनको वहां भेजिए।

यह बात कारागार के सम्बन्ध में भी है, जो ईमानदार हों जो सच्चे हों, निष्ठावान हों जिनके मन में दर्द हो उनको वहां भेजें। पुलिस में भी अच्छे आदमी हैं, कारागारों में अच्छे आदमी हैं, मन्त्रियों में भी हैं, बुरे सब तरफ हैं। लेकिन जो शराब पीने वाले नहीं है न ही रिश्वत खाने वाले हैं उनको कारागार में नियुक्त करें। कारागार मंत्री कभी वहां कैदियों के साथ बैठकर भोजन कर लें कहीं उसमें कंकर तो नहीं है। उनको खाना कैसा मिलता है. अनायास चले जायं, पंगत में बैठकर खाना खा लें। ठीक है उन्होंने जुर्म किया है। हम में से हरेक अपने आपको टटोले, कई जुर्म नित्य करते हैं, सोच नहीं पाते। निश्चित रूप से आपको उनसे मिलना चाहिये। वहां सफाई की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वापिस जब जेल से निकलें, ऐसे इन्सान बन कर निकलें कि वे 100 100, 200, 200, भाइयों का सुधार हो सके।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्र कुमार।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, आज पुलिस की डिमांड है। आज कई जगह राज में या देश में इन्सान अपनी जान माल की रक्षा के लिए पुलिस का सहयोग लेता है और लेना जरूरी है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पुलिस देश में किसी भी राज्य में, तहसील के अन्दर, लोगों से पैसा लेती है भ्रष्टाचार फैलाती है, इस तरह का उनका आरोप है। माननीय विरोधीदल के सदस्यों ने कहा। मैं मानता हूं यदि कोई लड़ाई हो जाए और लड़ने के समय पुलिस के आदमी न जायें तो वह अच्छा नहीं है और मौके पर कार्यवाही करनी चाहिये। मैं मानता हूं कि इन पुलिस वालों ने कौनसी गंगा का स्नान कराया जाए ताकि वे पवित्र हो जायें। इस विभाग में बहुत से ईमानदार आदमी भी हैं। मान लीजिए एक आध आदमी थोड़े पैसे खा भी गया हो लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि खेरवाड़ा और उयपुर जिले में, सराड़ा में अधिकतर हमारे आदिवासी मिलीटरी के अलावा पुलिस में ज्यादा हैं और वे रात दिन कई सवाई माधोपुर हैं, राजस्थान के कौने-कौने में अपनी वीरता को लेकर चलते हैं और फौज में भी जाकर काम करते हैं लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी आज तक

(श्री देवेन्द्र कुमार)
वहीं बना रखी है जिनके लिए डकैतों का सफाया करना जरूरी है। तो खैरवाड़ा में अंग्रेजों के समय से ही छावनी है वहां आदिवासी एरिया है, वहां के लोग फौज में हैं, जो राजस्थान में किसी भी झगड़े में चले जायेंगे तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो मैं माननीय गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके बहादुरी के जो हौंसले हैं उनको कायम रखने के लिए उनका प्रमोशन हो, उनको इन्क्रीमेंट मिले और पक्षपात नहीं होना चाहिये। ये छोटे लोग काम करते हैं, इनकी काम करने की ताकत बड़ी होती है, लेकिन इनकी आर्थिक हालत सही नहीं है। उनको समय पर प्रमोशन आदि नहीं मिलने से, सही महनत का पैसा नहीं मिलने से वे निराश हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। आदिवासी और हरिजन लोग हैं देश की रक्षा करने की भावना रखते हैं, उनको जरूर प्रोत्साहन और प्रमोशन मिलना चाहिये और आगे बढ़ने का मौका देना चाहिये।

मैं आपके द्वारा माननीय गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि उदयपुर डिवीजन में हमारे एक दो आदमी सब इन्स्पेक्टर बने हुए हैं। नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। किसी परिस्थिति वश ही कहना पड़ता है। दो तीन आदमी हैं पुराने हैं उनको सब-इन्सपेक्टर बना रखा है लेकिन प्रमोशन के टाइम आते हैं तो उनको मौका नहीं मिला। उनको मौका नहीं मिला जब कि वे सब काम जानते हैं, पुलिस का काम और फील्ड का काम होता है वे सब करते हैं। शोभाराम जी सब-इन्सपेक्टर पुलिस में हैं उनको आर. ए.सी. का प्रमोशन मिले ताकि दूसरे लोगों के भी हौसले बढ़ें। मेट्रिक तक पढे लिखे व्यक्ति होंगे तो जरूर पुलिस में भरती होने के लिए जावेंगे। ऐसा होने से दूसरे लोगों को उत्साह होगा और वे अच्छा काम करेंगे। इस गरीब एरिया का सबसे बड़ा यही धन्धा है कि पुलिस और आरमी में भरती होना और देश के लिए चाहे उनकी छुट्टी मिले या न मिले तब भी आदिवासी लोग वफादार होते हैं। उस एरिया में जहां कि आदिवासी एरिया हैं वहां पुलिस में भरती अधिक हो उसके लिए निवेदन किया और आपसे फिर गृह मन्त्री जी निवेदन करना चाहता हूं कि खैरवाड़ा छावनी है, वहां पर आर. ए. सी. केन्द्र व ट्रेनिंग कैम्प खोला जावे, आर. ए. सी. का या कोई खोले जिससे आस पास के लड़के आकर पुलिस और फौज में भरती होंगे और वे हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में उनको भेज देंगे तो भी जावेंगे और सदैव देश की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे। लाचारी हालत होने के कारण वे बाहर अपने पैसे से नहीं जा सकते हैं। बाहर जाना उनके लिए मुश्किल होता है। उनकी भावना बहुत है लेकिन जयपुर जोधपुर आदि जगह पर पैसा न होने से उनके लिए मुश्किल होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उनमें उत्साह पैदा करने के लिए खैरवाड़ा में ट्रेनिंग कैम्प खोला जावे ताकि उसमें रह कर हमारा जवान तैयार होकर राजस्थान और हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में जा सकता है और उसको भेज सकते हैं।

साथ साथ आपके द्वारा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय विधि मन्त्री

(श्री देवेन्द्र कुमार)

जी से हमने कई बार बात कही थी और हमारे उधर के एरिया के लोगों ने माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी प्रार्थना की थी कि कोटड़ा फलासिया खेरवाड़ा का इधर का इलाका ऐसा है कि वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है । हमने कहां कि खेरवाड़ा में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कायम हो जाय ताकि किसी भी समय जाकर पेशी पर हाजिर हो सकते हैं। किन्तु अभी उनको डूंगरपुर और सलूम्बर जाना पड़ता है। वारिश के टाइम में क्या होता है कि उदयपुर होकर सलूम्बर जाना पड़ता है। बीच का रास्ता कच्चा है। पुलिया न होने से जा नहीं सकते। उनके लिए उदयपुर जाना बहुत कठिन हो जाता है । जाने में बड़ी दिक्कत होती है । यह निवेदन करना चाहता हूं कि खेरवाड़ा में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कायम की जाय ताकि आदिवासियों और अन्य गरीब लोगों को सहूलियत हो सके और आर्थिक दृष्टि से भी न्याय ले सके ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस तरह से डूंगरपुर में मैंने अभी सुना है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट और खोल रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि जब हम बराबर मांग कर रहे हैं और अगर हमारी मांग पर सरकार अब भी ध्यान नहीं देगी तो आदिवासियों में असंतोष फैलेगा और आन्दोलन करेंगे चाहे इसके लिये जेल जाना पड़े। हमारी मांग है। गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं। मकान नहीं हैं यह कहते हैं। लेकिन खेरवाड़ा, मोटड़ा सराड़ा के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि वहां मकान हैं और वहां पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट जल्दी से जल्दी कायम करना चाहिये। ताकि प्रोत्साहित हों। इतना ही कह कर भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : श्री देवीदत्त गाड़िया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : (बारां) माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस की मांग के सम्बन्ध में यह बहस चल रही है । राजस्थान के अन्दर लोक तन्त्र की दुहाई देने वाली यह सरकार जिसके पुलिस विभाग में नीचे से लेकर ऊपर तक सर्वथा भ्रष्टाचार व्याप्त है और लोकतन्त्र को यदि मजबूत करना है तो विपक्षी दल भी अधिक अधिक सशक्त होना चाहिये लेकिन राजस्थान का सत्तारूढ़ दल विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को कुचलने के लिये स्थान स्थान पर कांग्रेस के कुछ नेता और कुछ एम. एल. ए. विरोधी दल के कार्यकर्ताओं पर फरजी मुकद्दमें बनाकर, पुलिस के एस. पी. डिप्टी एस. पी. और थानेदार पर नाजायज दबाव डालकर उनकी गिरफ्तारियां करवाते हैं। मैं माननीय गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के अत्याचार चाहे बारां हो, भीलवाड़ा हो, चाहे शाहपुरा हो, चाहे बूंदी हो, आपकी इस प्रकार की हरकतें जारी रहीं तो जनता के अन्दर भी प्रतिशोध की भावना पैदा होगी । मैं चाहूंगा कि गृह मन्त्री जी उस हरकत के सम्बन्ध में जनता ने और विरोधी दल के लोगों ने लिखकर दिया आपको दिया और आई. जी. पी. को दिया, उनके पास शिकायतें की लेकिन आई. जी. पी. की तो हिम्मत नहीं कि वह जांच कर सके । एक और कांग्रेस के नेता और विधायक को कहते हुए संकोच भी

(श्री देवीदत्त गाडिया)

होता हैं। और दुख भी होता है कि सदन के अन्दर कांग्रेस के मुख्य सचेतक विरोधी दलों के कार्यकर्त्ताओं को कुचलने के लिए थानेदार और डी. वाई. एस. पी. की मदद लेकर फरजी मुकदमे बना रहे हैं और मार-पीट करवा रहे हैं। गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या कार्यवाही की ? इतना ही नहीं, सभापति महोदय, लोक तन्त्र के अन्दर सब पार्टियों को जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष करने की अधिकार है। यदि सत्तारूढदल जनता की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देता है तो विरोधी दल अपने कर्तव्य को नहीं भूल सकता है। जब कभी भी गृह मन्त्री और मुख्य मन्त्री का जनता काले झंडों से स्वागत करती है। और प्रदर्शन करती है तो उन पर लाठी चार्ज कराया जाता है और अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते हैं और नाना प्रकार की धारायें लगा कर उन पर मुकदमे चलाते हैं।

विरोधी दल मुकदमों से नहीं डरता है। आपके जुल्म और अत्याचार से नहीं डरता है। मैं न्याय की दृष्टि से पूछना चाहता हूं कि वह चाहे बूंदी और झालावाड़ के मुकदमें हों चाहे बदनावर के मुकदमें हो पुलिस इन मुकदमों में तारीख पर तारीख डलवाती है। केसेज पड़ते हैं और मजिस्ट्रेट तारीख बदलता है। पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। मैं गृह मन्त्रीजी आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इन केसेज का चालान क्यों नहीं करते, अदालती कार्यवाही क्यों नहीं करते, इस प्रकार विरोधी दलों को परेशान करते हैं न्यायालयों की शरण को लेकर। बारां के अन्दर जिस समय उपमन्त्री रामचरण जो गये थे जनता ने इनका विरोध किया लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन आज तक एक की भी पेशी नहीं हुई। मजिस्ट्रेट आता है और पुलिस तारीख बदलवाती है लगातार ढाई साल हो गया एक भी गवाह पेश नहीं हुआ। या तो आप मुकदमा चलाकर कार्यवाही करवायें। इस प्रकार तारीखें बदला कर आप विरोधी दल के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। कार्यकर्ता चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, अपने सिद्धांतों से नहीं डिगेगा, अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होगा लेकिन यह लोकतांत्रिक सरकार के ऊपर एक कलंक है। मुझे पूरा विश्वास है कि गृह मंत्री जी आप इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

सभापति जी, मेरा एक कटौती का प्रस्ताव आर. ए. सी. के बारे में है। मैं आप से यह पूछना चाहूंगा कि सन् 67 के अन्दर, मार्च 67 के अन्दर, आर. ए. सी. की. पांचवीं बटालियन के अन्दर, जो आर. ए. सी. की पांच बटालियने हैं उसमें वहां पर जो हैड कांस्टेबुल हैं उनको आपने प्लाटून कमांडर बनाने की ट्रेनिंग दी। इस कोर्स के अन्दर तीन महीने की अप्रेल, मई और जून 67 के अन्दर जब उन्होंने ट्रेनिंग कर ली तो उसके बाद आपने टैस्ट बोर्ड बिठाया था और आई. जी. श्री हनुमान शर्मा ने इस टैस्ट बोर्ड के अन्दर डी. आई. जी. गुप्ता, साई और डी. वाई. एस. पी. माथुर इस टैस्ट कमीशन के सदस्य थे और उन्होंने जितनी भी बटालियने थी उसमें से 818 और 1010 इन पांचों बटालियनों के अन्दर इन्टरव्यू के अन्दर आये और इन पांचों बटालियनों के हवलदारों ने इन्टरव्यू दिया

(श्री देवीदत्त गाडिया)

तो इस इन्टरव्यू में 49 हवलदार बैठे। इस बोर्ड ने 35 हवलदारों को पास किया जिसको नवम्बर 67 के आसपास आई. जी. के आदेश से डी. आई. जी. श्री साई ने 25 की एप्रूव्ड लिस्ट प्रकाशित की। तो मैं पूछना चाहता हूँ गृह मन्त्री जी कि उस एप्रूव्ड लिस्ट का आपने क्या किया है। क्यों नहीं आपने उनको प्लाटून कमांडर बनाया गया और आपने उस एप्रूव्ड लिस्ट का क्या किया कैन्सिल ? सभापति महोदय ज्योंही आई.जी. रिटायर हुए उनके स्थान पर नये आये उन्होंने आते ही सबसे पहले यह करिश्मा दिखाया कि जो आर. ए. सी. के जवानों ने इम्तहान और ट्रेनिंग की थी और एप्रूव्ड लिस्ट में आ गये थे उस एप्रूव्ड लिस्ट को कैंसिल कर दिया और उसको कैंसिल करने के बाद एक कमेटी नियुक्त की और उस कमेटी के अन्दर डी. आई. जी. अमरसिंह जी, हिम्मतसिंह जी और श्री सई तथा एस. पी. कमांडर हेमराज और एक एस. पी. जालोर के इस प्रकार पांच व्यक्तियों का उन्होंने एक बोर्ड बनाया और इन पांचों व्यक्तियों ने उसी प्रकार से एक नई एप्रूव्ड लिस्ट प्रकाशित की और इसके अन्दर जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली थी तीन महीने की, उसमें आठ आदमियों को ही लिया गया, बाकी 29 व्यक्ति जो आये वे जूनियर्स थे जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। पूछना चाहता हूँ गृह मन्त्रीजी कि यह कौनसा कानून है और कौन सा ऐसा नियम है कि जहां सीनियर व्यक्तियों को जिन्होंने कि ट्रेनिंग ले ली है उनको आपने नहीं लिया ? क्यों नहीं लिया और जो जूनियर्स थे उनको आपने ले लिया। इसके अन्दर सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा आरोप है पुलिस पर और पुलिस विभाग के अधिकारियों के ऊपर आरोप है कि जिस समय एप्रूव्ड लिस्ट प्रकाशित की गई, मैं यह गर्व के साथ कहता हूं कि उसको डी. आई. जी अमरसिंह जी ने जो कि ईमानदार व्यक्ति थे उस प्रकाशित होने वाली लिस्ट के ऊपर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया यह कहते हुए कि यह बहुत बड़ा अन्याय है और इसे प्रकाशित करना गलत है। इसके अन्दर जूनियर्स हैं और जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली है उनको नहीं लिया गया है। लेकिन बाद में दबाव से अमरसिंह जी ने हस्ताक्षर कर दिये और इस लिस्ट के अन्दर कौन कौन है ? इसके अन्दर एक उपमन्त्री है उनका दबाव डालकर उनके रिश्तेदार गिरराजसिंह, धर्मसिंह को लिया गया है। एन. सी. दत्ता है डी.आई. जी. उनके भतीजे सुदर्शन कुमार को लिया गया है। धौलपुर के एक ओंकारप्रसाद हैं जो एस.पी. हेमराज के रिश्तेदार हैं। इस प्रकार के आदमियों को और आई. जी. ने अपने मरजीदानों को इस लिस्ट में लिया है। मैं होम मिनिस्टर साहब आपको पूछना चाहता हूं इन गरीब हवलदारों ने आपको एक रिप्रेजेन्टेशन दिया था। इसके साथ ही साथ आई. जी. को भेजा था और होम कमिश्नर को भी दिया था, उस रिप्रेजेन्टेशन का आपने क्या किया ? इस प्रकार से जो नियम और कानून की आप बात करते हैं, वह सब प्रकार से एक धोखाधड़ी है। पुलिस विभाग के अन्दर चाहे थानेदार का प्रमोशन हो, डी. वाई. एस. पी. का प्रमोशन हो जिस प्रकार आम जनता के अन्दर यह धारणा बन गई है कि गंगानगर कोई जाना चाहे तो वह इतना रुपया दे उसी प्रकार कोई थानेदार

(श्री देवीदत्त गाडिया)

पदोन्नति चाहे तो इतने हजार रुपये दे तो किसी थानेदार की पदोन्नति हो सकती है। उसी प्रकार डी. वाई. एस. पी. को एस. पी. बनना है तो हजारों रुपयों की चांदी लुटाई जायगी तब जाकर उसका प्रमोशन होता है वरना नहीं होगा। कोई गरीब और ईमानदार आदमी है और चाहे वह कितना ही सीनियर हो उसका प्रमोशन नहीं होता है। तो यह हालत है आपके पुलिस विभाग की।

इतना ही नहीं सभापति महोदय एक बात और मैं आपकी मार्फत माननीय गृह मन्त्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं। आपके आर. ए. सी. के जो जवान हैं और जो 8।10 बटालियन थी उसको आपने बोर्डर सिक्यूरिटी पुलिस को दे दी और आपको याद होगा माननीय सभापति जी राजस्थान के इन जवानों ने जब वे राजस्थान की सेवा में थे, उसकी पुलिस सेवा में थे उनका राज्य बीमा इन्शोरेन्स प्रीमीयम कटता था इस प्रकार के करीब दस हजार जवान हैं और उनमें से करीब पांच हजार जवान ऐसे हैं जो बी. एस. एफ. में चले गये हैं और जिनका वहां पर प्राविडेण्ट फण्ड कटता है। उन्होंने मांग की कि उनका इन्श्योरेन्स दिलाया जाये। वे बार्डर पर हैं। कोई लद्दाख की बार्डर पर है तो कोई जम्मू काशमीर में है। इस प्रकार उनका दस, दस, पन्द्रह साल से इन्श्योरेन्स कटता था। उन्होंने मांग की कि राजस्थान सरकार के इन्श्योरेन्स डिपार्टमेंट के डाइरेक्टर से कि हम बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स में है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में इसलिए हमारा इन्शोरेन्स लौटाया जाये। सभापति महोदय, इस सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि इस प्रकार के जो आर. ए. सी. के जवान हैं और जिन्होंने इन्श्योरेन्स कटवाना बन्द कर दिया है, इस प्रकार उनका करीब 40 लाख रुपया जमा है। इस चालीस लाख रुपये को वापिस करना चाहिए था लेकिन स्टेट इन्श्योरेन्स के डाइरेक्टर ने यह कहा है कि उनकी पोलिसी कन्टीन्यू नहीं है और उनकी पोलिसी पेड अप हो गई है और उन्होंने प्रीमीयम जमा नहीं करवाई है इस लिए हम उनको सरण्डर वेल्यू देंगे। इसका मतलब यह है कि जितना रुपया उन्होंने जमा कराया है उसका एक तिहाई हिस्सा ही उन लोगों को मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार से 30 लाख रुपया आर. ए. सी. के जवानों को जिन्होंने अपनी प्रीमीयम के द्वारा जमा करवाया है, अपने पेट के पट्टी बांधकर और अपने बच्चों को रूखी-सूखी खिलाकर अपने भावी जीवन, उज्जवल जीवन के लिए जमा करवाया वहां यह राजस्थान सरकार इतनी निकम्मी है कि वह पैसा उनको पूरा नहीं लौटा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह सरैण्डर वेल्यू आप किस आधार पर देंगे। स्टेट इन्शोरेन्स के कानून में कोई बाधा है तो आप हिम्मत करिये उसमें संशोधन करने की। क्या आपका विभाग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या यह आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। पुलिस का आई. जी. क्यों नहीं कार्यवाही करता। लेकिन सब के सब मौन बैठे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस केस को पुनः देखें। बी. एस. एफ. के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्टेट इन्शोरेन्स डाइरेक्टर को चिट्ठी भी लिखी है कि यदि आप इनकी

(श्री देवीदत्त गाडिया)
प्रीमियम काटना चाहते हैं तो अपने एक अधिकारी को दिल्ली भेज दें लेकिन डाइरेक्टर इसके लिए भी तैयार नहीं है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)...

पुलिस के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय सभापति जी आपको याद होगा दिसम्बर के अंदर जब विधान सभा का सत्र चल रहा था उस समय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। अन्ता के श्री मदनलाल पारिख के हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में और इसके सम्बन्ध शासन की ओर से एक वक्तव्य दिया गया था कि यह लावारिस लाश है। इसकी कोई हत्या नहीं हुई तो मैंने आपको चुनौती दी थी। इसके बाद इन्क्वायरी कराई गई और उस इन्क्वारी के बाद यहां सी. आई. डी. का एक अधिकारी श्री घनश्याम शर्मा जांच करने गये थे मैंने जो आरोप लगाया है वह सारे सिद्ध हुये और जांच पड़ताल के बाद हत्या सिद्ध हुई। उसको गिरफ्तार किया गया है। सेठ के लड़के का नाजायज सम्बन्ध था। बाबूराम के गिरफ्तारी का वारन्ट था। उसके नौकर को पकड़ा गया और उन्होंने मंजूर किया। सारी घटनायें प्रकाश में आईं और उन्होंने स्वयं ने बताया कि इस प्रकार हत्या की। पहले रस्सी से बान्धा गया और बान्ध कर डुबो दिया गया। डंडों से मारा गया। वह सारा मामला ट्रेस आऊट हो गया। कोटा के एस. पी. ने जो रिपोर्ट दी है कि यह लावारिश लाश है। यह मदन लाल पुरोहित की लाश है या नहीं वह मामला पुलिस की जांच में आ गया। आपने क्या कार्यवाही की। पुलिस के दवाब में आकर श्री घनश्याम शर्मा जिसने जांच की थी उसने मुल्जिम को बचाने की कोशिश की है। मेरा आरोप है हत्यारों ने अपने आपका बचाने के लिये हजारों रुपयों की रिश्वत दी है। एस. पी. ने हत्यारों को बुलाया। श्री बाबूराम व उसके नोकर को बुलाया लेकिन बुलाकर उनको गिरफ्तार नहीं किया। दो-तीन दिन कोटा में रखा। कोटा में यह आम चर्चा है 10 हजार की रिश्वत लेकर उनको छोड़ दिया गया है। जब मामला पकड़ा गया और मुल्जिम बाबूराम ने स्वीकार किया—मैंने मारा है, उसको गवाह बनाया और उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ मूल मुल्जिम को पुलिस ने गवाह क्यों बनाया है लेकिन जब जेब भरने लगी तो मुल्जिम को बचाने के लिये बाबूराम को गिरफ्तार नहीं किया और आज वह अदालत से भी छूट गया। हत्या का काण्ड जो ट्रेस आऊट हो गया था मुल्जिम को सजा मिलनी चाहिये। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के दवाव में आकर इस प्रकार का काण्ड किया। मैं गृह मंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं आप निष्पक्ष होकर जांच करायें। अब मैं जेल के बारे में दो बात....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका मतलब मुल्जिम अदालत में बरी हो गया।

श्री देवीदत्त गाडिया : जी हां।

श्री दामोदरलाल व्यास : कब ?

श्री देवीदत्त गाडिया : डेढ़ महीने पहिले । मैं जेल के बारे में आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा ।

श्री सभापति : जल्दी से ।

श्री देवीदत्त गाडिया : पुलिस के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा । सभापति महोदय जो जेल में मुल्जिम रहते हैं उसको जो खुराक मिलती है वह खुराक पुलिस की कस्टडी के जब मुल्जिम रहता है तो नहीं मिलती है । राजस्थान सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि यह अन्तर है । जो मुल्जिम के साथ जेल में होता है वही व्यवहार उसको पुलिस कस्टडी में मिलना चाहिये । मैं आपको बताऊं पुलिस की हवालात में मुल्जिम को 10–10 दिन भूखों मरना पड़ता है । इसलिये मेरा निवेदन है पुलिस वाले मुल्जिम को भी वही खुराक मिलनी चाहिये जो जेल में मिलती है । जैसे माननीय सदस्य रामचन्द्रजी ने जो बातें कहीं में उनको दोहराना नहीं चाहता लेकिन जेल के अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करके किस प्रकार भ्रष्टाचार में डूबे हुये हैं। किस प्रकार का नैतिक पतन करते हैं मुझे कहते हुये अफसोस होता है । जयपुर की जो जेल है और जितने वहां रेजीडेन्शियल क्वार्टर्स बने हुये हैं उसमें जेल के आई. जी. ने अपने मरजी दारों को क्वार्टर्स दे रखे हैं और स्वयं ने भी ले रखा है और पी. डब्लू. डी. के अधिकारियों से मिलकर फर्जी ढंग से असेसमेंट करवा कर आज जेल के आई. जी. से अपने क्वार्टर के 25 रु. देते हैं जबकि आई. जी. का तो वेतन है वह 1200 रु. है और नियमों के अनुसार साढ़े सात प्रतिशत मकान का किराया देना चाहिये और इस प्रकार क्वार्टर का किराया बनता है 90 रुपये और देते हैं 25)। खैर, यह हर अधिकारी और मिनिस्टर रहता है इसलिये मैं विशेष आरोप नहीं लगाता सभापति महोदय राजस्थान का दो सालों का जेलों का रिकार्ड उठाकर देखें दो साल के अन्दर कितने मुल्जिम चाहे वह झूंझनूं की जेल हो, चाहे वह झालावाड़ की जेल हो और चाहे किसी दूसरे स्थान की जेल हो कितने मुल्जिम जेल तोड़कर भागे हैं इस प्रकार मुल्जिम जेल तोड़कर क्यों भागते हैं, यह कभी आपने देखा है यह पुलिस विभाग की अकर्मण्यता है....

श्री रामकिशन : अगर उनको सुख होता तो नहीं जाते । आराम चाहिये जेल में ।

श्री देवीदत्त गाडिया : झालावाड़ की जेल से मुल्जिम भागे । उस जेलर के खिलाफ आपने अब तक क्या किया । एक एक जेल की कोठरी में 77–70 कैदियों को रख दिया जाता है इतनी हालत खराब है । कोई क्वार्टर्स नहीं हैं । एक बैरक हैं उसमें मच्छरों की भरमार है, गन्दगी का ढेर लगा रहता है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, रोगी के लिये डाक्टर नहीं आता है, रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं । इस प्रकार की जेल है जहां 70–70 मुल्जिम रहते हैं । एक

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
सब-जेल बनाने की कार्यवाही चली थी लेकिन मालुम नहीं उसका भी क्या हुआ ? मैं पूछना चाहता हूं इस प्रकार जयपुर जैसी जेल में व्यवस्था नहीं है। सफाई की व्यवस्था नहीं। फ्लश की लेट्रीन बनाने के बारे में कहा गया था वह फ्लश की लेट्रीन भी अभी तक नहीं बनाई गई, क्यों नहीं बनती है रोशनी की व्यवस्था होने के कारण वहां सील बनी रहती है और मच्छर वगैरह पैदा होते रहते हैं। अन्त में मैं यह कहता हुआ कि आज छबड़ा के अन्दर जो मुन्सिफ कोर्ट होनी चाहिये क्योंकि वहां जेल है। और वहां सब कुछ होते हुये मुन्सिफ कोर्ट नहीं है और उस कारण सब डिविजन के लोगों को परेशानी है। उनको सस्ता न्याय नहीं मिल पाता है और इसका जनता में असन्तोष है। उस क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने अनेक बार राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और मैं आज इस बात के अन्तर्गत माननीय मंत्रीजो से निवेदन करना चाहूंगा यदि वास्तव में सस्ता न्याय और शीघ्र न्याय दिलाना चाहते हैं तो कम से कम छबड़ा में मुन्सिफ कोर्ट जो चल रहा है उसको ले लिया जाय। अन्त में यह कहता हुआ केसेज अदालतों के अन्दर चाहे मुन्सिफ अदालत हो और चाहे कोई सी अदालत हो मुल्जिम हाजिर होते हैं तो एस. डी. एम. नहीं मिलते हैं और तारीख बदल देते हैं 100–100 मील की दूरी से चलने वाला व्यक्ति माननीय सभापति तारीख पर आता है मगर उनको हाकिम नहीं मिलता है और इस प्रकार वह वापिस चला जाता है। 10–10 बार उसकी तारीख बदलते। सैकड़ों रुपये खर्च करके आता है और उसका कोई काम नहीं हो पाता है। इस तरह से उसके पैसे का दुरुपयोग होता है। किशनगढ़ शाहबाद एक आदिवासी इलाका है वहां अनपढ़ लोग हैं। उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। एक तारीख पर हाजिर नहीं होने के कारण उनके विरोध में फैसला दे देते हैं इसलिये मैं चाहूंगा इसमें सुधार करें।

श्री सभापति : श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : सभापति महोदय मैं गृह विभाग के ऊपर और न्याय प्रशासन के ऊपर कटौति प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। सभापति महोदय इसमें कोई सन्देह नहीं है कि राज्य के अन्दर पहले के मुकाबले में जो डेकोइटी और क्राइम है उसमें काफी कमी आई है और इस पुस्तिका को देखें तो आपको मालूम हो जायगा कि पहले के मुकाबले हमारे राज्य में डेकोइटी और जो क्राइम है उनमें काफी कमी है। इसमें दो राय नहीं है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को इस बात के लिये अवश्य बधाई दूंगा कि जबसे उन्होंने गृह विभाग को सम्भाला है इसमें जरूर कुछ न कुछ तरक्की आई है।

मैं सभापति महोदय, ...

कई माननीय सदस्य : पद्म श्री।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग के अन्दर अधिकतर वरिष्ठ अधिकारियों को कुछ न कुछ एवार्ड के लिए

(श्री दिग्विजय सिंह)
रिकमण्ड किया गया है तो मैं राज्य सरकार के मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार का कन्ट्रोल गृह मंत्रीजी ने इस विभाग का कर लिया है और सारे राज्य के अन्दर जो लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन को कन्ट्रोल किया है तो उनका नाम पद्म श्री के लिए रिकमेण्ड किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : रांग क्वाटर से आई है रिकमन्डेशन ।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं लेकिन सही स्थिति यह है लेकिन जहां तक गृह मंत्री जी का प्रश्न है कई मामलों में इस प्रकार बातें होती हैं तो जो कार्यकर्ता लोग होते हैं वे काम बिगाड़ते हैं और बदनामी माननीय गृह मंत्रीजी को झेलनी पडती है । तो, सभापति महोदय, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और पुलिस की तरफ से कमियां वास्तव में रही हैं ।

सभापति महोदय मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा इससे ज्यादा और भयंकर बात नहीं हो सकती है कि 3 मार्च, 1969 को एक नरबलि हुई, बजरंगा खाती की नरबलि हुई, और उसको माननीय गृह मंत्रीजी ने भी स्वीकार किया और अखबारों में बड़े जोरों से इस बात की चर्चा आई, और गृहमंत्रीजी ने इस बात के लिए कहा कि उस गांव के अन्दर एक बजरंगा खाती की नरबलि हुई है । उस सम्बन्ध में कुछ मुलजिम भी पकड़े गये तो, सभापति महोदय, आप इस बात पर ताज्जुब करेंगे कि इस संबंध में पुलिस की लापरवाही रही कि इतना जघन्य काण्ड होते हुए सब के सब अभियुक्त बरी हो गये सेशन्स कोर्ट ने उन सब अभियुक्तों को बरी कर दिया इससे स्पष्ट है कि पुलिस विभाग ऐसे काण्ड में भी जो कि हमारे राज्य से हुआ है और जिसके लिए प्रधान मंत्री ने कहा था कि यह बहुत सीरियस बात है कुछ कार्यवाही नहीं कर सकी । गवर्नमेंट का गवाह बनाया जाता है वह गवाह नहीं बनाया गया, और मुझे याद है कि मैं इस सम्बन्ध में सीनियर ऑफिसर्स से मिला हूं कि और उनसे मैंने निवेदन किया है कि आपने जो अभियुक्त पकड़े हैं तो उनमें से किसी किसी को गवर्नमेंट का गवाह करना चाहिये, तो उन्होंने कहा कि गवाह बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मामला इतना स्पष्ट है और सारे गांव वाले इस बात को कबूल करते हैं, इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सभापति महोदय, अन्त में क्या हुआ कि आई विटनेस का एवीडेन्स नहीं होने की वजह से सब के सब मुलजिमान बरी हो गये, जहां तक मेरी जानकारी है राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में इसकी अपील भी नहीं की। इस प्रकार का एक बहुत सीरियस काण्ड हो जाता है और उस पर आप कार्यवाही न करें तो स्वतः हमारे दिल में और सारी जनता में इस बात का भ्रम फैलता है कि पुलिस विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार व्याप्त है और चरम सीमा तक व्याप्त है ।

सभापति महोदय, दूसरा प्रश्न मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और इस बारे में मैं कई दफा माननीय गृह मंत्रीजी से मिला भी था और उनसे निवेदन भी किया था

(श्री दिग्विजय सिंह)

कि नगर के अन्दर एक काश्तकार था बलूची उसकी काश्त को बेचारे की काश्त को वहां के सरपंच ने फर्जी फोर्स बनाकर, नकली फोर्स बनाकर और उस फोर्स को पुलिस की ड्रेस पहनाकर उस गरीब की काटली, और जब उसने रिपोर्ट की तो दबाव डालने के ऊपर मुकदमा बनाया गया और कृपापात्रों में से हैं एनकेन प्रकारेण बचाने के लिए अदम व कुग्रा के अन्दर उस केस को फाइनल दे दी गई।

सभापति महोदय मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी किस प्रकार से आज काम करना चाहते हैं ? क्या आपकी मन्शा यह नहीं है पुलिस प्रशासन के अन्दर से निष्पक्षता और भ्रष्टाचार...

एक माननीय सदस्य : निष्पक्षता ?

श्री दिग्विजयसिंह : मिटे । आप अधिकतर यहां विराजते हैं और जो कोई भी जैसी भी बात कार्यकर्ता आपको आकर कह देता है आप उसकी सुनी सुनाई बात पर अमल कर लेते हैं । सभापति महोदय...

श्री भैरोंसिंह : बड़े भोले हैं ।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, मै यह निवेदन करना चाहता था कि अभी कुछ दिन पूर्व उनियारे में एक केस दर्ज कराया गया । एक बलूची था, वहां पर बलूची जो कि पाकिस्तान से इधर आये हुए हैं और शरणार्थियों के रूप में रह रहे हैं तो एक खेत उसके कब्जे में था वह उसने कब्जे में लिया था और उस पर काश्त उसकी थी । चन्द लोगों ने जाकर उसकी फसल को काट ली । वह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार कर दिया तब वह अदालत में पहुंचा मुन्सिफ कोर्ट में और 2-11-70 को उसने इतिलानामा पेश किया तो वहां से 4-1-7। को निर्देश दिया गया कि तफतीश करके रिपोर्ट पेश की जाय, और आप ताज्जुब करेंगे, सभापति महोदय, कि उसी दौरान में हमारे यहां पालियामेंट के मध्यावधि चुनाव आ गये, और उन्होंने यह हरकत की थी, मैं स्पष्ट निवेदन कर देना चाहता हूं सब के सब कांग्रेस पार्टी के सपोर्टस थे तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उस बेचारे गरीब शरणार्थी का जो कि बाहर दूर से आया हुआ था जिसकी गिरवी में वह जमीन रखी हुई थी उसकी रिपोर्ट पर इस केस में अदम-कुग्रा की रिपोर्ट डेढ़ दो महिने में दी गई इतने दिन तक थानेदार ने अपने पास में उसको जेर-तफतीश किये हुए रखा ।

सभापति महोदय, मैं गृहमंत्रीजी का एक मुद्दे पर और ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं । इस प्रकार के जो कार्यकर्ता और जो कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता अपने आपको कहते है वे किस प्रकार से स्थानीय भावनाओं से कैसे विक्टेमाइज करते हैं, और किस तरह से भ्रष्टाचार फैलाते हैं उसका मैं वर्णन आपको करना चाहता हूं हो सकता है कि उन बातों की जानकारी माननीय गृहमंत्रीजी को न हो । सभापति महोदय, एक केस 10 5-69 को धुंआ के अन्दर कुछ लोगों ने अटेक किया था

(श्री दिग्विजय सिंह)

तो उस पार्टी ने जाकर थाने में 324 का केस दर्ज कराया तो दूसरी पार्टी जो कि एग्रीड थी वह टोंक पहुंची और टोंक पहुंच कर उन्होंने एक वकील किया । वह वकील प्रभावशाली है और अमूमन यह देखा गया है, सभापति महोदय, अपने जिले के अन्दर ऐसे मामलों के अन्दर वकील इस बात पर किया जाता है कि वे देखते हैं कि इस आदमी का कहां तक असर है । मैं वकील का नाम भी बताना चाहता हूं । उन्होंने महेन्द्रकुमार जैन को वकील किया, क्योंकि उनका कुछ कहना वहां के अधिकारीगण मानते हैं । सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे इस बात के लिए कि उस केस के अन्दर वहां के, नगर के थानेदार ने कुछ भी कार्यवाही नहीं की, और थोड़े दिनों के बाद इन महेन्द्रकुमारजी ने 323 का इस्तगासा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट में कराया, और उसके पश्चात् आप ताज्जुब करेंगे कि एक चिट्ठी उन वकील साहब ने जो कि जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने नगर थानेदार को लिखी है कि आप इस केस के अन्दर फाइनल दे दें । आप ताज्जुब करेंगे, सभापति महोदय, कि चिट्ठी लिखने के बाद में केस की फाइनल दे दी गई । उस चिट्ठी की फोटोस्टेट कापी मेरे पास है जो कि आपके सामने में सदन में रखता हूं । इसमें लिखा है-

महेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट,

फाइनल गयी या नहीं । इन्हें अवश्य जानकारी देने का कष्ट करें . . .

श्री सभापति : आप वैसे ही बता दें ।

श्री दिग्विजयसिंह : उन्होंने खुद ने अपने लेटर हैड पर लिखा है और उनके दस्तखत इस पर मौजूद हैं, और उसके पश्चात्, सभापति महोदय, इस केस के अन्दर आप ताज्जुब करेंगे कि अदमवकुआ बताकर इसकी फाइनल दे दी गई . . .

श्री सभापति : आप रख दें लेटर को ।

श्री दिग्विजयसिंह : ओरीजिनल लेटर मेरे पास में हैं उनके खुद का दस्तखत मौजूद हैं और उसके पीछे थानेदार साहब का एन्डोर्समेंट मौजूद है और आप चाहेंगे तो व्यक्तिगत रूप से मैं और जानकारी आपको दे दूंगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो, सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि जिस प्रकार एक तरफ तो आप यह कहते हैं पुलिस विभाग जन-सुरक्षा के लिए है, न्याय पालन के लिए है और उसमें यदि इस प्रकार का पक्षपात हो और कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं और शासन को भ्रष्ट करने की बात करें तो मैं समझता हूं कि माननीय गृहमंत्रीजी इन बातों पर अवश्य ध्यान देंगे ।

सभापति महोदय, मैं अब थोड़ा सा एक और निवेदन करना चाहता हूं । माननीय गृहमंत्रीजी को कि एक ऐसा एस. एच.ओ. नगर में अभी मौजूद हैं श्री मन्जूर-अली जिनको कि 68 में रिटायर कर दिया गया था . . .

जहां तक मुझे जानकारी है, पुलिस का नियम है, कम्पलसरी रिटायरमेंट किया

(श्री दिग्विजय सिंह)

जाता है तो नोटिस दिया जाता है। आप को इस बारे में जो कुछ कहना हो वह कहें पर उनको रिटायर कर दिया गया। लेकिन एक साल के बाद उनको पुनः नगर थाने में लगा दिया गया। उनको किस प्रकार से दुबारा ले लिया गया है, यह जानकारी गृह मन्त्रीजी जरूर देंगे।

दूसरी बात सभापति महोदय, जो बात माननीय रघुनाथ विश्नोई ने हाईकोर्ट के बारे में कही है, वह यहां नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय भावना की दृष्टि हमें यहां नहीं लानी चाहिए। अगर आप यह देखें कि अधिकतर केसेज किस एरिया के हैं तो आप खुद सन्तुष्ट हो जायेंगे। अधिकतर केसेज जयपुर, भरतपुर, अलवर और पूर्वी राजस्थान के हैं। मैं इस बात के लिए आपको नहीं कहता हूं कि आप हाईकोर्ट की सीट यहां पर रखें, लेकिन कम से कम सुलभ न्याय प्राप्ति की दृष्टि से बेन्च की स्थापना अवश्य करें। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कुछ दिनों पूर्व कहा था कि हाईकोर्ट का प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है। हम चाहें उधर के बैठने वाले हों या इधर के बैठने वाले हों, हम सब इस बात के लिए सहमत हैं। एक दिन आयेगा कि आपको हाईकोर्ट की बेंच जयपुर में स्थापित करनी होगी।

अन्त में मैं आपका ध्यान जयपुर कलेक्टरेट की बिल्डिंग के बारे में दिलाना चाहता हूं। वह अधूरी पड़ी हुई है। कम से कम यह क्षेत्रीय भावना तो न रखें कि यह जयपुर है इसलिए यह नहीं करा रहे हैं।

श्री बरकतउल्ला खान : वह तो जी. ए. डी. करा रहा है।

भैरोंसिंह : जयपुर के लिए यह करें या नहीं। लेकिन आपने इनको मौका दिया है।

जरूर करेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय गृहमन्त्री महोदय, और न्याय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री बिरदाराम : सभापति महोदय . .

श्री सभापति : श्री लाभचन्द वेद।

श्री बिरदाराम : सभापति महोदय मुझे समय मिलना चाहिए।

श्री सभापति : आपको समय मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री लाभचंद वेद को पहले समय देने के लिये कहा है :

श्री बिरदाराम : हमको भी समय मिलना चाहिए।

श्री सभापति : आपको समय मिल जायेगा।

श्री लाभचन्द वेद (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, मैं सरदार शहर की घटना यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं। 20 तारीख को एक गिरोह द्वारा सरदार शहर में एक हरिजन पर आक्रमण किया गया। उसकी एफ. आई. आर. दर्ज कर ई

Page No 148

(श्री लाभचन्द वैद)

गई। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्ही गुण्डों द्वारा जो कि कांग्रेस द्वारा कांग्रेस नेताओं द्वारा संरक्षित है, जनसंघ कार्यालय पर हमला किया गया। अगर जनसंघ के कार्यकर्ता धीरज से काम नहीं लेते तो बहुत बडी रक्त खराबी हो जाती परन्तु जनसंघ के सदस्यों ने धीरज से काम लिया। दूसरे आदमी आ गये तो वह गुण्डे चले गए। इसकी रिपोर्ट थाने में दी गई परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। परसों शनिवार को सरदार शहर से एक तार मिला जिससे वहां के निवासी सोहनलाल दुगड़ के घर पर उन्ही गुण्डों ने हमला किया। उनका सामान उन्होंने मकान के बाहर फेंक दिया उन्होंने गृहमन्त्री जी, मुख्यमन्त्री जी और मुझे भी तार दिया है। सभी जगह तार दिये हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सरदार शहर में इस प्रकार की खुली गुण्डागर्दी हो रही है जोकि शरम की बात है। हमारे गृहमन्त्रीजी जब यहां पर ला एण्ड आर्डर की बात करते हैं तो उनकी आंखों में रावण की मूर्ति प्रतिबिम्बित हो जाती है। (हंसी) लेकिन विरोधियों को कुचलने के लिए वह मूर्ति प्रतिबिम्बित हो सकती है। आप उन गुन्डों को खुली छूट देते हैं। आप सोचते हैं कि हम खुली छूट देकर 72 के चुनावों में सफलता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन गृह मन्त्रीजी इन बातों के कारण घृणा ही पैदा होती है। आज ला एण्ड आर्डर खत्म है। इसका अनुभव आप भी करें या नहीं करें लेकिन एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। आज जिस प्रकार से गंगानगर में सभी लोग बन्दूक लेकर चलते हैं तो उसी प्रकार की अराजकता वहां पैदा हो जाएगी। (अल्प विराम) इसी तरह के अन्य स्थानों में भी कुछ और गिरोह काम कर रहे हैं। इन चुनावों के बाद आपने उनको खुली छूट दे रखी है। उनकी गुन्डागर्दी आपके संरक्षण में चलती है। वही वहां के थानेदार हैं। उनको चाहे थानेदार कह दो या एस. पी. कह दो। यह आपके लिए शोभनीय नहीं है। प्रशासन के लिए भी यह शोभनीय नहीं है।

श्री सभापति : श्री बिरदाराम।

श्री बिरदाराम (जालौर) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि थानेदारी के लिए भरती थी, उसमें 72 थानेदार लेने थे। उनमें से जो जगह रिजर्व रखी थी उनमें किसी को लिया या नहीं लिया। मैं यह निवेदन करूं कि 9 जो रिजर्व वाले थे, उनको थानेदारों में लिया या नहीं लिया। उन लोगों के साथ अन्याय क्यों हो।

श्री ला राम सुलानिया : अन्याय के साझेदार तो आप भी हैं।

श्री बिरदाराम : वह तो समय पर भगवान करेगा। राजा-महाराजा और जागीरदारों की एक मोनोपोली तो टूटी है। दूसरी ओर आई. ए. एस. सेक्रेटरीयेट वालों की मोनोपोली चलती है। शिक्षा और नौकरी में उसका लड़का पास होता है गरीब का नहीं, सो उसमें सुधार होना चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : अपनी बोली में ही बोलो न। बीच में ये रिगड़ बिगड़

(श्री दौलतराम सारण)
क्यों हो। अपनी बोली में ही बात कह दो। तो मैं निवेदन करूं कि कितने लोगों का नाम आया है और कितनों को भर्ती किया गया है? जिन्हें नहीं लिया तो क्यों नहीं है? और लेंगे तो कब तक लेंगे? नहीं लेंगे तो उनके साथ में अन्याय किया जाता है। इसके अलावा उस कमेटी में बैठने वाले आदमी हैं, उसके लिए मैं बारबार निवेदन करता हूं कि उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी रहना चाहिए। क्योंकि दूसरे आदमी हमदर्दी नहीं रखते हैं, अपने ही आदमी हमदर्दी रखते हैं। अभी उनको ही लेते हैं जो सिफारसी पैसे देने वाला हैं, जैसी कि कहावत है घुटने पेट को ही मुड़ते हैं। जो गरीब हैं उनसे कौन हमदर्दी रखता है। सब कहते हैं, यह कौम ऐसी है जिसके लिए कुछ काम करना चाहिए। इसको कुछ पेशा देना चाहिए। पेशे के बारे में सब बोलते हैं, लेकिन मैं जानता हूं और सब जानते हैं कि काम कोई नहीं करता है। यह बेईमानी कितने दिन चलेगी...

श्री लादूराम सुलानिया : जब तक उधर बैठोगे तब तक होती रहेगी।

श्री बिरदाराम : बेईमानी ज्यादा दिन नहीं चलती है। इसलिए आप विकास के जरिए से इनके लिए पेशा बढ़ायें, इन्डस्ट्री उद्योग के जरिये से पैसा बढ़ायें। नहीं तो तो यह बेईमानी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। हम यह बेईमानी देखते हैं, चिल्लाते भी हैं। आप समझते हैं कि सरकार पर कब्जा करना दूसरों के लिए मुश्किल है। फिर भी यह ज्यादा दिन नहीं चलेगी (व्यवधान) में बोल रहा हूं, साहब, आप बैठ जाओ। आपको क्या तकलीफ है आप बता रहे हो, आप मुझसे होशियार हो...

श्री सभापति : आपस में बात नहीं।

श्री बिरदाराम : इसलिए शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को नौकरी में लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो उनके अधिकार पर कुठाराघात होगा, उनके साथ अन्याय होगा। मैं गृह मंत्री जी को कहना है कि आपको इसकी जांच करनी चाहिए। मैंने इसलिए कहा, फिर आप यह न कहें कि आपको कहा नहीं। इसलिए यह बात कही...

एक माननीय सदस्य : घोर अन्याय है।

श्री बिरदाराम : हिम्मतसिंह नाम का आदमी हमारे जिले का है, उसका नाम आया था, उसने बम्बई में एक लाख का सोना पकड़वाया है। वह ईमानदार आदमी है। हमारे जिले से जाकर उसने बम्बई में हजारों रुपयों का सोना पकड़वाया उसको पूरी नौकरी का पैसा सरकार को दिया है जिसका नतीजा ईमानदारी से चलने से यह मिला कि नौकरी नहीं दी।

श्री लादूराम सुलानिया : वजन में कितना है।

श्री बिरदाराम : वजन में हल्का है, दुबला है, पतला है। यह भी समझ लें। उस नौजवान ने नाम कमाया है उसको सर्टीफिकेट मिला है बम्बई के आई. जी. से। उसने जब पकड़वाया तो उसको कहा, पचास हजार रुपया ले लो, हमको छोड दो। उसने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर कहा, सब पैसा ले लो, हमको छोड़ दो। उसने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा

(श्री बिरदाराम)

जिस आदमी ने लाखों रुपया का सोना पकड़वाया, उसको भी नहीं लिया है, यह उसके साथ में अन्याय हुआ है। आज नौकरी में शिफारिश वाला आदमी ही जा सकता है, पैसे वाला आदमी ही जा सकता है। गरीब आदमी के साथ अन्याय होता है। यह देख कर मुझे कड़वी बात कहनी पड़ती है। कहीं अन्याय होता है तो मुझे सहन नहीं होता है। वैसे हम क्या कर सकते हैं, हम गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। लेकिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। भगवान देखता है अन्याय, तो कभी न कभी पाप का घड़ा फूटेगा।

श्री दौलतराम सारण : यह भगवान को रसगुल्ला खिला कर राजी कर लेते हैं।

श्री बिरदाराम : मैं निवेदन करूं कि यह जो पुलिस विभाग है हम समझते हैं कि पुलिस हमारी रक्षक है। मैं कहता हूं, पुलिस रक्षक है, पुलिस के कारण जनता आराम से सोती है। गरीब भी कहता है, मैं आराम से हूं। पुलिस रक्षक है। अगर बाढ़ ही खेत को खायेगी तो फिर क्या होगा। जिस पुलिस के लिए कहें कि पुलिस रक्षक है, वह भक्षण करे तो इस देश का क्या हाल होगा, यह देश कहां जायेगा। यह आपको सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। मैं आपको यह निवेदन करूं कि पुलिस के ऊपर कुछ कन्ट्रोल होना चाहिए, पुलिस में ईमानदारी आनी चाहिए। ईमानदारी कैसे आयेगी, जैसा मैंने पहले कहा, थानेदार की पोस्ट के लिए कितने नाम आये थे, उनमें से कितनों को लिया है। इससे ईमानदारी नहीं आ सकती है। जो पैसा नहीं दे सकता है वह नहीं आ सकता है। जो पैसा देकर आयेगा, वह पांच के बदले दो हजार वापिस पैदा करेगा। यह आपको देखना चाहिए कि कौन ईमानदार है, कौन सच्चा है। इसको देख कर पुलिस में भर्ती करनी चाहिए। मैं निवेदन करूं कि पुलिस में ईमानदारी हो तो गरीब किसी दूसरे से नहीं डरेंगे। पुलिस हमारी रक्षा करने वाली है, पुलिस में न्याय हो। आज पुलिस चोर को साहूकार कर देती है और साहूकार को चोर कर देती है। इससे क्या होता है कि न्याय की जगह अन्याय कर रही है। मैं मंत्रीजी को निवेदन करूं कि आप लिस्ट मंगा कर देख लें उसमें फैसला हुआ है, वह गरीब आदमियों के हक में कितना हुआ है और दूसरों के हक में कितना हुआ है यह मालूम हो जायेगा। आज गरीब लोगों को न्याय मंहगा मिलता है, क्योंकि आज न्याय शिफारिश से मिलता है, पैसे से मिलता है। इसलिए गरीब को नहीं मिलता है। गरीब तो मार खाता है, वह जेल में जाता है। गरीब आदमी जब रिपोर्ट करता है तो उसको थानेदार कहता है कि कागजात का पैसा लाओ, उसके पास पैसा नहीं हो तो उसकी कार्यवाही भी नहीं होती है। गरीब को न्याय नहीं मिल सकता है। मैं निवेदन करूं गृह मंत्री जी को कि गरीब के साथ में न्याय होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं हाई कोर्ट के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। यह मामला बराबर उठता है। हम भी बोलते हैं। हाई कोर्ट की बेंच के बारे में, मुझे दुःख होता है, बीकानेर वालों को जोधपुर नजदीक पड़ता है। जयपुर के बजाय उदयपुर का भी नाम लिया

(श्री बिरदाराम)

है। लेकिन उदयपुर भी जोधपुर के नजदीक पड़ता है। बीकानेर की दूरी देख लें, गोकुल प्रसाद जी बैठे हैं। जोधपुर नजदीक पड़ता है।

श्री केदारनाथ : यह राजी हैं।

श्री बिरदाराम : राजी नहीं हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : हम बीकानेर चाहते हैं। बीकानेर में होना चाहिये, पहले भी बीकानेर में था।

श्री बिरदाराम : जोधपुर नजदीक पड़ता है। उदयपुर से जयपुर दूर पड़ता है और जोधपुर नजदीक, इसलिए हमारे दो दिन, तो आने जाने का रास्ता है। हम कितनी दूर से आते हैं आपको सोचना चाहिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसलिए नहीं कहता, वैसे तो सेन्टर में अजमेर पड़ता है अजमेर में रख लें, सब महकमे अजमेर में ले आयें...

श्री फतेह सिंह : मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं।

श्री बिरदाराम : इस मामले में बराबर हल्ला होता है, हो हो करते हैं यह देखना चाहिए और इसमें बहुमत की राय पर नहीं होना चाहिए। आज बहुमत क्या कहता है। मैं कहता हूं कि हाई कोर्ट की बैंच जोधपुर रहनी चाहिए, जोधपुर से नहीं हटनी चाहिए।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में लगभग 640 मील की सीमा है। जब से बंगाल में बंगला प्रदेश की घोषणा हुई...

श्री बरकतुल्ला खां : बंगला देश।

श्री भैरोंसिंह : बांगला देश की घोषणा हुई और उस समय से सारे देश में और कहना चाहिए, सारे संसार में पाकिस्तान ने बांगला देश में किस प्रकार की ज्यादती की, इसके विरोध में एक वातावरण बना है, पाकिस्तान में भी भारत के विरुद्ध जितना और जिस प्रकार से विष वमन किया जा सकता है।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

(4.28 म. प.)

उस प्रकार की कार्यवाही करने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है। इस संदर्भ में हम 1965 का भारत पाक संघर्ष की स्थिति का ध्यान करें और साथ उस बात पर भी विचार करें कि पाकिस्तान से हमारी जिस प्रकार की अब एक संघर्ष की सी स्थिति और लड़ाई की सी स्थिति बनी हैं, उस आधार पर हम अपनी सीमा की सुरक्षा के सम्बन्ध में किस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 1965 की लड़ाई शुरू होने से पहले और कच्छ क्षेत्र में जब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में संघर्ष हुआ, उससे लेकर पाकिस्तान से वास्तविक जब लड़ाई हुई उस बीच में हमने काफी लोगों को, हमारी सरकार ने काफी लोगों को डिफेन्स आफ इण्डिया रूल्स में गिरफ्तार किया, कइयों को नजरबंद किया, उस पीरीयड में, इस सदन को

(श्री भैरोंसिंह)

जानकारी है, लगभग 19000 नागरिक हिन्दुस्तान से निकल कर पाकिस्तान चले गये। इस सदन को यह भी जानकारी होगी कि लगभग 101 व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान की सरकार ने इस बात का मुकदमा चलाया कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना की सहायता की, मुजाहिदों के साथ मिल कर और क्षेत्र के गुन्डों को लेकर कई व्यक्तियों का अपहरण किया और कई लोगों की हत्या की....

अब उस आधार पर यदि सारे प्रसंग को हम अपनी सुरक्षा की दृष्टि से देखें, कितने ताकतवर हैं, यदि मूल्यांकन करना चाहें तो मैं प्रारंभ इस बात से करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने सीमा का भार बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दिया हुआ है। मैंने पिछले दिनों जो जानकारी की, उससे यह तथ्य सामने आया कि बार्डर सिक्योरिटी फोर्स और सिविल पुलिस के बीच में तालमेल नहीं है····

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : नहीं है। कई स्थानों पर तो बहुत बड़ा संघर्ष है। बी. एस. एफ. जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करता है कि पाकिस्तान का गुप्तचर है या पाकिस्तान से मिला हुआ है, वहां आता जाता रहा है, उस आदमी की कार्यवाहियों को संदेहपूर्ण मानकर और कभी गिरफ्त में आ गया तो गिरफ्तार करके जब वह सिविल पुलिस के सुपुर्द करते हैं तो सिविल पुलिस यह कहकर उन्हें छोड़ देती है यह तो हमारा मुखबिर है। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त पिछले 5 वर्षों में बी. एस. एफ. के द्वारा 632 मामलों में सिविल पुलिस को सूचना दी गई बोर्डर की ओर सदन को सुन कर ताज्जुब होगा कि 632 मामलों के अन्दर करीब 88 मामलों में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, यह जीता जागता प्रमाण है····

श्री दामोदरलाल व्यास : कौनसे केसेज ?

श्री भैरोंसिंह : इधर से मवेशी चले गए, इस आदमी की गतिविधियां संदिग्ध हैं। इस प्रकार की जो शिकायतें थीं उनमें से 88 से ज्यादा मामलों में कार्यवाही नहीं की और आप से कहें या न कहें, बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोगों से मैं मिला हूं, यह मानकर चलते हैं कि हम यदि किसी की शिकायत कर देंगे तो शिकायत करने के बाद में किसी के खिलाफ एक्शन हो जाएगा, हमें विश्वास नहीं है और यदि उदाहरण लेना चाहें तो मैं आपको यह भी देना चाहूंगा। पाकिस्तान के दो सिपाही गुप्तचर राजस्थान की सीमा में आए। उन गुप्तचरों का स्वागत आपकी कांग्रेस पार्टी के सदस्य एक विधायक ने किया, पंचायत समिति के बी. डी. ओ. ने किया, सरकारी जीप में लेकर उनसे मिलने गए। पुलिस ने जब जांच करना शुरू किया तो सब इन्सपेक्टर से लिखवाकर जांच को दबा दिया। बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग रोते रहे लेकिन सिविल पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। चाहिये तो यह था कि सरकार तुरंत एक्शन ले। वह नहीं लिया और गृहमंत्री कहीं इन्कार नहीं कर दे तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास इन्हीं के विभाग के दो पत्र हैं जो सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा जिससे सदन को विश्वास हो

(श्री भैरोंसिंह)

जाएगा कि बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो शिकायतें हैं, उनमें कितना दम है और उनकी बातों की किस सीमा तक सुनवाई होती है। एक पत्र है :

It has been reported by district Magistrate Barmer, in the fortnightly confidential report for the second half of April 1968, sent vide D. O. No. PA/F5 (1) FCR/68/3159 dated 3rd May, 1968 that Shri Abdul Hadi, M.L.A. and Suboj Pradhan, Panchayat Samiti Chohtan have been actively making propaganda in the border villages telling Indian Muslims migrated to Pakistan that they need not fear anything because the cases already registered under rule 25 (A) of the D.I.R. have not yet been challaned and after July 1968 no law would be available to stop them from coming back to India. The Government has already been requested for taking necessary action for checking this and steps in the nature of exercising more intelligence are also being taken. It is requested that as to why these cases have not been challaned may kindly be sent for expediting for the information of the C.S.

अब यह परेशानी क्यों खड़ी हुई। मैंने जैसे कहा 19,000 आदमी पाकिस्तान गए। इसी सदन में गृहमंत्री ने आश्वासन दिया था कि जो 19 हजार व्यक्ति पाकिस्तान चले गए हैं . . .

श्री दामोदरलाल व्यास : किसका पत्र है ?

श्री भैरोंसिंह : U.O. Note No. F. 4 (28) Cab. (68) dated 4-6-68. Cabinet ka hai.

मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि जो 19 हजार आदमी पाकिस्तान चले गए उस संबंध में भारत सरकार ने लोकसभा में कहा कि उन लोगों के नागरिकता के अधिकार समाप्त कर दिए जायें। राज्य सरकार ने यह आश्वासन दिया कि जो लोग पाकिस्तान चले गए, उन सब के खिलाफ मुकदमा बनाया जायगा और नए आयेंगे तो उनके नागरिकता के अधिकार उस स्थिति में अपने आप खतम हो जायेंगे। इस सदन को जानकर अफसोस होगा कि 19 हजार लोगों में से मैंने काफी लोगों के नाम इकट्ठे किए, इनमें से लगभग 5–6 हजार आदमी वापस आए और उन्होंने वोटर्स लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया और चुनाव से पहले वोटर्स लिस्ट में से उनके नाम काट दिए गए थे। उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन पोलिंग के दिन दुबारा इन्सट्रक्शन्स दी गई कि उन लोगों को वोट देने का अधिकार है और वह देंगे। ऐसी हालत में मैं आपसे जानकारी करना चाहूंगा कि बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग अगर इनको रोकना चाहते तो उन लोगों ने रोका है लेकिन आने के बाद उन लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट में एन्टर हो जाए, उनको जमीन का एलाटमेंट हो जाए, नागरिक के नाते सारी सुविधाओं का उपभोग करें, मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्म की बात और सीमा सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक बात

Page No 154

(श्री भैरोंसिंह)
नहीं हो सकती। मैंने जैसे कहा, एक दो गुप्तचर आए, मैं उदाहरण दे रहा हूं। उस संबंध में एक और पत्र सुनाना चाहूंगा: अर्ध शासकीय पत्र संख्या 10/4 (89) गृह (क)–1 (65) दिनांक 11 मार्च, 1969।

आयुक्त गृह से उप महानिरीक्षक आरक्षी।
प्रिय श्री भार्गव,

कृपया अपना गोपनीय पत्र क्रमांक अ. बी./विशेष शाखा/डी 1/ मिस (19) (63) भाग 2/710 दिनांक 24-1-68 के संदर्भ में देखें, इस पत्र के साथ श्री अब्दुल हादी की गतिविधियों के बारे में जो टिप्पणी शामिल की गई है उसके अनुच्छेद 2 में जिन तथ्यों का वर्णन किया गया है वे ऐसे हैं कि यदि इन तथ्यों को न्यायालय में साबित करने लायक शहादत हो तो श्री अब्दुल हादी का रूल 25 ए.डी.आई.आर. के अयानत के जुर्म में चालान, किया जाकर सजायाही हासिल की जा सकती है। कृपया इस मामले में किसी होशियार अधिकारी से अनुसंधान कराकर मालूम करें कि श्री हादी के चालान लायक शहादत उपलब्ध है या नहीं, यदि इस प्रकार की शहादत उपलब्ध हो तो रिपोर्ट करें ताकि सरकार श्री हादी के विरुद्ध मुकदमा चलाने का निश्चय कर सके।

गृह आयुक्त।

श्री अध्यक्ष: कान्फीडेन्शल सर्टीफाइड कापी है?

श्री भैरोंसिंह: मैं देता हूं। गृह मंत्री इन्कार कर दें? इस प्रकार दूसरा पत्र है अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 14-10-68।

कृपया सूचना अनुभाग की रिपोर्ट क्रमांक अ। अ। डी विशेष शाखा डी. 1। ए.डी.आई.आर. (1) 68। 7085। दिनांक 7-2-68 का अवलोकन करें। इसमें निम्नलिखित साबीका डिटेन्यूज के चाल चलन के बाबत रिपोर्ट की गई है। इसमें 8 आदमियों के नाम हैं। और नवें पर श्री अबदुल हादी का है। इन सभी लोगों की गतिविधियां संदिग्ध और चरित्र संदेह जनक पाया जाता है और इस बात की जरूरत है कि इनमें जिन लोगों के खिलाफ माकूल शहादत एकत्रित हो सके, एकत्रित किया जाय इनको निरोधक नजरबंदी कानून में प्रतिबंधित रखने की कार्यवाही की जाए। कृपया इन सब के मामलों की खास तौर से जांच करें और जिन लोगों के खिलाफ उपरोक्त प्रकार की कार्यवाही किए जाने की गुंजाइश पाई जाए उनके खिलाफ संबंधित जिलाधीशों को तहरीर करें और जो कार्यवाही की जाए उसकी रिपोर्ट सरकार की सूचना के लिए यहां भेजें। गृह आयुक्त

अब इस तरह से यह पुलिस की रिपोर्ट है। गृह आयुक्त का पत्र है। मैं नहीं कह सकता कि कलेक्टर की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह सकता कि पटवारी, तहसीलदार, सी. आई. डी. हैड कान्सटेबल, सब इन्सपेक्टर्स इन्टेलीजैन्स ब्यूरो की रिपोर्ट है। कई व्यक्तियों के खिलाफ प्रमाणित आरोप थे, राज्य सरकार के पास भेजें हैं, बार्डर सीक्योरिटी फोर्स परेशान है लेकिन राज्य सरकार कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। जब दो व्यक्तियों के खिलाफ वही आरोप है अब्दुल हादी और साबोद तो राज्य सरकार ने साबोद को तो डी0 आई0 आर0 के तहत गिरफ्तार किया, उन्हीं आरोपों के

(श्री भैरोंसिंह)

लिए हादी के लिए कलक्टर ने लिखा, तो एक आदमी को तो अंदर रखना दूसरे आदमी को छूट दे दी, इससे यह मालूम होता है कि राज्य सरकार एक के खिलाफ एक्शन लेना चाहती है और दूसरे के साथ रियायत करना चाहती है···

मैं इस आधार पर निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान की सीमा पर बी. एस. एफ. लगी हुई है उनके अधिकारियों का कहना है कि जो भी शिकायत पुलिस को करते हैं उनकी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है, उनसे मिल जाते हैं इस कारण वे निकल जाते हैं । सीमा पर मैंने वह दृश्य देखा है कि कई गरीब मुसलमान जिनको एक टाइम रोटी खाने को नहीं, मिलती, रहने को जिनके पास झोंपड़ा नहीं इतने तंग किये जाते हैं और पुलिस से इतने भयभीत हैं कि यदि रात को पुलिस रखली जाय तो घर से बाहर निकलने के लिये तैयार नहीं । एक समय से दूसरे समय की रोटी जिनको उपलब्ध नहीं उनसे बेगार लेना, यदि उनसे बकरा तैयार हो जाता है तीन चार महीने का तो वह मानते हैं कि यह पुलिस के हवाले होगा और पुलिस छोड़ने वाली नहीं है एक तरफ गरीब मुसलमान उनकी हालत इस प्रकार खराब होकर न तो सरकार की ओर से उनके रोजी रोटी का इन्तजाम बल्कि वह पुलिस का शिकार बनकर पड़ी है और दूसरी तरफ प्रभावशाली व्यक्ति दुनिया भर का अन्याय करते रहें, राजस्थान सरकार उन पर कोई एक्शन लेने के लिये तैयार नहीं है । गांवों में जबरदस्त स्मगलिंग का काम करते हैं । इससे कई बात पैदा होती हैं और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बनाते हैं । मै गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में पंचायत समिति के प्रधान श्री रामचन्द्र के हाथ से तस्करी का माल पकड़ा गया उस पर आप मौन क्यों बैठे हैं ? उनके पास तो डकैती का माल था । वृद्धिचन्दजी बोलें या न बोलें । मैंने उनका कट मोशन देखा है गुजरात से डकैती का माल पकड़ा गया, बरामद हुआ । पुलिस लाइन्स के अन्दर पड़ा हुआ है और ब्यौरा नहीं मिल सकता है कि बरामद किसके जरिये से हुआ है, यह पता नहीं कि श्री रामचन्द्र प्रधान ने जमा कराया है । आप कह देंगे कि नहीं है । आप अभी टेलीफोन से पता लगा लीजिये कि गुजरात से डकैती का माल पुलिस लाइन्स में पड़ा हुआ है या नहीं । वह कहां से आया है ।

श्री वृद्धिचन्द्र : कहां से आया है इसका पता लगाकर दंडित करना चाहिये दोषी को ।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस में माल पड़ा हुआ है उसका इन्द्राज रजिस्टर में नहीं है । आज दिन तक नहीं इस समय तक नहीं । किसके यहां से यह माल बरामद हुआ यह पता नहीं गुजरात की डकैती का माल है और वह भी किसने लगाकर जमा कराया आपके रामचन्द्रजी ने लाकर वह जमा कराया उसको गिरफ्तार करिये । प्रमाण गृह मंत्रीजी कहें तो मैं प्रस्तुत करने के लिये तैयार हूं ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : किसी ने भी कराया हो तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये । कोई भी हो ।

श्री भैरोंसिंह : तस्करी सोने की ही नहीं, यहां से इलायची, एसमा की चाय, नगीने, सूती कपड़ा और चान्दी ये पाकिस्तान को जा रही हैं । खूब जाती हैं और पाकिस्तान की तरफ से सोना काफी मात्रा में आता है काफी लोग इसमें लगे हुए हैं । रामचन्द्रजी के यहां पकड़ी गयी है, घड़ी, ट्रान्सिटर ये तो वृद्धिचन्दजी ही मानेंगे कि कई क्षेत्रों से यह माल आता है । अब सरकार से पूछना चाहता हूँ कि पुलिस और बी. एस. एफ. भी वहां है किस कारण से यह तस्करी चल रही है ? आप अपने विभाग में देख लें, मेरे करने की बात न माने किन्तु जिन तस्करियों के खिलाफ पुलिस ने शिकायत की है, गृह मंत्रीजी कांच में अपनी शक्ल देखें तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान का कौन कौन नेता इस तस्कर व्यौपार में शामिल हैं । वे शामिल इसलिए हैं कि आपकी हिम्मत नहीं होती है कि आप एक्शन लें । कहने का मतलब यह है कि जब तक पाकिस्तान से आमदरफत को नहीं रोको और पाकिस्तान से मिले हुए लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे आप अपना गुस्सा निकालने के लिए उन गरीब मुसलमानों को शिकार बनायेंगे जिनके पास एक समय को भी खाने का अन्न नहीं है और न ही आप सीमा की सुरक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे ।

श्री दौलतराम सारण : आप वेग चार्ज सारे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ लगा रहे हैं यह उचित नहीं होगा इसलिए आप उनका नाम बतायें कि कौन कांग्रेस के नेता स्मगलिंग के लिये स्मगलर्स के साथ मिले हुए हैं और यह धन्धा करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : एक का बताया ।

श्री दौलतराम सारण : आप कहते हैं कि बहुत से मिले हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखें ।

श्री दौलतराम सारण : उन पर रिफ्लेक्शन करना अच्छा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : गृह मंत्रीजी से और जानना चाहूंगा कि 65 से लेकर 68 तक पाकिस्तान में केटल और आदमियों का एबडक्शन करके ले गये, 83 आदमियों का एबडक्शन किया था । 73 वापिस आये । 14 में से वापिस कितने आये हैं ? और आप कह सकते हैं डेफिनेटली कि 14 में से सारे के सारे ही हिन्दुस्तान में आ गये ? जो केटल थैप्ट की गयीं, गायें चोरी की गयीं क्या वे नेगोशियेशन्स से सब की सब वापिस आ गयी ? अध्यक्ष महोदय, वहां पर ऐसी स्थिति चल रही है कि रोज इनकी मिटिंग होती है, फोर्टनाइटली और मंथली, अपनी बी. एस. एफ. और उधर के लोग बैठ कर विचार कर लेते हैं कि पन्द्रह मवेशियां गयी हैं उनको वापिस दें । यदि पाकिस्तान की हिन्दुस्तान में आ गयीं और उनको रिटंन नहीं किया तो दूसरे दिन मोर्चा मारेंगे और पन्द्रह की जगह पचास ले जावेंगे । पुलिस पाकिस्तान का साथ देती है। उनकी मवेशी नहीं आयी तो पचास चली जावेगी और मिटिंग होंगी तो कहेंगे कि हमारी दे दो और तुम्हारी ले लो। बोर्डर पर लोग ऊंट और मवेशी रखने के लिये तैयार नहीं है । गाय रखने के लिये तैयार नहीं है । एक, दो तीन महीने तक पहले कोई आदमी चराने के लिये साथ नहीं रहता था लेकिन आज चरावाह साथ

(श्री भैरोंसिंह)

में न हो चराई पर नहीं जातीं। कम से कम राजस्थान सरकार को उनके आफिसर्स ने सूचना दी है तो एक्शन लें। मैं कैटोगोरिकली सरकार से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान लोग चले गये तो वापिस कितने आये और कितनों के खिलाफ आपने मुकदमें बनाये और कितनों को कामयाब बनाया? कामयाबी का तो दुर्भाग्य ऐसा है कि 101 के खिलाफ कैसेज बनाये मुजाहिदों के साथ गये हमले के समय। 72 आदमी उनमें से वरी हो गये और कुछ के और कैसेज चल रहे हैं। फाइनल जजमेन्ट होगा तो उस वक्त 101 आदमी ही वरी हो जायेंगे। उससे यह पता लगता है कि राजस्थान सरकार का प्रोसिक्यूशन विभाग कितना एक्टिव है और पाकिस्तान की सेना से मिल कर, लूट हत्या आदि से लेकर हिन्दुस्तान के साथ बगावत करने वालों में से चालान किया है आपने 101 का और उन पर मुकदमा चलाया और उनमें से अधिकांश वरी हो गये इससे अन्दाज लगाइये कि सरकार सीमा के बारे में कितनी चिन्तित है और कितनी सजग है।

पासपोर्ट के मुकदमें देखिये। कई लोग पासपोर्ट लेकर आते हैं। ओवरस्टे करते हैं। उनकी एक्टिविटीज का पता तुरन्त सरकार को रखना चाहिये सिवा यह स्टेटमेन्ट देने के कि इतने ओवर स्टे कर रहे हैं और पासपोर्ट के इतने कैसेज चल रहे हैं, मेरी जानकारी के अनुसार 504 कैसेज चल रहे हैं। जिस स्टेट में 504 पासपोर्ट के नियमों के वायोलेशन्स के केसेज चल सकते हैं सरकार के लिये अन्दाज लगाया जा सकता है कि सरकार जो विदेशी यहां आते है उनकी एक्टीविटीज को वाच करने में कितनी सक्रिय है। 504 मुकदमे चलना और उनके सम्बन्ध में सरकार की ओर से जानकारी न रहना कोई हमारी सीमा सुरक्षित है यह समझेगा यह भूल करेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि श्री अध्यक्ष: पांच मिनिट और हैं। अध्यक्ष महोदय, पुलिस के आंकड़ों के सम्बन्ध में तो मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहता। राजस्थान के गृह मंत्रीजी से सीनियर वित्त मंत्री जी ने डीडवाना में यह कह दिया कि चोरियों की रिपोर्ट दर्ज नहीं करते, गृह मंत्रालय में यह नोकान्फिडेन्स है। उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं वे किसी न किसी मात्रा में सही होंगे, उसकी स्थिति को गृह मंत्रीजी आप भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है। केस को रजिस्टर करना दुर्लभ है। केस पुलिस एकदम रजिस्टर नहीं करती है, माल बरामद करने की कोशिश करेंगे और बरामदगी को स्टेज आजायगी और थानेदार की बात होगी तो उस वक्त करेंगे। केस रजिस्टर भी कर लिया तो कोई लाभ नहीं होता है। इसलिये आपकी इस बात में कोई दम नजर नहीं आता है।

अध्यक्ष महोदय, इस आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री महोदय से कि पिछले दिनों जोधपुर में पीपाड़ सिटी के अन्दर जीप जलाये जाने की घटना हुई। इसके सम्बन्ध में यह जानना सके चाहूंगा क्योंकि आज इस मामले को दो महीने हो गये, इसके अन्दर डी वाई. एस.पी

(श्री भैरोंसिंह)

पी. ने इन्क्वायरी की तो उसके खिलाफ लोगों ने शिकायतें की और आपने दूसरे आफिसर को लगा दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पांच गाड़ियों को इलेक्शन के दिनों में जला दिया गया, किसी के मकान पर हमला कर दिया गया उसके बाद भी आप चालान न करना चाहें तो कम से कम यह स्पष्ट बता दें कि राजा महाराजा की गाड़ी जलाई जायेगी तो पुलिस उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। राजा महाराजा का कोई साथ देगा और कोई उस पर हमला करेगा तो पुलिस उसकी मदद करने को तैयार नहीं हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जो पांच गाड़ियां जलाई गई वह किसी महाराजा की नहीं है। वह दुनिया के लोगों की गाड़ियां जली हैं और लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं। हमने साथ दिया तो गुनाह किया। लेकिन जो नुकसान हुआ वह सरकार न दिलावे लेकिन जिन लोगों ने हमला किया उनके विरुद्ध सरकार प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं कर रही है। अफसोस है कि इतने गम्भीर मामले में राजस्थान की सरकार आज तक कोई चालान नहीं कर पाई है और यह कोशिश की जा रही है कि इस मुकदमें के जितने भी गवाह हैं, उनको डराया जाये, धमकाया जाये और जो उनके पहले बयान हो चुके हैं उनको फिर से कोर्ट में 164 के तहत उनके बयान कलमबंद कराये जायें। यही आपकी इच्छा है तब तो ला एण्ड आर्डर के लिये आपके कदम बेकार हैं। यह सरकार इस मामले में जिस आधार पर काम कर रही है उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह पुलिस का डिपार्टमेन्ट चेनाराम को दे दें। कम से कम चेनाराम अपने विरोधियों को तो मारेगा लेकिन अपने पक्ष के लोगों के साथ न्याय करेगा। गृहमन्त्री महोदय चेनाराम का नाम आते ही डरते हैं कहीं चेनाराम ऐसा विद्रोह न खड़ा कर दे, उनकी कलम नहीं चलती है। यह ताज्जुब की बात है कि पुलिस की जो एफ. आई. आर. है, जो रोजनामचा है, उसके आधार पर मैं यहां यह कहना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति के खिलाफ यह सब जो रिपोर्ट्स दर्ज हैं वे सब कोग्निजिबल आन्फेस की है। लेकिन अफसोस की बात है कि केवल एक मामले का चालान किया गया है और सब कैसेज मैं प्रधान ही प्रधान है। शर्म की बात है कि पुलिस की फाइल में लिखा हुआ है कि मुलजिम फरार है और मुलजिम जयपुर आता है और जहां कहीं वह चाहता है, जाता है। हमारी सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। इस आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, कोई व्यक्तिगत रूप से चेनाराम से मेरा द्वेष नहीं है और न किसी का द्वेष है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह दुनिया भर के अपराध करने के बाद भी बचे तो बाकी के लोगों के दिमाग में यह हवा बनती है कि अपराध किये जाओ बच जायेंगे और कम अपराध किये तो चालान हो सकता है, पुलिस द्वारा परेशान किया जा सकता है। इस स्थिति मैं निबेदन करना चाहूंगा कि जिन मामलों ने सारे राजस्थान में एक हवा बनाई है, चेनाराम सरपंच के मामले की एक हवा बनी है, वह कांग्रेस का समर्थक होने के नाते कितना ही अन्याय करे, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकती तो जो हवा बनी

(श्री भैरोंसिंह)
है मंत्री महोदय एक चैनाराम नहीं गांव गांव में चैनाराम खड़े हो जायेंगे और गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपके यहां जो चैनाराम पैदा करने की मशीन है उसके ताला लगाइये और यह ताला तब लगेगा जब इस प्रकार के लोगों के साथ पक्षपात न करके उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक ही मामला और कहना चाहता हूं। राजस्थान के लोगों के पास हथियारों की बहुत कमी है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि···

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच बजने वाले हैं और समय समाप्ति पर है। जब तक मांगें पारित न हों तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाये। ··· समय बीत रहा है।

श्री अध्यक्ष : अभी पांच मिनिट बाकी हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के लोगों के पास में हथियारों की कमी है। जिन लोगों के पास में बन्दूकें हैं, रिवाल्वर है, पिस्तौल है, दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान सरकार उनका रिन्यूअल नहीं करती है और किसी न किसी बहाने उसको जप्त कर लेती है। इस सदन को याद होगा कि सन् 65 में हथियारों की बिक्री का एक मामला पेश हुआ था। जिन लोगों के पास जैनाइन लाइसेन्स थे पुलिस ने उन हथियारों को जप्त कर लिया और बाद में उनकी बिक्री कर दी? आज भी यही हालत चल रही है। जिसके ऊपर एस. पी. सब इन्सपेक्टर नाराज हैं, किसी न किसी बहाने उसका हथियार जप्त कर लिया जाता है। उसका चाल चलन ठीक होने के बाद भी वह जप्त कर लिया जाता है। जिन लोगों के हथियारों को जप्त किया गया है उसमें एस. पी. साहब की रंजिश हो, सब-इन्सपेक्टर की रंजिश हो, एस. पी. और पुलिस के बाकी लोगों की वैमनस्यता के कारण हथियारों को जप्त करने का एक बहुत बड़ा कारण है। इस प्रकार पता नहीं कितने ही लोगों के हथियार आपसी रंजिश के कारण पुलिस के मालखाने में जमा कराये गये हैं। मैं निवेदन करूंगा और पहले भी इसकी मांग कर चुका हूं कि आप जो टोपधारी बन्दूक है, उस पर कोई पाबन्दी मत लगाइये। यह तो मामूली बन्दूक है और आज कोई हत्या ही करना चाहता है तो गन से ही नहीं, हत्या करने के कई साधन हैं। जो हथियार हाथ में आ जाता है उससे ही हत्या कर दी जाती है। तो यह मानकर चलना चाहिये जो यह बन्दूक है उस पर से आप कम से कम जो लाइसेन्स और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर रखी है उसको हटा दीजिये। आप यह कहेंगे कि यह भारत सरकार ही कर सकती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भारत सरकार को निवेदन करें। दूर दूर तक लोग रहते हैं, तीस, चालीस मील की दूरी पर और वे ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि समय पर

(श्री भैरोंसिह)
आकर लाइसेन्स बनवा सके, रिन्यूअल करा सकें, ऐसी स्थिति में कम से कम राजस्थान में देशी बन्दूकें फ्री कर दें। यह मेरी आपसे मांग है···

श्री अध्यक्ष : मांगें पारित हों तब तक के लिये सदन की सहमति से समय की अवधि बढ़ायी जाती है।

गृह मंत्री महोदय।

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आपके दल का समाप्त हो गया है। अब समय नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : शिड्यूल कास्ट के मेम्बर्स में आज केवल बिरदाराम जी ही बोले हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा समय मुझे भी दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं विवश हूं। स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

श्री लादूराम सुलानिया : रोज ब रोज जनता पर हमले हो रहे है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे थोड़ा समय दें···

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी है। जो लिस्ट आपके दल की ओर से आई है उसमें जितने माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव थे, उनको समय दिया जा चुका है।

श्री लादूराम सुलानिया : फिर भी मेरा आपसे निवेदन है···

श्री अध्यक्ष : मैं समय देने की स्थिति में नहीं हूं। स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुट बिहारी लाल : 28 प्रतिशत समय निर्धारित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : यहां पर भी परसेन्टेज है।

श्री लादूराम सुलानिया : लेकिन अध्यक्ष महोदय,···

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य····मैं अब समय देने की स्थिति में नहीं हूं। खैर, दो मिनिट।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग के बारे में जिन लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं उतना टाइम तो मेरे पास में नहीं है इसलिये शार्ट में ही मैं अपनी बातें···

श्री अध्यक्ष . संक्षेप में कहिये।

श्री लादूराम सुलानिया : संक्षेप में ही मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। थोड़े दिनों पहले इस विधान सभा में गंगापुर के हरिजनों को जो 1500 मन गल्ला लूट कर ले गये उसके सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय ने यहां यह आश्वासन दिया था कि वह सारा गल्ला बरामद करवा लिया जायेगा···और वह गल्ला बरामद करने के लिये यहां की पुलिस को आपने आर्डर दिया। लेकिन मा. अध्यक्ष महोदय 15 सौ मन गल्ला में से केवल 15 मन गल्ला बरामद करके रख रखा है। पुलिस अधिकारियों ने काश्तकार को लूट लिया।

(श्री लादूराम धुलानिया)

15 सौ मन गल्ले में से केवल 15 मन गल्ला ला कर सड़क के किनारे डाल दिया उन पर लूट का मुकदमा दर्ज हुआ, चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया। काश्तकार का सारा माल लूट कर खा गये। अध्यक्ष महोदय, आप जांच करवायें तो आपको मालूम हो जायगा किस प्रकार काश्तकार को लूटा गया है। उनका बचा हुआ जो अनाज था, जो पैदा करने का काश्तकार ने हाथ से काटा था और जो किसान के खलिहान में पड़ा था, तहसीलदार, गंगानगर ने उसको कुड़क किया है, और नीलाम किया है। उनके अधिकार से वंचित कर दिया। वहां का एस. डी. एम. बहुत ऊंचा खिलाड़ी है, रिश्वत खाता है। 500 मन गेहूं की रिश्वत खागया और यही नहीं इसके अलावा इस प्रकार के कई कांड हैं। आपके नेतृत्व में होते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिये हिम्मत कीजिये। मैं एक निवेदन और कर दूं। इसके अलावा उदय का जो केस है विधान सभा में भी उठाया गया था और आपके आश्वासन के बाद भी यह सारा कान्ड हुआ। इसके लिये मैं निवेदन करूंगा पूरी जांच करने के लिये वहां के एस. डी. एम. को सस्पेंड कीजिये। थानेदार वगैरह है इनको सस्पेंड करिये। मैं स्वयं मौके पर जाकर देखकर आया हूं। 500 रुपये रिश्वत के लिये हैं। अगर आप जांच करवायें तो देखेंगे कोई छिपने वाली बात नहीं है। इसके अलावा भी मा. अध्यक्ष महोदय बहुत सारे मसले मिलेंगे। ज्यादा न कहकर एक बात और कहूंगा। सारी बातें आपकी सुनी लेकिन आपने सारे राजस्थान में इस बात की व्यवस्था की कि छुआछूत नहीं होगा और जगह जगह आज छुआछूत का भूत खड़ा है। पुलिस को छुआछूत के बारे में एक्ट बना कर दिया है। आज कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है और हो जाता है तो उसको डण्डा मारकर दबा देते हैं। सारे राजस्थान में इसका भूत खड़ा है। इसको जल्दी मिटा सकें तो अच्छा है। मैं उदाहरण दे दूं पुलिस के अन्दर एक हरिजन थानेदार है। उसका दो साल में 20 जगह ट्रान्सफर किया है। आपको जानकर ताज्जुब होगा। हमारे भूतपूर्व कांग्रेस के विधायक श्री धर्मपाल जिनके लड़के को आपने कोतवाली में लगा रखा था। उसका इन दो सालों में कई जगह ट्रान्सफर कर दिया। इसलिये कृपा कर हरिजनों व शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिये...

श्री अध्यक्ष : मा. सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(पुनः बोलने पर)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। अब समय नहीं है।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय पुलिस की डिमाण्ड के ऊपर माननीय सदस्यों ने आज अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। सबसे पहले मैं मा. सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने पुलिस विभाग में जो कमियां हैं और जिसकी वजह से जनता को तकलीफ है, या देश की सुरक्षा को खतरा है उन बातों की ओर मेरा ध्यान दिलाया है

(श्री दामोदर लाल व्यास)

इसके लिये मैं बहुत आभारी हूं, और मैं इतने अर्से से पुलिस डिमाण्ड के उपर डिबेट सुनता आ रहा हूँ। मैं समझता हूं आज की डिबेट ज्यादा कन्सट्रक्टिव सजेशन्स की है और मुझे इस बात की खुशी है मा0 सदस्यों ने बहुत ही संयम से और सही तरीके से अपने विचार व्यक्त किये हैं। पुलिस का महकमा, इसमें कोई शक नहीं है कि खराब महकमा समझा जाता है और यहां उनको ज्यादातर अपयश मिलता है, क्योंकि कोई न कोई पार्टी ऐसी होती है जिनको पुलिस वाले खुश नहीं कर सकते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, जहां आपको पुलिस की कमियां नजर आती हों आप जरूर कहें और उनको सुधार करने का मेरा फर्ज है। मैं भी कोशिश करूंगा, परन्तु इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि राजस्थान बनने के बाद से पुलिस विभाग ने जो मेरीटोरियस सर्विसेज की हैं कम से कम उसको याद रखने की बात है। सन् 50 में जब राजस्थान बना तो चम्बल की घाटियों में ही नहीं बल्कि अरावली की घाटियों में भी डकैतों की जो समस्या थी कि यहां दिन को भी बगैर खतरे के गुजरना मुश्किल होता था उसको पुलिस ने बड़ी हिम्मत से हल किया और इस बात को नहीं भूलना चाहिये जितने डेकोइट्स मारे गये, जितने गिरफ्तार हुये। उसी तरह हमारे पुलिस आफिसर एस. पी. से लेकर कान्स्टेबल तक ने अपनी कुर्बानी दी है, अपनी जानें दी हैं। इसलिये ज्यादा डेकोइट्स बढ़ गये या नहीं बढ़े बहराल मैं इस समय राजस्थान की हालत को माननीय सदस्य जान लें जो डेकोइट्स की संख्या है तो वह चम्बल के रिवाइन्स के अलावा राजस्थान में कहीं नहीं है। जो हालत उस समय थी उससे आप वाकिफ हैं।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह: वह आंकड़े तो देख लिये हमने।

श्री दामोदरलाल व्यास: चलिये, मैं नहीं बता रहा हूँ। चम्बल की रिवाइन्स से जहां तक डेकोइट्स का प्रश्न है, पिछले वर्षों में बराबर सुधार हुआ है। आज चम्बल रिवाइन्स के अन्दर केवल राजस्थान का सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये दोनों राज्य ऐसे हैं जिनके अन्दर चम्बल रिवाइन्स के अन्दर जो रहने वाले डेकोइट्स हैं वे आपरेट करते हैं। इसका कम्परेटिव फीगर आप देखेंगे तो राजस्थान की पुलिस के जो अचीवमेंट्स हैं, मैं गारन्टी के साथ कह सकता हूं चम्बल रिवाइन्स में भी डकैतों का सफाया किया है। और हमारे यहां जितने किडनेप हुये हैं बिना रैन्सम के आये हैं। प्रापर्टी की रिकवरी भी ज्यादा हुई है और आफेन्सेस एम0 पी0 और यू. पी. के मुकाबले बहुत कम हुये हैं। मिसाल के तौर पर··

(विराम)

श्री भैरोंसिंह: एम. पी. की पापूलेशन वाली बात जिसमें एम. पी. के गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि पापूलेशन बेसिस पर हमारे यहां कम क्राइम है। वह तो हम जानते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास: मैं आपको पहले वही बात बता दूं कि क्राइम इन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

राजस्थान इज 186.76 वेयरएज क्राइम आफ वन लेक पापूलेशन इन यू. पी. इज 169.5 एण्ड इन एम. पी. इट इज 218.4। आई थिन्क इट इज दी फीगर आन पापूलेशन बेसिस। जो बात है वह…

दूसरी बात, जहां तक मैंने आपको डेकाइटीज के प्रश्न पर बताया कि डेकाइटीज के अन्दर जहां चम्बल रेवीन्स हैं उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे इन्वाल्व्ड हैं––भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट और कोटा डिस्ट्रिक्ट। माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि पिछले सालों के अन्दर कोटा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर डेकायट्स का भय था यों कहना चाहिए कि डर पैदा हो गया था और बहुत पैनिक पब्लिक में पैदा हो गया था तो एक डी. आई. जी. की पोस्ट क्रियेट की गई और उन्होंने जो डेकाइटी वर्क किया है उसके रिजल्ट्स सामने हैं कि आज कोटा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर किसी प्रकार का कोई पैनिक नहीं है, कोई डर नहीं हैं। यही हालत भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की है यही हालत भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस के एचीवमेंट्स की आपने ही नहीं, राजस्थान में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश ने भी उसकी सराहना की है। भरतपुर के एस. पी. ने केवल राजस्थान के अन्दर ही नहीं, बल्कि उत्तर-प्रदेश के अन्दर आपरेट करने वाले जो गैंग्स थे और ऐसे खतरनाक गैंग्स थे उनका सफाया किया है, और आप सब इस बात को जानते हैं कि भरतपुर के एस. पी. का सार्वजनिक अभिनन्दन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने आगरे में आकर किया है। वह सिर्फ इसलिए कि उनके यहां के खतरनाक गैंग का उन्होंने सफाया किया था…

श्री मुकटबिहारी गोयल : मुख्य मंत्री कौन थे ? चरणसिंहजी थे क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : श्री सी. बी. गुप्ता।

जहां तक क्राइम पोजीशन का सवाल है, क्राइम पोजीशन के लिए वैसे तो पुलिस विभाग की वह जो बुकलेट है वह आप सब के पास पहुंच चुकी है और जिसको आपने देख लिया होगा। मगर उसमें अभी किसी माननीय सदस्य ने यह कहा कि 3–4 पर्सेन्ट की इन्क्रीज हुई है तो वास्तव में इन्क्रीज 3-4 पर्सेन्ट नहीं है, बल्कि पिछले साल से 19 पर्सेन्ट की डिक्रीज है, और उसकी वजह यों है कि 6808 केसेज जो रजिस्टर्ड हुए 1970 में वे गलत और झूठे पाये गये हैं, अनअकर्ड पाये गये हैं तो उनको निकाल देंगे तो इन्क्रीज नहीं होगी बल्कि 19 पर्सेन्ट की डिक्रीज होगी, उसमें उतना डिक्लाइन होगा। वह मर्डर, डेकोइटी, बर्गलरी या केटल लिफ्टिंग के अन्दर भी वह करते हैं तो ये चार तरह के केसेज को अगर पिछले सालों से आप मिलायेंगे तो इस साल के अन्दर काफी कमी हुई है मुकाबले पहले के सालों के। डेकाइटी के लिए मैंने आपसे कहा है कि जहां तक डेकाइटी का प्रश्न है वहां राजस्थान में कहां डेकाइटी का सवाल नहीं है सिवाय चम्बल रेवीन्स के, और चम्बल रैन्वीस के अन्दर भी भरतपुर और सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य या

(श्री दामोदर लाल व्यास)

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य भी इस बात से जहां पहले बेहद ही नाराज थे मुझे सन्तोष है कि आज उन्होंने अपने भाषण में कहीं भी डेकाइटी के लिए नहीं कहा, और उसकी वजह यही है कि वहां डेकायट्स का जो मैनिक था वह जाता रहा। मेरा अर्ज करना आपसे यह है कि जहां एक तरफ आपने पुलिस की खामियां बताई, पुलिस की कमियां बताई, तो आपको जरूर बताना चाहिए और मेरा फर्ज है कि उन कमियों को दूर करने के बारे में प्रयत्न करूं। मेरा आपसे यह भी अर्ज करना है कि पुलिस के जवानों का काम इतने मुश्किल का है कि उनको अपनी जान पर खेलना पड़ता है और पिछले आंकड़ों से आप खुद जानते हैं कि कितने कान्स्टेबल्स ने, कितने सब-इन्सपेक्टर्स ने और ईवन एस. पी. की रैंक के आदमियों ने अपनी जानें दी हैं इस डेकाइटी मिनेस को खत्म करने के लिए, तो मैं अर्ज करूंगा कि जहां कमियां बतलायें वहां कम से कम उनके एचीवमेंट् पर एक-दो शब्द कह दें तो उनके दिलों में यह तसल्ली रहेगी कि उनके अच्छे काम का एप्रिसियेशन भी किया जाता है, क्योंकि आखिर माननीय सदस्य जनता के प्रतिनिधि हैं और आपका कहना बड़ी वजनदार बात होती है, और उसका असर आम जनता पर तो पड़ता ही है, परन्तु पुलिस के पर्सोनल्स पर भी पड़ता है कि आपने उनके एप्रिशियेबल काम की सराहना की है। आपका और मेरा फर्ज हैं कि गलत काम करने से उनको रोकें और जो गलत काम करते हैं उनमें सुधार लावें, और मैंने इसीलिए पहले ही अर्ज कर दिया है कि मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने पुलिस प्रशासन की कुछ खामियां बतलाई।

अब जहां एक तरफ जरायम की पोजीशन है वहां दूसरी तरफ यह भी हमको देखना है कि जरायम की पोजीशन के अन्दर डिटेक्शन कितना हुआ, प्रोसीक्यूशन कितना हुआ और अनट्रेस्ड कितने गये, क्योंकि वह भी एक पुलिस का एचीवमेंट है या यों कहें कि उसमें कमी रही है तो गलत है। तो जहां तक प्रश्न जो इन्वेस्टीगेशन के केसेज हैं तो मैंने आपको अभी अर्ज किया था कि डेकाइटी, मर्डर्स और बरगलरीज के अन्दर काफी कमी है। फाइनल इन्वेस्टीगेशन की बात आप देखेंगे तो इन केसेज की तो उससे आपको मालूम होगा कि जहां 15310 केसेज का अदालत में चालान किया गया है और 4145 केसेज अन्डर-इन्वेस्टीगेशन हैं और 8000 केसेज जो हैं वह अनट्रेस्ड केसेज हैं जिनमें एवीडेन्स सफिशयन्ट नहीं मिले और न हीं मिल सकता है। इस लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो जो चालान किये गये हैं वे जितने केसेज अकर्ड हुए हैं उनके 60 पर्सेन्ट केसेज का अदालत के अन्दर चालान कर दिया गया है। इस लिहाज से भी पुलिस का एचीवमेंट कम से कम आप यह नहीं कह सकते कि बुरा है।

इसी के साथ में स्टोलन प्रापर्टी की रिकवरी को अगर आप देखेंगे तो 61,50,304 रु० 95 पैसे की रिकवरी हुई है आउट आफ 1,35,35,443 रु०। इसका मतलब यह है कि 53–33 पर्सेन्ट रिकवरी हुई है। यह 53–31 रिकवरी, मुझे क्षमा

(श्री दामोदर लाल व्यास)

करेंगे, आप वर्ल्ड के आकड़ों से मिलान करलें तो सबसे ज्यादा है। चाहे आप अमेरिकन फीगर्स ले लें चाहे इंडिया की किसी भी स्टेट के फीगर्स ले लें तो 30–40 पर्सेन्ट से ज्यादा की रिकवरी नहीं मिलेगी। (सरकारी पक्ष से हियर) आप कम से कम जैसा कि मैंने अर्ज किया जो बात सही है उसको तो कम से कम मन्जूर करने में आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए।

जैसा कि मैंने इन्सीडेन्स आफ क्राइम्स का अर्ज किया नेबरिंग स्टेट का और पापुलेशन बेसिस पर जानना चाहते थे तो मैंने वही आपको बताने की कोशिश की। इसके अलावा मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि पुलिस का काम केवल क्राइम डिटेक्शन का ही नहीं है प्रिवेन्शन आफ क्राइम का भी है। आपको इस पुस्तक से मालूम हुआ होगा कि प्रिवेन्टिव एक्शन पुलिस ने काफी लिया है और प्रिवेन्टिव एक्शन लेकर समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ उनकी नाजायज हरकतों को रोकने के लिए काफी उसने कोशिश की है। मैं अर्ज करूंगा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि डेमोक्रेसी के अन्दर ऐसा जमाना है आज का कि इसके अन्दर एजीटेशन काफी बढ़ रहे हैं, चाहे वह लेबर का हो, चाहे स्टूडेन्ट्स का हो, चाहे पोलिटिकल पार्टीज का एजीटेशन हो, जितने भी एजीटेशन होते हैं तो पुलिस के ऊपर उसका वजन पड़ता है, और उसी के साथ में कुछ वायोलेन्ट एजीटेशन भी होजाते हैं कि जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर और भी ज्यादा वजन पड़ता है। पिछले साल के अन्दर कुल 97 एजीटेशन या और उनके अन्दर से 36 एजीटेशन्स ने वायलेन्ट रूप अख्त्यार कर ली थी। उसका भी पुलिस के ऊपर वजन पड़ता है मैं यह इसलिए अर्ज कर रहा था कि आखिर पुलिस की जिम्मेदारियां पहले से अब बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, और बढ़ने के साथ–साथ इस बात को भी आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारी पुलिस की स्ट्रेन्थ एडीक्वेट नहीं है। हम खुद इस बात को मानते हैं, क्योंकि जिस जमाने में यह स्टेन्थ तय हुई थी उससे आज पापुलेशन बढ़ती जा रही है, अरबनाइजेशन होता जा रहा है, इन्डस्ट्रियेलाइजेशन होता जा रहा है अरबनाइजेशन होता जा रहा है। इण्स्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है। यह एक फैक्ट है जो इस बात की पुष्टि करता है कि क्राइम्स की पोजीशन बढ़ती जा रही है। इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम पुलिस की स्ट्रेन्थ बढ़ायें। आज की स्ट्रेन्थ में भी पुलिस ने जो रिकवरी में सफलता प्राप्त की है। कन्विक्शन की सफलता महत्वपूर्ण है। यह पुलिस कामयाब होती है जहां तक अरबनाइजेशन का सवाल है, इलेक्ट्रिफिकेशन का सवाल है, पापुलेशन का सवाल है। इन सब बातों के देखते हुये भी वह अपने दायित्वों में कामयाब हुई है। तो यह आप को स्वीकार करना चाहिए।

श्री दौलत राम सारण : कहां अरबनाइजेशन है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आप को डकैतियों के बारे में अर्ज कर दिया है। 1970 के एनकाउन्टर में, वह

(श्री दामोदर लाल व्यास)

आपने पुस्तिका में पढ़ लिये होंगे ।

श्री दौलतराम सारण : एक एक अक्षर गीता की तरह पढ़ लिया है ।

श्री दामोदर लाल व्यास : तो मैं दुबारा उसे नहीं कहूंगा । अभी माननीय सदस्य भैरोंसिह जी ने जो बात कही है, मै उसको पहले लूंगा । क्योंकि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर अपने विचार व्यक्त किये हैं । खासतौर से जिनका ताल्लुक कण्ट्री की सुरक्षा से है । यह बात सही है कि इण्डो-पाक कन्फिलक्ट के समय में जैसलमेर में ही 19000 उन्होंने बताये हैं, लेकिन इससे ज्यादा ही होंगे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गये थे । इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की । मुजाहिदों को उन्होंने रास्ते बताये । हमारी चौकियों पर कब्जा कराने की कोशिशें कीं । हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की है । वह वहां चले गये । यह बात सही है । गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट की धारा 25-ए उसके अन्दर ऐसे लोगों के लिए प्रोविजन था । यह बात सही है कि डिफेंस आफ इन्डिया एक्ट खत्म हुआ । वह लोग जो चले गये थे उनके वापिस आने पर कोई पाबन्दी नही रहती हैं । जैसा कि माननीय भैरूं सिहजी ने कहा हैं । इस प्रकार का प्रोपेगण्डा किया गया हैं । उस इलाके में यह कहा गया है वह कहा गया होगा । अगर भैरोंसिहजी ने इसके साथ साथ यह समझा कि डिफेंस आफ इण्डिया एक्ट के पहले 23000 मुकदमें दर्ज करा दिये थे इसका मतलब यह था कि अब भी डिफेंस आफ इण्डिया एक्ट की धारा 25-ए के तहत मुकद्दमें चलेंगे । यह रिपीलिंग एक्ट है । अगर कोई मुकद्दमा दर्ज हो गया है तो मुकदमा चलायेंगे । मेरा कहना है कि यह बहुत ही अहम कदम था जो राजस्थान गवर्नमेंट ने उठाया है । जो भी मुकदमें दर्ज हैं, वह चलेगे । इसके बाद गवर्स हमारे लिखने पर गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ने एक्ट में तरमीम की है । उन्होंने लिखा है कि अगर इण्डो-पाक कन्फिलक्ट में चले गये हैं तो फिर यह प्रिजन्पशन आफ ला होगा । उसके बाद उसको नेशनेलिटी खत्म हो गई है । वह पाकिस्तास के हो गये है ।

श्री भैरोंसिह : 3 साल हुये हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : 3 साल नहीं मैं दूसरी बात कह रहा हूँ । जो लोग यहां से गये है उनकी बाकायदा विलेज वाइज लिस्ट बना ली गई है । जो लोग गये थे, माननीय सदस्य को याद होगा, उनकी जमीन की बाबत कानून बना था । उनकी जमीन आबडण्ड में शुमार कर ली जायेगी और वह राज्य सरकार में वेस्ट हो जायेगी उनकी लिस्ट पूरी है । क्लेक्टर के यहां भी है और तहसील में भी है । जहां तक जमीन का प्रश्न है, उसकी लिस्ट पूरी है । जो माननीय सदस्य जयपुर से आने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि 6000 आदमी आ गये हैं । यह सूचना मुझे नहीं है । जितनी सूचना मेरे पास थी उसकी जांच कर रहे हैं । जांच हुई नहीं, कर रहे हैं, कि प्राजीक्यूशन भी कर रहे हैं । मैं आप को यह बताना चाहता हूँ बहुत से आदमी गुजरात में जाकर वहां के

(श्री दामोदर लाल व्यास)
सरपंचों के सर्टीफिकेट लिखा कर लाये हैं कि हम वहां चले गये थे। मैंने वहां के चीफ मिनिस्टर से बात की थी। उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दिया जायेगा। जैसा कि माननीय भैरोंसिंह जी ने कहा है, चाहे किसी भी एक्स पार्टी हो।

श्री भैरोंसिंह : एक बात बता दूं आपको···

श्री दामोदरलाल व्यास : एक मिनिट, कन्ट्री की सिक्युरिटी सब प्रकार से हमारे सामने है। दूसरी ओर कोई चीज नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : आज तो वेद व्याख्या कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कह रहा था, जो चले गये उनको जैसे दर्ज किया। मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से जो वापिस आये हैं जो गिरफ्तार हुये हैं, वह डिपोर्टेशन किये गये। वह भरे हुये हैं। वह वेविडली यहां रह रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्या हुआ है? क्या पोजीशन है? मैं जानकारी करूंगा।

मगर कानून की पोजीशन है मैं कर सकता हूं उसके अन्दर कभी नहीं रखूंगा। और आपके कहे बिना जो मैंने किया है, वह कहा है। आज एक बात सुनकर आश्चर्य मुझे हुआ है। अक्सर बी. एस. एफ. मिलेटरी पुलिस और एयरफोर्स, जो वहां है, उनकी कोआर्डिनेसन मीटिंग होती रहती है। एक आध दफा मैं भी गया हूं। मैंने भी यह जानकारी करने की कोशिश की है बी एस. एफ. मिलेटरी, पुलिस इन सब का तालमेल आपस में है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। मुझे किसी अफसर ने किसी प्रकार के तालमेल में गड़बड़ी नहीं बताई है।

आज आपने कुछ फिगर दिये हैं। कुछ केसेज उन्होंने रिपोर्ट किये, आप जानते हैं खुद की 600 माइल्स से ज्यादा खुला, ओपन बोर्डर है, उसमें से कहीं कोई लोग आये, उसकी इन्फार्मिशन और दूसरी है, तो उस पर पुलिस ने कार्यवाही न की हो–यह बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं···

श्री भैरोंसिंह : आप रिकार्ड देख लेंगे तो पता लग जायगा। यह मेरे कहने की बात नहीं है, आप रिकार्ड देख लेंगे उससे पता लग जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं रिकार्ड ही नहीं देखूंगा, मैं आपको अर्ज करूंगा, मैं रिकार्ड भी देखूंगा और बी. एस. एफ के अफसरों से जानकारी करूंगा, और आपसे भी····

श्री भैरोंसिंह : बी. एस. एफ. के अधिकारी कहीं आपके सामने कहने को आयेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : और कोई सोर्स आयेगा तो आपसे जानकारी करना चाहूंगा, और आपका नाम, यह नहीं बताऊंगा कि आपने बताया है···

श्री भैरोंसिंह : मुझे उसकी परवाह नहीं है।

Page No 168

श्री केदारनाथ : यह पुलिस का काम नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : मुश्किल यही है कि यह भी पुलिस में रहे हुए हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बात आपने कही। दूसरी बात चेनाराम जी के ऊपर बहुत काफी जोर दिया। बदकिस्मती से इसी सेशन में कुछ ऐसे मामलात आ गये, अव्वल तो यह मिडटर्म पोल हुआ, और मिड टर्म पोल के रिजल्ट निकले इसने भी बहुत उथल-पुथल सबके दिमाग में पैदा कर दी और उसके बाद...

श्री भैरोंसिंह : दिल्ली के कारपोरेशन में क्या हुआ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कारपोरेशन की बात मुझे मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह इसलिए कह रहा हूं कि हवा का रुख किधर जा रहा है, यह देख लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : हवा का रुख मुझे मालूम नहीं है। आपकी बात पर मैं बात कर रहा हूं।

चेनाराम की बात को लेकर काफी चर्चा हुई है। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं, चेनाराम हो, कोई हो, किसी के साथ में कोई रियायत करने का सवाल नहीं है। आप जानते हैं, छोटी खाटू के मामले में मुख्य मंत्री जी यहां से गये थे, उसके बाद उसकी तफतीश की. तफतीश करके उस मुकदमे का चालान किया गया। इस तरह कोई चेनाराम को रियायत नहीं दी....

श्री भैरोंसिंह : धारायें बदलीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : कानून में लिखी है....

श्री भैरोंसिंह : वह बदल दी गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : हम कुछ लिखें मजिस्ट्रेट कुछ धारायें लगा सकता है। वाकयात में तब्दीली की हो तो हम जिम्मेदार हैं। दूसरी बात आपने.....

श्री भैरोंसिंह : बाकी के केसेज का क्या हुआ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बाकी के केसेज की लिस्ट आपने दी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आपको दे दी है, मुख्य मंत्री जी को दे दी है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं दी हो। आपको पत्र लिखा है, लिस्ट आपके पास भेजी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आई एम सोरी। मुझे याद आ गया। आपने लम्बी चौड़ी दी है और किताब लगाई थी....

श्री भैरोंसिंह : सूची है।

श्री दामोदरलाल व्यास : किताब लगाई है, लिस्ट दी है।

सुन लीजिये। उसका नाम बदबू है। उस किताब के अन्दर लम्बा चौड़ा लिखा हुआ है उसकी जानकारी के लिए

(श्री दामोदरलाल व्यास)
मैंने पुलिस विभाग को भेजा है। अलग अलग जगह, जहां से ताल्लुक है। वह जानकारी आई नहीं है। तमाम केसेज को इकट्ठा····

श्री भैरोंसिंह : यह बात नहीं है, एस. पी. नागौर ने आपके पास लिस्ट बना कर भेजी है।

श्री दामोदर लाल व्यास : आपका ख्याल है····

श्री भैरोंसिंह : मेरा ख्याल सही है।

श्री दामोदर लाल व्यास : नागोर के एस. पी. ने पांच छः केसेज की लिस्ट दी है।

श्री भैरोंसिंह : उसको बता दें, क्या हुआ ?

श्री दामोदर लाल व्यास : उससे क्या होगा, मुझे बता दीजिये, क्योंकि बहुत से केसेज फाइल हो चुके हैं, 1963 में विथड्रा हो चुके हैं केसेज। मैं आपकी बदबू के लिए बताना चाहता हूं, उसमें क्या लिखा है····

श्री भैरोंसिंह : मेरी बदबू नहीं, आपके प्रशासन की बदबू है।

श्री दामोदर लाल व्यास : आपकी बदबू से मतलब, आपने जो पुस्तक दी थी, उससे है। उसमें भी अर्ज करता हूं जहां अगर चेनाराम के साथ बेजा रियायत हो गई है तो रीइन्वेस्टीगेशन कराने के लिए कानून में मैं जो कर सकता हूं उसको करने में एतराज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : बेजा रियायत नहीं की है, यह····

श्री दामोदर लाल व्यास : यह बात विभाग से निकाल दीजिये कि हम किसी·····

श्री भैरोंसिंह : बेजा रियायत नहीं की, अब यह कौनसा शब्द है। कानून में रियायत करें, लेकिन बेजा रियायत करें––यह कौनसी बात है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : बेजा रियायत से मतलब है नाजायज रियायत।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रियायत कर सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : रियायत कर सकते हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास : हां, वह कानून में रियायत के लिए लिखा हुआ है। ऐसी बात नहीं हैं। कानून में मर्सी है। कानून में सजा कम कर सकते हैं, जमानत मुचलके पर छोड़ सकते हैं। कानून में रियायत हो सकती है। बेजा रियायत का मतलब, कानून के खिलाफ रियायत की गई है। यह मतलब है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वेअर एवर यू हैव गोट डिस्क्रिशन, यू विल यूज इट इन हिज फेवर।

श्री दामोदरलाल व्यास : फिर इसके अलावा आपने खास तौर पर पीपाड़ की बात कही। पीपाड़ के मामले में जो डी.एस.पी. तफतीश कर रहा था, मैं आपसे

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कई दफा अर्ज कर चुका हूं, बहरहाल गवर्नमेंट की हैसियत से हमको हर आदमी की बात सुननी पड़ती है, चाहे वह हमारी विरोधी पार्टी का हो, चाहे हमारी पार्टी का हो, और अगर एक तफतीश कुनिन्दा आफिसर है उससे एक पार्टी संतुष्ट नहीं है तो दूसरा तफतीश कुनिन्दा आफिसर आमतौर पर अपाइन्ट करते हैं। माननीय सदस्य जानते हैं आपके बताने बताने पर कई दफा आफिसर तब्दील किये हैं। तफतीश और तब्दील करने से मोटिव इम्प्यूट किया जाय यह उचित नहीं है। दूसरी बात यह अर्ज करता हूं जितना इम्पार्शल पहले वाला आफिसर था, दूसरे वाला आफिसर, जिसको तफतीश दी गई है, वह भी बना रहा है इम्पार्शल अब तक की जानकारी के अनुसार हाउस में मैं विश्वास दिलाता हूं, यह मुकदमा है, आप समझिये कि आप समझते हैं, चूंकि हमारी पार्टी के लोगों ने ऐसा किया है, हम उस मामले को खत्म कर देंगे। हम नहीं करने वाले हैं। कानूनी कार्यवाही हम उसके खिलाफ करेंगे, अदालत में पेश करेंगे, नतीजा अदालत में होगा वह आप देख लेना। हम इस बात की हरगिज कोशिश नहीं करेंगे कि मुकदमे को किसी तरह से कमजोर किया जाय। या और कुछ किया जाय।

आपने पासपोर्ट से आने वाले लोगों के नाम और कुछ बातें बतलाई। इसमें शक नहीं है, यह राजस्थान का प्रश्न नहीं है, हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों में भी पासपोर्ट से आने वाले लोग ओवर स्टे कर जाते हैं, अन्डर ग्राउन्ड कर जाते हैं। इसमें शक नहीं है। मैं मानने के लिए तैयार हूं। और इसके लिए मुझे अफसोस है, हमारी पुलिस उन लोगों को डिटेक्ट करने में, अन्डर ग्राउन्ड जो हैं उनको पकड़ने में कामयाब नहीं हुई है। इसके लिए अफसोस है। मैं विश्वास दिलाता हूं, कम से कम महीने में एक दफा एक सरक्यूलर भेजते हैं और जितना जो हम कुछ कह सकते हैं वहां उस डिस्ट्रिक्ट के एस. पी. को कहते हैं। हम यह भी कहते हैं कि वह उस मामले में खास तौर से तवज्जह दें···

श्री रामचन्द्र आर्य : रिटायरमेंट ले लें, ठीक रोल नहीं पा रहे हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास : जब आप चीफ मिनिस्टर बनें तब कहना। यह बात समझ गये।

श्री केदार नाथ : पुलिस विभाग की वजह से है।

श्री दामोदर लाल व्यास : आपने जैसलमेर के अन्दर रामचन्द्र के पास स्मगलिंग के आर्टिकल्स की बात कही। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, आफ हैंड में जानकारी नहीं दे सकता, परन्तु मुझे याद पड़ता है, जो मिस्टर राठौड़ जैसलमेर के अन्दर एस. पी. थे, और उन्होंने कुछ माल बरामद किया था, उससे मतलब है?

श्री भैरों सिंह : वही।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज करना चाहता हूं, उसमें बराबर एक्शन लिया गया, राठौड़ ने एक्शन लिया, खुद ने जांच की। आप लेकिन जानते हैं कि कानून की पेचीदगियां ऐसी हैं···

Page No 171

श्री भैरोंसिंह : जिसमें बच गया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जिसमें जरूरी नहीं है, हम केस को अदालत में पेश करें ही । लेकिन रामचन्द्र की वजह से लिहाज नहीं किया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : वही लिहाज है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ख्याल गलत है ।

श्री भैरोंसिंह : यह कानूनी पेचीदगियां बहुत बड़ी हैं, रामचन्द्र के घर में बरामद हुआ है, यह माल रामचन्द्र के घर में बरामद हुआ है···

श्री दामोदरलाल व्यास : यह माल रामचन्द्र के भाई के यहां बरामद हुआ था ।

श्री भैरोंसिंह : एक ही बात है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक नहीं हैं । आप और आपके भाई के अन्दर अन्तर है ।

श्री भैरोंसिंह : वह माल बरामद हुआ वह रामचन्द्र की मौजूदगी में बरामद हुआ ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मौजूदगी हो सकती है दुनियां में···

श्री दौलतराम सारण : कानून की पेचीदगियों की वजह से निकल गया ।

श्री केदारनाथ : दूसरों की बात आने दें ।

श्री दामोदर लाल व्यास : गुजरात के चोरी के माल ले लिए कहा, वह कहीं पुलिस लाइन में पड़ा हुआ है । यह बात अजीब कह दी । खैर, मैं आपको गलत नहीं कह सकता । मुझे जानकारी नहीं है । मैं आज जानकारी करके एक दो रोज में बता दूंगा । कहां तक आपकी सूचना सही है, कहां तक नही है ।

श्री भैरोंसिंह : माल पड़ा है वहां ।

श्री दामोदर लाल व्यास : एक बात कहना चाहता हूं, आप समझे जो एस. पी. उस वक्त जैसलमेर में था, उस एस. पी. से उम्मीद नहीं की जा सकती, माल बरामद करने के बाद उसे छोड़ दे ।

श्री भैरोंसिंह : उसे माल का ज्ञान नहीं है । छोड़ने वाली बात कैसे पैदा होती है ।

श्री भैरोंसिंह : आज के दिन पुलिस लाइन्स में, पुलिस के गोदाम में डकैती के माल की एन्ट्री नहीं है ।

श्री दामोदर लाल व्यास : आप कह रहे हैं कि पुलिस लाइन्स में पड़ा हुआ है ?

श्री भैरोंसिंह : हां ।

श्री दामोदरलाल व्यास : गुजरात डकैती के बारे में बाडमेर से आपने वाले माननीय सदस्य ने कहा । मैं इतना कहना चाहता हूं कि डकैत जैसलमेर के हो सकते हैं परन्तु एक डकैत गिरफ्तार हुआ है और वह गुजरात सरकार की कस्टडी में है । उसके अलावा बाकी डकैत गिरफ्तार

(श्री दामोदर लाल व्यास)

नहीं हुए है। माल भी कुछ बरामद हुआ है। गुजरात पुलिस के पास में है। गुजरात के अन्दर भी वह घटनाएं हुई हैं डकैतों की उनकी हमारे पर क्या जिम्मेदारी आती है ? मैं क्षमा चाहता हूं कि किसी एस. पी. के लिए यह कहना कि उनकी वजह से गिरफ्तारी नहीं होती है, यह अपने लिए वाजिब नहीं होगा क्योंकि आखिर कोई पाजिटिव एवीडेंस न आपके पास हो सकती हैं किसी के पास । सिर्फ इसलिए कि उस एस. पी. की कही कुछ गलत फहमियां हो गई हों, इस वजह से हम समझ लें कि गिरफ्तारी नहीं होती है...

श्री बारसिंह संडा : अगर हो तो स्पैसिफिक एलीगेशन लगायें और जांच कराई जाए, महज इसलिए कि यह राजपूत है..

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बृद्धिचन्दजी को जानता हूं वेल इन्टेन्शन्ड आदमी हैं। किसी से मैलिस नहीं रखते हैं जो कुछ उन्होंने कहा होगा नेक नियति से कहा होगा। ऐसी सूचना के आधार पर कहा होगा जिसको उन्होने सही समझा होगा ।

श्री मुकुट बिहारीलाल । उसका इन्टेशन यह होगा कि अगर...

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको बोलने का मौका कहां मिला है इसके अन्दर ?

आपने हथियारों की बाबत कही थी कि कहीं लाइसेंस रिन्यू नहीं करते हैं लाईसेन्स रिन्यू करना या न करना, यह जिला एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्क्रीशन हैं। मगर अगर किसी खास वजह से जो कानून के अनुसार माकूल वजह नहीं है, उसकी वजह से लाइसेंस रिन्यू नहीं होता है तो अपील होती है और रिन्यू हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : कौन करेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी खिदमत के लिए मैं बैठा हूं। सवाल यह है कि आप तशरीफ नहीं लाते हैं और कोशिश नहीं करते रिन्यु कराने के लिए अपील नहीं करते, तो मेरे लिए कुछ करना मुश्किल है। रहा सवाल इस बात का कि जो टोपीदार बंदूकें हैं, वह भारत सरकार का मसला है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।

आपने इस सदन में एक माननीय सदस्य के लिए एक बात कही, दो पत्र पढ़कर सुनाए.....

श्री भैरोंसिंह : तीन।

श्री दामोदर लाल व्यास : पत्र तो आपके पास 3–4 हैं. फाइल हैं और उनका जरिया आने का आप जानते हैं और हम भी जानते हैं.....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी सिन्थोरिटी क्या है।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं भी जानता हूं कि कहां से उनके पास पत्र पहुँचते हैं। वह तो.....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप रोकना नहीं चाहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जैसा वह रखते हैं, चाहे डाक से आए हैं या अननोनीमस आए हैं, मैं समझता हूं माननीय सदस्य जो रखते हैं वह सही रखते होंगे । इसलिए मैं उस चीज को रामानन्द जी आपके कहने से मुश्तबाह नहीं समझता। यह बात सही है कि जब हमारे पास शिकायत आई श्री अब्दुल हादी के लिए तो हमने उनको लिखा कि अगर माकूल एवीडेंस हो, तो लें। कलेक्टर ने लिखा कि माकूल एवीडेंस नहीं है....

श्री भैरोंसिंह : कलक्टर ने लिखा है कि माकूल एवीडेंस हैं....

श्री दामोदर लाल व्यास : उसके बाद का पत्र बताऊंगा लेकिन अध्यक्ष महोदय के कमरे में चलें....

श्री भैरोंसिंह : अभी चलेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसमें उन्होंने लिखा है कि इनके खिलाफ डिटेन्शन के लिए माकूल एवीडेंस नहीं है। आपके पास सारी फाइल थोड़े ही है, कहीं से जितने कागज उड़ा सके हैं उड़ाए हैं।

श्री मुकुट बिहारीलाल : यह सदन का अधिकार नहीं है कि जिस पत्र का हवाला गृह मंत्री दे रहे हैं उसीको हम सदन में जानकारी प्राप्त कर सकें ?

Shri Damodar Lal Vyas . That is strictly confidential. I am only prepared to show to the Speaker and to the Hon'ble Member to convince them and not to the House.

श्री रामकिशन : यह बात अंग्रेज में क्यों कही जब हिंदी में बोल रहे थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिए कही नहीं तो आप बोलते कैसे ? पाइंट्स तो बहुत सी हैं।

श्री रामचंद्र आर्य : थानों की नीलामी होती है उसके बारे में कहिए ।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक फायरिंग की बात आ गई थी, चूंकि वह चीज खड़ी हुई थी तो माननीय सदस्य ने संगारिया फायरिंग की बात कही उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जुडीशियल इन्क्वायरी की रिपोर्ट आ गई है और उन्होंने फायरिंग को फुली जस्टीफाइड माना है ।

श्री केदारनाथ : कहां की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : संगरिया।

श्री रामचन्द्र आर्य : चूरू वाली रिपोर्ट आपके खिलाफ आई है ।

श्री दामोदर लाल व्यास : चूरू के लिए जब सहाब ने लिखा है कि जब दोनों पार्टीज इस बात को मानती हैं कि जस्टीफाइड नहीं है तो इसमें केस रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टीगेशन कर ले। हमने इन्वेस्टीगेशन के लिए एक डी. आई.

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जी. की हैसियत के अधिकारी को मुकर्रर किया और वह इन्वीगेस्टन को पूरा कर चुका है और अदालत में चालान पेश होने वाला हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा हरिजन जमीन पर कब्जा नहीं कर पाते हैं । यह सही है और इसमें शक नहीं हैं कि एक बार नहीं, हमारी सीनियर आफीसर्स कान्फरंस के अन्दर बार बार इस बात पर हमने जोर भी दिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने कहां सांगरिया वाली रिपोर्ट आ गई, कापी कितने दिनों में दे देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी तो मैं पढ़ रहा हूं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : गलत बात कहने से क्या फायदा ? सदन में इस तरह से माननीय सदस्यों को भ्रम में डालते हैं। 10 दिन पहले तो सुनवाई हुई थी। इतनी जल्दी कैसे आ गई। अगर आ गई है तो कापी क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उपयुक्त समय पर पेश कर दूंगा। अभी तो मै पढ़ रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : चेम्बर में ले जाइए।

श्री दामोदरलाल व्यास : जल्दी है तो मेरे पास आ जायें मै पढा दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : किस तारीख को ?

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : तारीख फिक्स आप कर दें लेकिन रात को 9 बजे से पहिले।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक बात माननीय सदस्यों ने कही हरिजनों को उनकी सदस्यों ने कही हरिजनों को उनकी जमीन पर कब्जा न करने की और फसल काटने की मै मानता हूं, कई जगह इस प्रकार की ज्यादतीयां की गई हैं और मेने बराबर सरक्यूलर्स ही नही बल्कि रूबरू भी सीनियर अधिकारियों से कहा है कि ऐसे मामलों में सख्ती के साथ काम करें और हरिजनों के जहां जमीन एलाट हुई है, उसको कब्जा दिलाया जाए, उनको काश्त करने में किसी प्रकार से रुकावट न हो, वह करें और उसकी पाबंदी और ज्यादा सख्ती से कराने के लिए मैं कुछ करूंगा ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने लिखा और कहा लेकिन पाबंदी कुछ नहीं हो रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : हो रही है।

श्री जयनारायण सालोदिया : नहीं हो रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको पूरे राजस्थान की जानकारी नहीं है।

श्री मुकुट बिहारीलाल : एक परसेंट भी पाबंदी नही हो रही है।

श्री दामोदर लाल व्यास : सो मैनी पीपुल स्पीक इन दी हाऊस।

श्री लादूराम सुलानिया : एक जानकारी हम से ले लें।

श्री दामोदर लाल व्यास : आप जानकारी देंगे वह ले लूंगा।

श्री लादूराम सुलानिया : हरिजनों को जमीन का कब्जा दिलाने के लिए आपने आदेश दिए हैं लेकिन पुलिस वाले उनसे रुपया और ले लेते हैं, कब्जा नहीं दिलाते हैं, यह जानकारी हमसे ले लें।

श्री मुकुट बिहारीलाल : हल तुड़वाते हैं, बैल छिनवाते हैं और उनको पिटवाते हैं। सी.आइ. के आर्डस भरतपुर में डाइरेक्ट पुलिस को जाते हैं। थानेदार होता है वह हरिजनों को पिटवाता है उनके हल तुड़वाता है।

श्री दामोदर लाल व्यास : आपका ख्याल सही हो सकता है।

श्री मुकुट बिहारीलाल : वस्तु स्थिति की बात है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इतने बड़े राजस्थान में इस प्रकार के कैसेज होते होंगे। मैं इन्कार नहीं करता लेकिन आप नोटिस में लायेंगे तो आई विल टेक एक्शन।

बाकी और बहुत सारे पाइन्ट हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : आर.ए.सी. का ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आर.ए.सी. के प्लाटून कमान्डर्स के लिए कहा। मैं फाइल मगाऊंगा और गैर इन्साफ हुआ है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन्साफ करने की कोशिश करूंगा। स्टेट इन्श्योरेन्स की मुझे जानकारी नहीं है। किन्तु आर.ए.सी. के जवान है और स्टेट इन्श्योरेन्स में उनका रुपया जमा हुआ है और उनका तबादला बी.एस.एफ. में हो गया है। नो फाल्ट ऑफ देयर्स इन्श्योरेन्स में ऐसे नियम है तो उनको रिलेक्स करना चाहिये और उनका फायदा पहुँचना चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : पसीना कांड का मामला उठाया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं शुरू से इस केस से वाकिफ हूं। इस लड़की का वालिद मेरे पास जब जब आया है मैंने सख्ती से हुक्म लिखा है कि फौरन जांच की जाय और कार्यवाही की जाय और एक ही बात कह सकता हूं कि उस मुकद्दमे में जो तफतीश हुई है और हो रही है उससे मैं इस नतीजे पर नहीं पहुँच पाया हूं कि वह लड़की वाकई मर गई है। जो आदमी इन्वोल्व है वह इतना हार्डेड क्रिमिनल है कि वह सब कुछ मसनीयत बना सकता हैं। तफतीष की जा रही है। ज्यादा हालात बताने से मजबूर हूं।

अंता वाले मामले में कहा। उस मुकद्दमे में बताया था कि फलां आदमी की लाश है। आप भी इसको मानेंगे कि फौरन ही उसी रोज ही तफतीश का इन्तजाम किया और बरामद हो गई। पहली दफा आज मालूम हुआ कि मुकद्दमा खारिज हो

(श्री दामोदरलाल व्यास)
गया। किस कारण से हो गया फाइल मंगा कर जांच करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज इतनी शराफत का दिमाग क्यों हो रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पुलिस वालों की कमजोरी होगी तो जरूर एक्शन लूंगा। बहुत से कट मोशन्स का हमेशा की तरह माननीय सदस्यों को उतर उनका लिख कर भेजता हूं उसी प्रकार भेज दूंगा।

श्री दिग्विजयसिंह : आकड़िया में नकबजनी हुई उसके बारे में आप फरमाये ?

श्री दामोदर लाल व्यास : उसमें मुल्जिमान बरी हो गया। शहादत कमजोरी थी। कानूनी हमने इसकी तफतीश करवा लिया है कि नजरशानि के लिये भी बिलकुल लायक नहीं है इसलिये मजबूरन कार्यवाही नहीं की।

श्री लाभचन्द वैद : सुजानगढ़ के लिये क्या कहना है।

श्री दामोदर लाल व्यास : आफहैण्ड आप प्रश्न उठा देते हैं उसका जवाब देना मुश्किल है।

श्री लाभचन्द वैद : मैंने काम रोको प्रस्ताव रखा था।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरे पास नहीं आया था। यह बात सही है कि जैसा आपने कहा उनके ऊपर हमला हो गया था। दुगड़ फैमिली का माल बाहर फेंक दिया गया था, यह सब कुछ हुआ तो मैं विश्वास दिला सकता हूं कि कानूनी तौर से कार्यवाही हो सकती है वह वहां की जावेगी।

श्री लाभचन्द वैद : कांग्रेस के नेता है और उनके भाइबन्द हैं। सरकारी कर्मचारी है आपकी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं उसका इलाज नहीं कर सकता हूं। कांग्रेस में ज्यादा आदमी हो और आपको पसन्द न हो।

श्री लाभचन्द वैद : दरियाफ्त करना आपका धर्म है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कांग्रेस का नाम लेकर कहा इसलिए आपको कहा। जिस किसी पार्टी के हों उनके खिलाफ एक्शन लिया जावेगा।

श्री लाभचन्द वैद : सरकारी कर्मचारी हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके खिलाफ।

जेल डिपार्टमेंट के विषय में खास बात नहीं कही गयी है। यह कहा गया कि कैदियों को कुछ सहूलियतें कम मिलती हैं। राजस्थान ही ऐसा राज्य है कि जहां जेल में कैदियों को ज्यादा सुबिधायें मिलती हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : उदई कलां वाले हरिजनों का 1500 मन गल्ला लूट लिया था उसका क्या हुआ है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : जेल के मुलाजिम हैं, खुराक में डिफरेन्स क्यों होना चाहिए ?

Page No 177

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैं जांच भी करूंगा और रेमेडी करने की कोशिश करूंगा।

श्री लादूराम मुलानिया : नियमानुसार कोटा पूरा नहीं किया गया वह किया जावेगा या नहीं आपके मंत्री काल में ?

श्री दामोदर लाल व्यास : जी हां, मेरे मंत्री काल के लिये कहते हैं जितनी जगह खाली रह जाती है उनको केरी ओन करते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जेल में लड़की है उसको लेट्रिन में क्यों बन्द कर दी ?

श्री दामोदर लाल व्यास : यह बात जरूर है कि पुलिस डिपार्टमेन्ट में हर बात एक्जामिनेशन के ऊपर होती हैं। केवल डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट कान्स्टेबल का होता है। कान्स्टेबल से हैड कान्स्टेबल, हैड कान्स्टेबल से ए. एस. आई. सब इन्स्पेक्टर, इन्स्पेक्टर, आर. पी. एस. मिनिमम इम्तिहान पास करने के लिये शिडयूल्ड कास्ट के लिये भी यह है। पर्टीकुलर योग्यता का आदमी नहीं मिलता है तो केरी फोरवर्ड होता है और खाली रखी जाती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : कॉन्स्टेबल में भी पूरा कोटा नहीं गया। डीफ डिस्ट्रिक्ट में भी पूरा कोटा कोम्पलेशन में नहीं रखते हैं।

श्री लादूराम मुलानिया : इन में रियायतें देते हैं इसमें भी कन्सेशन दीजिये ताकि कुछ नम्बरों से पास हो जाय ताकि कोटा पूरा हो जाय। कोई खाली न रहें।

श्री दामोदर लाल व्यास : यह मुमकिन नहीं है। नम्बर भी कम आये, फेल भी हो जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह नहीं चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : शिड्यूल्ड कास्ट के लोग एप्लाई करते हैं तो उनको बराबर कोटा दिया जावेगा कल ही हिदायत जारी कर दी जावेगी।

श्री बिरदाराम : थानेदार की बात कही।

श्री दामोदर लाल व्यास : जिस थानेदार की बात कह रहे हैं वह मामला मेरे सामने आ चुका है और उनको इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया था। मिनिमम इन्टरव्यू के 33 मार्क्स पास होने के लिये होते हैं उनको केवल 20 मार्क्स मिले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विधि मंत्री जी।

श्री दौलतराम सारण : मैं दो बातें पूछना चाहता हूं · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बिरदाराम : मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप न्याय करेंगे। आप सही बात बता दें। कितनी पोस्ट रिजर्व की हैं। कितनी रिपोर्ट आई है और कितने लिये हैं। आप न्याय करते हैं ऐसी मुझे आशा है। आप कुछ भी करेंगे न्याय से करेंगे। नहीं लिया है तो आप साफ बता दीजिये।

श्री दामोदर लाल व्यास : अभी दो रोज पहले ही विधान सभा में यह प्रश्न आया था और उसको यहां पर जवाब दिया गया था।

श्री दौलतराम सारण : मैं तो सिर्फ एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था...

श्री दामोदर लाल व्यास : बाद में आकर्षित करें। मेरी बात को कान्ट्रोडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिये।

श्री दौलतराम सारण : मेरा सवाल यह है कि सन् 65 में 52.05 प्रतिशत बरामदगी का रहा। 70 में 53.03 प्रतिशत आपने बताया है और इसके बीच में देखेंगे 50.66, 66 में 48.49 प्रतिशत, 67 में 49.93 यह बरामदगी का प्रतिशत है जो 50 से 53 के बीच में ही प्रायः रहा है और इससे इतना निश्चित मालूम पड़ता है कि इसको इसके आस पास ही रखा जा रहा है। इसी तरह से चालान का प्रतिशत है। 66 में 61.09, 67 में 60.66 और 69 में 63.03, 70 में 60.881 तो यह एक ही प्रतिशत है। यह करीब करीब एक जगह पर है और इसको भी दो, एक, ढाई के बीच में रखा जा रहा है। इसमें ही क्यों रखते हैं यह हमारी समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि निश्चित तौर से एक स्थान पर बरामदगी और चालान का प्रतिशत व्यवस्थित आधार पर रखा जा रहा है नहीं तो पांच सात नीचे, ऊपर होना चाहिये। करीब करीब 1।2।3 इसके पास ही यह प्रतिशत रखा जा रहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : थानों की नीलामी के बारे में जो चर्चा हुई उनके बारे में भी बता दीजिये।

श्री मुकुट बिहारी लाल : इसकी फाइल नहीं मिली है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नीलामी वाला जवाब दे देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री बिरदाराम : उपाध्यक्ष महोदय, उसने एक लाख रुपये का सोना पकड़वाया है तो उस थानेदार को भी मौका मिलना चाहिये ...(अश्रव्य)

श्री दामोदर लाल व्यास : उन्होंने लाख रुपयों का सोना पकड़ा हो, उनके पास एचीवमेंट कुछ भी हो लेकिन इम्तेहान की बात होती है। उनको इम्तेहान में 33 के बजाय 20 मार्क्स मिले हैं। जो मेरे पास में आये थे उनको मैंने मार्क्सशीट दिखा दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदाराम !

श्री रामानन्द अग्रवाल : माल बरामदगी की वजह से उनका नम्बर कट गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सही नहीं है। यह मेरी जानकारी में नहीं है और आपकी जानकारी में हो तो आप जानकारी दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपकी जानकारी में कैसे नहीं है। आम लोगों ने यहां पर चर्चा की तो क्या वह गलत है।

श्री दामोदर लाल व्यास : यह आप लोगों की चर्चा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : थानों की बोली लगती है और पचास हजार रुपये तक की बोली पर छोड़ा जाता है।

श्री दामोदर लाल व्यास : ये चर्चाएं आती हैं तो आप मुझको इत्तला दीजिये ।

श्री रामचन्द्र आर्य : बीकानेर में हैड कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी उसका परिणाम निकल गया ।

श्री दामोदर लाल व्यास : वह परिणाम निकल गया है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : कौन सी तारीख थी ।

श्री दामोदर लाल व्यास : तारीख मुझे याद नहीं है ।

श्री केदार नाथ : मैंने कम्पलसरी रिटायरमेंट के बारे में कहा था ?

श्री दामोदर लाल व्यास : कम्पलसरी रिटायरमेंट डी वाय एस. पी. तक होता है और इसको बराबर देखते रहते हैं । डैडीली इन्फरमेशन इस वक्त मेरे पास में नहीं है । हर साल इसके लिये एक कमेटी बैठती है और बराबर रिटायरमेंट होता है ।

श्री उपाध्यक्ष : और उसमें वह परसेन्टेज भी रहता होगा ?

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने यह पूछा था कि एक पुरोहित जी हैं उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दौलतराम जी इससे वाकिफ हैं यह जो पुरोहित है यह मर्डर वाले केस के अन्दर है, इसमें किसी को प्रेशर इल्ड नहीं किया गया है अलबत्ता मुलजिम फरार है और मुझे इत्तला मिली थी कि वह आखा तीज को शादी पर आयेगा । मैंने पुलिस की स्पेशल फोर्स वहां पर भेजी परन्तु वह नहीं मिला ।

श्री उपाध्यक्ष : विधि मंत्री जी ।

श्री केदारनाथ : पंजाब में जो एक, दो नम्बर के खिलाड़ी होते हैं उनको डायरेक्ट लिया जाता है । इसके बारे में आपने क्या सोचा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हमारे पुलिस रूल्स है उनको आप पढ़ लीजिये । इसके अन्दर कुछ परसेन्टेज है और जो स्पोर्टसमैन है उनको भी रखने की बात इसमें है ।

श्री उपाध्यक्ष : विधि मंत्री जी ।

विधि मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : उपाध्यक्ष महोदय,

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री जो बूढ़े और कमजोर नजर आ रहे है...

श्री रामकिशन : दिल जवान है और शरीर जवाब दे गया है...

श्री बरकतुल्ला खां : आप जैसी जवानी तो कहां से लाऊं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : ये बूढ़े आदमी हैं इनको घसीट कर जवानों को आगे लाईये ।

श्री मुकुट बिहारीलाल : गृह मंत्री जी आज (हंसी) अस्वस्थ है । उनको तो स्वस्थ होकर आना चाहिये...

श्री बरकतुल्ला खां : कानून के बारे में आम तौर से माननीय सदस्यों ने जिस बात की चर्चा की वह यह कि न्याय सस्ता होना चाहिये, न्याय सस्ता होना चाहिये, न्याय जल्दी होना चाहिये और उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिये और जुल्म ज्यादती नहीं होना चाहिये ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हाइकोर्ट के बारे में आपके क्या व्यूज हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

Page No 180

श्री बरकतुल्ला खां : वह तो गवर्नमेंट के रूल्ज होते हैं । उसमें क्या परेशानी है। जैसा मैं कह रहा था इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि कानून सस्ता होना चाहिये और लोगों को न्याय जल्दी मिलना चाहिये। लेकिन जिस आसानी से हम न्याय को लेना चाहते हैं उतना आसान ला नहीं मिला। सोसाइटी बड़ी कम्पलेक्स होती जा रही है···

श्री रामचन्द्र आर्य : अदालतों में जो हो रहा है उसको आप पहले रोकिये···

श्री बरकतुल्ला खां : मैं इस पर भी कहना चाहता हूं। हाइकोर्ट इस पर पूरी तरह से जागरूक है। अदालत के अन्दर किसी तरह की ज्यादती होती है तो हाइकोर्ट खुद उन केसेज का एग्जामिन करती है और कर रही है डिस्ट्रिक्ट और सैशन जजो से करवा रहे हैं। कुछ प्रिसाइडिंग आफिसर्स हैं उनका प्रमोशन रोका गया है। हाईकोर्ट में भी रजिस्ट्रार एक्स्ट्रा मुकर्रर किया गया है। इसलिये यह कहना कि अदालतों में इस प्रकार की गड़बड़ी है, गलत है और फिर आप कोई स्पेसिफिक जानकारी देंगे तो मैं हाईकोर्ट के ध्यान में लाऊंगा। हाईकोर्ट इस मामले में जागरूक है।

श्री दौलतराम सारण : क्या आप एक को भी बता सकते हैं जहां मुसिफ और फरीक से पैसे नहीं लेते हैं। इन्क्लूडिंग हाई कोर्ट ।

श्री बरकतुल्ला खां : मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। इस तरह हर एक को बदनाम करना चाहें वह दूसरी बात है।

एक मा. सदस्य : यह बैंक फीस है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो का मन फेक्टर है उस को निकाल दें ।

श्री बरकतुल्ला खां : मा. अध्यक्ष महोदय जैसा मैं कह रहा हूं बदनाम करने का इनका तरीका जैसा कि एक ब्राह्मण

श्री राम किशन : ब्राह्मणों ने तो बहुत सारे क्लेम किये हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : एक ब्राह्मण तो अभी चले गये। माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा मैं कह रहा था कानून बहुत आसान बना दें लेकिन इस कम्पलेक्स सोसायटी में उस का रहना मुश्किल है। इस सोसायटी में यह बात हो कि आज मुकदमा चला और कल फैसला होगा यह बात नहीं है। मुकदमे से जो दूर दूर को पेशी की जाती है इस में हाई कोर्ट ने इन्स्ट्रक्शन दिये हैं कि इसमें जल्दी निपटने का ख्याल रखा जावे और हाई कोर्ट स्वयं मे भी इस का ख्याल रखा है। जो इनस्पेक्शन किया जायेगा उसमें इस बात का ध्यान रखा जायेगा।

श्री भैंरोंसिंह : सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि जो केसेज ज्युडिशियल को ट्रान्सफर नहीं हुए हैं वे कितने हैं जैसे प्रिवेन्टिव डिटेन्सन के केसेज हैं तो लोग उनसे ज्यदा परेशान हैं। आप इस बात का कब डिसिजन लेने वाले हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : देखिये ऐसा है ज्यूडिशियल की जो आप ने बात कही मैं उसके लिये धन्यवाद अदा करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि यह जस्टिस वहां से मिलेगा जहां तक रैवेन्यू केसेज का सम्बन्ध है। एक बिल हाऊस में आगया है और अभी कमेटी

Page No 181

(श्री बरकतुल्ला खां)

को सुपुर्द हुआ है। रेवेन्यू केसेज को ज्युडिशियल ट्रान्सफर कर दिया जाये फिर उसके बाद मोटर व्हिकल एक्ट वगैरा है वह भी उन के अन्दर आ जाये तो ठीक होगा। मेजर रेवेन्यू केसेज ट्रांसफर हो जाये तो माइनर एक्टस के केसेज टांसफर हो सकते हैं उसमें दिक्कत नहीं आयेगी। जहां तक न्याय को सस्ता प्राप्त करने का ताल्लुक है उस में सबसे बडी अड़चन जो आती है वह यह आती है और इतना जरूर है कि जूरिसडिकसन वैसे पहिले दो हजार का था अब उसको बढ़ाकर 5 हजार कर दिया है ताकि लोगों को ज्यादा जूरिसडिक्शन होने से कुछ फायदा मिल सके और कोई रास्ता निकल सके।

इसी तरह मा. सदस्य ने कहा मैं जोधपुर का रहने वाला हूं। जयपुर में हाईकोर्ट न आये, मैं इसमें इन्टरैस्टेड नहीं हूं लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं···

श्री भैरोंसिंह : नहीं, यह बात नहीं है।

श्री बरकतुल्ला खां : मुझको कहा गया है। यह जो लान्छन मेरे पर लगाया गया है यह बिल्कुल गलत है। कोर्ट बनने वाली जो बात है उसमें जी. ए. डी. और यू. आई. टी. बैठकर बात कर रही है। जितने रुपये की कीमत है दे देंगे ऐसी उनसे बातचीत चल रही है। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं जहां जहां कोर्ट के प्रेस आफ सिटिंग का सवाल आया है। हाईकोर्ट से राय ली है और यह राय है कि जूरिसडिक्शन नहीं बदलना चाहिये। गवर्नमेंट भी यह समझती है कि बार-बार प्रेस नहीं बदलना चाहिए। एक बार हाई कोर्ट की परमिशन आयेगी तो बार बार बदलने में दिक्कत आयेगी। इसी तरह मैं समझता हूं कि जो पेन्डिग केसेज हैं हाई कोर्ट ने पेन्डिग केसेज को खत्म करने में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था और उस अभियान से आपको भी···

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : घास काटू का अभियान था। वह तो इलेक्शन की वजह से था। वास्तव में जो अभियान चलाया उसका स्वागत है उसके लिये बधाई है लेकिन जैसे घास काटते हैं कोई हियरिंग नहीं है और नहीं करें तो खारिज कर दें जो कुछ हुआ है वह घास काटा है।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं समझता हूं इसमें कोई घास काटने वाली बात नहीं है। फाईनल फैसला हो जाय यह बात अलग है। लेकिन हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जितने केसेज सामने आये जो आफिसर कन्फर्मड है उनके खिलाफ भी हाई कोर्ट ने ऐक्शन लेने में हिचकिचाहट नहीं की है। जैसा मैं कह रहा हूं 1-1-70 को हाईकोर्ट के अन्दर सिविल फर्स्ट अपील 1966 केसेज 1967 क्रिमनल अपील 1970-ईयर यह बता रहा हूं कि जिस जिस एक्ट के केसेज खत्म हो गये क्रिमनल फस्ट अपील 1966 तक केसेज खत्म हो गये और 1967 तक केसेज खतम हो गये और 1967 के केसेज इस साल बाद लिये जायेंगे। सिविल सेकिन्ड अपील 1966-67 की, इसी तरह क्रिमनल अपील, 1970,···

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह हिन्दी भाषा में क्यों नहीं होता है ?

श्री बरकतुल्ला खां : क्रिमिनल अपील 1967। रिट पिटिशन, 1970। क्रिमिनल अपील जो 6 महीने से ज्यादा पेन्डिग है डबल बैंच में 280, सिंगल बैंच में 270, क्रिमिनल अपील 6 महीने से कम की है डबल बैंच में 208 और सिंगल बैंच में 194 है। इस तरीके से हाई कोर्ट ने जहां डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन कोर्टस में किये हैं इसी तरह हाई कोर्ट ने अपने यहां भी पेन्डिंग केसेज ज्यादा से ज्यादा निकाले जायं और जो बहुत लम्बे अर्से से पड़े हैं वे जल्दी से जल्दी डिसपोज आफ किये गये हैं। मैं समझता हूं हाई कोर्ट को बधाई देनी चाहिये एक नये डाइरेक्शन की नई दिशा दी है। पुराने केसेज हैं उसमें भी तवज्जुह देंगे उनके खिलाफ ऐक्शन लेंगे जो पुराने केसेज को नहीं निपटा पायेंगे।

इसी तरीके से आज एक सवाल आया था–राजस्व का मा. रामचन्द्र जी ने यह कहा कि यह दिन का टाइम और सुबह का बड़ा गड़बड़ है दरअसल दिन का टाइम हो सुबह का टाइम नहीं हो क्योंकि लास्ट इयर भी इसी विधान सभा में यह सवाल आया था कि दिन का टाइम रहना चाहिये। अब फिर यह प्रश्न रखा है दिन का टाइम चेन्ज करके सुबह का कर देना चाहिये। हमने हाई कोर्ट से कन्सल्ट किया। जो दूसरे कोर्टस हैं रेवेन्यू वगैरह के उनका भी सुबह का कर दें तो हाई कोर्ट भी कर सकती है। गवर्नमेंट बातचीत कर रही है फाइनल फैसला नहीं है कि अपने कोर्टस का टाइम सुबह का करें या नहीं करें···

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह राष्ट्र भाषा हिन्दी में काम क्यों नहीं होता है। जबकि अन्य प्रान्तों में लागू कर दिया। राजस्थान की हाई कोर्ट भी राष्ट्र भाषा हिन्दी में अपना जजमेंट दे और आप लिखे उनको कि इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री बरकतुल्लाखां : देखिये, राज्य सरकार की यह नीति है कि ज्यादा से ज्यादा इस बात की कोशिश की जाय कि फैसले हिन्दी में हों। राज्य सरकार ने इस बात की भी कोशिश की है दिल्ली सरकार को भी लिखा है कि हमें यह परमिशन दी जाय कि हाई कोर्ट के फैसले हिन्दी में होने चाहिए। जब जजेज से बात करते हैं आफ दी रेकार्ड और उनका इस बात की ओर ध्यान दिलाते हैं और अनआफिशियेली बात करते हैं तो उसके अन्दर वे बतलाते हैं कि हिन्दी के अन्दर फैसले होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट सैशन्स जज के लेवल पर, मुन्सिफ के लेवल पर, सिविल जजेज के लेवल पर काफी मात्रा में हिन्दी शुरू हो गई है और हाई कोर्ट की तवज्जुह भी इस ओर दिलाई जा रही है कि हाई कोर्ट के फैसले हिन्दी में देने की कोशिश वे करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जैसे बिहार में हो गया है तो यहां क्या दिक्कत आ रही है ?

श्री बरकतुल्ला खां : हम हाई कोर्ट को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन इस बात का सुझाव दे सकते हैं कि हिन्दी के अन्दर फैसले लिखे जायं। राष्ट्रभाषा हिन्दी है और राजस्थान के अन्दर हिन्दी चलती है लेकिन हिन्दी के अन्दर फैसले देने के लिए हाई कोर्ट को मजबूर नहीं किया जा सकता। कुछ जजेज ऐसे हैं जो अपने आप को इस

(श्री बरकतुल्ला खां)
काबिल नहीं पाते हैं कि हिन्दी के अन्दर वे फैसले लिख सकें। उनको मजबूर नहीं किया जा सकता है। हमने गवर्नमेंट आफ इण्डिया को लिखा है कि इस बात के लिए हाई कोर्ट को एन्करेज किया जाना चाहिए।

श्री मुकुन्दबिहार लाल गोयल : उन्हें रिटायर कर दें और अच्छे योग्य आदमी लगा दें जो कि हिन्दी बोलते हों और कम से कम अपनी मातृभाषा से प्रेम रखते हों और अपनी भावनाओं को हिन्दी में व्यक्त कर सकें। यहां पर ऐसे आदमी को न रखें जो विदेशी भाषा को बोले।

श्री बरकतुल्ला खां : असलियत में यही होना चाहिए। हिन्दी वाले लोग आ रहे हैं जो कि हिन्दी में फैसले लिखेंगे और लिखते हैं और यह समझते हैं कि हिन्दी से उन्हें उनसे ज्यादा प्रेम है।

श्री उपाध्यक्ष : अगले चुनाव के बाद में फर्क हो जायेगा।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं समझता हूं कि जितने मुद्दे यहां पर उठाये गये थे ....

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी दे दें। आपने अपने भाषण के प्रारम्भ में यह कहा था कि कुछ प्रासाइडिंग आफिसर्स के खिलाफ कोई कोर्ट ने एक्शन लिया है। कई को प्रिमेच्योर रिटायर किया है और कई के खिलाफ इन्क्वारी चल रही हैं। तो मैं यह जानकारी चाहता हूं कि कृपया यह बतायें कि ऐसे मामलों में डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पर काम करने वाले कितने ऑफिसर हैं, जिनको कम्पलसरीली रिटायर किया गया है और कितने लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ इन्क्वारी पेंडिंग हैं?

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक मेरी जानकारी है एक तो रिटायर कर दिया गया है। इन्होंने अपना इस्तिफा दे दिया है और दूसरे को कहा गया है कि आप रिटायर हो जायं तो उन्होंने रिटायरमेंट मांगा नहीं तो उस पर हाई कोर्ट एक्शन ले रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या कहना चाहते हैं?

श्री बरकतुल्ला खां : उन्होंने सवाल किया है ....

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह नहीं है। हाई कोर्ट जिन आफिसर्स के बारे में यह मानकर चलती है कि ये सेशन्स जज करप्ट हैं और उनको कम्पलसरी रिटायरमेंट देने के लिए लिखा जाता है और उसके कम्पलायन्स में वे कम्पलसरी रिटायरमेन्ट सीक नहीं करते हैं तो वे आफिसर्स जब तक वे प्रेसाईड करेंगे। किसी कोर्ट में तो लोगों के साथ में न्याय होता रहेगा और करप्शन नहीं होगा।

श्री बरकतुल्ला खां : ऐसा कोई नहीं मेरी जानकारी में जिसके लिए हाई कोर्ट ने यह कहा हो कि इनको कम्पलसरी रिटायर कर दिया जाय और गवर्नमेंट दूसरा व्यू ले रही हो।

श्री भैरोंसिंह : मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं। कि मैं यह कह रहा हूं कि आफिसर ने नहीं माना।

श्री बरकतुल्ला खां : चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो ड्यू प्रोसीजर आफ ला को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अपने मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता है। कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 311 में प्रोटेक्शन उनको भी है। ड्यू प्रोसीजर आफ ला में उनको नोटिस दिया जाता है और जो भी फार्मेलिटीज हैं वे पूरी की जाती हैं और उन्हीं फार्मेलिटीज के अन्दर कोई हाई कोर्ट में रिप्रेजेन्टेशन कर देते हैं और उन्होंने किया है और कुछ ने गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेन्टेशन किया है, लेकिन जो ड्यू प्रोसीजर आफ ला है वह पूरा करना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा कहना यह था कि ऐसे जजेज जिनके बारे में करप्शन की शिकायतें हैं और हाई कोर्ट ने नोटिस दिया हैं और हाई कोर्ट के प्रिलिमिनेरी एन्कवारी करने पर यह साबित हुआ है वे अगर प्रेसाइडिंग आफिसर हुए तो उस कोर्ट में न्याय जनता को मिल सकेगा इसकी आशा कैसे की जा सकती है?

श्री बरकतुल्ला खां : जिन लोगों को हाई कोर्ट ने यह कहा कि ये लोग करप्ट हैं और उन लोगों को नोटिस दिया गया है तो उनमें से एक आदमी ने यह कबूल किया कि इस्तिफा देकर निकल जाय तो उनको यह परमीशन दे दी। दूसरे को यह कहा गया तो उन्होंने नहीं माना और उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन किया है और डिमाण्ड की है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से इसकी जांच करवाई जाय, लेकिन वह इस वक्त किसी कोर्ट या बेंच को प्रेसाइड नहीं कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : दोनों ही।

श्री बरकतुल्ला खां : दोनों ही।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह कई जगहों पर बार कौन्सिल द्वारा रिजोल्यूशन पास किये जाते हैं किसी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट या सेशन्स जज के विरुद्ध में तो उन बार कौन्सिल के द्वारा प्रस्ताव पास किये जाते हैं उन पर हाई कोर्ट और गवर्नमेंट क्या करती है?

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक गवर्नमेंट का प्रश्न है गवर्नमेंट उसमें कोई दखल नहीं देना चाहती है हाई कोर्ट के मामलों में और हाई कोर्ट के पास में जब विजिलेन्स का रजिस्ट्रार है तो हाई कोर्ट जैसा मुनासिब समझेगी उसकी इन्क्वारी कराती है और जो रिकमण्डेशन हाई कोर्ट गवर्नमेंट के पास भेजती है तो उस रिकमण्डेशन को गवर्नमेंट मानती है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 11,73, 81,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 37,71,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

तदन्तर सदन की कार्यवाही 6 बजकर 36 मिनट पर दिनांक 4 मई, 1971 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

परिशिष्ट 1

(समया भाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

लसाड़िया बांध

577. श्री देवीलाल बुरालिया केकड़ी: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में लसाड़िया बांध की स्कीम का प्रावधान दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना प्लानिंग कमीशन द्वारा सन् 1962 में स्वीकृत हो चुकी थी।

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान सरकार ने लसाड़िया बांध की योजना को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि दिनांक 25 मार्च, 1970 को मिनिस्ट्री आफ इरीगेशन एण्ड पावर की कन्सलटेटिव कमेटी की मीटिंग में तय हुआ कि लसाड़िया बांध का काम शुरू किया जावे और 1970-71 में 5 लाख खर्च करने का प्रावधान रखा ? अगर हां, तो उसका क्या हुआ ?

(5) राज्य सरकार लसाड़िया बांध का कार्य कब तक शुरू कर देगी ? कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, यह योजना 1962 में योजना आयोग द्वारा मूलरूप में तकनीकी क्लीयरेन्स की गई थी।

(3) जी हां, लेकिन धन के अभाव के कारण योजना आयोग द्वारा किसी भी वर्ष में इस स्कीम को लेने के लिए धनराशि स्वीकृत नहीं की गई।

(4) जी नहीं इस योजना पर वर्ष 1970-71 में कोई प्रावधान नहीं रखा गया था।

(5) इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

अध्यापकों के विचाराधीन मामले

578.

श्री गंगासहाय (कठूमर)

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर)

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक अजमेर वृत्त जयपुर। उदयपुर। जोधपुर के कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी का पद अस्थायी रूप से कुछ समय के लिये वर्ष 1964 में सृजित किया गया था ? यदि हां, तो तद्-विषयक आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि रेन्ज स्तर पर अध्यापकों के स्थरीकरण, कालातीत दावे तथा पेन्शन दावों आदि के मामलों को तुरन्त निपटाने हेतु ही संयुक्त निदेशक, अजमेर वृत्त जयपुर के अधीन सहायक लेखा

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
(श्री गंगासहाय)
(श्री बालसिंह सोढ़ा)
धिकारी के पद के सृजन की अस्थाई रूप से स्वीकृति प्रदान की गई थी ?

(3) क्या सहायक लेखाधिकारी का पद अभी भी विद्यमान है ? यदि हां, तो इस पद के सृजन की अवधि में समय 2 पर वृद्धि किस आधार पर की गई है ? सम्बन्धित आदेशों की प्रतियें सदन की मेज पर रखी जावें।

(4) सन् 1964 से इस पद के सृजन के पश्चात् स्थिरीकरण के कितने मामले अंतिम रूप से अनुमोदित किये जा चुके हैं और कितने मामले अब निपटाया जाना शेष है और इसमें कितना समय लगने की सम्भावना है और इस असाधारण विलम्ब के लिये कौन अधिकारी दोषी है ? यह भी बताया जावे कि समय-समय पर सहायक लेखाधिकारी के पद के सृजन की अवधि में वृद्धि की औचित्यता के सम्बन्ध में निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा उपर्युक्त अंकित मामलों को निपटाये जाने के क्या आश्वासन दिये गये थे ? क्या इन आश्वासनों को क्रियान्वित करने में शिथिलता बरती गयी है ?

(5) क्या यह सही है कि स्थायीकरण के मामलों में असाधारण विलम्ब किये जाने के सम्बंध में अध्यापक संघ ने राज्य सरकार को वर्तमान सहायक लेखाधिकारी के विरुद्ध शिकायत पेश की थी और मांग पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया गया था कि श्री मेहता को वर्तमान पद से तुरन्त हटाकर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाय और अध्यापकों के स्थरीकरण के मामले निपटाने हेतु समुचित व्यवस्था की जाय ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) यह सही है। आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां, यह सही है कि स्थिरीकरण व कालातीत बिल आदि मामलों को तुरन्त निपटाने हेतु यह पद स्वीकृत किया गया था।

(3) जी हां, आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है। आधार प्रश्न के भाग 2 के उत्तर में वर्णित है।

(4) सन् 1964 के बाद अनुमोदित स्थिरीकरण के मामलों तथा शेष मामलों की सूची सलंग्न है। 1964 के बाद 30-3-71 प्रेषित किया हुआ प्रतीत नहीं होता है राज्य सरकार ने जुलाई 70 से स्थिरीकरण मामलों के शीघ्र निपटाने हेतु इस वृत्त में कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, अजमेर एवं जयपुर में सहायक लेखाधिकारी का 1-1 पद अलग से सृजित कर दिया है जो अपने अपने जिलों के अधिनस्थ कर्मचारियों के प्रकरण तय कर रहे हैं। सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

अकाल के स्थायी हल की योजना, जिला जालौर

579. (43 वि. मं.) श्री आईदान सिंह–क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर, "पिछड़े हुए" तथा "लगातार अकाल की चपेट" में आने वाले जिलों में से एक है ?

(श्री आईदानसिंह)

(2) क्या यह सही है कि पिछड़ापन मिटाने तथा अकाल के स्थाई हल के लिये कुछ धनराशि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई है ? अगर हां, तो कितनी धनराशि दी गई है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त धनराशि को खर्च करने के लिये राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई है ? अगर हां तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें तो कितनी धनराशि दी गई है ।

(4) उपरोक्त योजना कब तक चालू कर दी जायेगी और कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

(5) क्या उपरोक्त धन राशि जालौर के "पिछड़ापन मिटाने" तथा "अकाल का स्थाई हल" निकालने के लिए पर्याप्त है ।

उत्तर–

जी हां ।

जी हां । अकाल के स्थाई हल हेतु भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य को वर्ष 1970–71 के लिए 56 लाख की धनराशि दी गई थी ।

जी हां । वर्ष 1970–71 के लिए वार्षिक योजना बनाई थी । अब विस्तृत योजना के लिए प्रत्येक जिले के लिए मास्टर प्लान तैयार किये जा रहे हैं अतः प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपरोक्त योजना जनवरी 71 से चालू हो चुकी है तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक जारी रहेगी ।

भारत सरकार ने अपने नार्म्स के अनुसार अकाल के स्थाई हल हेतु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक जिले को दो करोड़ की धनराशि स्वीकृत किया है ताकि अभाव स्थिति से उत्पन्न प्रभाव को कम किया जा सके ।

ग्राम मेंदवास के कुओं पर बिजली

580. श्री जगन्नाथ पटेल (टोडा-रायसिंह): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला टोंक के ग्राम मेंदवास के कितने कुओं पर बिजली दी जा चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि भू-जल मण्डल और विद्युत विभाग ने मेंदवास ग्राम के दक्षिण पर अरणिया निल अमीर-पुर खेड़ा, छाण, महुआ, भरनी ग्रामों के सिंचाई के कुओं के पानी की जांच की है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि पंचायत समिति, टोंक व जिला परिषद्, टोंक द्वारा भी उपरोक्त गांवों के सिंचाई वाले कुओं को कृषि कार्य हेतु विद्युत् दिये जाने की सिफारिश की है ?

(4) यदि हां, तो उक्त ग्रामों के कुओं पर बिजली कब तक पहुँचादी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला टोंक के ग्राम मेंदवास में मार्च 71 तक 60 कुओं को बिजली दी जा चुकी है ।

(विद्युत मंत्री)

(2) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल, सिंचाई के कुओं के पानी की जांच नहीं करता। प्रश्न नहीं उठता।

(3) जिला कृषि उत्पादन समिति टौंक ने सिफारिश की थी।

(4) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। योजना स्वीकृत होने पर ही विद्युतिकरण के लिए कहा जा सकता है।

शिक्षण संस्थाओं को अनुदान

581. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू)––क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सन् 1970–71 में ऐसी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दिया गया है जिनको पहिले नहीं दिया जाता था ? यदि हां, तो कौन कौनसी संस्था को, कितना कितना रुपया किस प्रकार से कब कब अनुदान के रूप में दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त संस्थाओं को दिये गये अनुदान की स्वीकृतियां कब कब की गई और भुगतान कब कब किया गया ?

(3) जिन संस्थाओं को उक्त अनुदान दिया गया उनकी सिफारिश ग्रान्ट इन-एड कमेटी (अनुदान समिति) ने कब कब की तथा कितने कितने रुपये देने की सिफारिश की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त अनुदान के लिये संस्थाओं के प्रार्थना-पत्र कब कब प्राप्त हुए थे जिनको स्वीकार किया गया है तथा जिन प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार किया गया है वो कब कब प्राप्त हुए थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उक्त अनुदान की राशि को संस्थाओं को चुकाने के लिये विभाग के किस किस मद से व्यवस्था की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज रखदी गई है।

(2) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में प्रस्तुत सूचियों के साथ स्वीकृतियां भी संलग्न हैं, जिनमें तिथियां अंकित हैं। इन स्वीकृतियों के अनुसार संयुक्त निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर को इकजाई धनराशि आहरण करने के लिये सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया था। तदनुसार उन्होंने वित्तीय वर्ष की समाप्ति दिनांक 31-3-71 तक आहरण कर सम्बन्धित विभागों । संस्थाओं को जैसे जैसे बैंक ड्राफ्ट बने उनके द्वारा भेजने की व्यवस्था करदी।

(3) राज्य में ऐसी कई संस्थायें हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लम्बे अर्से से कार्य कर रही हैं किन्तु उनकी आर्थिक स्थितियां ऐसी नहीं है कि वे आर्थिक रूप से कमजोर होते हुये वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यहां तक कि संस्थाओं में अध्यापकों की तनख्वाहें तक देने में कठिनाइयों का अनुभव किया जा रहा था। इस दृष्टि से राज्य सरकार ने

(शिक्षा मंत्री)

दो प्रकार की संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने का औचित्य समझा। एक उन्हें जो कि पहले से अनुदान सूची में थी व दूसरी वे जो अब तक अनुदान सूची में नहीं थीं। अतः जिन संस्थाओं को अनुदान सूची में पूर्व से ही ले रखा था, उन्हें अनुदान समिति की सिफारिश के अनुसार प्रावधान के रहते हुये अनुदान 50 प्रतिशत ही प्रदान किया गया तथा जो संस्थायें अब तक अनुदान सूची में नहीं थीं उनके बारे में सरकार ने नीति विषयक निर्णय लिया कि 1968 से पूर्व मान्यता प्राप्त संस्थाओं को उनकी आर्थिक स्थिति को गम्भीर जानते हुये 50 प्रतिशत तदर्थ अनुदान प्रदान किया जाय तदनुसार सदन की मेज पर प्रस्तुत सूची के साथ अनुदान स्वीकृतियां प्रदान की गई जिसमें अनुदान देने का आधार व मानदण्ड वर्णित है।

(4) यह स्वीकृतियां विभागाध्यक्षों की सिफारिशों तथा नीति के आधार पर दी गई है अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जिस मद से ये स्वीकृतियां दी गई हैं वह स्वीकृति में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सरपचों एवं पंचों के विरुद्ध गबन व भ्रष्टाचार के मामले

582. श्री [illegible] (कठूमर)---क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

पंचायत समिति कठूमर क्षेत्र की पंचायतों के कितने सरपंचों व पंचों के विरुद्ध पंचायत विभाग और अन्य अदालतों में गबन व भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, व कब से चल रहे हैं ?

उत्तर

एक सरपंच तथा एक पूर्व सरपंच के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है। वर्तमान सरपंच के विरुद्ध मामला 1970 से चल रहा है। पूर्व सरपंच के विरुद्ध दो मामले चल रहे हैं। एक सन् 1967 से तथा दूसरा 1969 से चल रहा है।

देवगढ़ के व्यक्तियों को बिजली का बिल जमा कराने में परेशानी

583. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम)---क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :---

(1) क्या यह सही है कि देवगढ़ से भीम वगैरह चार पांच ग्रामों में बिजली की लाइनें गई हुई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि वहां जूनियर इंजिनियर का आफिस होते हुए भी लोगों को बिल जमा कराने तथा नया कनेक्शन लेने में बड़ी परेशानी उठानी होती है ?

(3) क्या यह सही है कि महीने में केवल एक या दो दिन के लिये बिलों की रकम जमा कराने के लिये कांकरोली से आफिस का आदमी आता है और यदि किसी कारण से कोई व्यक्ति अपने बिल की रकम जमा नहीं करा पाता तो उसे कांकरोली जाकर जमा करानी होती है ?

(श्री मती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

(4) क्या यह सही नहीं है कि इस तरह भीम से कांकरोली जो 70 मील दूर है दो-दो, चार-चार रुपयों जैसी छोटी रकम को जमा कराने जाना पड़ता है?

(5) जब कि जूनियर इंजिनियर का आफिस देवगढ़ में है तो रकम जमा कराने का तथा नया कनक्शन देने का प्रबन्ध इसी आफिस से क्यों नहीं कराया जाता?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। बिजली के बिलों की रकम जमा कराने के लिए ऐसी व्यवस्था है कि निर्धारित तिथि के दिन देवगढ़, ताल, बरार एवं भीम गांवों में ही रकम जमा की जाती है। नवीन कनेक्शन लेने के लिये कांकरोली आना पड़ता है।

(3) देवगढ़ एवं आस पास 10 मील के क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों के बिलों की रकम देवगढ़ में ही निर्धारित तीन दिनों में जमा की जाती है। एवं अन्य उपरोक्त स्थानों में एक एक दिन के लिये कर्मचारी रकम जमा करने जाता है जिसकी सूचना उपभोक्ताओं को पहले ही दे दी जाती है। इसके पश्चात् रकम जमा कराने के लिये उपभोक्ताओं को कांकरोली जाना पड़ता है अथवा वह चाहें तो रकम मनीआर्डर द्वारा या चैक द्वारा जमा करा सकते हैं।

(4) निर्धारित तिथि पर जो उपभोक्ता रकम जमा नहीं कराते उसके बाद उन्हें कांकरोली में ही रकम जमा करानी होती है जिसे वे मनीआर्डर अथवा चैक द्वारा भेज सकते हैं।

(5) निर्धारित तिथियों को बिलों की रकम देवगढ़ में ही जमा कराई जा सकती है लेकिन उसके पश्चात् कांकरोली जाना पड़ता है। नये कनेक्शन के आवेदन-पत्रों के साथ निर्धारित फीस भी जमा करानी पड़ती है जो कार्य मण्डल के आदेशानुसार सहायक अभियन्ता के कार्यालय में ही किया जाता है।

नगरपालिकाओं के चुनाव

584. श्री दिग्विजय सिंह—क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अभी कई नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं कराये गये हैं? यदि हां, तो ऐसी कितनी हैं और चुनाव नहीं कराने के क्या कारण हैं?

(2) इन नगर पालिकाओं के चुनाव सरकार कब तक करने का विचार करती है?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में अभी दो नगर परिषद् एवं । नगरपालिका मण्डलों के चुनाव शेष हैं। प्रशासनिक कारणों से अब तक चुनाव नहीं कराये गये हैं।

(2) जोधपुर नगरपरिषद् के आम चुनाव 6 जून 1971 को निर्धारित कर दिये गये हैं अन्य नगरपालिकाओं में आम चुनाव यथा शीघ्र सम्पन्न करा दिये जावेंगे।

ग्राम आरामपुरा में बिजली

585. श्री बृजबल्लभ बोहरा (दीगोद)—क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लाडपुरा के ग्राम आरामपुरा में बिजली की लाइन दिये 6 माह हो गये?

Page No 192

श्री, बृजवल्लभ नोहरा)

(2) यदि हां, तो अब तक इस लाइन से किसानों को मांगने पर भी कनक्शन क्यों नहीं दिये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां–सितम्बर, 1970 में ग्राम आरामपुरा का विद्युतीकरण कर दिया गया था।

(2) अब तक इस ग्राम से कृषि के लिये चार प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से प्रथम दो प्रार्थियों ने आवेदन-पत्र पर अपने पूरे पते नहीं दिये थे इसलिए उनका एस्टीमेट नहीं बनवाया जा सका। अब विकास अधिकारी चारों लाडपुरा द्वारा इनका पता मालुम कर लिया गया है तथा प्रार्थियों को डिमांड नोटिस जारी कर दिये गये हैं डिमांड नोटिस की रकम प्राप्त होने व अन्य विभागीय फार्मेलिटीज पूरा होने पर इन्हें कनेक्शन दे दिये जावेंगे।

मेल नर्स व कम्पाउन्डर ग्रेड प्रथम की सीनियोरिटी लिस्ट

586. श्री अवगलाल (हिन्डौन)–क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सच है कि मेल नर्स व कम्पाउडर ग्रेड 1 की फाईनल सीनियोरिटी लिस्ट अभी तक नहीं बनाई गई है ? यदि हां, तो क्यों

(2) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त सीनियोरिटी लिस्ट नहीं होने के कारण उनके वेतन, असमानता को भी रोका जा रहा है ? यदि हां तो क्यों ? इससे मेल नर्स व कम्पाउडर को कितना नुकसान हो रहा है और इसको निपटाने के लिए सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां इसके अन्तिम रूप देने बावत कार्यवाही शिघ्रातिशीघ्र की जा रही है।

(2) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 1 (8) डी. (एवस-रूल्स) । 67, दिनांक 28–4–69 के अन्तर्गत ऐसे मामलों का निपटारा उसी समय किया जा सकता है जब कि वरिष्ठता सूची अन्तिम हो। इसको निपटाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

पी. टी. आई का स्थानान्तरण

587. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि श्री जसवन्त सिंह पी. टी. आई उच्चतर माध्यमिक पाठशाला का स्थानान्तरण कुछ वर्ष पहले शिकायत पर माध्यमिक पाठशाला झाबा में किया गया था ? अगर हां, तो कब व किस शिकायत पर था ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि फिर श्री जसवन्तसिंह पी.टी. आई. का स्थानान्तरण का आदेश रद्द करके फिर उसी पाठशाला में कर दिया गया ? अगर हां, तो किसने कब व क्यों किया ?

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पी.टी.आई को उसी स्थान पर रखने के कारण फिर स्थानीय पार्टीबाजी का झगड़ा बढ़ाने में पूरा सहयोग मिला ? क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त पी.टी. आई. दिनांक 9–8–70 को रानीवाड़ा में कत्ल हुआ

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
उसमें संदिग्ध मुलजीम है ? अगर हां तो इस बारे में सरकार द्वारा विभागीय क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां दिनांक 25-2-68 को शाला के छात्रों में आपसी झगड़े में थोडा बहुत हाथ होने कारण

(2) जी, हां श्री जसवन्त सिंह, पी. टी. आई का एन. सी. सी 11 आफिसर होने के नाते विद्यालय निरीक्षक सिरोही ने पत्र दिनांक 3-8-68 के द्वारा स्थानान्तरण किया गया था ।

(3) ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि इन्हें उसी स्थान पर रखने के कारण पार्टीबाजी का झगडा बढ़ने में पूर्ण सहयोग मिला हो ; व उक्त अध्यापक कथित कत्ल केस में संदिग्ध मुलजिम है ।

लाखेरी चिकित्सालय में दवाइयों का अभाव

588. श्री केसरसिंह हाडा : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि हाल में ही चिकित्सा मंत्री द्वारा लाखेरी में एक नये चिकित्सालय का उद्घाटन किया गया है ?

(2) क्या यह सत्य है कि सरकारी चिकित्सालय में सदा ही दवाइयों का अभाव रहता है और डाक्टर केवल उपचार-पत्र ही लिखते हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । समझौते की शर्तों का सारांश सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां ।

The following settlement has been made between the Lakheri villagers and the Associated Cement Cos. Ltd., Lakheri on 14-1-1947.

(1) That the present Railway line will run along the route already sanctioned with the following modifications :

(a) A bridge for loaded carts will be given for the Tambo lies near the passage already made for padestrains and for water.

(b) That fifty feet of the embankment will be removed and re-placed by arches.

(c) That the line further on will be taken on arches upto 'Malies's temple.

(d) That there will be arches for carts and water channel near the mohalla of Brahmins.

2. That Associated Cement Cos. Ltd., will grant the following concessions :

(a). Water channels wile be constructed to prevent water logging.

(b) Cement concrete road will be constructed from the main road through Naya Bazar upto Raghunathji's temple and the road in front of the Police Station connecting the main road.

(c) Electric light will be provided free in the main bazar and mainstreets and in Raghunathji's temples and other temples on the main road upto nine.

(d) The principal temples will be repaired by ACC Ltd., free of charge.

(e) The A. C. C. Ltd., will give cement free to them whose houses which have cracked by blasting. The question as to what houses has suffered damage due to blasting will be determined by a committee consisting of the Executive Engineer or his nominee (convener), a representative of the Cement Works and a representative of the villagers of Lakheri.

(f) No silt will be cast in the tank and the A. C. C. will build two ghats for convenience of the villagers. The location will be determined by the villagers of Lakheri with due consideration to the constructional point of view.

(g) Facilities will be given to the villagers to get the benefit of the Dispensary free of charge.

(h) Latrines will be constructed by the Company with 9 seats.

(i) Preference will be given to the villagers of Lakeri in giving employment in this Company and in the selection of candidates for training of skilled labour, other things being equal.

(j) The A. C. C. will construct a cement well for the benefit of the entire village and if the village decides to insual their own pump the Company willsupply the necessary electrical power for driving the pump free of charge.

3. There will be no victimisation of the employees of the Cement Works who took part in this agitation.

हरियाणा सरकार द्वारा राजस्थान कैनाल के पानी की मांग

589. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हरियाणा सरकार राजस्थान सरकार से ऐलनाबाद के पास एक हजार क्यूसेक्स पानी राजस्थान केनाल का मांग रही है।

(2) क्या यह भी सही है कि उस एक हजार क्यूसेक्स के बदले में राजस्थान सरकार को फतहवाद ब्रान्च से नोहर भादरा क्षेत्र की पानी की कमी को पूरा करने के लिये दे रही है?

(3) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच अब तक क्या प्रगति हुई है?

(4) यह निर्णय कब तक हो जावेगा और पानी की अदला बदली में कितना समय लग जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ऐसा राजस्थान सरकार चाहती है।

(3) अभी तक जो वार्ता हुई है वह प्रारम्भिक तौर पर हुई है। दोनों सरकारें अपनी अपनी योजनायें बनाने पर विचार कर रही हैं।

(4) इस संबंध में निश्चित तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता।

दवाई बेचने के लिए लाइसेन्स

590. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाइसेन्स प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति ऐलोपैथिक औषधियों की बिक्री नहीं कर सकता है?

(2) औषधियां बेचने का लाइसेन्स किस व्यक्ति को दिया जा सकता है?

(3) डीग (भरतपुर) में जनता मैडिकल स्टोर पर दवायें बेचने का लाइसेन्स किस व्यक्ति को दिया हुआ है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त स्टोर पर दवायें बेचने का लाइसेन्स जिस व्यक्ति को दिया गया है, वह निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं है?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त स्टोर पर वह व्यक्ति बिक्री का कार्य नहीं करता, जिसको लाइसेन्स दिया हुआ है?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति ने योग्यता सम्बन्धी झूंठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर लाइसेन्स प्राप्त किया था?

Page No 196

(श्री मेघराज पंवार)

(7) क्या यह भी सही है कि कुछ समय पूर्व उक्त स्टोर को नकली तथा टाइमबार्ड दवाएं और इन्जेक्शन बेचने का अपराधी पाया गया था ?

(8) यदि हां, तो उक्त मेडिकल स्टोर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) औषधियां बेचने का लाइसेन्स निम्न योग्यता वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है :

(a) Holds a diploma or degree in Pharmacy on Pharmaceutical chemistry of an institute apperoved by the licensing authority,

(b) is a registered Pharmacist under the Pharmacy Act 1948, or

(c) has had not less than four years practical experience of dispensing which is in the opinion of the licensing authority adequate, and has been approved by that authority as qualified person.

(3) इस योग्यता वाले व्यक्तियों का भारत सरकार के आदेशानुसार 31-12-69 तक ही क्वालीफाईड व्यक्ति माना गया था।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। इसी कारण इसका चालान कोर्ट में कर रखा है।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं।

(8) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जेतपुरा बांध की डूब में आने वालों को बसाने की योजना

591. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जेतपुरा बांध में डूबने वाले गांवों को बसाने की व्यवस्था हो गई है? यदि नहीं हुई है, तो कब तक होने की सम्भावना है?

(2) क्या इसी वर्ष बसाने की व्यवस्था हो जायेगी ?

(3) क्या इस काम को प्राथमिकता दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, जैतपुरा बान्ध के डूब में आने वाले ग्रामों को बसाने की व्यवस्था शीघ्र ही करदी जावेगी।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

हायर सैकण्डरी स्कूल थाना में विज्ञान विषय की कक्षायें

592. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि तहसील कस्बा थाना की जनता ने हायर सैकेन्डरी

(श्री देवीदत गाडिया)
स्कूल में विज्ञान की कक्षा खुलवाने हेतु काफी समय से बैंक में रुपया जमा करा रखा है? यदि हां, तो कुल कितना रुपया कितने समय से जमा कर रखा है?

(2) कस्वा थाना स्कूल में विज्ञान की कक्षा खोलने के लिये क्या सरकार ने निर्णय ले लिया है।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) राज्य सरकार अन्य प्रस्तावों के साथ इस पर भी विचार करेगी।

जवाई बांध के पानी का वितरण

593. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या कोई नियम बने हुए हैं जिनसे कि जवाई बांध का पानी सब कमाण्डेड क्षेत्र में समान रूप से वितरित हो और प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से का पानी सफलतापूर्वक अपने खेत में समय पर मिला सके?

(2) क्या सरकार एवं विभाग के पास इस सम्बन्ध में प्रति वर्ष शिकायतें प्राप्त होती हैं? जिनका आज दिन तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है?

(3) क्या सरकार के पास कोई योजना है जिसके कि आधार पर हर साधारण व्यक्ति को अपने हिस्से का पानी समय पर शान्तिपूर्वक ढंग से मिल सके?

उत्तर

(1) जवाई बांध से सिंचाई के लिए जल वितरण के लिए अलग से कोई नियम नहीं बने हुए हैं।

(2) कभी कभी कृषकों से उनके खेत में समय पर पानी नहीं मिलने की शिकायत विभाग के पास आती है और उसका तुरन्त समाधान कर दिया जाता है।

(3) सिंचाई के लिए नहरें व उन पर लगे मोगे उसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं व बनाये जाते हैं जिससे सारे कमाण्ड क्षेत्र में हर व्यक्ति को पानी समय पर मिल सके।

ग्राम पंचायत गंधेली द्वारा ईंटों की खरीद

591. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत गंधेली, पंचायत समिति नोहर (गंगानगर) के सरपंच द्वारा सिंचाई विभाग से विकास कार्यों के लिये पक्की ईंटें खरीदी गई थीं? यदि हां, तो कब और कितनी किस भाव से खरीदी गई और रुपया पंचायत की रोकड़ से जमा खर्च हुआ या नहीं?

(2) इन ईंटों का उपयोग किस प्रकार किया गया?

(3) क्या इस सम्बन्ध में कई शिकायतें सरकार से की गई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(19-4-71)

खेड़ा रसूलपुर में विकास कार्यों पर व्यय

355. श्री बृजबल्लभबोहरा (दीगोद): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत खेड़ा रसूलपुर को कितना रुपया विकास कार्य के लिये सन् 65 से सन् 70 तक दिया गया? तथा उसमें से कितनी राशि अनुदान में दी है और यह किस किस कार्य हेतु ?

(2) यह कार्य सरपंच द्वारा ठेके में कराये गये हैं अथवा स्वयं की देखभाल में अमानी में ?

(3) यदि ठेके में कार्य कराये गये हैं तो ठेकेदार के नाम तथा टेन्डर की तारीख की तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में उल्लेख कर दिया गया है।

(3) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में उल्लेख कर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 199

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 568 की सुची)

(मेड़ता तहसील के आयुर्वेदिक औषधालयों की सुची)

क. स.	औषधालय का नाम	खोलने का दिनांक
(1)	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय पादूकला	14–8–1956
(2)	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय रेण	5–1–1960
(3)	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय नोखा नन्दावता	28–10–1961
(4)	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय रीयांबड़ी	वर्ष 1941
(5)	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय हरसोलाव	27–11–54
(6)	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय डोडीयाना	26–10–61
(7)	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय वडायली	31–3–66
(8)	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय थांवला	24–6–44
(9)	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय भेरून्दा	फरवरी, 58
(10)	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय आलनियावास	23–1–1960
(11)	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय तातेड़	जनवरी, 1971

परिशिष्ट 3

(अ.प्र. सं. 583 की सूची)

क. संख्या	गांव का नाम	हटाये गये मतदाताओं की संख्या	क. सं.	गांव का नाम	हटाये गये मतदाताओं की संख्या
1	2	3	1	3	3
1	अरड़की	33	29	धणियासर	10
2	आपूवाला	3	30	देहदासपुरा	17
3	असरजाना	73	31	चक राजासर	10
4	उदासर छोटा	19	32	चक सरदारपुरा	40
5	उदासर बडा	36	33	चाढेडी छोटा	2
6	कनवानी	8	34	चाढेडी बडा	6
7	कर्मशाना	2	35	चाइयां	34
8	करोती	4	36	चारणवासी	14
9	कलांसर	5	37	चैनपुरा	14
10	कानसर	24	38	चेलासरी	7
11	कलासर	3	39	जबरासर	60
12	किकराली	40	40	जसाना	169
13	किकरालिया	4	41	जोगी आसन	26
14	कुलचासर	6	42	जोखासर	7
15	केलनियां	17	43	जोजासर	10
16	केसरदेसर	4	44	जोरावरपुरा	10
17	कोलासर	51	45	झेडांसर	37
18	खरसन्डी	12	46	टिडियासर	25
19	खूईयां	20	47	टोपरियां	41
20	खेदासरी	15	48	ढढेला	34
21	खोपडा	59	49	ढूभासर	3
22	खोडावास उतराधा	9	50	ढानी अराइंयान	16
23	खोडावास दिखनाधा	36	51	ढांनी चांस्नान	14
24	गधेली 3	91	52	ढानी लालखां	16
25	नधेली 60		53	थालडका	58
26	गंगोई	2	54	थीरांन	61
27	गिराजसर	18	55	दलपतपुरा	33
28	गोरखाना	15	56	दनियांसर	28
			57	दासुवाली	8

Page No 201

1	2	3	1	2	2
58	दुर्जाना	40	92	भगुली	40
59	दुधली	6	93	भावलदेसर	1·2
60	देहदान	38	94	मकरका	76
61	देवासर	34	95	मकरका 4·0	–
62	धन्नासर	50	96	मैंरूसरी	28
63	धांधुसर	23	97	मन्दरपुरा	30
64	धानसिया	57	98	माणकसर	17
65	धीरदेशर	5	99	मलवानी	10
66	नइयांशर	13	100	मानकेरिया	4
67	नगरासरी	13	101	मालासर	4
68	ननांउ	24	102	मालिया	83
69	निरवाल	8	103	महिलां	9
70	नीमला	48	104	महिला ढाणी	6
71	न्योलखी	42	105	मिनकदेशर	61
72	नौहर	–	106	मुनसरी	9
73	पांडूसर	46	107	मैंघाना	5
74	पल्लु	13	108	मोटेर	35
75	पिचकराई	5	109	रतनपुरा	62
76	पुरबसर	19	110	रतनादेशर	5
77	पोहड़का	23	111	रामको	19
78	फोगला	–	112	रायसिंहपुरा	21
79	बनासर	9	113	रावतसर	838
80	वरमसर	23	114	रानीसर	8
81	वांगासर	8	115	रातुसर	10
82	वांछुसर	10	116	रामपुरा	26
83	वालासर	4	117	ललानियां	43
84	वरहमणवासी	4	118	लाखेरां	6
85	बिसरासर	27	119	लाखासर	40
86	बिसरासरमय ढानी	2	120	लाडम	26
87	बुधवालिया	11	121	लालपुरा	37
88	बीझांसर	4	122	लूनासर	2
89	वीरकांली	106	123	सरदारपुरा	7
90	भगवान	20	124	सरूपदेशर	10
91	भगवानसर	5	125	सिरगसर	36

1	2	3
126.	सीरासर	19
127.	सुरपुरा	12
128.	सुरछनसर (उतराधा)	18
129.	सुरजनसर (बास दिखनादा)	18
130.	सेखचूलिया	6
131.	सांगठिया	16
132.	सोती पडोहारि	–
133.	सोती बड़ी	22
134.	सोनडी	148
135.	सोडड़ी बांस मेघसिंहपुरा	49
136.	श्योरानी	22
137.	हमीरदेसर	2
138.	हरीदास बांलीबास अगुना	5
139.	हरीदासबांली बास अगुना	6
140.	हरीदास बालीबास बड़ा	15
141.	खनानिया	9
142.	शोदानपुरा	18
143.	अमरपुरा राठान (31 पी बी एन)	46
144.	33 एस टी जी	34
145.	34 एस टी जी	36
146.	अहमदपुरा	76
147.	एटा	12
148.	कालुसर	5
149.	कालीबंगा	47
150.	कानोंर	28
151.	किसनपुरा	–
152.	गुसाईंसेरा	1
153.	चाहडसर	83
154.	जाखडावली	93
155.	जैसामरि	–
156.	टिलावाली	101
157.	ठुकराना	62
185	ठेठार	–
159.	डिगवाला 2 एस जी आर	19
160.	डिगवाला 17 पी बी एन	103
161.	ढाढियावाली	128
162.	निहालपुरा रोही	31
163.	पीलीबंगा	83
164.	पीलीबंगा 25 एस टी जी	7
165.	पीलीबंगा 26 एस टी जी	4
166.	पंडितावाली	39
167.	फरीदसर	10
168.	वडोपल	107
169.	वडोपल (3 टीं)	27
170.	बीड दलमानी 22 एस टी जी	15
171.	बीड दलमानी 23 एस टी जी	2
172.	बीड दलमानी 24 एस टी जी	62
173.	भागसर खुर्द 6 एस टी जी	68
174.	मोजेवाला	9
175	मनिक घेढी	25
176	रतासर	15
177.	राजपूरिया पिपेरन	6
178.	रायांवली	4
179.	लढाना	25
180.	सरदारपुरा खर्या	5
181.	सरामसर (1 बी आर पी)	16
182.	सोमासर	23
183.	(29 एस टी जी)	42

परिशिष्ट 4

(अ. प्र. सं. 559 की सूची)

सन् 1965 से 1970 तक के वार्षिक वर्षा के आंकड़े

जिला पाली	स्टेशन	1965	1966	1967	1968	1969	1970
	1. पाली	488.7	503.7	798.4	157.9	104.0	600.0
	2. रोहट	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
	3. सोजत	382.7	324.6	537.8	235.1	118.0	654.0
	4. बाली	545.1	588.7	848.2	339.5	205.8	537.7
	5. सादड़ी तालाब	598.4	393.2	736.2	199.5	एन0ए0	एन0ए0
	6. सुमेरपुर	504.4	604.5	687.6	305.6	153.7	एन0ए0
	7. तास्तगढ़	156.4	148.5	738.8	155.8	एन0ए0	एन0ए0
	8. रायपुर	430.6	518.3	436.6	374.6	164.8	644.9
	9. जैतारन	447.1	290.3	468.0	177.3	213.2	572.7
	10. देसूरी	647.2	464.9	552.3	326.0	239.6	1024.1
	11. रानी	359.2	197.5	903.0	206.2	0 0	एन0ए0
	12. मारवाड़ जं.	350.1	348.7	799.5	254.4	241.5	827.2
	13. जोजावर	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
	14. सेवाड़ी	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.

परिशिष्ट-3 मई, 1971-परिशिष्ट

(अ.प्र.सं. 560 की सूची)

उत्तर विधान सभा प्रश्न नं. 38।अ.ता.

सर्किल श्री गंगानगर

नं.	मंडियों के नाम	व्यापारिक संख्या	कर जमा वर्ष 70-71
1.	श्री गंगानगर	98	16,77,307
2.	रायसिंहनगर	73	2,77,118
3.	श्री विजयनगर	53	2.38,028
4.	जैतसर	20	76,048
5.	रायसिंहपुर	10	22,761
6.	अनुपगढ़	19	65,139
7.	करणपुर	51	1,45,479
8.	केसरीसिंहपुर	30	79,843
9.	पदमपुर	41	1,39,870
10.	हिन्दुमलकोट	2	386
11.	गजसिंहपुर	34	59,775
12.	रिडमलसर	14	17,668
13.	बीसबाईला	6	1,091
		451	28,00,513

Page No 205

उत्तर विधान सभा प्रश्न सं0 38/ अ0 ता0

सर्किल हनुमानगढ़ टाउन

क्र0सं0	मंडी	व्यापारिक संख्या	कर जमा वर्ष 70–71
1.	हनुमानगढ़ टाउन	92	10,95,751
2.	हनुमानगढ जंकशन	13	48,757
3.	संगरियां	74	5,21,775
4.	सूरतगढ	43	1,92,470
5.	सादूलशहर	52	2,33,913
6.	पीलीबंगा	70	3,09,975
7.	गोलूवाला	10	30,798
8.	रावतसर	7	30,965
9.	नोहर	62	4,28,340
10.	भादरा	50	3,75,158
11.	टिब्बी	5	9,219
12.	तलवाड़ा	4	16,737
13.	डबली	9	15,611
		491	33,10,469

परिशिष्ट 6

(प्र. प्र. सं. 561 की सूची)

निरस्त किये गये आदेशो की सूची

क्र. सं.	नाम	कहां से	कहां को	कारण
1	2	3	4	5
		वाणिज्यिक कर निरीक्षक		
1.	श्री रतनलाल पुरोहित	जोधपुर 'बी,	उडनदस्ता सांचोर	1. लम्बे अरसे से रिक्त स्थान होने व वहां का कार्य खराब होने से लगाया । 2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सांचोर से भयभीत होने से जाने में असमर्थता प्रकट की व पत्नी की बिमारी की वजह से ।
2.	श्री गोविन्द राम	बीकानेर	जोधपुर 'बी,	1. नं0 1 के स्थान पर चैन पर लगाया । 2. नं0 1 को निरस्त होने से रोका गया ।
3.	श्री कन्हैया लाल	जोधपुर मण्डीय कार्यालय	बीकानेर	नं 2 चैन में लगाया व उसी कारण निरस्त किया ।
4.	श्री सच्चिदानन्द	चूरू	जोधपुर ए	1. जयपुर के नजदीक रहने हेतु उसके निवेदन पर लगाया । 2. उसके द्वारा जयपुर का होने से वहीं का तबादला चाहने हेतु तबादला निरस्त किया आवेदन पत्र पर ।
5.	मनीराम	चूरू	बीकानेर	
6.	श्री मूल राज	जोधपुर ए	जैसलमेर	
7.	श्री शिवकिशन	पाली	नागौर	
8.	श्री शंकर दान	पाली	श्री गंगानगर	

1	2	3	4	5
9.	श्री रतनलाल पुरविया	जोधपुर ए	हनुमानगढ़	
10.	श्री विश्वनाथ पाण्डे	बीकानेर	,,	
11.	श्री रामरतन	चैक पोस्ट आबू रोड़	बीकानेर	
12.	श्री जोर सिंह	जोधपुर ए	जोधपुर बी	1. डेढ वर्ष हो जाने से लगाया । 2. वा० क० अ० के निवेदन पर निरस्त किया ।
13.	श्री बालानी	बीकानेर	श्री गंगानगर	1. 7 वर्ष से होने से व वा० क० अ. गंगानगर के निवेदन पर लगाया 2. वा० क० अ० बीकानेर, के निवेदन पर निरस्त किया ।
14.	श्री आसुसिंह	नागौर	बीकानेर	1. 3 वर्षो से होने के कारण लगाया । 2. नं० 2 का निरस्त होने से निरस्त किया ।
15.	श्री बाबूलाल	श्री गंगानगर	बीकानेर	1. नं 2 का निरस्त होने से चैन में निरस्त किया ।
16.	श्री देवी सिंह	पाली	जैसलमेर	
		कनिष्ठ लिपिक		
17.	श्री मांगीलाल	जैसलमेर	पाली	
18.	श्री लालचन्द	जोधपुर 'ए	पाली	वा० क० अ० के निवेदन पर निरस्त किया ।
19.	श्री किशनचन्द	भण्डार	जोधपुर 'ए	6 वर्षो से होने से लगाया व उसके निवेदन पर अहीक उम्र होने से निरस्त किया ।

1	2	3	4	5
20.	श्री परसराम	राजगढ़	हनुमानगढ़	इसके निवेदन पर पढ़ाई व्यवस्था वगैरा के कारण निरस्त किया।
21.	श्री गंगाराम	हनुमानगढ	राजगढ	नं0 3 के निरस्त होने से निरस्त किया।
22.	श्री ओंकार सिंह श्री अलादीन श्री धनसुन श्री कंवर सिंह	नागोर	जोधपुर 'बी	एक कनिष्ठ लिपिक स्ट्रेन्थ से अधिक होने से लगाया व उनके निवेदन पर पढ़ाई व्यवस्था वगैरा के कारण निरस्त किया
23.	श्री चांदमल श्री महेशचन्द श्री ओमप्रकाश श्री बाबूलाल श्री राधेश्याम	बीकानेर हनुमानगढ़ गंगानगर हनुमानगढ गंगानगर	गंगानगर बीकानेर हनुमानगढ़ बीकानेर हनुमानगढ	ये आदेश उच्चायुक्त (अपील) बीकानेर की रजामंद से किये गये थे, पर पढाई वगैर की समस्याओं के कारण लिपिकों के निवेदन पर निरस्त किये।
24.	श्री जगदीशनारायण	जोधपुर	सिरोही	
25.	श्री किशनचन्द	उडनदस्ता भंडार	सिरोही	
26.	श्री मनोहर सिंह	सिरोही	उडनदस्ता, भन्डार	
27.	श्री आनन्द प्रकाश	जालौर	विशेष वृत, जोधपुर	
28.	श्री नेमी चन्द	वि0 वृत जोधपुर	सिरोही	
29.	श्री मोहनलाल	सिरोही	जोधपुर मण्डीय कार्यालय	
30.	श्री रवीकुमार	नागौर	हनुमानगढ	
31.	श्री मो0 यासीन	चूरू	हनुमानगढ	
32.	श्री के0 के0 छावड़ा	हनुमानगढ	राजगढ	
33.	श्री दामोदरलाल	नागौर	जोधपुर बी	

Page No 209

परिशिष्ट 7

(अ. प्र. सं. 563 की सूची)

पंचायत समिति कठूमर द्वारा जव विभिन्न कार्यों के लिए कृषकों को दिया गया अनुदान, सहायता का विवरण।

क्रमांक	सहायतार्थ	
(1)	अग्नि पिड़ित सहायतार्थ	4,250)
(2)	मकान निर्माण हेतु सहायता (अनुसूचित जन जाति)	11,250)
	अनुदान	
(1)	पक्की नाली निर्माण हेतु 500) रुपये प्रति कृषक को अनुदान	2,000)
(2)	भू-संरक्षण कार्य मेड बंधी हेतु अनुदान	839)

पंचायत समिति कठूमर द्वारा अब तक विभिन्न कार्यों के लिए कृषकों को दिया ऋण का विवरण

क. मद का-नाम	दीर्घकालीन ऋण	मध्यकालीन ऋण	अल्पकालीन ऋण	लघु सिंचाई	सामुदायिक विकास	राजस्व तकावी	छाया एवं पूर्ण विस्तार	योग
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 वितरण की गई रकम	4,24,675-45	1,200.00	9,67,920.05	78,000.00	1,69,000.00	20,200.00	94,050.00	1755045.50
2 वसूल की गई रकम	1,13,700-45	1,200.00	9,24,400.00	1,800.00	1,14,931.00	20,200.00	94,050.00	1570341.45
3 शेष रकम	3,10,975-00	—	43,520.74	76,140.00	54,069.00	—	—	48470405

परिशिष्ट 8

(अ. प्र. सं. 565 की सूची)

पंचायत समिति लाडनूं 1 अप्रेल, 1965 से लेकर अब तक प्रति वर्ष हुई आय का विवरण।

क्रमांक	वर्ष	आय की धनराशि
1.	65–66	16918.30
2.	66–67	23274.14
3.	67–68	22811.12
4.	68–69	25331.02
5.	69–70	26001.27
6.	70–71	39931.51

परिशिष्ट 9

(अ.प्र.सं. 572 की सूची)

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक जिला-भीलवाड़ा (राजस्थान)

भीलवाड़ा पहले में पंचायत समितियों के निजी व्यय पर चल रहे उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	नाम उ.प्रा.वि.	पंचायत समिति का नाम	वर्ष जब से विद्यालय चल रहा है।
1.	उच्च प्राथमिक वि. ठातोला	सहाड़ा	66-67
2	,, ,, ,, वामोली	जहाजपुर	68-69
3	,, ,, ,, सवाईपुर	कोटड़ी	68-69
4	,, ,, ,, नया समेलियां	मुवाणा	68-69
5.	,, ,, ,, कटार	आसीन्द	69-70
6.	,, ,, ,, सोडार	हुरड़ा	69-70
7.	,, ,, ,, बनका खेड़ा	कोटड़ी	69-70
8.	,, ,, ,, आमल्दा	जहाजपुर	69-70
9.	,, ,, ,, सेखवां	माण्डल	69-70
10.	,, ,, ,, मानपुरा	माण्डलगढ़	69-70
11.	,, ,, ,, जोजवां	माण्डलगढ़	69-70
12.	,, ,, ,, सिंगोली	माण्डलगढ़	69-70
13.	,, ,, ,, सोनियाना	सहाड़ा	69-70
14.	,, ,, ,, दान्थल	मुवाणा	69-70
15.	,, ,, ,, नादन्सा	रायपुर	70-71

परिशिष्ट 10

(अ. प्र. सं. 573 की सूची)

राजस्थान–सरकार
(शिक्षा–विभाग)

आदेश

कार्यग्रहण करने की तिथि से श्री रघुवरदयाल यादव सहायक अध्यापक, राज. दरबार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जयपुर को उसी शाला में इस सत्र को समाप्ति तक अर्थात 30–6–68 तक अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्ति प्राप्त हो, अथवा कोई महिला शाला परामर्शक प्राप्त हो, जो भी पहले हो तक के लिए पर्णतया उनके क्रम के द्वारा परामर्श (वेतन श्रृंखला 225–385 के) पद पर पदोन्नत किया जाता है।

ह0 अनिल बोर्दिया,
अपर-निदेशक,
प्राथमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

क्र0 शिविरा प्रस्तापन की– 640 । पर मिलेवा 67-68 दि0 3-2-68
प्रतिलिपि सूचनार्थः—

1. निदेशक, राजकीय व्यापारिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जयपुर।
2. प्रधानाध्यापक, राज0 दरबार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जयपुर।
3. रघुवर दयाल यादव, स. अ. राज. दरबार उ. मा. वि. जयपुर।
4. नियुक्ति पत्रिका। व्यक्तिगत पत्रिका

ह0 अपर निदेशक

परिशिष्ट 11

(अ.प्र.सं. 576 की सूची)

"सूची अ"

देसूरी तहसील में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत किए गये कार्यों की सूची।

नाम बांध

1. कैसली।
2. गोरांधरा बांध।
3. मांडी गढ़ बांध
4. मांडी गढ़ तालाब
5. पृथ्वी राज का गुडा (पूर्ण)
6. परशराम महादेव एनीकट (पूर्ण)
7. छालोप (पूर्ण)
8. भगवान पुरा तालाब
9. नादान भाटा।
10. सांचोरी।
11. रानी तालाब।
12. बीन्जोबा तालाब।

परिशिष्ट 12

(प्र.प्र.सं. 581 की सूची)

राजस्थान नहर का पानी घग्घर बाढ़
में छोड़े गये की सूची।

दिनांक	जो पानी राजस्थान कैनाल से लिया गया (क्यूसेक्स में)
1	2
14-7-1970	500
15-7-1970	700
16-7-1970	700
17-7-1970	1000
18-7-1970	-
19-7-1970	200
20-7-1970	500
21-7-1970	650
22-7-1970	300
23-7-1970	300
24-7-1970	650
25-7-1970	600
26-7-1970	1500
27-7-1970	2250
28-7-1970	3150
29-7-1970	3950
30-7-1970	4000
31-7-1970	4000
1-8-1970	4000
2-8-1970	4000
3-8-1970	4000
4-8-1970	4000
5-8-1970	3000
6-8-1970	3000
7-8-1970	4000

Page No 216

1	2
8-8-1970	4000
9-8-1970	4000
10-8-1970	4000
11-8 1970	4000
12-8-1970	4000
13-8-1970	4000
14-8-1970	4000
15-8-1970	4000
16-8-1970	4000
17-8-1970	4000
18-3-1970	4000
19-8-1960	4000
20-8-1970	4000
21-8-1970	4000
22-8-1970	4000
23-8-1970	4000
24-8-1970	4000
25-8-1970	4000
26-9-1970	4000
27-8-1970	4500
28-8-1970	4000
29-8-1970	4000
30-8-1970	4000
31-8-1970	4000
1-9-1970	4000
2-9-1970	4000
3-9-1970	4000
4-9-1970	4000
5-9-1970	4000
6-9-1970	4000
7-9-1970	5000
8-9-1970	4000
9-9-1970	4000
10-9-1970	4000

Page No 217

1	2
11-9-1970	4000
12-9-1970	4000
13-9-1970	4000
14-9-1970	4000
15-9-1970	4000
16-9-1970	4000
17-9-1970	4000
18-9-1970	4000
19-9-1970	4000
20-9-1970	4000
21-9-1970	4000
22-9-1970	4000
23-9-1970	4000
24-9-1970	4000
25-9-1970	4000
26-9-1970	4000
27-9-1970	4000
28-9-1970	4000
29-9-1970	4000
30-9-1970	4000
1-10-1970	4000
2-10-1970	4000
3-10-1970	4000
4-10-1970	3000
5-10-1970	4000
6-10-1970	2560
7-10-1970	1000
8-10-1970	2500
9-10-1970	Lkg.
10-10-1970	4000
11-10-1970	1200
12-10-1970	Lkg.
13-10-1970	Lkg.
7-3-1971	3000

परिशिष्ट 13

(अ. प्र. सं. 582 की सूची "अ")

100–मध्यम सिंचाई योजनाओं की सूची सन् 1969–70

सिंचाई योजना खण्ड, चित्तौडगढ

नं. सु. 1	निर्माण कार्यों का नाम 2	खर्चा जो सन् 1969–70 में हुवा 3
	100–केपीटल आऊट ले ओन आई. एम. ई. एण्ड बी. वर्क्स–3 माईनर ईरिगेशन वर्क्स	
	ए–फूली वर्क्स :	
1.	भोपालसागर फीडर	7.39
2.	एडिया प्रोजेक्ट	0.33
3.	दही खेड़ा	0.78
4.	बनाकिमा टैंक	1.08
5.	शादी	6.93
6.	मानसरोवर टैंक	0.02
7.	डी. के. फीडर	0.04
8.	पारसोली टैंक	–
9.	मुरलिया टैंक	(–) 0.01
10.	कांकरिया टैंक	0.14
11.	कालादेह टैंक	0.01
12.	अरनिया	0.12
		योग–10.84
	बी–लिफ्ट ईरिगेशन स्कीम	
1.	नगरी लिफ्ट स्कीम	0.01
2.	कोटड़ी लिफ्ट स्कीम	0.23
3.	नाना कन्धार लिफ्ट स्कीम	0.39
4.	आकोदरा "	0.26
5.	नङगांव "	0.06
		योग–0.95

1	2	3
सी–ओल्ड एण्ड ब्रिच टैंक		–
डी–इनकम्पलीट फैमिन रिलीफ वर्क्स		0.05
		योग–0.05

पृष्ठ संख्या 2

'ई' स्पेशल ग्रान्ट कोर ट्राईबल एरियाज

1.	बरडिया टैंक	0–62
2.	पटेलिया टैंक	0–13
3.	बड़ा थामिया टैंक	0–05
4.	पन्डावा टैंक	0–25
5.	थामदा टैंक	0–05
6.	अम्बामाता	–
7.	जोलर टैंक	0–14
8.	घोलापानी टैंक	0–09
	योग–	1–33
	योग– 'ए' टू 'ई'	13–17

'एफ' एस्टेब्लिशमेंट

1.	एस्टेब्लिशमेंट फोर बी0 एस0 फीडर	0–12
2.	एड प्रोरेटा चार्जेज	0–07
3.	टी. एन. पी. प्रोरेटा चार्जेज ओफ डिविजन ऑफिस	0–08
	योग– 'एफ' एण्ड 'जी'	0–27
	कुल योग–	13–44

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, चित्तोड़गढ़।

सूची 'व'

सन् 1969–70 में सिचाई खण्ड बून्दी में उल्लेखित योजनाओं पर स्वीकृत राशि एवं खर्च की सूचना

क्रम सं. 1	नाम योजना 2	वर्ष 1969–70 स्वीकृत राशि 3	व्यय 4
1.	देई गंगासागर तालाब	7,000.00	7,350.00
2.	बंसोली सिचाई योजना	1,88,000.00	1,83,024.00
3.	अभयपुरा	–	–
4.	गुढ़ा गोकुलपुरा	–	–
5.	विजयगढ	7,000.00	7,228.00

परिशिष्ट 14

(अ. प्र. सं. 437 की सूची)

प्रपत्र 'य'

वर्ष 1969–70

व्यय		आय			
मद	रुपये	अनाज की किस्म	पैदावार	दर प्रति क्विटसस	कुल आय
जुताई	1360–00	गंवार	18 क्विटल	90–00	1620–00
बीज	260–00	मोठ	12 ,,	110–00	1320–00
दैनिक मजदूरी	1800–00	ज्वार	40 किलोग्राम	70–00	28–00
		चारा			
		गवार	28 क्विटल	30–00	840–00
		मोठ	35 ,,	40–00	1400–00
		ज्वार	55 ,,	30–00	1650–00
					6858–00

वर्ष 1970–71

व्यय		आय			
मद	रुपये				
दैनिक मजदूरी	4500–00	गंवार	41 क्विटल	60–00	1460–00
		मोठ	12–35 ,,	60–00	741–00

मद रुपये	व्यय	व्यय	
बाजरा	12 क्विंटल	55–00	900–00
ज्वार	19 ,,	50–00	950–00
तिल	3 ,,	200–00	600–00
			5741–00
चारा			
मोठ	50 ,,	20–00	1000–00
गवार	30 ,,	20–00	600–00
बाजरा व ज्वार	120 ,,	15–00	1800–00
			9141–00

Page No 223

प्रपत्र 'ब'

कृषि औजारों की सूची–

		मात्रा	मूल्य
1.	आर. ए. डब्ल्यू	1	26–00
2.	,,	1	16–00
3.	खूंटीदार हेरो	1	45–00
4.	सोइल सर्जन	1	50–37
5.	टूलवारार कल्टीवेटर	1	5[illegible]–00
6.	वन्डफोमर	1	30–00
7.	स्केपर	1	400–00
8.	ग्रेसर	1	275–00
9.	कुट्टी की मशीन	1	150–00
10.	विनावर मशीन	1	600–00
11.	सिगपटेला	1	61–00
12.	वर्षा मापक यन्त्र	1	70–00
13.	आर. एस. 09 ट्रेक्टर	1	13821–00
14.	डिस्क हेरो (ट्रेक्टर)	1	1151–00
15.	कल्टीवेटर (,,)	1	1969–60
16.	ट्रोली (,,)	1	2564–50
17.	स्प्रिंकलट इरीगेशन का सामान	1	22306–93

Page No 224

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 3 मई, 1971)

स्तम्भ संख्या		पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1		2	3	4
2		5	प्रन	प्रश्न
9	अन्तिम से	12	भेजो	भेजी
12	,,	3	कर	कह
14		5	मं	ने
14	अन्तिम से	5	पकड़ा	पकड़ी
15		18	श्री दिग्विजयसिंह (मकराना)	श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा)
24		1	ड्रिावव	ड्राइव
24		9	क्या	क्या
25		16	अगल	अलग
,,	अन्तिम से	10	मे	मैं
,,	,,	6	सकता	सकती
26		8	पोवर	पावर्स
35	अन्तिम से	10	श्री दौलत रम सारण	श्री दौलतराम सारण
36	,,	,,	1966-70	1969-70
39		2	स्टाइपेड	स्टाइपेन्ड
50	शीर्षक		तारांत प्रश्नत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
57		4	या	गया
59		2	भुतान	भुगतान
62		4	पूर्व	पूर्ण
64		15	कुछ	कुल
,,	अन्तिम से	3	व्यक्तिमों	व्यक्तियों
65		10	सान्धे	सम्बन्ध
,,		17	परिशिष्ट	परिशिष्ट
,,	अन्तिम से	8	जिला जिला	जिला
66	,,	3	वल	वसूल
,,	,,	1	नह	नहीं
69	,,	10	स्थगित	स्थापित
75	,,	9	गपा	गया
83	,,	7	अजाव	अजान
88	,,	14	श्री केसर सिंह हाडा	श्री केसरीसिंह हाड़ा

1	2	3		4
90		8	नियार्ण	निर्माण
114		6	श्रावश्यतका	श्रावश्यकता
117	अन्तिम से	2	जर्चा	चर्चा
119		12	निश्चित	निष्क्रिय
155	अन्तिम से	9	(क्रम: 2)	—
156	,,	1	प्रि	प्रति
204	शीर्षक		एं	एवं
252		12	सूंग	मूंग
277	अन्तिम से	11	सके	उसके
294		4	भैरों सिंह	श्री भैरोंसिंह
319		11	दल का समाप्त	दल का समय समाप्त
324		15	रियाइन्स	रिवाइन्स
325		3	श्राफ	श्रान
326	अन्तिम से	3	रेन्वीस	रेवीन्स
332		13	प्रिजन्पशन	प्रिजम्प्शन
333	अन्तिम से	11	गषे	गये
335		12	उथब	उथल
,,	अन्तिम से	6	नदस्यों	सदस्यों
337	,,	4	रिइन्वेस्टीगेशन	रीइन्वेस्टीगेशन
338		4	विभाग	दिमाग
342		2	ले	के
346	अन्तिम से	5	जब	जज
347		6	मानवीय	माननीय
351	अन्तिम से	13	श्री लाभ वण्द वैद	श्री लाभचन्द वैद
354	,,	13	श्री उपादक्ष	श्री उपाध्यक्ष
,,	,,	11	न्धाय	न्याय
372	,,	7	(43 वि0 मं0)	—
373		6	किया	की
375	अन्तिम से	10	श्रास	श्राफिस
,,	,,	9	ाने	कराने
376		10	श्री दिग्विजय सिंह	श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा)
,,		17	करती	राखती
377		14	अधिकारी चारों लाडपुरा द्वारा इनका	अधिकारी लाडपुरा द्वारा इन चारों का